गुजरातके आदिवासी

विमल शाह

गूजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद-१४

आदिवासी अनुसंधान और तालीम केन्द्र प्रकाशनमाला पु० ८

गुजरात के आदिवासी

विमल शाह

नियामक, आदिवासी अनुसंधान और तालीम केन्द्र
गुजरात विद्यापीठ

प्रकाशककी ओरसे भेट

गूजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद–१४

प्रकाशक
रामलाल डाह्याभाई परीख
महामात्र, गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद–१४

मुद्रक
शांतिलाल हरजीवन शाह
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–१४

© गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद–१४

प्रथम आवृत्ति, १९६८, प्रत १,०००

मूल्य : आठ रुपये

मार्च, १९६८

प्रकाशकका निवेदन

आदिवासी अनुसंधान और तालीम केन्द्र प्रकाशन-मालाकी यह पुस्तक छापते समय हमें आनंद होता है। इस केन्द्रकी प्रवृत्तियोंके परिणाम गुजरातके सामने व्यवस्थित रूपमें रखे जा सकें इसका प्रबन्ध अब हो गया है।

इस पुस्तकमें हमारा यह खयाल रहा है कि गुजरातकी आदिवासी जातियोंका सिर्फ़ सामान्य परिचय ही कराया जाय। जनतामें ऐसा अनुमान दृढ़ हो गया है कि आदिवासीका मतलब जंगलमें बसनेवाला और कुछ वन्य रहन-सहनवाला आदमी (?)। आदिवासियोंके बारेमें काफी ग़लतफहमी हमारे समाजमें है और इसलिए ही उनके प्रति समभाव पैदा नहीं होता। यह हालत अधिक समय बनी रहे यह हमारे राष्ट्रको नहीं पुसाता। मानवताके बारेमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मानव गौरवके संबंधमें हमारे वेदादिने हमें जो बहुत ही उच्च विचारश्रेणियाँ दी हैं, वे सब आदिवासी लोगोंके साथ हमारे व्यवहारमें आ जानी चाहिये। गुजरातमें आदिवासी साढ़े तेरह प्रतिशत हैं; यानी हर सात गुजरातीमें एक आदिवासी है। उनकी इतनी बड़ी संख्या हमारे यहाँ है, इसलिए उनके बारेमें हमें अनजान रहना उचित नहीं; यथासंभव जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिये। इस खयालसे इस पुस्तकमें सामान्य जानकारी देनेकी कोशिश की गई है। अलग-अलग आदिवासी जातियोंके खास और सामान्य लक्षण, उनके रीतिरिवाज आदि सरल भाषामें यहाँ देनेका हमारा प्रयास है। आदिवासियोंके संबंधमें गहराईसे अभ्यास करनेवालोंको भी यह पुस्तक काफ़ी बुनियादी मसाला दे सकेगी।

इस किताबमें दी गई जानकारी श्रद्धेय हो इसलिए पहले इसकी हस्तप्रत तैयार की और उसकी नकलें इस विषयके विशेषज्ञोंके पास उनकी रायके लिए भेजी गईं। उनमेंसे, बहुतोंसे हमें बड़ी अच्छी सूचनायें मिलीं। उन सूचनाओंका यथासंभव लाभ उठानेका प्रयत्न आखरी प्रत तैयार करते समय किया गया है। परंतु यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस किताबमें दी गई जानकारी और किये गये विधानोंके विषयमें संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। पुस्तकमें कुछ भी कमी रह गई हो तो वह भी हमारी है। हमारी मदद करनेवालोंमें स्व० श्री वैकुंठभाई मेहता, श्री विठ्ठलभाई कोठारी, श्री लक्ष्मीदास श्रीकान्त, श्री लालभाई नायक, छिदवाडा आदिवासी अनुसंधान केन्द्रके भूतपूर्व नियामक डॉ० टी० बी० नायक, डिप्टी कमिश्नर फोर ट्राइबल ब्लोक्स श्री वाडीभाई पटेल आदि शामिल हैं। उन सबका हम आभार मानते हैं।

इस पुस्तकमें दी गई सामग्री १९६१ की जनगणनाके प्रकाशनोंसे ली गई है। उसकी आवश्यक मंजूरी देनेके लिए गुजरात राज्यके सेन्सस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री रमणभाई त्रिवेदीका भी हम आभार मानते हैं।

इस पुस्तकको तैयार करनेमें उसके लेखक और केन्द्र नियामकके केन्द्रके सभी भाई-बहनोंने किसी न किसी तरह हाथ बंटाया है, इसका भी साभार यहाँ ज़िक्र करना चाहिये।

हमें आशा है कि गुजरातके आदिवासियोंका यथार्थ परिचय पाठकोंको करानेमें यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी। आदिवासी जनताके उत्कर्षके लिए और उसे अपने उचित गौरव-पद पर बिठानेके लिए और भी जो प्रयत्न करने हमें बाकी हैं, उनकी झाँकी करानेमें भी यह पुस्तक सहायक होगी।

रामलाल परीख

हिंदी आवृत्तिका निवेदन

गुजरातके आदिवासीयोंका परिचय करानेवाला यह पुस्तक हिंदीमें प्रसिद्ध करते हुअे हमें बड़ी खुशी होती है। ईसका हिंदीमें अनुवाद हिंदी विभागके श्री मनीभाई पटेलने श्री गिरिराज किशोर तथा श्री नानुभाई बारोटकी मददसे किया। ईन सबके प्रति हम आभार प्रदर्शित करते हैं। आशा है हिंदी-भाषी लोग यह पुस्तकका स्वागत करेंगें।

रामलाल परीख
महामात्र

क्रमांक

१. प्रास्ताविक १
२. प्रत्येक राज्यमें आदिवासी आबादीका प्रमाण ५
३. आदिवासी आबादीमें वृद्धि ६
४. गुजरातके आदिवासी ६
५. गुजरातके आदिवासी विस्तार ७
६. भौगोलिक दृष्टिसे आदिवासी आबादीका वर्गीकरण ८
७. आदिवासी विकासघटक ११
८. स्त्रीपुरुषका प्रमाण १३
९. उम्रके हिसाबसे वर्गीकरण १४
१०. सामाजिक स्थिति १४
११. धर्म १४
१२. भाषा १५
१३. जातियोंके हिसाबसे आबादी १५
१४. जातियोंकी ज़िलोंमें आबादी १६
१५. प्रत्येक ज़िलेकी मुख्य जातियाँ १७
१६. व्यवसाय १७
१७. जातिवार व्यवसाय १९
१८. शिक्षा २१
१९. जातिवार शिक्षा २१
२०. जातियोंका परिचय २३
  १. भील २३
  २. दूबला २६
  ३. धोडिया २८
  ४. चौधरी २९
  ५. धानका ३०
  ६. कूंकणा या कोंकणा ३०
  ७. वारली ३२
  ८. गामीत ३३
  ९. नायक–नायकडा ३३
  १०. ढोरकोली ३४
  ११. कोटवालिया ३४
  १२. काथोडी ३५
  १३. बामचा या बावचा ३६
  १४. पोमला ३६
  १५. पढार ३६
  १६. पारधी ३७
  १७. सीदी ३८
  १८. वाघरी ३८
२१. उपसंहार ३९

परिशिष्ट

१. आदिवासियों तथा आदिवासी विस्तारोंके विकासके लिए संविधानमें दी गई खास सूचनाएँ ४३
२. गुजरातमें तीसरी पंचवर्षीय योजनाके दरमियान अमलमें आयी हुई आदिवासी कल्याण योजनाएँ ४४
३. तहसीलवार कुल जनसंख्या और आदिवासी जनसंख्याके आंकड़े ५२
३. (अ) आदिवासी जनसंख्याके प्रतिशतके अनुसार तहसीलोंका बँटवारा ५५
४. हरबुक जातिके ज़िलेवार आंकड़े ५८
४. (अ) हरबुक ज़िलेकी जातिवार जनसंख्याके आंकड़े ६१
५. ग्रामविस्तारमें बसे हुए आदिवासियोंका तहसील अनुसार जातियोंमें विभाजन ६४
६. गुजरातके आदिवासियोंका उम्र तथा सामाजिक परिस्थितिके अनुसार विभाजन ७१
७. गुजरातके आदिवासीयोंकी जमीनमालिकी ७२
८. अपनी मातृभाषाके रुप विभिन्न भाषाभाषी आदिवासीयोंकी संख्या ७२
९. आदिवासी मेले ७३
१०. आधार ग्रंथ ७४

नकशे

१. गुजरात राज्यके आदिवासी विस्तार ७
२. गुजरात राज्यमें जातिवार हरेक जिलेकी जनसंख्या १७
३. „ „ भीलोंकी जिलेवार जनसंख्या ७४ बाद
४. „ „ दूबलाओंकी „ „ „
५. „ „ धोडियाओंकी „ „ „
६. „ „ गामीतोंकी „ „ „
७. गुजरात राज्यमें चौधरियोंकी जिलेवार जनसंख्या ७४ बाद
८. „ „ राठवाओंकी „ „ „
९. „ „ धानकाओंकी „ „ „
१०. „ „ कोंकणाओंकी „ „ „
११. „ „ नायकड़ाओंकी „ „ „
१२. „ „ वारलीओंकी „ „ „

चित्रसूची

१. आदिवासियोंके स्मृतिस्तंभ–मुखपृष्ठ
२. भीलकी झोंपड़ी–वारलीकी झोंपड़ी २६
३. कोटवालियाकी झोंपड़ी–पढारकी झोंपड़ी २७
४. भील गरासिया स्त्रियां–गामीत वृद्धा–डांगी भील राजा–डुंगरी भील युवती–चौधरी मातापुत्र–डांगी भील–डुंगरी भील युवा–डुंगरी भील बालक–चौधरी और गामीत पुरुष– वारली ब्याहकी सैट–पंचमहालके भीलोंके नृत्य–डांगके आदिवासियोंके नृत्य २८–२९
५. आदिवासी गहने ३०
६. आदिवासी गहने ३१
७. चिड़ियां पकड़नेका फंदा–प्रेतग्रस्त व्यक्तिको मारनेका लकड़ीकी कीलों-वाला ओझाका कोड़ा–मछली पकडनेके पिंजड़े ३४
८. वारली खेत मजदूर–चटाई बुनती हुई चौधरी स्त्री–कपासकी ढेढ़ीसे रूई निकालती हुई पढ़ार स्त्री ३५
९. कद्दुसे बनायी हुई 'वॉटर बेग'– कद्दुसे बनाया हुआ पानी पीनेका डौआ––आदिवासीके वाद्य–भील आदिवासीके घरकी दिवार पर बना चित्र––पोशीना विस्तारका घोड़ा–नसवाड़ी विस्तारका घोड़ा–धरमपुरके आदिवासियोंका मिट्टीका मंदिर (देवरु)–डेडियापाड़ाके आदिवासियोंका पूड़ा बनानेका 'ठप्पा' ३६–३७
१०. आदिवासी स्मृतिस्तंभ ३८
११. सारण–खेड़ब्रह्मा विस्तारकी विशिष्ट सिंचाई पद्धति–कद्दुमेंसे वाद्यनिर्माण करता हुआ गामीत–मगरदेवकी मूर्ति–मेघ ३९

गुजरातके आदिवासी

१

प्रास्ताविक

भारतकी आबादीका कुछ भाग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजकीय कारणोंसे शेष आबादीकी अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका स्पष्ट दर्शन आजादी मिलनेसे पहले ही हमें हो गया था और ऐसे लोगोंकी प्रगति शीघ्र कर सकें इस उद्देश्यसे संविधानमें ही उनके लिए खास सुविधाएं देना हमने इष्ट माना था। इनमें से एक वर्ग संविधानमें अनुसूचित ज्ञातियों (शिड्यूल्ड कास्ट्स) और दूसरा वर्ग अनुसूचित आदिम जातियों (शिडयूल्ड ट्राइब्स)के नामसे पहचाना जाता है।

अनुसूचित ज्ञातियोंमें ढेड़, भंगी, चमार, बुनकर जैसी अस्पृश्य मानी जानेवाली सब ज्ञातियोंका समावेश किया गया है। अनुसूचित आदिम जातियोंमें सामान्यतः 'आदिवासी' कहलाई जाती सब जातियोंका समावेश किया गया है। किस जातिको आदिवासी कहना इस बारेमें कोई खास व्याख्या नहीं दी गई। परन्तु संविधानमें यह कहा गया है कि जिन आदिजातियों अथवा आदिम जातियोंके समूहों अथवा आदिजातियोंकी उपजातियाँ अथवा आदिजातिके समूहोंके उपसमूहोंको संविधानकी धारा ३४२के अनुसार घोषणापत्र द्वारा राष्ट्रपति सूचित करें वे सब अनुसूचित आदिमजातियाँ मानी जायँ।

यानी आदिवासीकी परिभाषा देनेके बदले सामान्य रूपसे आदिजातियोंके नामसे परिचित सब जातियोंको अनुसूचित जातियोंके नामसे घोषित करनेकी नीति अपनायी गई है।

आदिवासीकी कोई स्पष्ट व्याख्या देना कठिन है। सामान्य जनताकी दृष्टिसे आदिवासीका अर्थ है वे भोलेभाले लोग जो जंगलों और पहाड़ोंमें रहते हैं। पढ़े-लिखे लोग आदिवासियोंको नाचने-गानेमें मस्त और रंगीले लोगोंके रूपमें पहचानते हैं, जिनकी खास देख-भाल करनी जरूरी है। मानववंशशास्त्री ऐसे लोगोंको आदिवासीके रूपमें पहचानते हैं जिन्होंने अपना सदियों पुराना रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा सामाजिक संगठन सुरक्षित उसी रूपमें ही रखा है और जो समाजशास्त्रके अभ्यासके लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करती है। आदिवासीको पहचाननेके लिए ये सब लक्षण उपयोगी हैं लेकिन इन सबका समावेश कर ले ऐसी कोई निश्चित व्याख्या आज तक देखनेमें नहीं आयी और उनका वर्गीकरण करते समय कई बार एक-दूसरेसे बिल्कुल विरोधी धोरणोंका उपयोग होता दिखाई देता है। ऐसी एक व्याख्याको परखनेसे यह समझमें आ जाएगा कि व्याख्याकी रचना करना कितना कठिन कार्य है। इस व्याख्याके अनुसार किसी एक समूहको आदिमजातिके रूपमें पहचाननेके लिए उसमें निम्नलिखित लक्षण होना जरूरी है :–

१. ज्ञातिप्रथामें जैसा परस्परावलंबन पाया जाता है वह इस समूहमें बहुत कम मात्रामें होता है।
२. आर्थिक स्थितिसे यह पिछड़ी होती है अर्थात् रुपयेका उपयोग कम प्रमाणमें इसमें होता है और वस्तु-विनिमयके रूपमें ही अधिक अंशोंमें आर्थिक व्यवहार चलता है; धंधोंमें प्रचलित साधन बहुत प्राथमिक कक्षाके होते हैं। आर्थिक व्यवस्था अविकसित हालतमें होती है और प्रत्येक व्यक्ति एकसे अधिक व्यवसाय करता है।
३. शेष जनताके साथ भौगोलिक संपर्क बहुत कम होता है।
४. अपनी स्वतंत्र बोली होती है।
५. पंचायत द्वारा जाति संगठन मजबूत किया होता है तथा उन पंचोंका उस पर बहुत प्रभावपूर्ण दाब होता है।
६. जातिके अधिकतर लोगोंमें अपनी स्थिति बदलनेकी इच्छा बहुत कम होती है और पुरानी परंपराको कायम रखनेकी वृत्ति बहुत प्रबल होती है।
७. जायदादके बंटवारेके बारेमें उनके अपने कायदे-कानून होते हैं, जिन्हें सबको कबूल करना पड़ता है।

इस व्याख्याको स्वीकृत रखा जाय तो हमें यह स्वीकारना पड़ेगा कि ये सब लक्षण किसी भी समूहको आदिवासी माननेके लिए जरूरी हैं। इस व्याख्याके अनुसार अगर हम आज आदिवासी मानी जानेवाली जातियोंकी जाँच करें, तो बहुत कम जातियोंमें ये सब लक्षण एक साथ पायेंगे।

आंतरराष्ट्रीय मजदूर संस्था (आई. एल. ओ.) ने आदिवासियोंको मूल निवासीके रूपमें माना है। 'आदिवासी' शब्दका अर्थ भी यही है (आदि वि० प्रारंभका – वासी वि० रहनेवाला।)

आदिवासियोंके लिए कुछ और भी शब्द प्रचलित हैं, जैसे 'भूमिजन' (धरतीके मूल बालक); 'गिरिजन' (पहाड़ोंमें रहनेवाले); 'रानीपरज' (जंगलमें रहनेवाले लोग); 'काळीपरज' (काले रंगके लोग); 'वन्यजाति' अथवा वनवासी इत्यादि।

करीब पचास या सौ साल पहले ये सब लोग शेष जनताके संपर्कमें बहुत कम आया करते थे। इसलिए उन्हें पहचानना आसान था। अब स्थिति ऐसी न रहनेसे उन्हें पहचाननेके लिए निश्चित मानदंड तय करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। उदाहरणके तौर पर जंगल सरकारके हो जानेके कारण और आबादीके बढ़नेसे आदिवासी लोग जंगल और पहाड़ छोड़कर खासी संख्यामें

मैदानोंमें बसने लगे हैं। इस तरह आदिवासियोंका निवास पहाड़ों या जंगलोंमें होना, यह लक्षण अब काम नहीं दे सकता। इस प्रकार पहाड़ोंमें रहनेवाले सब लोगोंको हम आदिवासी कह सकते हैं या नहीं, यह भी सोच लेना जरूरी है; क्योंकि जैसे जंगलों और पहाड़ोंमें रहनेवाले मैदानोंमें रहने आये हैं उसी तरह आबादीकी वृद्धिके दबावके कारण या व्यवसायके लिए मैदानोंमें रहनेवाले जंगलों और पहाड़ोंमें रहनेके लिए गये हैं। इस प्रकार संपर्क बढ़नेसे आदिवासी लोगोंकी रहन-सहन और रीति-रिवाजोंमें तेजीसे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। आदिवासियोंके नामसे पहचानी जानेवाली सब जातियाँ इस तरह अब किसी एक सांस्कृतिक स्तर पर नहीं रहीं कि जिसे सबके लिए समान रूपसे कसौटीके काममें लिया जा सके। डॉ० एल्विनने उन्हें प्रमुख चार विभागोंमें इस प्रकार विभाजित किया है:—

१. जो जातियाँ अब भी दूरके जंगलों और पहाड़ोंमें जी रही हैं, जिनका बाह्य दुनियासे आज भी संपर्क नहींके बराबर है, जिनका जीवन अब भी अधिकांश सामूहिक है और जो अब भी अस्थिर खेतीसे गुजारा करती हैं; ऐसी सब पहले विभागमें आती हैं। इनमें मध्यप्रदेशके बस्तार प्रदेशमें स्थित हिलमारिया, पांचडिया, तथा कावरधा विस्तारमें स्थित बैगा जातियों और उड़ीसाकी जुआंग, गडाबा और बोंडो जातियोंको गिन सकते हैं। गुजरातमें एक भी जाति नहीं है, जो इस विभागमें आये।

२. दूसरे विभागमें आनेवाली जातियाँ भी दूरके विस्तारोंमें रहती हैं और एकान्तिक जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन कुछ और दृष्टियोंसे उनके जीवनमें परिवर्तन हो रहा है जैसे उनका जीवन सामूहिक न रहकर व्यक्तिगत होता जा रहा है और अस्थिर खेतीको छोड़कर स्थिर खेतीकी ओर वे जा रही हैं और बाजारोंमें आने-जानेसे बाह्य दुनियाके कुछ संपर्कमें आयी हैं। इस विभागमें हम मध्यप्रदेशकी बीसन होर्न मारिया, मुरिया और ओराओं जातियोंको ले सकते हैं।

३. तीसरे विभागमें आनेवाली जातियाँ बाह्य दुनियासे काफ़ी संपर्कमें आ चुकी हैं और उनकी अर्थव्यवस्था तथा समाज-व्यवस्थामें उनके चाहे-अनचाहे बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं। इस विभागमें अधिकांश आदिवासी आबादी आ जाती है। सबसे अधिक जटिल स्थितिमें यही विभाग फंस गया है, क्योंकि यह अपना पुराना खो बैठा है और नया कुछ नहीं पा सका है। इस प्रकार वह रक्षणहीन हो गया है। गुजरातके अधिकांश विस्तारकी आदिवासी जातियाँ इसी विभागमें आती हैं।

४. चौथे विभागमें ऐसी जातियाँ आती हैं, जो अपनेको आदिवासी कहलानेके लिए कुछ निजी परंपराओंको धारण किये हुए हैं। वैसे उन्होंने अपने रहन-सहनमें संपूर्ण परिवर्तन कर लिया है। इस विभागमें गोंड राजा लोग, नागा तथा सांथालोंके नेताओंको हम ले सकते हैं। ये लोग वैसे तो शेष समाजमें अच्छा स्थान रखनेवाली किसी भी जातिके लोगोंकी बराबरीमें आ सकते हैं। गुजरातकी घोडिया जातिको कुछ हद तक इस विभागमें रख सकते हैं। उन्हें दूसरे लोगोंसे अलग न मानना अब सरल नहीं रहा।

इस तरह अलग अलग स्तर पर जीनेवाले आदिवासियोंका वर्गीकरण करनेका कार्य अधिक मुश्किल हो गया है। इस प्रश्नका महत्त्व लम्बे समयके लिए नहीं है, क्योंकि हम उन्हें शेष जनतासे हमेशाके लिए अलग समझकर चलना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि जल्दीसे जल्दी वे सबके बराबर हो जायें जिससे उनके लिए अलग सुविधाएं रखना ज़रूरी न रहे! जबतक उनके लिए अलग सुविधाएं रखनी ज़रूरी हैं तब तक उनका महत्त्व है।

अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित ज्ञातियोंके बीचका अंतर भी कुछ देखने योग्य है। अनुसूचित ज्ञातियाँ, जैसे पहले हमने देखा, अस्पृश्य मानी गयी ज्ञातियाँ हैं जिन्हें मुख्यतः सामाजिक कारणोंसे बहुत ही विडंबनाएं झेलनी पड़ती हैं। शेष जनतासे ये ज्ञातियाँ अलग नहीं हो गई इसलिए ज्यों ज्यों विडंबनाएं कम होती जा रही हैं त्यों त्यों वे अपने विकासके अवसरोंका शीघ्र लाभ उठाती हैं। फलतः शेष जनता और उनके बीचका अंतर अब कम होता जा रहा है। अनुसूचित आदिजातियोंको भौगोलिक और शेष जनतासे लम्बे समयसे अलग हो जानेके कारणोंसे यद्यपि सामाजिक तौर पर अनुसूचित ज्ञातियों जैसी विडंबनाएँ सहन नहीं करनी पड़तीं; फिर भी अपने लिए खुले हुए विकासके मौकोंका पूर्ण रूपसे वे उपयोग नहीं कर सकतीं। इसलिए शेष जनता और उनके बीचकी खाई बनी रहती है। फलतः हम देखते हैं कि अनुसूचित ज्ञातियोंमें जिस प्रमाणमें शिक्षा बढ़ रही है तथा व्यवसायकी दृष्टिसे जो वैविध्य आने लगा है, उतने प्रमाणमें अनुसूचित आदिजातियोंमें ये परिवर्तन नहीं हो रहे हैं।

सन् १९६१की जनगणनाके अनुसार भारतकी कुल आबादीका २१.५३ प्रतिशत भाग अनुसूचित ज्ञातियों और अनुसूचित आदिमजातियोंके वर्गमें आता है। यानी पाँच भारतवासियोंमेंसे एक इस वर्गसे आता है। कुल आबादीका १४.६७ प्रतिशत भाग अनुसूचित ज्ञातियों और ६.८६ प्रतिशत भाग अनुसूचित आदिमजातियोंका है। गुजरातमें इन दोनों वर्गोंका प्रमाण क़रीब करीब भारतवर्ष जितना ही है यानी १९.९८ प्रतिशत। परन्तु दोनोंका अलग अलग प्रमाण भारतके प्रमाणसे बिल्कुल उल्टा ही है। गुजरातकी कुल आबादीका ६.६३ प्रतिशत भाग अनुसूचित आदिमजातियोंका है और १३.३५ प्रतिशत अनुसूचित आदिमजातियोंका है। इस तरह गुजरातकी दृष्टिसे अनुसूचित आदिमजातियोंकी आबादी दुगुनी है और उनकी स्थिति अधिक पिछड़ी होनेसे उनकी समस्यायें खास ध्यान देने योग्य हैं।

हम यहां सिर्फ गुजरातकी ही आदिवासी जातियोंका विस्तारसे अभ्यास करेंगे।

२

प्रत्येक राज्यमें आदिवासी आबादीका प्रमाण

१९६१की जनगणनाके आधार पर भारतके अलग अलग राज्योंमें आदिवासी आबादी* नीचे दी गई है।

कोठा नं. १

क्रम	राज्य	कुल आबादी	आदिवासी आबादी	आबादीके हिसाबसे क्रमांक	कुल आबादी के हिसाबसे प्रतिशत	प्रतिशतके हिसाबसे क्रमांक
१.	आन्ध्र	३,५९,८३,४४७	१३,२४,३६८	१०	३.६८	१०
२.	आसाम	१,१८,७२,७७२	२०,६४,८१६	७	१७.३९	४
३.	बिहार	४,६४,५५,६१०	४२,०४,७७०	३	९.०५	७
४.	गुजरात	२,०६,३३,३५०	२७,५४,४४६	४	१३.३५	५
५.	जम्मू-काश्मीर	३५,६०,९७६	—	—	—	—
६.	केरल	१,६९,०३,७१५	२,१२,७६२	१२	१.२६	११
७.	मध्यप्रदेश	३,२३,७२,४०८	६६,७८,४१०	१	२०.६३	२
८.	मद्रास	३,३६,८६,९५३	२,५१,९९१	११	०.७५	१३
९.	महाराष्ट्र	३,९५,५३,७१८	२३,९७,१५९	५	६.०६	८
१०.	मैसूर	२,३५,८६,७७२	१,९२,०९६	१३	०.८१	१२
११.	ओरिस्सा	१,७५,४८,८४६	४२,२३,७५७	२	२४.०७	१
१२.	पंजाब	२,०३,०६,८१२	१४,१३२	१४	०.०७	१४
१३.	राजस्थान	२,०१,५५,६०२	२३,०९,४४७	६	११.४६	६
१४.	उत्तरप्रदेश	७,३७,४६,४०१	—	—	—	—
१५.	प० बंगाल	३,४९,२६,२७९	२०,५४,०८१	८	५.८८	९
१६.	भारत सरकारकी सीधी हुकूमतमें नीचे दर्ज प्रदेशों तथा अन्य प्रदेशोंमें आंदामान-निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, लाकादीव, मीनीकोय, और अमीन, दीवी टापु, त्रिपुरा, दादरा-नगरहवेली, गोवा, दमण और दीव, पोंडीचेरी, नार्थ इस्ट फ्रंटियर एजन्सी, नागालेन्ड, सिक्किम	७९,४१,११०	१४,४७,९४९	९	१८.२३	३
१७.	भारत	४३,९२,३४,७७१	३,०१,३०,१८४	—	६.८६	—

(आधारित:— Census of India 1961 Volume I part II–A (ii), 1963

ऊपर दिये गये आंकड़ोंकी जांचसे पता चलता है कि भारतकी कुल आबादीमें आदिवासी आबादीका प्रमाण ६.८६ प्रतिशत है जबकि गुजरातकी कुल आबादीमें उसका प्रमाण १३.३५ प्रतिशत है; यानी यह प्रमाण भारतके प्रमाणसे दुगुना है। भारतके अलग अलग राज्योंमें आदिवासी आबादीकी दृष्टिसे गुजरातका नंबर चौथा है जबकि कुल आबादीमें उसके प्रमाणकी दृष्टिसे गुजरात

* 'आदिवासी' यह शब्द 'अनुसूचित आदिजातियों'के पर्यायके रूपमें यहाँसे उपयोगमें लेना शुरू करते हैं।

पाँचवाँ है। ये आँकड़े देखनेसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि गुजरातकी आदिवासी आबादी संख्या तथा प्रमाण दोनों दृष्टियोंसे भारतकी आदिवासी आबादीमें महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

भारतकी कुल आदिवासी आबादीमेंसे ७,७२,३९४ आदिवासी (२.२६ प्रतिशत) शहरी विस्तारमें रहते हैं जबकि २,९३,५७,७९० आदिवासी (९७.४ प्रतिशत) ग्रामविस्तारमें रहते हैं। गुजरातमें १,३७,९५० आदिवासी (५.० प्रतिशत) शहरी विस्तारमें बसते हैं, जबकि २६,१६,४९६ आदिवासी (९५ प्रतिशत) ग्रामविस्तारमें रहते हैं। इस तरह भारत और गुजरातमें आदिवासियोंकी ९५ प्रतिशतसे अधिक आबादी ग्रामविस्तारमें रहती है।

३

आदिवासी आबादीमें वृद्धि

आबादीकी दृष्टिसे सन् १९५१से १९६१के अर्सेमें भारतकी कुल आबादीमें २१.५० प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि गुजरातकी कुल आबादीमें उसी अवधिमें २६.८८ प्रतिशत वृद्धि हुई। सन् १९५१में भारतमें आदिवासी आबादी १,९१,४७,०५४ थी, वह बढ़कर सन् १९६१में ३,०१,३०,१८४ हो गई। ध्यान देने योग्य इसमें यह बात है कि सन् १९५६में आदिवासी मानी गयी जातियोंमें कुछ अधिक जातियोंके समावेश करनेके कारण क़रीब ३४ लाख और बढ़ गई। सन् १९५१में आदिवासी आबादी जो कुल आबादीकी ५.३० प्रतिशत थी वह सन् १९६१में ६.२३ प्रतिशत हो गई।

गुजरातकी आदिवासी आबादी सन् १९५१में २०,६४,५२२ थी। वह बढ़कर सन् १९६१में २७,५४,४४६ हो गई। इस तरह गुजरातकी आदिवासी आबादीमें २५ प्रतिशत वृद्धि हुई। सन् १९-५६में किये गये परिवर्तनके कारण कुछ जातियाँ बढ़नेसे गुजरातकी आदिवासी आबादीमें कुछ फेर हुआ; जिसके कारण आदिवासी आबादी २०.९२ लाख हो गई। गुजरातकी कुल आबादीमें आदिवासी आबादीका प्रमाण सन् १९५१में १२.७० प्रतिशत था, जो बढ़कर सन् १९६१में १३.३५ प्रतिशत हो गया।*

भारत और गुजरात दोनोंमें आबादीकी सामान्य वृद्धिकी अपेक्षा आदिवासी आबादीकी वृद्धि अधिक जान पड़ती है। इसका एक कारण तो हमने ऊपर यह देखा कि आदिवासी मानी गई जातियोंके रूपमें अधिक जातियोंका समावेश है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इन वर्गोंमें जनगणनाके प्रति पहले जो उपेक्षावृत्ति बरती जाती थी वह आदिवासी जातियोंको मिलनेवाले खास लाभोंके कारण अब नहीं रही। इसके अलावा दूरके विस्तार अब पहलेकी तरह दुर्गम न रहनेके कारण उनमें रहनेवाले आदिवासी लोग जनगणनामें शामिल हो जाते हैं, इससे भी उनकी संख्यामें वृद्धि हुई। जनगणनामें आदिवासी आबादीकी वृद्धि आम आबादीकी वृद्धिकी अपेक्षा अधिक दिखाई देती है। इसके संबंधमें इन विभिन्न कारणोंकी अधिक जाँच-पड़ताल करनेकी ज़रूरत है। लेकिन इतना यहां ज़रूर कह सकते हैं कि समग्र भारतमें और गुजरातमें आदिवासी आबादी शेष आबादीकी अपेक्षा कुछ अधिक प्रमाणमें बढ़ रही है।

* सन् १८९१में गुजरातमें आदिवासियोंकी आबादी १०,९४,-७९८ थी जो कुल आबादीकी ११.०७ प्रतिशत थी (देखिए Gazetteer of the Bombay Presidency, Gujarat Population Hindus (1901) पृष्ठ नं० २९०)

४

गुजरातके आदिवासी

सन् १९५६में राष्ट्रपतिके जारी किये हुए आदेशके अनुसार गुजरातकी निम्नलिखित जातियोंको भारतके संविधानकी धारा ३४२के मुताबिक अनुसूचित आदिमजातियोंकी सूचीमें रखा गया है:—

(१) राजकोट, जामनगर, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, जूनागढ़ और कच्छ ज़िलोंके सिवा शेष राज्यमें स्थित निम्नलिखित जातियाँ १. बरडा; २. बावचा या बामचा; ३. भील—जिसमें भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागलिया, भीलाला, पावरा, वसावा और वसावेका समावेश है; ४. चौधरी; ५. तडवी, तेतरिया और वलवी समेत धानका; ६. धोडिआ; ७. तलाविया और हलपति समेत दुबला; ८. मावची, पडवी, वसावे और वलवी समेत गामीत या गामता या गावीत; ९. गोंड या राजगोंड; १०. काथोड़ी या कातकरी—जिसमें ढोर काथोड़ी या ढोर कातकरी और सोन काथोड़ी या सोन कातकरीका भी समावेश है; ११. कोंकणा, कोंकणी, कूकणा; १२. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा या कोलधा; १३. नायका या नायकड़ा—जिसमें चोलीवाला नायका, कापडिया नायका, बड़ा नायका और छोटा नायकाका समावेश है; १४. पारधी—जिसमें अडवी चींचर और फाँसे पारधीका समावेश है; १५. पटेलिया; १६. पोमला; १७. राठवा; १८. वार्ली ; १९. वीटोलिया, कोटेवालिया या बरोडिया।

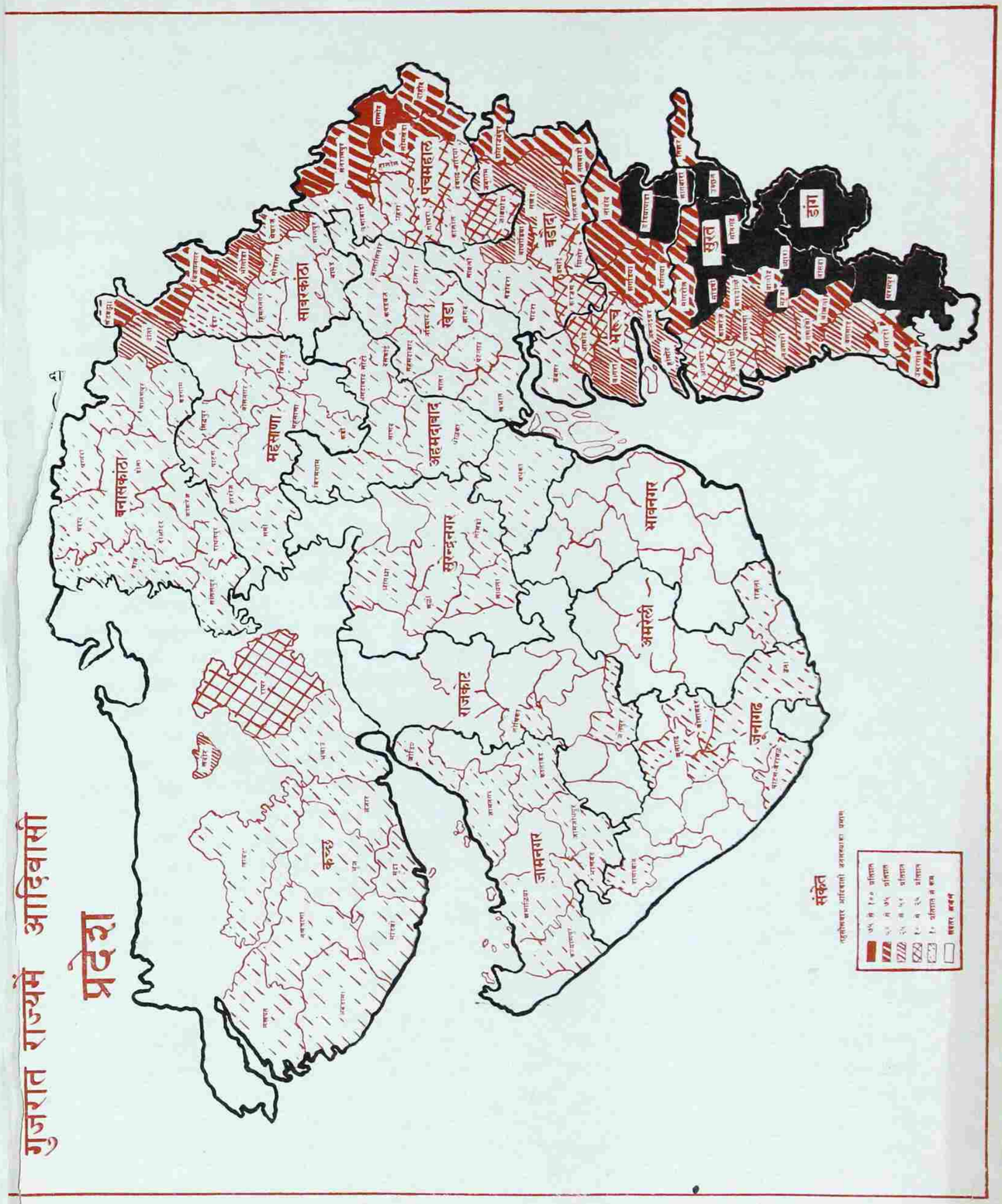

(२) डांग ज़िलेके कुनबी।

(३) सुरत ज़िलेके उंबरगाँव ताल्लुकेके कोली मल्हार, कोली महादेव या डोंगर कोली और दूसरे ताल्लुकोंके चौधरी।

(४) राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, सुरेन्द्रनगर और जूनागढ़ ज़िलोंके सीदी और अलेच, गीर और बरडा डुंगरोंमें बसनेवाले भरवाड, चारण और रबारी।

(५) सुरेन्द्रनगर ज़िलेके पढार।

(६) कच्छ ज़िलेके भील, धोडिया, कोली, पारधी और वाघरी।

इस तरह गुजरातकी करीब २९ जातियोंको अनुसूचित आदिमजातियोंकी सूचीमें रखनेसे भारतके संविधानमें उन्हें दी गई खास सुविधाएँ पानेकी ये जातियाँ अधिकारी बनती हैं। इन सुविधाओंमें हर तरहकी मुफ्त शिक्षा, मुफ्त कानूनी सलाह, राज्यकी तरफसे दी जानेवाली जमीन पानेमें खास पसंदगी इत्यादि मुख्य हैं। (संपूर्ण जानकारीके लिए देखिए परिशिष्ट नं० १ और २) यह सूची तैयार करते समय जो सिद्धान्त अपनाये गये थे उनके बारेमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती, परन्तु अनुमान लगा सकते हैं कि दो तीन प्रकारके सिद्धांत बरते गये होंगे; मिसालके तौर पर इनमेंसे अधिक जातियाँ अपनी रहन-सहनके कारण आदिवासीके रूपमें शेष जनतासे आसानीसे अलग पड़ जाती हैं और इस वजहसे उन्हें इस सूचीमें रखना आसान हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि अलेच, गीर और बरडामें रहनेवाले भरवाड, चारण और रबारीको उनका निवास डुंगरोंमें होनेके कारण ही उन्हें इस सूचीमें रखा गया है। हम यह मान सकते हैं कि सुरेन्द्रनगर ज़िलेके पढ़ारों या कच्छ ज़िलेके कोलियों और वाघरियोंको इस सूचीमें रखनेमें उनकी बेहद पिछड़ी दशा ही कारण रहा होगा। फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह सूची किसी निश्चित सिद्धांतके अनुसार बनाई गई है। हमें यह मानना चाहिए कि राज्य सरकारके पास जो कुछ जानकारी इकट्ठा हुई होगी उसके आधार पर उसने एक सूची तैयार करके भारत सरकारको भेज दी होगी और उस परसे राष्ट्रपतिने उन जातियोंको अनुसूचित आदिमजातियोंकी सूचीमें प्रकट कर दिया होगा।

५

गुजरातके आदिवासी विस्तार

दांता तहसीलमें फैली हुई पर्वतमालाओंसे आरंभ होकर पोशीना, खेडब्रह्मा और विजयनगरकी ओर मुड़कर दक्षिणकी तरफसे नीचे जानेवाली, पंचमहालकी उत्तर पूरबकी सीमाको घेरती, दक्षिणमें आये हुए नानछल विभागसे गुज़रती, सुरत जिलेकी मांडवी तहसीलसे आगे बढ़ती, वांसदा, डांग और धरमपुर तक जानेवाली पट्टीका पहाड़ों और जंगलोंका प्रदेश गुजरातके आदिवासियोंका मुख्य निवासस्थान है। यह प्रदेश उत्तरमें अरवल्ली गिरिमालाओंमें, पूर्वमें सातपूडे और विन्ध्यकी पर्वतश्रेणियोंमें और दक्षिणमें सह्याद्रिकी पहाड़ियोंमें फैला हुआ है। यह पूरा भाग क़रीब २० हजार वर्गमीलका है। इस प्रदेशमें जहाँ आदिवासी जनताका प्रमाण बड़ा है और वह एक समूहके रूपमें बसती है तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है, ऐसे विभागोंको भारतकी संविधान धारा २४४ (१)में किये गये प्रबंधके अनुसार राष्ट्रपतिने सन् १९५०में एक आदेश जारी करके अनुसूचित आदिवासी विभागोंके रूपमें घोषित किया है। ये विभाग इस तरहसे हैं :—

(१) संपूर्ण डांग ज़िला।

(२) सुरत ज़िलेमें उंबरगाँव तहसीलके ५० गाँव और पहलेके नवापुर तहसील और अबके उच्छल महालके ३८ गाँव; धरमपुर; व्यारा; वांसदा और सोनगढ़ तथा मांगरोल तहसीलोंका वांकल प्रदेश और नानछल विभाग।

(३) भरूच ज़िलेके सागबारा और वालिया महाल; तथा डेडियापाडा, नांदोद और जगडिया तहसील।

(४) बड़ौदा जिलेमें छोटाउदेपुर तहसील और नसवाडी तहसीलके गढ़बोरियाद स्टेटके १४० गाँव।

(५) पंचमहाल ज़िलेमें लीमखेड़ा, देवगढ़बारिया और संतरामपुर तहसील और झालोद तहसीलके पहलेके संजेली राज्यके ५३ गाँव।

(६) साबरकांठा ज़िलेमें खेड़ब्रह्मा, भीलोडा और मेघरज तहसीलें और विजयनगर महाल।

यह विभाग कुल मिलाकर करीब ६,४०० वर्गमील होता है। सन् १९५१की जनगणनाके अनुसार उसमें राज्यकी ४४ प्रतिशत आदिवासी आबादी है। इस विभागकी कुल आबादीमें आदिवासी आबादीका प्रमाण सन् १९५१की जनगणनाके आधार पर क़रीब ६२ प्रतिशत था। आदिवासी विभाग और आदिवासी जातियोंके विषयमें जाँच-पड़ताल करके उनके सुधारके लिए क्या किया जा सकता है इस संबंधमें सूचनायें करनेके लिए भारत सरकारकी तरफ़से श्री उछरंगराय ढेबरकी अध्यक्षतामें नियुक्त कमिशनके समक्ष गुजरात राज्यने इन विभागोंके अलावा कुछ और भी विभागोंको सूचीमें शामिल करनेकी माँग पेश की थी। उस माँगमें यह सूचित किया था कि जिन विभागोंमें अपनी कुल आबादीका ४० प्रतिशत आदिवासी आबादी हो, उन सबको अनुसूचित विभाग घोषित किये जायँ। इस आधार पर निम्नलिखित विभागोंको उस यादीमें रखनेकी गुजरात राज्यने सिफारिश की थी :—

(१) पंचमहाल ज़िलेमें झालोद तहसीलका चकलिया घटक, दाहोद

तहसीलके कठला और राणापुर घटक, हालोल तहसीलका सुरा-सुलतानपुर घटक।

(२) भरूच ज़िलेमें अंक्लेश्वर गाँवको छोड़कर शेष अंक्लेश्वर तहसीलका भाग।

(३) सुरत जिलेमें पश्चिम मांगरोल, उत्तर पारडी, दक्षिण पारडी, पूर्व मांडवी, पश्चिम मांडवी, बारडोली, वालोड, महुवा, उत्तर चीखली, दक्षिण चीखली, उत्तर वलसाड और दक्षिण वलसाड (इनमें से वलसाड, भदेली, मालवाण और ऊंटडी गाँवोंको छोड़ दें।)

(४) बनासकांठा ज़िलेमें दांता और अंबाजी गाँवोंको छोड़ दांता तहसील तथा पालणपुर तहसीलका हमीरगढ़ विभाग।

अनुसूचित विभागके कारबार और विकासके संबंधमें विशेष जिम्मेवारियाँ राज्यके गवर्नर पर डाली गई हैं। इसका उद्देश्य इन विभागोंके आदिवासियोंको शोषणसे बचाकर उनका विकास शीघ्रतासे करना है। इन विभागोंके लिए राज्योंको भारत सरकार-की तरफ़से विशेष आर्थिक सहायता मिलती है, इसलिए राज्य सरकारें अधिक विस्तारोंको इस यादीमें रखनेकी माँग पेश करती हैं। ढेबर कमिशनने अनुसूचित विभागोंके आदिवासियोंको मिलने-वाले सब लाभ उन विभागोंसे बाहरके आदिवासियोंको भी मिलें यह राय देकर उस खींचातानीका अंत लानेकी सूचना की है।

६

भौगोलिक दृष्टिसे आदिवासी आबादीका वर्गीकरण

१९६१ की जनगणनाके अनुसार गुजरातके अलग अलग ज़िलोंमें आदिवासी आबादी इस तरह है:—

कोठा नं. २

क्रम	ज़िला	कुल आबादी	आदिवासी आबादी	आबादीके अनुसार क्रमांक	कुल आबादीके हिसाबसे प्रतिशत आबादी	आबादीके प्रतिशतके हिसाबसे क्रमांक
१.	जामनगर	८,२८,४१९	३,४१०	१३	०.४१	१३
२.	राजकोट	१२,०८,५१९	३८८	१५	०.०३	१५
३.	सुरेन्द्रनगर	६,६३,२०६	३,१५३	१४	०.४७	१२
४.	भावनगर	११,१९,४३५	७५	१७	०.०६	१७
५.	अमरेली	६,६७,८२३	१८७	१६	०.०३	१६
६.	जूनागढ़	१२,४५,६४३	६,८०३	११	०.५४	११
७.	कच्छ	६,९६,४४०	३२,४७१	८	४.६६	८
८.	बनासकांठा	९,९६,१४४	५२,६८५	७	५.२९	७
९.	साबरकांठा	९,१८,५८७	१,२८,०८५	५	१३.९४	६
१०.	महेसाणा	१६,८९,९६३	४,१२५	१२	०.२४	१४
११.	अहमदाबाद	२२,१०,१९९	१२,२१५	१०	०.५५	१०
१२.	खेड़ा	१९,७७,५४०	१७,४८०	९	०.८८	९
१३.	पंचमहाल	१४,६८,९४६	५,०३,२१४	२	३४.२५	४
१४.	बड़ौदा	१५,२७,३२६	३,२७,९९२	४	२१.४६	५
१५.	भरूच	८,९१,९३९	३,७०,९७१	३	४१.५९	३
१६.	सुरत	२४,५१,६२४	१२,२४,९५९	१	५०.००	२
१७.	डांग	७१,५६७	६६,२३३	६	९२.५४	१
१८.	गुजरात	२,०६,३३,३५०	२७,५४,४४६	—	१३.३५	—

ऊपरके आँकड़े जाँचनेसे मालूम होता है कि आदिवासियोंकी सबसे अधिक आबादी सुरत जिलेमें है। उसके बाद संख्याकी दृष्टिसे क्रमानुसार पंचमहाल, भरूच, बड़ौदा, साबरकांठा, डांग, बनासकांठा और कच्छ ज़िले हैं। शेष ज़िलोंमें आदिवासियोंकी आबादी बहुत कम है। आदिवासी आबादीकी दृष्टिसे इतने ज़िले विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं। प्रमाणकी दृष्टिसे डांग ज़िला सबमें पहला है। उसकी ९२ प्रतिशतसे अधिक आबादी आदिवासियोंकी है। इसी तरह सुरत ज़िलेकी ५० प्रतिशत आबादी, भरूच ज़िलेकी ४१ प्रतिशतसे कुछ अधिक आबादी, पंचमहालकी ३४ प्रतिशतसे कुछ अधिक आबादी, बड़ौदेकी २१ प्रतिशतसे कुछ अधिक आबादी और साबर-

कांठेकी करीब १४ प्रतिशत आबादी आदिवासियोंकी है। बनास-कांठेमें आदिवासी आबादी ५ प्रतिशतसे अधिक है और कच्छमें ४.५ प्रतिशतसे अधिक। शेष सब ज़िलोंमें आदिवासी आबादी १ प्रतिशतसे भी कम है। इस तरह आदिवासी आबादी जनसंख्या और प्रमाण दोनों दृष्टियोंसे डांग, सुरत, भरूच, पंचमहाल, बड़ौदा, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ जिलोंका क्रमानुसार महत्त्वपूर्ण स्थान है।

अब हम इन ज़िलोंमें किन तहसीलोंमें आदिवासी आबादी अधिक मात्रामें है यह देखें।

(१) डांग ज़िलेका तो सारा ही विभाग आदिवासी आबादीवाला है। उस ज़िलेमें एक ही तहसील है।

(२) सुरत ज़िलेकी तहसीलवार आबादीके आँकड़े (परिशिष्ट नं. ३) जांचने पर दिखाई देता है कि ज़िलेकी सब तहसीलोंमें आदिवासी आबादी फैली हुइ है और एक भी तहसीलमें १३.५० प्रतिशतसे कम नहीं। संख्याकी दष्टिसे अधिक आदि-वासी आबादी (१,३६,५३४) धरमपुर तहसीलमें है, जबकि प्रतिशतकी दृष्टिसे सबसे अधिक आदिवासी आबादी (९६.५ प्रतिशत) उच्छल महालमें है। २५ प्रतिशतसे कम आदिवासी आबादीवाली मात्र दो ही तहसीलें – चोर्यासी और ओलपाड – हैं, यद्यपि चोर्यासी ताल्लुकेमें भी संख्याकी दष्टिसे ६१ हजार-से अधिक आबादी है। कुल २१मेंसे १४ तहसीलें ५० प्रति-शतसे अधिक आदिवासी आबादीवाली हैं।

इस तरह ज़िलेकी क़रीब सभी तहसीलें आदिवासी आबादीकी संख्या और प्रमाण दोनों दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

(३) सुरत ज़िलेकी तरह भरूच ज़िलेमें भी सब तहसीलोंमें आदि-वासी आबादी है (देखिए परिशिष्ट नं. ३)। संख्याकी दृष्टिसे अधिक-से-अधिक आदिवासी आबादी (७७,८९३) नांदोद ताल्लुकेमें है जबकि प्रतिशतकी दृष्टिसे अधिक-से-अधिक आदिवासी आबादी (९४.६३ प्रतिशत) डेडियापाडा तहसीलमें है। २५ प्रतिशतसे कम आदिवासी आबादीवाली मात्र तीन तहसीलें हैं। यद्यपि उनमें भी भरूच तहसीलमें आदिवासी आबादी ३२ हजारसे अधिक है जबकि ५० प्रतिशतसे अधिक आदिवासी आबादीकी कुल ११ तहसीलोंमेंसे ५ तहसीलें हैं। इस तरह इस ज़िलेकी भी सब तहसीलें आदिवासी आबादीकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं।

(४) पंचमहाल ज़िलेमें भी सभी तहसीलोंमें थोड़ी-बहुत आदिवासी आबादी है। (देखिए परिशिष्ट नं. ३) फिर भी आदिवासी खास तौरसे दाहोद, संतरामपुर, झालोद, लीमखेडा और देव-गढ़-बारिया तहसीलोंमें बसे हुए हैं। संख्याकी दृष्टिसे अधि-कसे-अधिक आदिवासी आबादी (१,३०,९७६) दाहोदमें है, जबकि प्रतिशतकी दृष्टिसे (८४.४०) प्रतिशत झालोदमें है। ५० प्रतिशतसे अधिक आदिवासी आबादीवाली चार तहसीलें हैं जबकि कालोल, शहेरा और लुणावाडामें तो उनकी आबादी मात्र तीन प्रतिशत है।

(५) बड़ौदा ज़िलेमें भी सब तहसीलोंमें आदिवासी आबादी है (देखिए परिशिष्ट नं. ३) फिर भी उनकी अधिक आबादी छोटाउदेपुर, जबुगाँव, नसवाडी और संखेडा तहसीलोंमें है। संख्याकी दृष्टिसे अधिकसे अधिक आबादी (८३,२४७) छोटाउदेपुर तहसीलमें है जबकि प्रतिशतकी दृष्टिसे (६८.४६ प्रतिशत) नसवाडी तहसीलमें है। ५० प्रतिशतसे अधिक आबादीवाली दो तहसीलें हैं — छोटाउदेपुर और नसवाड़ी। २५ प्रतिशतसे कम आबादीवाली कुल १२ मेंसे ६ तहसीलें हैं, परंतु सावली और पादरा तहसीलोंमें आदिवासी आबादी दस हज़ारसे भी कम है।

(६) आदिवासी आबादीकी दृष्टिसे साबरकांठा ज़िलेकी खेडब्रह्मा, विजयनगर, भीलोडा, मेघरज तहसीलें महत्त्वपूर्ण हैं। संख्या-की दृष्टिसे अधिकसे-अधिक आबादी (४२,९७५) भीलोडा तहसीलमें है, जबकि प्रतिशतकी दृष्टिसे (७१.३४ प्रतिशत) विजयनगर महालमें है। शेष ताल्लुकोंमें उनकी आबादी बहुत कम है। ५० प्रतिशतसे अधिक आबादीवाले तो सिर्फ खेड़ब्रह्मा और विजयनगर दो ही तहसीलें हैं।

(७) शेष ज़िलोंमें आदिवासी आबादी कुल आबादीके १० प्रति-शतसे भी कम है। आदिवासी आबादीकी दृष्टिसे उन ज़िलोंके महत्त्वपूर्ण विभाग देखें तो केवल बनासकांठा ज़िलेकी दांता तहसील ४२.४२ प्रतिशत आदिवासी आबादीवाली है। सब ज़िलोंकी तहसीलवार कुल आबादी और आदिवासी आबादीके आँकड़ोंके लिए देखिए परिशिष्ट नं. ३।

यदि तहसीलसे नीचेके स्तरको हम लें, तो पालणपुर तहसीलका हमीरगढ़का भाग और गीर, बरडा तथा अलेचके पहाड़ोंमें स्थित आबादीके विभागोंको आदिवासी आबादीकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण मान सकते हैं।

सारांश यह कि नीचे दी हुई तहसीलें आदिवासी आबादीकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण मान सकते हैं। यहाँ ऐसी तहसीलोंको महत्त्वपूर्ण माना है कि जहाँ कमसे कम २५,०००की आदिवासी आबादी अथवा कुल आबादीका ५० प्रतिशत या इससे अधिक आदिवासि-योंकी आबादी है।

कोठा नं. ३

क्रम	ज़िला	ताल्लुका	आदिवासी आबादी	कुल आबादीके हिसाबसे प्रतिशत
*१.	डांग	डांग	६६,२३३	९२.५४
*२.	सुरत	धरमपुर	१,३६,५३४	८९.४३

३.	सुरत	व्यारा	१,०४,०४१	८७.३५
४.	,,	चीखली	९२,२६७	६५.९१
*५.	,,	वांसदा	८१,९०९	८८.६९
६.	,,	पारडी	७५,१३८	५७.४०
७.	,,	मांडवी	७१,५०९	७६.२३
*८.	,,	सोनगढ	७१,३९४	९२.८७
९.	,,	वलसाड	६४,६२६	३८.०३
१०.	,,	मांगरोळ	६३,०२४	६६.०८
११.	,,	चोर्यासी	६१,४७७	१३.५०
१२.	,,	नवसारी	६०,७३८	२६.९०
१३.	,,	उंबरगांव	५१,१५३	५३.३०
१४.	,,	महुवा	५०,९९३	७७.८१
१५.	,,	बारडोली	४५,३१४	५०.००
१६.	,,	निझर	४२,०३४	७१.४८
१७.	,,	गणदेवी	३४,४५०	२६.४३
१८.	,,	वालोड	३०,३६०	७०.८८
१९.	,,	उच्छल	३०,३२९	९६.५०
*२०.	भरूच	नांदोद	७७,८९३	६४.१६
*२१.	,,	झगडिया	५९,०८७	६०.३४
*२२.	,,	वालिया	४६,६१०	७२.४२
*२३.	,,	डेडियापाडा	४२,४६४	९४.६३
*२४.	,,	सागबारा	३७,०४४	८९.१९
२५.	,,	भरूच	३२,७५५	१८.१२
२६.	,,	अंक्लेश्वर	२९,४५७	३७.८५
२७.	पंचमहाल	दाहोद	१,३०,९७६	६९.४३
*२८.	,,	संतरामपुर	१,१०,०३८	५८.३०
२९.	,,	झालोद	१,०२,१३१	८४.५०
*३०.	,,	लीमखेडा	७३,१८५	५७.७१
*३१.	,,	देवगढबारिया	३५,६८९	२०.४२
३२.	,,	गोधरा	२५,८६४	१२.००
*३३.	बड़ौदा	छोटा उदेपुर	८३,२४७	५७.३५
३४.	,,	जबुगांव	४६,५४३	४१.०७
३५.	,,	नसवाडी	३८,९९२	६८.४६
३६.	,,	संखेडा	३६,६४२	३१.७१
३७.	,,	डभोई	२६,४११	२२.०४
*३८.	साबरकांठा	भीलोडा	४२,९७५	४७.३४
*३९.	,,	खेडब्रह्मा	३९,८९१	५३.५६
*४०.	,,	विजयनगर	२१,४८३	७१.३४

* इस संकेतवाले ताल्लुकोंको अनुसूचित विभागके रुपमें घोषित किया गया हैं।

इस तरह राज्यकी कुल १८५ तहसीलोंमेंसे ४० तहसीलें ऐसी हैं जिन्हें आदिवासी आबादीकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण तहसीलें कह सकते हैं।

गुजरात राज्यने ढेबर कमिशनके पास यह मांग पेश की थी कि जिन विभागोंमें आदिवासी आबादी ४० प्रतिशत हो उन सब विभागों को अनुसूचित विस्तार घोषित किया जाय। इस मापको हम मान लें तो १९६१ की जनगणनाके मुताबिक नीचे दी हुई १६ अधिक तहसीलोंको अनुसूचित विभागोंके रूपमें घोषित करना चाहिए।

क्रम	जिला	ताल्लुका	आदिवासी आबादी (प्रतिशत)
१.	सुरत	चीखली	६५.९१
२.	,,	पारडी	५७.४०
३.	,,	मांडवी	७६.२३
४.	,,	मांगरोल	६६.०८
५.	,,	उंबरगाँव	५३.३०
६.	,,	महुवा	७७.८१
७.	,,	बारडोली	५०.००
८.	,,	निझर	७१.४८
९.	,,	वालोड	७०.८८
१०.	,,	उच्छल	९६.५०
११.	,,	पलसाणा	४२.२८
१२.	पंचमहाल	झालोद	८४.४०
१३.	,,	दाहोद	६९.४३
१४.	बड़ौदा	नसवाडी	६८.४६
१५.	,,	जबुगांव	४१.०७
१६.	बनासकांठा	दांता	४२.४२

ढेबर कमिशनने अपनी रिपोर्टमें अनुसूचित विभाग तय करनेके बारेमें गुजरात राज्यके प्रस्तावित मापको स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि कमसे कम ५० प्रतिशत आदिवासी आबादी होना उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा आदिवासी आबादीकी जनगणनाके लिए पूरी तहसीलको न लेकर उपमहाल अथवा आदिवासी विकास घटकके लिए आवश्यक विस्तार (२०० वर्गमीलका फैलाव और २५,००० की आबादी) को लेनेकी सिफारिश की है। इसके अलावा भी दो और माप सूचित किये हैं। ऐसा विभाग सिंचाई, रास्तों, खेती इत्यादिकी दृष्टिसे पिछड़ा हुआ होना चाहिये और लोगोंका जीवन-स्तर आसपासके दूसरे विभागोंके लोगोंके जीवनस्तरकी अपेक्षा नीचा होना चाहिए। (देखिए रिपोर्ट आफ धी शिड्यूल्ड एरीआज एन्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशन यानी ढेबर कमीशन रिपोर्ट, प्रकरण ८.) इन सिफारिशोंमें सूचित की हुई सब शर्तोंको देखते हुए ऊपर दिये गये विभाग अनुसूचित विभागोंके रूपमें आते हैं। जबुगांव, दांता और पलसाणा तहसीलोंकी आदिवासी आबादी ५० प्रतिशतसे कम है यह सही है, लेकिन ढेबर कमिशनकी सूचनाओंके अनुसार अनुसूचित विभागके बारेमें आदिवासी विकास घटकके लिए जरूरी बातोंकी दृष्टिसे सोचा जाये तो इन तहसीलोंमें से कुछ विभागोंमें आदिवासी आबादी ५० प्रतिशतसे भी अधिक है और सारी तहसीलोंके बदले उतने विभागोंको अनुसूचित विभागोंके रूपमें घोषित किया जा सकता है। इसी तरह पिछड़ेपनकी दृष्टिसे सोचें तो सारी बारडोली तहसील पिछड़ी हुई नहीं मान सकते, लेकिन उस तहसीलमें जहाँ आदिवासी आबादीका प्रमाण अधिक है वे भाग सब दृष्टियोंसे पिछड़े हुए माने जा सकते हैं। वहांके लोगोंका जीवनस्तर आसपासके लोगोंके जीवनस्तरसे बहुत नीचा है।

७

आदिवासी विकास घटक

पहले बताया गया है कि अनुसूचित विभागोंको मिलनवाले लाभ जो अनुसूचित विभागोंके रूपमें घोषित नहीं हैं उनको भी मिलें इसके लिए आदिवासी विकास घटक योजनायें इन सब विभागोंमें जारी करनेके लिए ढेबर कमिशनने सूचित किया है। ढेबर कमिशनकी यह सिफारिश भारत सरकारने मंजूर करके बड़ी तादादमें आदिवासी विकास घटक शुरू करना आरंभ किया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजनाके अर्सेमें गुजरात राज्यमें सन् १९५६ से खेड़ब्रह्मा तहसीलके पोशीना विभाग और संतरामपुर तहसीलके सुखसर विभागमें और सन् १९५७ से धरमपुर तहसीलके नानापोंढा विभागमें खास विविधलक्षी विकास योजनायें शुरू की गई जो अब भी जारी हैं।

तीसरी योजनामें भारत सरकारके गृहमंत्रालयकी मददसे गुजरात राज्यके नीचे लिखे विभागोंमें ४९ आदिवासी विकास घटक शुरू करनेका निर्णय किया गया। उनमेंसे ३२ घटक अबतक शुरू हो गये हैं बाकी १७ घटक सन् १९६५–६६ में शुरू किये जायँगे* इन योजनाओं द्वारा आदिवासियोंका शीघ्र उत्कर्ष करनेके लिए सघन प्रयास हो रहे हैं। खास विविधलक्षी विकास योजनाओं द्वारा पहली स्टेजमें २७ लाख रुपये और दूसरी स्टेजमें १० लाख रुपये खर्च करनेका आयोजन किया गया है। आदिवासी विकास घटक योजना द्वारा प्रथम स्टेजमें २२ लाख रुपये और दूसरी स्टेजमें १० लाख रुपये खर्च करनेका प्रबंध किया है। सामुदायिक विकास घटककी तुलनामें खास विविधलक्षी विकास योजना तथा आदिवासी विकास घटक योजनाका विस्तार और आबादी भी मर्यादित रखनेका निर्णय किया गया है जिससे उनके विकासके प्रति अधिक ध्यान दिया जा सके। इन योजनाओंका विस्तार अधिकसे अधिक २०० वर्गमील और आबादी २५,००० होनी जरूरी है यह निर्णय किया गया है।

* अप्रैल १९६५ से ये घटक शुरू हो गये हैं।

कोठा नं. ४

क्रम	आदिवासी विकास घटकका नाम	तालुका	जिला	घटककी कुल आबादी १९५१की जनगणनाके अनुसार	घटककी आदिवासी आबादी १९-५१की जनगणनानुसार	आदिवासी आबादीका प्रतिशत प्रमाण	घटक शुरू हुआ है या अभी शुरू होनेवाला है	घटक यदि शुरू हुआ है तो किस तारीखसे
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	दांता	दांता	बनासकांठा	२०,५३३	१८,२६८	८५.००	शुरू हुआ है	१–४–'६३
२.	मेघरज-भीलोडा	मेघरज-भीलोडा	साबरकांठा	३८,९२५	२६,३८८	६७.५०	,,	१–४–'६३
३.	नसवाडी	नसवाडी	बड़ौदा	४२,१८६	३२,१८२	७६.४०	,,	१–४–'६२
४.	तिलकवाडा	तिलकवाडामहाल	,,	३०,२०७	१८,६६८	६१.८०	,,	१४–४–'६३
५.	झोत	छोटाउदेपुर	,,	३६,५७४	३३,१४६	९०.६०	,,	१–४–'६४
६.	छोटाउदेपुर	,,	,,	३६,४१७	२५,४१५	६९.००	१९६५–६६में शुरू होगा	
७.	कवांट	,,	,,	३६,४३५	३२,२३७	८८.४०	१९६५–६६में शुरू होगा	
८.	चासवड	वालिया	भरूच	२३,५६८	२१,१९९	८९.५०	शुरू हुआ है	१–४–'६३
९.	डेडियापाडा	डेडियापाडा	,,	३०,०५१	२९,६०६	९८.५०	,,	१–१–'६२
१०.	सागबारा	सागबारा	,,	३०,०००	२७,७२९	९२.४०	,,	१–४–'६२
११.	नांदोद–१	नांदोद	,,	४३,३७५	२९,७६२	६८.६०	,,	१–४–'६४
१२.	राजपारडी	जगडिया	,,	४७,१४५	३२,४४१	६८.८०	,,	१–४–'६४
१३.	वालिया	वालिया	,,	२६,५६३	२१,७७१	८१.९०	१९६५–६६में शुरू होगा	
१४.	नांदोद–२ (राजपीपला)	नांदोद	,,	३९,३७५	३१,७६७	८०.७०	१९६५–६६में शुरू होगा	
१५.	डांग–१	डांग	डांग	२४,१४४	करीब पूरी आबादी आदीवासी ही हैं	१००.००	शुरू हुआ है	१–१–१९६२
१६.	डांग–२	,,	,,	२३,१३८	,,	१००.००	,,	१–४–'६३
१७.	संजेली	झालोद	पंचमहाल	२९,८८६	२६,२८८	९०.००	,,	१–४–'६३
१८.	दूधिया	लीमखेडा	,,	२८,७७८	२३,२९६	८०.००	,,	१–४–'६३
१९.	कठला	दाहोद	,,	३४,२२४	३१,३९३	९१.००	,,	१–४–'६४
२०.	भाथीवाडा	,,	,,	३४,५२३	३२,६३२	९५.००	,,	१–५–'६४
२१.	धानपुर	लीमखेडा	,,	२९,२५४	२०.३३६	६९.७५	,,	१–४–'६४
२२.	गोठीब	संतरामपुर	,,	४७,१३५	३५,९३२	७६.००	,,	१–४–'६४
२३.	झालोद	झालोद	,,	३८,२६२	२९,७४४	७८.००	१९६५–६६में शुरू होगा	
२४.	लींबडी	,,	,,	३३,२९८	२९,५२०	८८.००	,,	
२५.	पल्ला	लीमखेडा	,,	२८,५५९	१९,६३८	६८.००	,,	
२६.	गरबाडा	दाहोद	,,	३२,६३०	२९,४७१	९०.००	,,	
२७.	कडाणा	संतरामपुर	,,	२१,२०३	१८,४२५	६८.००	,,	
२८.	बामरोली	देवगढबारिया	,,	२६,२७४	१७,४९२	६६.६०	,,	
२९.	फोर्ट सोनगढ़	सोनगढ़	सुरत	२८,१९९	२६,९७०	९६.००	शुरू हुआ है	१–४– '६३
३०.	सोनगढ–२ (जामखेडी)	,,	,,	२७,८६४	२६,५०५	९६.००	,,	१–४–'६३
३१.	निझर	निझरमहाल	,,	५७,७००	३९,२६६	६८.००	,,	१–४–'६२
३२.	उच्छल	उच्छलमहाल	,,	२५,५५६	१९,२३१	७५.३०	,,	१–४–'६२
३३.	करंजखेड (पांचोल)	व्यारा	,,	२६,६७५	२५,८३९	९६.७०	,,	१–१–'६२
३४.	बालपुर	,,	,,	२५,२००	२४,८२०	९८.४०	,,	१–४–'६३
३५.	उमरपाडा	मांगरोल	,,	३१,४८९	३०,०४२	९५.०४	,,	१–४–'६४
३६.	व्यारा	व्यारा	,,	३८,०३३	३०,५३१	८०.०३	१९६५–६६में शुरू होगा	
३७.	महुवा	महुवा	,,	५५,११२	३९,०३९	७४.००	,,	
३८.	वालोड	वालोड	,,	३६,१७९	२३,७९५	६६.००	,,	
३९.	मांडवी–१	मांडवी	,,	३७,७०७	२७,५६४	७३.००	,,	
४०.	बउधान मांडवी–२	,,	,,	३७,११५	२८,२०७	७३.१०	,,	
४१.	नानी वहियल	धरमपुर	वलसाड	३५,०९४	३३,२३५	९९.०४	शुरू हुआ है	१–१०–'६१
४२.	आंबा-जंगल	,,	,,	२५,८४०	२५,६९१	९९.०६	,,	१–४–'६३
४३.	वांसदा–१	वांसदा	,,	३९,४३५	३०,७९६	७८.००	,,	१–४–'६४
४४.	वांसदा–२	,,	,,	६९,६१४	५९,५१४	८५.००	,,	१–४–'६४
४५.	धरमपुर	धरमपुर	,,	३४,७४२	३०,८५८	८९.००	,,	१–४–'६४
४६.	पारिया	पारडी	,,	६२,०१४	४९,८८४	८४.००	,,	१–४–'६४
४७.	रूमला	चीखली	,,	२५,८०३	२२,१३६	८१.००	,,	१–४–'६४
४८.	रानकूवा	,,	,,	२७,५३०	१९,४३७	६८.००	१९६५–६६में शुरू होगा	
४९.	खेरगाम	नवसारी	,,	२६,१९३	२१,९३९	६८.००	,,	

तीसरी योजनाके दरम्यान जहां ६६ प्रतिशत आदिवासी आबादी हो उन विस्तारोंमें आदिवासी विकास घटक शुरू करनेका निर्णय किया था। चौथी योजनाके दरम्यान जिन विस्तारोंमें ५० प्रतिशत आबादी आदिवासियोंकी हो उन सब विस्तारोंमें भी आदिवासी विकास घटक शुरू करना तय हुआ है। इससे पहले आदिवासी आबादीकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण बताये हुए सभी विस्तारोंको इस योजनाका लाभ मिलेगा। आदिवासी विकास घटक योजनाके अलावा आदिवासी कल्याणविषयक और भी कुछ योजनाओं द्वारा भी आदिवासी प्रजाके विकासके संबंधमें महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहा है। (इन योजनाओंके बारेमें संपूर्ण ब्यौरेके लिए देखिए परिशिष्ट नं० २) इन योजनाओंके ब्यौरेसे पता चलता है कि आदिवासियोंके शीघ्र विकासके लिए अनेक प्रकारसे और सार्वदेशीय प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हें बिन-आदिवासी आबादीके समकक्ष लानेके लिए किन किन प्रकारके और कितने प्रमाणमें प्रयास करना जरूरी है यह भी उस परसे देखा जा सकता है।

८

स्त्री-पुरुषका प्रमाण

सन् १९६१ की जनगणनाके मुताबिक गुजरातकी कुल आबादीमें प्रति हजार पुरुषमें ९४० स्त्रियोंका अनुपात है। आदिवासी आबादीमें यह प्रमाण प्रति हजार पुरुषोंमें ९६९ स्त्रियाँ का है। कुल २७,५४,४४६ की आदिवासी आबादीमें १३,९८,४७८ पुरुष हैं और १३,५५,९६८ स्त्रियाँ हैं।

भारतकी कुल आबादीमें प्रति हजार पुरुषोंमें ९४१ स्त्रियोंका प्रमाण है जबकि आदिवासी आबादीमें ९८७ स्त्रियोंका प्रमाण है। इस तरह भारत और गुजरात दोनोंमें स्त्री-पुरुषके प्रमाणमें कुल आबादीकी तुलनामें आदिवासी आबादीमें सप्रमाणता अधिक नजर आती है। आदिवासी समाजमें स्त्री-पुरुषोंके संबंधोंमें भी अधिक समानता होती है—इस वास्तविकताका यहाँ स्मरण रहे।

९

उम्रके हिसाबसे वर्गीकरण

१९६१ की जनगणनाके मुताबिक़ उम्रके हिसाबसे गुजरातकी आदिवासी आबादी नीचे दिये गये प्रमाणमें बँट जाती है:

उम्र वर्ष	पुरुष (प्रतिशत)	स्त्रियाँ (प्रतिशत)	कुल (प्रतिशत)
०–१४	४४.९	४५.१	४५.०
१५–४५	४१.०	४१.८	४१.४
४५ से अधिक	१४.१	१३.१	१३.६
कुल	१००.०	१००.०	१००.०

इन आँकड़ों पर निगाह डालनेसे भी आदिवासी आबादी तेज़ीसे बढ़ती जा रही है इस बातको समर्थन मिलता है। मशहूर आबादी शास्त्रज्ञ सेन्डबर्गके सूत्रके अनुसार यह कहा जा सकता है कि ०–१४ की उम्रके ग्रूपमें कुल आबादीका ४० प्रतिशतके क़रीब हो तो उस जातिकी आबादी बढ़ रही है; ३० प्रतिशतके क़रीब हो तो उसकी आबादी स्थिर है, और २० प्रतिशतके क़रीब हो तो उसकी आबादी घटती जा रही है। इस हिसाबसे इस ग्रूपकी आबादी आदिवासियोंमें ४५ प्रतिशत है। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि आदिवासियोंकी आबादीमें बहुत बड़ी मात्रामें वृद्धि हो रही है।

१०

सामाजिक स्थिति

सन् १९६१ की जनगणनाके अनुसार गुजरातके आदिवासियोंकी सामाजिक स्थितिके बारेमें प्राप्त आंकड़े देखनेसे यह दिखाई देता है कि (ब्यौरेवार आंकड़ोंके लिए देखिए परिशिष्ट नं० ५) बाल-विवाहका प्रमाण उनमें बहुत कम है। ०–१४ वर्ष तककी उम्रके ग्रूपके पुरुषोंमें परिणीतोंका प्रमाण ०.३ प्रतिशत है, जबकि स्त्रियोंमें परिणीतोंका प्रमाण ०.६ प्रतिशत है और दोनोंका मिलाजुला प्रमाण ०.४५ प्रतिशत है। परिणीतोंका यह प्रमाण निश्चित करते समय उसमें परिणीत, विधुर और तलाक पाये हुए भी गिने गये हैं। १५–४४ तककी उम्रके ग्रूपको जाँचने पर यह दिखाई देता है कि बहुत कम संख्यामें लोग (स्त्रियाँ और पुरुष दोनों) विधुर, तलाक–प्राप्त या त्यक्त हैं।

बेशक यह स्थिति पुनर्विवाह और विधवाविवाह होनेके कारण नज़र आती है। इस ग्रूपकी कुल आबादीमें ऐसे लोगोंकी संख्या सिर्फ ३.५ प्रतिशत है।

सारी आबादीमें परिणीत स्त्री पुरुषोंके प्रमाण परसे यह दिखाई देता है कि दोनोंकी संख्यामें अधिक अंतर नहीं है, जिसका यह अर्थ समझमें आता है कि एकसे अधिक पत्नियोंका रिवाज उनमें बहुत कम प्रमाणमें है।

११

धर्म

सन् १९६१ की जनगणनामें आदिवासियोंके धर्मोंके बारेमें जानकारी इकट्ठी की गई है। इसके अनुसार उन्हें नीचे लिखे धर्मानुयायी बताये हैं:

क्रम	धर्म	संख्या
१.	बौद्ध	२
२.	ओसाओ	२,५७९
३.	हिंदु	२७,४५,३०६
४.	जैन	११
५.	मुस्लिम	६,३६८
६.	पारसी	३
७.	अनिश्चित मान्यताएँ	१७७
८.	कुल	२७,५४,४४६

इस यादी परसे ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्यामें आदिवासी लोग हिंदु-धर्मका पालन करते हैं। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि इस कथनकी विशेष जांच होनी चाहिए। वे निश्चित-रूपसे हिंदूधर्मके असरमें आये हैं, परंतु इस परसे क्या ऐसा कह सकेंगे कि वे हिंदूधर्मावलंबी हैं? हिंदूधर्मके सर्वसामान्य प्रतीक मंदिर और देवपूजा या अन्य संस्कार आदिवासियोंने अब भी बहुत ही अल्प

प्रमाणमें अपनाये हैं। अधिकांशकी आस्था आज भी वन्यधर्ममें ही है और उसके मुताबिक़ ही वे अपने देवदेवियोंकी कल्पना करते हैं और पूजते हैं। जंगल या बनमें निश्चित वृक्षके नीचे खुलेमें कोई पत्थर रखकर उसकी पूजा करते हैं और भले-बुरे प्रसंगों पर उसकी ही शरणमें जाते हैं। क्या हिंदूधर्ममें इस तरहसे देवकी स्थापना और पूजा दिखाई देती है? इसी तरह विवाह या मृत्युके प्रसंगों पर जिस तरहके हिंदूलोग संस्कार करते हैं, क्या उसी तरहके संस्कार वे भी करते हैं? इसलिए ही पहलेकी जनगणनामें उन्हें वन्यधर्म (Animism) के अनुयायी माने गये थे। (देखिए Census of India Vol. VIII Part 1 Bombay Prasidency General Report पृष्ठ नं० ३८८)

१२

भाषा

सन् १९६१ की जनगणनानुसार गुजरातकी आदिवासी आबादी ३७ भाषाएँ बोलनेवाले लोगोंमें बँटी हुई है। (देखिए ब्यौरेके लिए परिशिष्ट नं० ८) इनमेंसे २६ भाषाएँ बोलनेवाले लोगोंकी संख्या १०००० से भी कम है, इसलिए अभ्यासकी दृष्टिसे उनका कम महत्त्व है।

शेष ११ भाषाएँ बोलनेवाले लोगोंकी संख्या १०,००० से अधिक है। उनमें सबसे बड़ी संख्या गुजराती बोलनेवाले लोगोंकी है। गुजराती भाषाको अपनी मातृभाषा माननेवाले आदिवासियोंकी संख्या २४,६८,६८३ (९० प्रतिशत) दी गई है। इन आंकड़ोंके संबंधमें अधिक जाँचपड़ताल जरूरी है। ये सब लोग गुजराती भाषा समझते हैं या उनकी मातृभाषा ही गुजराती है, यह प्रश्न विशेष विचारणीय है। इसके अलावा शेष भाषाओंमें मराठी, डांगी, भीलोड़ी, भीली, चौधरी, कुंकणी, घोड़िया, गामीत या गावीत, वारली और मावची भाषाएँ हैं। आदिवासी समाजके उत्कर्षकी दृष्टिसे ये नौ आदिवासी बोलियाँ महत्त्व रखती हैं, इसलिए उन पर विशेष कार्य होना जरूरी है।

१३

जातियोंके हिसाबसे आबादी

सन् १९६१ की जनगणनानुसार गुजरात राज्यमें अलग अलग जातियोंकी संख्या यह है:

कोठा नं० ५

क्रम	जातिका नाम	ग्रामविस्तार संख्या	शहरी विस्तार संख्या	कुल संख्या	कुल आदिवासी आबादीमें प्रतिशत
१.	भील, जिसमें भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागलिया, भीलाला, पावरा, वसावा और वसावे भी शामिल हैं।	१०,८५,६८२	३८,६००	११,२४,२८२	४०.८०
२.	दुबला जिसमें दुबला, हलपति और तलाविया भी शामिल हैं	२,८८,१४६	३५,४९८	३,२३,६४४	१२.११
३.	धोडिया	२,५४,१४७	२१,६४०	२,७५,७८७	१०.०१
४.	गामीत, गावीत, मावची, पडवी	१,५४,४०६	४,२९७	१,५८,७०३	५.७७
५.	चौधरी, चौधरा	१,४०,५७९	२,९९७	१,४३,५७६	५.२१
६.	राठवा	१,३५,७१३	१७	१,३५,७३०	४.९२
७.	धानका (तडवी, तेतरीआ)	१,२२,७५७	५,२६७	१,२८,०२४	४.६५
८.	कोंकणा (कूंकणी, कूंकणा)	१,०४,८५३	५,२०१	१,१०,०५४	३.९९
९.	नायक, नायकडा, कापडिया	९५,६३०	१२,३९४	१,०८,०२९	३.९२
१०.	वारली	९७,१६६	५४४	९७,७१०	३.५४
११.	पटेलिया	३७,४५५	१,५३८	३८,९९३	१.०४

१२. कूनबी	२४,००४	—	२४,००४	०.८०
१३. कोली (कच्छ जिलेके)	२१,७५९	१,१२०	२२,८७९	०.८०
१४. ढोर कोली, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा	१३,२२६	१,३१३	१४,५३९	०.५०
१५. कोटवालिया, वीटोलिया, बरोडिया	८,३५९	४७९	८,८३८	०.३२
१६. रबारी	५,०९३	—	५,०९३	०.१८
१७. वाघरी (कच्छ जिलेके)	२,४९९	१,८२८	४,३२७	०.१५
१८. सीदी	२,३०१	१,३४४	३,६४५	०.१३
१९. पढार	२,९०९	२१६	३,१२५	०.११
२०. पारधी (कच्छ जिलेके)	२,४३३	४१३	२,८४६	०.१०
२१. बावचा, बामचा	१५०	२,३०५	२,४५५	०.०८
२२. काथोडी, ढोरकाथोडी, सोन काथोडी, ढोर कातकरी, सोन कातकरी	२,३५८	—	२,३५८	०.०८
२३. चारण	१,३१९	—	१,३१९	०.०४
२४. भरवाड	८०६	—	८०६	
२५. पारधी	३६७	८९	४५६	
२६. पोमला	९१	२२८	३१९	०.०६
२७. गोंड-राजगोंड	७४	१३	८७	
२८. बरडा	१५	६	२१	
२९. किसी भी जातिमें शामिल न हो सकें ऐसे	१२,१९९	६०३	१२,८०२	०.४६
कुल	२६,१६,४९६	१,३७,९५०	२७,५४,४४६	१००.००

ऊपरके आंकड़ोंको जाँचनेसे मालूम होता है कि:

(१) इन सब जातियोंमें सबसे बड़ी आबादी (४०.८० प्रतिशत) भीलोंकी है।

(२) करीब लाख या इससे अधिक आबादीवाली १० जातियाँ हैं, जो अनुक्रममें दुबला, गामीत, धोड़िया, चौधरी, राठवा, धानका, कोंकणा, नायक-नायकड़ा और वारली हैं।

(३) शहरी विस्तारमें रहनेवाले आदिवासियोंमें मुख्यतः भील, दुबला, ढोडिया और नायक-नायकड़ा हैं।

(४) पारधी (कच्छके सिवाके), पोमला, गोंड, राज-गोंड और बरडा जातियोंकी आबादी बहुत कम है। इन चारों जातियोंकी कुल मिलाकर सारे राज्यमें १,००० की आबादी भी नहीं होती।

१४

जातियोंकी जिलोंमें आबादी

(१) भीलोंकी आबादी मुख्यतः पंचमहाल, भरूच, साबरकांठा, बड़ौदा, सुरत, बनासकांठा और डांग जिलोंमें है।

(२) दुबलोंकी आबादी मुख्यतः सुरत, भरूच और बड़ौदा जिलोंमें है।

(३) धोड़ियाकी आबादी मुख्यतः सुरत जिलेमें है।

(४) गामीतकी आबादी मुख्यतः सुरत जिलेमें है।

(५) चौधरीकी आबादी भी मुख्यतः सुरत जिलेमें है।

(६) राठवाकी आबादी मुख्यतः बड़ौदा और पंचमहाल जिलोंमें है।

(७) धानका मुख्यतः बड़ौदा, भरूच और सुरत जिलोंमें है।

(८) कोंकणा मुख्यतः सुरत, जिलेमें है ; कुछ आबादी डांगमें भी है।

(९) नायकाकी आबादी मुख्यतः सुरत, पंचमहाल और बड़ौदा जिलेमें है।

(१०) वारलीकी आबादी मुख्यतः सुरत और डांग जिलोंमें है।

(११) पटेलीआ मुख्यतः पंचमहाल जिलेमें है।

(१२) कुनबी सारे ही डांग जिलेमें है।

(१३) ढोर कोली या कोलधा मुख्यतः सुरत जिलेमें है।

(१४) कोली सारे कच्छ जिलेमें है।

(१५) कोटवालिया मुख्यतः सुरत और भरूच जिलोंमें है।

(१६) रबारी, भरवाड़ और चारण जूनागढ़ और जामनगर जिलोंके पहाड़ी विभागोंमें हैं।

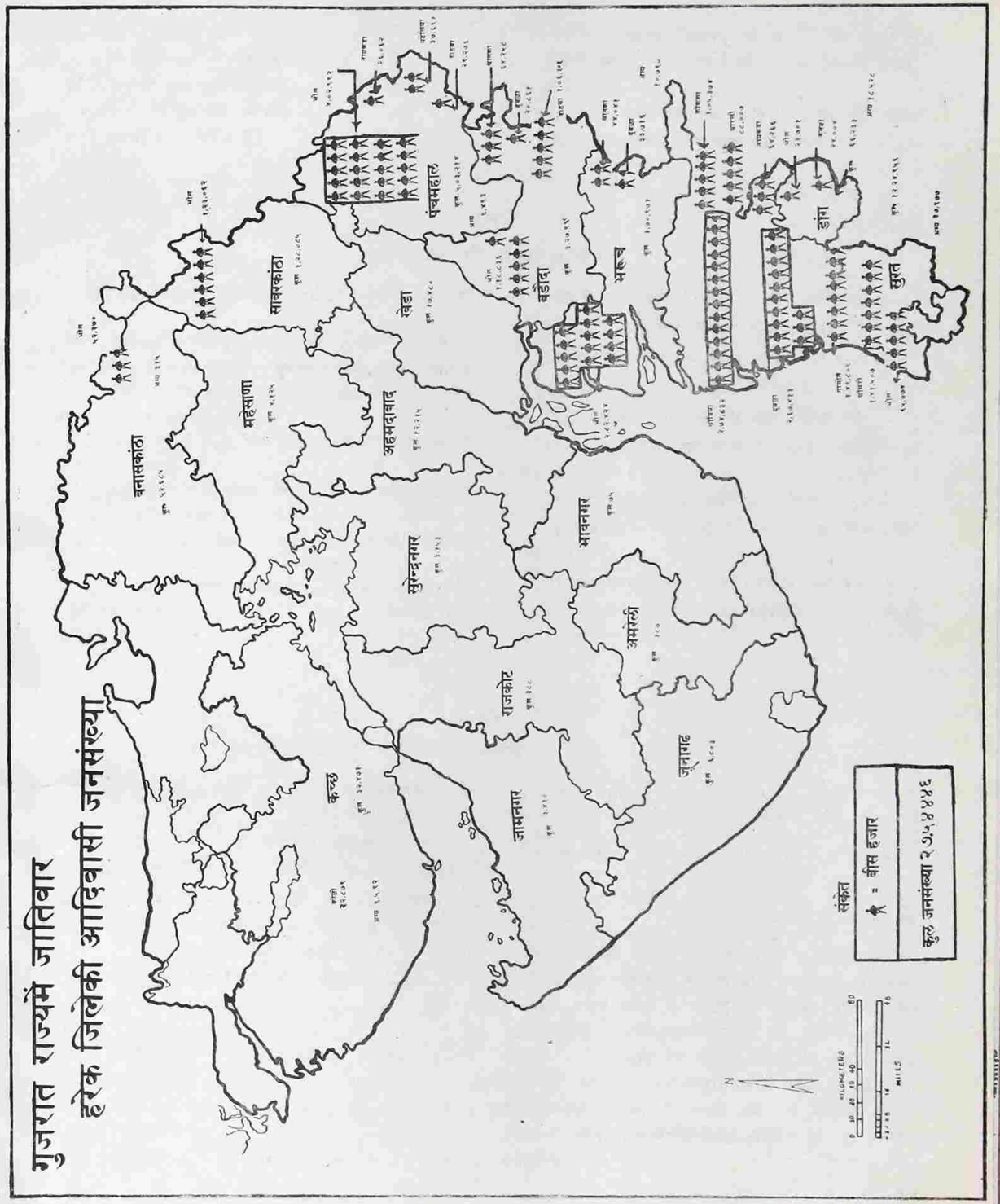

(१७) सीदी जूनागढ़ जिलेमें है।
(१८) बावचा, बामचा अहमदाबाद जिलेमें है।
(१९) काथोड़ी सुरत जिलेमें है।
(२०) पढार सुरेन्द्रनगर जिलेमें है।
(२१) पारधी कच्छ जिलेमें है।
(२२) पोमला, (कच्छके सिवाके) पारधी, गोंड-राजगोंड और बरडाकी आबादी बहुत कम है और अनेक जिलोंमें बिखरी हुई है।
(२३) किसी भी जातिमें शामिल न किये जा सकें ऐसे आदिवासियोंकी आबादी थोड़ी-बहुत कई जिलोंमें है।

१५

प्रत्येक जिलेकी मुख्य जातियाँ

अब जिलेवार जातियोंकी आबादी हम देखेंगे (देखिए परिशिष्ट नं० ४)

१. जिलेवार जातियोंके आंकड़ों परसे यह पता चलता है कि सुरत जिलेमें कई जातियाँ हैं, उनमें मुख्यतः धोडिया, दूबला, गामीत, चौधरी, कोंकणा, भील, वारली, नायकडा, धानका, ढोरकोली, कोटवालिया और काथोडी हैं।

२. भरूच जिलेमें मुख्यतः भील, धानका, दुबला, गामीत, चौधरी और कोटवालिया हैं।

३. पंचमहाल जिलेमें मुख्यतः भील, पटेलीआ, राठवा, नायकडा, धानका जातियाँ हैं।

४. बडौदा जिलेमें मुख्य जातियाँ भील, राठवा, धानका, दुबला और नायका हैं।

५. साबरकांठा जिलेमें मुख्य जातियाँ भील और नायकडा हैं।

६. डांगमें कुनबी, भील, वारली, कोंकण तथा गामीत मुख्य जातियाँ हैं।

७. इन जिलोंके सिवा और जिलोंमें मुख्य जातियाँ ये हैं:

(१) बनासकांठामें मुख्य आबादी भील जातिकी हैं।
(२) कच्छमें मुख्य आबादी कोली, वाघरी और पारधीकी है।
(३) खेड़ामें मुख्य आबादी भील जातिकी है।
(४) अहमदाबादमें मुख्य आबादी भील जातिकी है।
(५) जूनागढ़में मुख्य आबादी सीदी, रबारी, चारण और भरवाड़ जातियोंकी है।
(६) महेसाणामें मुख्य आबादी भील जातिकी है।
(७) जामनगरमें मुख्य आबादी रबारी, भरवाड़, चारण और सीदीकी है।
(८) सुरेन्द्रनगरमें मुख्य आबादी पढार जातिकी है।
(९) राजकोट, अमरेली और भावनगरमें मुख्य आबादी सीदी जातिकी है।

१६

व्यवसाय

१९६१ की जनगणनानुसार गुजरातकी कुल आबादीमेंसे काम करनेवाली आबादी अलग-अलग किन किन व्यवसायोंमें लगी हुई है और आदिवासी आबादीमेंसे काम करनेवाली आबादी अलग अलग किन किन व्यवसायोंमें लगी है, इसका ब्यौरा अब हम देंगे।

क्रम	ब्यौरा	गुजरातकी काम करनेवाली कुल आबादी	गुजरातकी काम करनेवाली आदिवासी आबादी
१.	कुल आबादीका कितना प्रतिशत काम करनेवाली आबादी है।	४१.०७	५३.७२
२.	व्यवसाय (प्रतिशत)		
१.	खेती	५३.३२	६८.०९
२.	खेतमजदूरी	१४.७७	३१.०९
३.	पशुपालन, खान, बाग इत्यादि	१.२४	१.१७
४.	गृहउद्योग	६.५६	१.२३
५.	दूसरे उद्योग	६.३३	१.५६
६.	चिनाई	१.०६	०.४२
७.	व्यापार	४.८५	०.३८
८.	यातायात	१.८८	०.५८
९.	नौकरी	९.९९	४.३९
	कुल	१००.००	१००.००

इन आंकड़ोंको जाँचनेसे पता चलता है कि गुजरातकी काम करनेवाली कुल आबादीके प्रमाणसे काम करनेवाली आदिवासी आबादीका प्रमाण अधिक है। अर्थात् शेष लोगोंकी अपेक्षा आदिवासियोंमें छोटे बड़े सभी जबतक काम हो सकें, तबतक काम करते रहते हैं। अपनी रोटी आप पैदा करनेकी आदतके कारण और कुटुंबके दूसरे लोगों पर कमसे कम आधार रखनेके कारण ही आदिवासी समाजमें अधिक समानता और स्वतंत्रता नजर आती है। उनके आर्थिक संजोग भी कुटुंबमें काम करनेवाले सब लोगोंको काम करनेके लिए मजबूर करते हैं।

उनके व्यवसायोंका पृथक्करण करनेसे यह दिखाई देता है कि आबादीका बहुत बड़ा भाग (९० प्रतिशत) खेती और मजदूरी पर आधार रखता है। उसमें भी काम करनेवाली आबादीका ३१ प्रतिशत भाग तो केवल खेत मजदूरी पर आश्रित है। इससे पता चलता है कि उनकी हालत कितनी खराब है। व्यवसायके लिए अपना कह सकें ऐसा कोई साधन या कौशल उनके पास न होनेसे इतने बड़े वर्गको केवल खेत मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जंगल कट जानेसे इनकी जमीन साहूकारोंके हाथमें चली जानेसे और दूसरा कुछ व्यवसाय उन्हें आता नहीं, और जैसा हमने पहले देखा कि उनकी आबादीकी वृद्धि दूसरे वर्गोंकी आबादीकी अपेक्षा अधिक होती जाती है इसलिए खेत मजदूरी पर आधार रखनेवालोंकी संख्या काफी बढ़ती जा रही है।

नौकरीके अलावा दूसरे सब व्यवसायोंमें उनका प्रमाण नहींवत् है। नौकरियोंमें भी अधिकांश संख्या तो घरकाम करनेवालोंकी है। मिसालके तौर पर सुरत जिलेके दूबले नौकरी करनेवालोंमें गिने गये हैं, फिर भी उनकी हालत करीब करीब मजदूर जैसी ही है, क्योंकि वे अधिकतर घरकामकी नौकरी ही करते हैं। खेती और खेत-मजदूरी ही जीवनका एकमात्र आधार है, फिर भी उनके पास जमीन बहुत कम है। अधिकांश खातेदार १० एकड़से कम जमीनवाले हैं। १५ एकड़से अधिकके खातेदार तो मात्र ९.५ प्रतिशत ही हैं। सारे गुजरात राज्यके खातेदारोंसे उनकी तुलना करनेसे मालूम होता है कि छोटे खातेदारोंका प्रमाण ही आदिवासियोंमें अधिक है। नीचे दिये गये आंकड़े देखनेसे पता चलता है कि १० एकड़से कम जमीनवाले आदिवासी किसानोंका प्रमाण ८०.१ प्रतिशत है। जबकि सारे गुजरात राज्यमें ऐसे किसान ६६ प्रतिशत हैं।

जमीन मालिकोंकी मालकीकी जमीनके हिसाबसे वर्गीकरण

क्रम	ब्यौरा	आदिवासी जमीन मालिक (प्रतिशत)	गुजरात राज्यके जमीन मालिक (प्रतिशत)
१.	एक एकड़ तकके	४.३	११.००
२.	पांच एकड़ तकके	५१.६	४७.२
३.	दस एकड़ तकके	८०.१	६६.२
४.	पंद्रह एकड़ तकके	९०.५	७७.३
५.	पन्द्रहसे अधिकके	९.५	२२.७

आधार: १. आदिवासी जमीन-मालिकोंके बारेमें ब्यौरा १९६१ की जनगणनाके समय आदिवासी जमीन-मालिकीके संबंधमें इकट्ठे किये हुए आंकड़ों परसे तैयार किया है। (देखिए १ सेन्सस ऑफ इन्डिया वॉल्यूम फाइव–गुजरात पार्ट फाइव–ए, टेबल्स ऑन शिडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शिडचूल्ड ट्राइब्स)

२. गुजरात राज्यके जमीन-मालिकोंका ब्योरा हेन्डबुक ऑफ बेसिक स्टेटीस्टिक्स, गुजरात स्टेट, १९६२ से लिया गया है।

आदिवासी विस्तार अधिकतर पहाड़ी है, इसलिए वहाँकी जमीन अधिक हलके प्रकारकी है। और यह जमीन समतल न होनेसे पानी या खादका उपयोग करना भी मुश्किल होता है और परिणाममें जमीनका उपजाऊपन बहुत कम हो जाता है। सिंचाईके साधन भी बहुत कम हैं, इसलिए सिंचाईवाली जमीन बहुत कम है। नीचेके आंकड़े देखनेसे यह बात अधिक स्पष्ट होगी:

क्रम	जिला	फसल लायक कुल विस्तार एकड़में	सिंचाई योग्य कुल विस्तार एकड़में	सिंचाई योग्य विस्तारके प्रतिशत
१.	कच्छ	११,३६,६००	१,३६,०००	११.९७
२.	जामनगर	१३,९४,१००	६०,२००	४.३२
३.	राजकोट	२१,४७,४००	१,४६,८००	६.८४
४.	सुरेन्द्रनगर	१५,७३,४००	२७,९००	१.७७
५.	भावनगर	१८,६६,६००	१,३१,७००	७.०५
६.	जूनागढ़	१५,१७,९००	१,५८,६००	१०.४५
७.	अमरेली	६,२६,३००	३७,६००	६.००
८.	महेसाणा	२०,९८,०००	२,४४,३००	११.६४
९.	खेड़ा	१३,७६,१००	८८,९००	६.४६
१०.	अहमदाबाद	१६,२०,९००	१,१५,३००	७.११
११.	बनासकांठा	१६,४०,२००	१,५०,०००	९.१५
१२.	साबरकांठा	११,६७,८००	१,१७,६००	१०.०८
*१३.	पंचमहाल	१५,०६,३००	२०,६००	१.३७
*१४.	बड़ौदा	१३,४७,९००	१८,४००	१.३७
*१५.	भरूच	११,०४,७००	७,७००	०.७०
*१६.	सुरत	१८,०४,२००	२६,२००	१.४५
*१७.	डांग	५१,५००	—	०.००
१८.	गुजरात राज्य	२,३९,७९,९००	१४,८७,८००	६.२४

आधार: ढेबर कमीशन रिपोर्ट पृ० ३८२ — ये आंकड़े १९५६-५७ के वर्षके हैं।

* इस संकेतवाले आखरी पांच जिलोंमें मुख्यतः आदिवासी आबादी है। वहाँ सिंचाई योग्य विस्तार डेढ़ प्रतिशतसे भी कम है जबकि सारे राज्यकी औसत ६ प्रतिशतसे अधिक है।

इसलिए प्रतिवर्ष बरसात पर आधारित खेती खत्म होनेके बाद आदिवासी लोग बड़ी संख्यामें कामकी खोजमें अपना घर छोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं।

जातिवार व्यवसाय

१९६१ के जनगणनानुसार अलग-अलग जातियोंमें काम करती हुई जनता नीचेके मुताबिक व्यवसायोंमें बँटी हुई थी:

कोठा नं. ६

(प्रतिशतमें)

क्रम	जाति	खेती	खेतमजदूरी	पशुपालन बागायात खानकाम	गृहउद्योग	अन्य उद्योग	चिनाई	व्यापार	यातायात	नौकरियाँ
१.	भील	६८.७०	२५.२३	०.८३	०.६८	०.६७	०.२७	०.२४	०.४७	२.९१
२.	दुबला	७.४५	७३.१२	१.६८	०.८१	४.८३	०.८०	०.६०	०.९१	९.८०
३.	धोडिया	६६.८६	१८.५५	१.८०	१.०१	३.७८	०.६५	०.६४	१.२५	५.४६
४.	गामीत	६५.९२	२९.५९	०.५७	०.५२	०.३९	०.१५	०.४३	०.२७	२.१६
५.	चौधरी	६८.५०	२५.७०	१.११	०.८०	०.५८	०.२२	०.२१	०.३३	२.४८
६.	राठवा	८९.०६	९.६३	०.४८	०.३२	०.०२	०.०२	०.०३	०.०१	०.४३
७.	धानका	४६.९२	४५.१८	०.४५	०.५०	०.६२	०.२०	०.३९	०.४१	५.३३
८.	कोंकणा	७१.३२	२०.४९	१.८५	०.६६	१.१०	०.२५	०.३९	०.२५	३.६९
९.	नायका-नायकडा	३५.६४	४३.५८	२.२८	१.३६	३.६३	०.९१	०.५४	०.९८	११.०८
१०.	वारली	६४.३४	३२.३९	१.३७	०.५०	०.०३	०.१४	०.१७	०.१६	१.१०
११.	पटेलिया	५१.२८	४२.२३	०.१७	१.३८	०.४९	०.५७	०.१०	२.०३	१.७५
१२.	कुनबी	७७.७९	१६.५३	२.१६	०.२७	०.०२	०.५५	०.१५	०.०८	२.४५
१३.	कोली (कच्छके)	४९.१०	२०.६८	२.७९	२.५७	२.५७	५.२१	०.७६	०.६४	१५.५८
१४.	ढोरकोली	२९.७८	५६.८१	२.२४	०.४७	२.५६	०.२०	०.३७	०.४७	७.१०
१५.	कोटवालिया	३.०३	१३.०८	०.६१	८०.९६	१.६२	—	०.०७	०.१०	०.५३
१६.	रबारी	१०.६६	१.८२	८.४८	७७.५४	—	—	०.८१	—	०.६९
१७.	वाघरी	३०.४२	९.०७	४.९७	४.०५	४.६८	०.२९	२८.२०	०.५१	१७.८१
१८.	सीदी	२४.२८	१७.४७	५.६४	१.९५	४.१५	२.४८	१.१८	७.४३	३५.४२
१९.	पढार	३१.६६	२९.८७	०.८७	०.८७	२.५४	०.५७	०.०६	—	०.६९
२०.	पारधी (कच्छके)	१२.७१	२३.८१	५.४३	१७.६५	१.४६	३.४०	१.७८	०.२४	३३.५६
२१.	बावचा	०.५७	५.८५	३.९०	०.४५	२३.९०	१४.२३	४.०२	६.०८	४१.००
२२.	काथोडी	२१.०४	५०.७३	२१.३३	२.७९	—	२.६५	०.०७	—	१.३९
२३.	चारण	१.५०	१.६१	०.९३	९५.७०	—	०.१३	—	—	०.१३
२४.	भरवाड	४.९६	०.८०	६.००	८७.२०	—	—	—	—	१.०४
२५.	पारधी (कच्छके सिवाके)	१८.८६	३६.४०	१७.५४	३.९५	७.९०	०.४४	३.०७	—	११.८४
२६.	पोमला	—	८.९५	—	६१.९४	७.४६	१.४९	३.७४	०.७५	१५.६७
२७.	गोंड	१३.००	—	७७.७८	—	—	—	—	—	९.२२
२८.	बरडा	—	४०.००	—	—	—	—	—	—	६०.००
२९.	किसी विभागमें नहीं आनेवाली जातियाँ	४३.४८	४६.५०	०.४७	०.७७	१.५८	१.८१	१.३८	०.५९	३.४२
	कुल	५९.१८	३१.०९	१.१७	१.२३	१.५६	०.४२	०.३८	०.५८	४.३९

पारधी, पोमला, गोंड और बरडाकी संख्या बहुत कम होनेसे उन्हें जातियोंके व्यवसायोंके विषयकी चर्चासे बाहर रखा है। व्यवसायकी दृष्टिसे जातियाँ नीचे लिखे विभागोंमें बँटी हुई हैं:—

१. खेती पर मुख्यतः आधारित (६० प्रतिशतसे अधिक) ये जातियाँ हैं: (१) भील, (२) धोडिया, (३) गामीत, (४) चौधरी, (५) राठवा, (६) कोंकणा, (७) वारली, (८) कुनबी।

२. खेतमजदूरी पर मुख्यतः आधारित जातियाँ: (१) दुबला, (२) ढोरकोली, (३) काथोडी।

३. खेती तथा खेत-मजदूरी दोनों पर करीब समान रूपसे अवलंबित जातियाँ: (१) धानका, (२) नायक-नायकडा, (३) पटेलिया।

४. गृह-उद्योगों पर मुख्यतः अवलंबित जातियाँ: (१) कोटवालिया, (२) रबारी, (३) भरवाड़, (४) चारण। कोटवालिया बाँसका काम करती हैं जबकि रबारी, भरवाड़ और चारण घी बनाकर उसे बेचनेका धंधा करती हैं।

५. किसी एक व्यवसाय पर आधार न रखकर अलग अलग अनेक व्यवसाय करनेवाली जातियाँ: (१) कोली, (२) वाघरी, (३) सीदी, (४) पढार, (५) पारधी, (६) बावचा।

इस वर्गीकरणके अलावा अन्य कुछ ध्यान देने योग्य बातें नीचे दी जाती हैं:

(१) काथोड़ीका मुख्य व्यवसाय खेत-मजदूरी है, परंतु उसकी २० प्रतिशतसे अधिक आबादी कत्था बनानेका व्यवसाय करती है।

(२) दूबला खेत-मजदूरीके अलावा घरकामकी नौकरी करते हैं। बड़ी उमरके व्यक्ति कारखानोंमें मजदूरी करने जाते हैं।

(३) धोड़िया शिक्षककी तथा अन्य नोकरियाँ करते हैं।

(४) नायक-नायकडा घरकामकी नौकरी करते हैं।

(५) कोली, सीदी, पारधी, पढार पहरेदारकी नौकरी करते हैं।

(६) बावचा कारखानोंमें और चिनाईके जैसे कामोंमें मजदूरी करते हैं तथा फुटकर नोकरियाँ करते हैं।

सभी जातियोंकी आर्थिक स्थितिके बारेमें निश्चित जानकारीके अभावमें उनका आर्थिक वर्गीकरण करना संभव नहीं। उसके एवजमें उनके व्यवसायोंके आधार पर वर्गीकरण करें तो उस परसे उनकी आर्थिक स्थितिके बारेमें कुछ खयाल आ सकता है। इस तरह इन जातियोंको नीचे दिये हुए तीन वर्गोंमें विभाजित किया जा सकता है:

(१) पहले वर्गमें मुख्यतः खेती पर आधार रखनेवाली जातियाँ आयेंगी। अधिकांश वे खेती पर आधार रखती हैं, इसलिए उनके पास थोड़ी-बहुत जमीन होती है और उसकी उपज उन्हें मिलती है। इसके अलावा फुरसतके समयमें खेत मजदूरी या दूसरी मजदूरी भी वे करती हैं। इसलिए अन्य जातियोंकी तुलनामें उनकी आयके साधनोंको अच्छे कह सकते हैं। खेती पर आधार रखनेवाली जातियोंमें सबकी स्थिति समान हो ऐसा तो संभव नहीं। उसका आधार उनके पास कितनी और कैसी जमीन है उस पर है। इसके अलावा इन जातियोंमें भी कितने लोग खेती पर, कितने खेत मजदूरी पर तथा कितने अन्य व्यवसायों पर आधार रखते हैं इस पर भी निर्भर करेगा। इस तरहसे विचार करनेसे इन जातियोंको आर्थिक दृष्टिसे निम्नलिखित क्रममें रख सकते हैं:

(१) राठवा, (२) धोडिया, (३) कुनबी, (४) कोंकणा (५) भील, (६) चौधरी, (७) गामीत, (८) वारली

(२) दूसरे वर्गमें खेती और खेत मजदूरी दोनों पर समान रूपसे आधार रखनेवाली जातियों, गृह-उद्योगों पर आधार रखनेवाली जातियों तथा अलग अलग अनेक व्यवसायों पर आधार रखनेवाली जातियोंको रख सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पहले वर्गकी स्थितिकी अपेक्षा खराब समझनी चाहिए, क्योंकि इनके पास उस वर्गकी अपेक्षा सामान्यतः जमीन कम है, इसलिए इन्हें अपनी आयके साधनोंके लिए दूसरे कामकाज पर अधिक आधार रखना पड़ता है। ये जातियाँ भी कितने प्रमाणमें खेती पर आधार रखती हैं, कितने प्रमाणमें गृह-उद्योगों पर आधार रखती हैं तथा कितने प्रमाणमें खेत मजदूरी पर, इसका ध्यान रखकर आर्थिक दृष्टिसे इन्हें नीचे दिये क्रममें रख सकते हैं:

(१) पटेलिया, (२) धानका, (३) नायक-नायकडा, (४) कोली, (५) वाघरी, (६) सीदी, (७) पारधी, (८) बावचा, (९) पढार, (१०) रबारी, (११) भरवाड़, (१२) चारण, (१३) कोटवालिया।

(३) तीसरे वर्गमें मुख्यतः खेत मजदूरी पर आधार रखनेवाली जातियाँ आयेंगी। ये जातियाँ मुख्यतः केवल खेत-मजदूरी पर आधार रखनेके कारण उनकी आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। भारत सरकारके मजदूर विभागकी तरफसे की गई पहली और दूसरी दोनों जाँचोंने यह बात निर्विवाद सिद्ध की है कि प्रजाका सबसे गरीब वर्ग खेत-मजदूरोंका है। इस वर्गमें आनेवाली जातियोंको भी उनकी आयके साधनोंको ध्यानमें रखकर आर्थिक दृष्टिसे नीचे दिया गया क्रम दिया जा सकता है:

(१) काथोडी, (२) ढोरकोली, (३) दुबला।

इस तरह जातियोंमें आर्थिक दृष्टिसे सबसे ऊपर राठवा है जो सबसे अधिक साधन-सम्पन्न दिखाई देती है, जबकि सबसे नीचे दुबला है, जिसकी स्थिति सबसे खराब जान पड़ती है।

१८
शिक्षा

१९६१ की जनगणनानुसार गुजरातकी कुल आबादीकी और आदिवासी आबादीकी साक्षरताके प्रतिशत नीचे दिये जाते हैं:

साक्षरताका प्रमाण

	पुरुष	स्त्रियाँ	कुल
गुजरातकी कुल आबादी	४१.१	१९.१	३०.५
आदिवासी आबादी	१९.१	४.१	११.७

ऊपरके आंकड़े देखनेसे मालूम होता है कि शिक्षाकी दृष्टिसे आदिवासी आबादी शेष आबादीकी अपेक्षा अभी बहुत पिछड़ी हुई है। उनमें भी स्त्रियोंमें शिक्षाका प्रमाण अत्यंत कम है। इन आंकड़ोंका अधिक पृथक्करण करें तो मालूम होगा कि पढ़े-लिखोंमें भी प्राथमिक शिक्षा पानेवालोंकी संख्या ही बहुत बड़ी है। यह बात इसके साथ दिये हुए आंकड़ोंको देखनेसे स्पष्ट हो जाएगी।

ये आंकड़े देखने पर मालूम होता है कि किसी भी तरह व्यवस्थित शिक्षा पाये बिना जो लिख-पढ़ सकते हैं ऐसे ३४.३ प्रतिशत हैं, जबकि प्राथमिक शिक्षा पाये हुए ६५.३ प्रतिशत हैं। मैट्रिक तक पहुँचे हुए तो मात्र ०.४ प्रतिशत ही हैं। २७ लाखकी कुल आदिवासी आबादीमें केवल १७ ही ग्रेज्युएट हैं। आदिवासी प्रजाको शिक्षाकी दृष्टिसे शेष प्रजाके स्तर पर लानेके लिए बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है यह इन आंकड़ों परसे साफ मालूम होता है।*

* सन् १९६१ के बाद शिक्षाके सभी स्तरमें काफी तरक्की हुई है इसका पता नीचे दिये हुए आंकड़ोंसे हमें मिलता है:

(१) प्राथमिक शिक्षा पानेवाले	१९६३–६४	२,८३,४२८
(२) माध्यमिक शिक्षा पानेवाले	,,	१३,४६८
(३) कॉलेजमें शिक्षा पानेवाले	,,	४१४

कोठा नं. ७

क्रम	ब्योरा	पुरुष	स्त्रियाँ	कुल संख्या	प्रतिशत
१.	किसी भी प्रकारकी शिक्षा जिन्होंने नहीं पाई है परंतु जो लिखना-पढ़ना जानते हैं	९३,३११	१७,३३४	१,१०,६४५	३४.३
२.	प्राथमिक शिक्षा प्राप्त	१,७२,२०६	३८,०५७	२,१०,२६३	६५.३
३.	मेट्रिक या इससे अधिक जिन्होंने अभ्यास किया है	१,०१०	८१	१,०९१	०.४
४.	टेकनिकल डिप्लोमावाले	४	—	४	—
५.	नॉनटेकनिकल डिप्लोमावाले	२	—	२	—
६.	डिग्रीवाले	१७	—	१७	—
	कुल	२,६६,५५०	५५,४७२	३,२२,०२२	१००.०

१९
जातिवार शिक्षा

कोठा नं. ८

१९६१की जनगणनानुसार जातिवार शिक्षाके संबंधमें नीचे मुताबिक स्थिति है:

क्रम	जाति	साक्षरता प्राप्त प्रतिशत पुरुष	स्त्रियाँ	कुल	मैट्रिक पास, टेकनिकल या नॉन-टेकनिकल डिप्लोमा प्राप्त या डिग्री प्राप्त करनेवालोंकी संख्या पुरुष	स्त्रियाँ	कुल
१.	भील	१६.६१	२.९५	९.८८	२६०	८	२६८
२.	दुबला	१९.१३	४.००	११.६१	६३	—	६३
३.	धोडिया	३७.०२	१०.८५	२३.९४	३८६	१७	४०३
४.	गामीत	१८.४२	५.१४	११.९३	४८	२२	७०
५.	चौधरी	१८.३७	८.३५	१३.४३	१३२	२४	१५६
६.	राठवा	८.७६	०.८६	४.८१	—	—	—
७.	धानका	२५.७४	५.४३	१५.८३	२३	—	२३

८. कोंकणा	१५.०८	२.४९	८.९२	२७	२	२९
९. नायक-नायकडा	१७.५९	३.५५	१०.७९	३२	—	३२
१०. वारली	८.१६	०.५७	४.४३	३	—	३
११. पटेलिया	२१.९२	२.४७	१२.६६	२०	२	२२
१२. कूनबी	१२.९३	२.५९	७.८९	६	—	६
१३. कोली	५.०५	०.०३	२.७७	२	—	२
१४. ढोरकोली	८.०६	१.४४	४.८२	१२	—	१२
१५. कोटवालिया	६.००	१.९४	४.०३	४	—	४
१६. रबारी	३.४९	०.२३	१.८८	—	—	—
१७. वाघरी	७.६४	६.९८	७.३०	१	—	१
१८. सीदी	१०.८९	३.२८	७.०८	३	२	५
१९. पढार	६.०७	०.३३	३.२९	—	—	—
२०. पारधी (कच्छके)	७.७१	२.३५	५.०५	१	—	१
२१. बावचा	२८.७७	१६.४७	२२.८१	४	३	७
२२. काथोडी	३.२९	०.७६	२.०३	—	—	—
२३. चारण	१.८३	०.३२	१.१३	—	—	—
२४. भरवाड	४.३६	—	२.३५	—	—	—
२५. पारधी (कच्छके सिवाके)	१८.९९	३.५३	१२.२८	—	—	—
२६. पोमला	२१.६५	१.२३	११.२८	—	—	—
२७. गोंड	११.११	२.३८	६.८९	—	—	—
२८. बरडा	६६.६६	६.६६	२३.८०	—	—	—
२९. किसी विभागमें न आनेवाली जातियाँ	२३.२३	२.६७	१३.५७	६	१	७
कुल	१९.११	४.१९	११.७९	१,०३३	८१	१,११४

(पारधी, पोमला, गोंड और बरडा जातियोंकी संख्या बहुत कम होनेसे उनको इस चर्चासे बाहर रखा है।)

ऊपरके आंकड़े जाँचनेसे पता लगता है कि :

(१) धोडियामें साक्षरताका प्रमाण सबसे अधिक है।

(२) दूसरे नंबर बावचा आती है। बावचाकी ९४ प्रतिशत आबादी शहरमें रहती है इसलिए उनमें साक्षरताका प्रमाण बहुत उच्च है।

(३) १० प्रतिशतसे अधिक साक्षरतावाली जातियाँ ये हैं: (१) धोड़िया (२) बावचा (३) धानका (४) चौधरी (५) पटेलिया (६) गामीत (७) दुबला (८) नायक-नायकडा।

(४) ५ से १० प्रतिशत तक साक्षरतावाली जातियाँ ये हैं: (१) भील (२) कोंकणा (३) कुनबी (४) वाघरी (५) सीदी (६) पारधी।

(५) ५ प्रतिशतसे भी कम साक्षरतावाली जातियाँ ये हैं: (१) राठवा (२) ढोरकोली (३) वारली (४) कोटवालिया (५) पढार (६) कोली (७) भरवाड (८) काथोड़ी (९) रबारी (१०) चारण।

(६) स्त्रियोंमें ५ प्रतिशतसे अधिक साक्षरता: (१) बावचा (२) धोड़िया (३) चौधरी (४) वाघरी (५) धानका और (६) गामीतमें है।

(७) स्त्रियोंमें १ प्रतिशतसे भी कम साक्षरता: (१) राठवा (२) वारली (३) कोली (४) पढार (५) काथोडी (६) चारण और (७) भरवाड़में हैं।

(८) धोडिया, भील और चौधरीके सिवा शेष जातियोंमें मैट्रिक या इससे ऊपरवालोंकी संख्या बिलकुल कम है। राठवा, रबारी, पढार, काथोड़ी, चारण और भरवाड़में तो एक भी व्यक्ति मट्रिक नहीं।

अलग अलग जातियोंके व्यवसायोंकी और शिक्षा संबंधी जानकारीसे एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि सब जातियोंमें धोडिया आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिसे सबसे ऊँचा स्थान रखती है। इसके बाद इन दोनों दृष्टियोंसे स्थान है चौधरी और गामीतका। इसके बाद अनुक्रमसे भील, कोंकणा, कुनबी, बावचा, पटेलिया, धानका और नायक-नायकड़ाको रख सकते हैं। इन जातियोंमें साक्षरताका प्रमाण ऊँचा होनेका एक कारण उनका दूसरी जातियोंकी अपेक्षा शहरोंमें अधिक निवास है। इनके सिवा शेष जातियाँ दोनों दृष्टियोंसे देखनेसे अधिक पिछड़ी हालतमें हैं। यह हालत इन जातियोंकी है: (१) राठवा (२) वारली (३) कोली (४) वाघरी (५) सीदी (६) पारधी (७) पढार (८) रबारी (९) भरवाड (१०) चारण (११) कोटवालिया (१२) काथोड़ी (१३) ढोरकोली और (१४) दुबला।

इस पृथक्करणका सार यह है कि बिन-आदिवासी समाजकी तुलनामें आदिवासी समाजकी स्थिति आर्थिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टियोंसे अब भी बहुत खराब है; परंतु आदिवासी समाजमें भी सबकी समान स्थिति नहीं है और इसलिए उस समाजके सबसे कमजोर अंगोंका पता लगाकर उनकी हालत सुधारनेकी ओर अधिक ध्यान दिया जाय तो शेष समाजके स्तर पर उसे लानेका काम अधिक सरल और शीघ्र हो सके। ऐसा न हो तो आदिवासी समाजके कुछ आगे बढ़े हुए वर्ग आदिवासी कल्याण योजनाओंका विशेष लाभ प्राप्त कर लेंगे और कमजोर वर्ग प्रमाणमें पिछड़े ही रह जायेंगे। परिणाममें सब आदिवासियोंकी उन्नति करने और समाजमें पायी जानेवाली गहरी खाईको पाटनेका आदर्श सफल न हो सकेगा।

२०

जातियोंका परिचय

अब हम गुजरातकी मुख्य आदिवासी जातियोंका संक्षेपमें परिचय प्राप्त करें। डॉ० बी० एस० गुहाके मतसे भारतके आदिवासी तीन विभागोंमें बाँटे जा सकते हैं: (१) ईशान प्रदेशके आदिवासी, (२) भारतके मध्य भागके आदिवासी, (३) दक्षिणके आदिवासी। उनके मतसे भारतके आदिवासियोंमें मुख्यतः तीन प्रकारके जातितत्त्व पाये गये हैं। वे तीन प्रकार इस तरह हैं: (१) मोंगोलियन, (२) आदि-ऑस्ट्रेलॉइड, (३) निग्रो।

भारतके मध्य भागके आदिवासियोंमें ऑस्ट्रेलोइड जातितत्त्व है। काफी गाढ़े रंगकी शरीरकी चमड़ी, छोटा कद, लम्बा सिर और काफी चिपटी हुई नाक, ये उनके विशिष्ट लक्षण हैं। उनके चेहरे और शरीर पर बहुत बाल नहीं होते। एक इसी लक्षणमें वे ऑस्ट्रेलियाके मूलवासियोंसे भिन्न हैं। गुजरातके आदिवासी मध्य भागके आदिवासियोंके विभागमें स्थान पाते हैं और उनमें विशेषतया ऑस्ट्रेलॉइड जातितत्त्व है। इसमें एक विकल्प दिखाई दे ऐसा है और वह है सौराष्ट्रमें रहनेवाले सीदी। उनके ऊन जैसे खुरदुरे बाल और मोटे होठों परसे कहा जा सकता है कि उनमें निग्रो जातितत्व अधिक है। इसके सिवा शेष सब जातियोंमें ऑस्ट्रेलॉइड जातितत्त्ववाले लोगोंमें पाये जानेवाले लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन आदिवासी जातियाँ भी शेष जातियोंके साथ थोड़े बहुत संपर्कमें आ रही हैं इसलिए यह जातितत्त्व भी मूल स्वरूपमें अब देखनेको मिले यह संभव नहीं। उदाहरणके तौर पर सुरतकी दूबला जाति बिन-आदिवासी लोगोंके संपर्कमें दूसरी जातियोंकी अपेक्षा अधिक प्रमाणमें आती हैं इसलिए उसमें आदिवासी जातियोंमें पाये जानेवाले जातितत्व कम प्रमाणमें दिखाई देते हैं। (देखिए श्री पी० जी० शाहका The Dubalas of Gujarat पृष्ठ २६८)

गुजरातकी आदिवासी जातियाँ पहले कहाँसे आयीं इसकी खोज करनेसे वे उत्तरसे, पूर्वसे और दक्षिणसे आयी हों ऐसा उनकी भाषा, नाम और रीति रिवाजोंके अभ्याससे फलित होता है। ये जातियाँ अलग अलग समय पर अलग अलग कारणोंसे गुजरातमें आकर बस गई हों ऐसा लगता है। इसके बाद उत्तरसे आये हुए गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, कोली वगैरहने उन्हें मैदानोंमेंसे पूर्व सीमा पर के जंगल और पहाड़ी प्रदेशोंमें भगा दिया था। उनमेंसे कुछको अपने नौकर या गुलाम रहने दिये। इस तरह अपने मूल स्थानको छोड़ कर उन्हें जंगल और पहाड़ोंमें घुस जाना पड़ा। इसके कारण बाहरकी दुनियासे उनका संपर्क खत्म हो गया और इस तरह अलग पड़ जानेके कारण उनका जो स्वाभाविक विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और परिणाम-स्वरूप वे गरीबी और अज्ञानके चंगुलमें फंस गये। जो लोग उच्च वर्णोंके नौकर या गुलाम हुए, उन पर उनके रिवाजों और रहन-सहनका असर पड़ा और उन्होंने भी अपने मालिकोंकी रहन-सहनका अंधानुकरण किया।

उनकी बोलियाँ गुजराती भाषासे अलग हैं, फिर भी जहाँ जहाँ वे संपर्कमें आये, वहाँ उनपर वहाँकी भाषाका असर साफ नजर आता है। उनकी बोलियोंमें इसके अलावा दक्षिण भारतकी तेलुगु जैसी भाषाओंके कुछ शब्द भी दिखाई देते हैं। उनके रंग, रूप, कद वगैरहमें काफी फर्क है, फिर भी उच्चवर्णोंकी अपेक्षा सामान्यतया वे रंगमें अधिक श्याम और कदमें नाटे हैं।

गुजरातकी आदिवासी जातियोंको भौगोलिक दृष्टिसे मुख्यतया तीन विभागोंमें बाँटी जा सकती हैं।

(१) उत्तर गुजरातके भील तथा उनकी उपजातियाँ जिनका राजस्थानके भीलोंके साथ निकटका संपर्क है।

(२) पंचमहाल, बड़ौदा और भरूच जिलेके भील, राठवा, धानका, पटेलिया तथा नायका जिन्हें मध्यप्रदेशकी इन आदिवासी जातियोंसे खास निकटका संपर्क है।

(३) दक्षिण गुजरातके आदिवासी जिनमें मुख्यतया धोडिया, चौधरी, गामीत, कोंकणा, दुबला, भील, नायक, वारली, कोटवालिया, ढोरकोली वगैरह आते हैं और उनका महाराष्ट्रकी आदिवासी जातियोंके साथ निकटका संपर्क है।

एक चौथा विभाग सौराष्ट्र तथा कच्छकी आदिवासी जातियोंका भी कहा जा सकता है, जिसमें रबारी, भरवाड़, चारण, सीदी, पढार, कोली तथा पारधीका समावेश होता है। परंतु ये जातियां आदिवासी जातियोंकी अपेक्षा पिछड़ी जातियों या पिछड़ी ज्ञातियोंसे अधिक मिलती-जुलती हैं। अब हम जातियोंका व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करेंगे।

१. भील

भील शब्द असलमें द्रविड़ भाषाके 'बिल्लु' शब्द परसे बना है, जिसका अर्थ बाण अथवा तीर होता है। भील प्राचीन समयसे अपने साथ बाण रखते आये हैं। इस वजहसे वे भीलके नामसे पहचाने गये हों ऐसा माना जाता है। भीलोंका कई जगह उल्लेख हमारे प्राचीन साहित्यमें दिखाई देता है। उसमें रामायणमें किया गया शबरीका उल्लेख और महाभारतमें किया गया एकलव्यका उल्लेख सर्वविदित है।

आर्योंसे पहले वे हमारे देशमें बसते थे और राजसत्ता उन्हें प्राप्त थी। आर्योंके आनेके बाद और उनके साथ युद्धोंके कारण उन्हें हार खानी पड़ी और इसलिए वे जंगलोंमें और पहाड़ोंमें चले

गये ऐसा माना जाता है। उदेपुर-जोधपुरके राजपूत राजाओंने तथा डुंगरपुर-बांसवाडाके राजपूत सरदारोंने उनके राज्य छीन लिये अथवा औरंगजेबके समयमें मुसलमान सत्ताओंने तथा उनके बाद मराठोंने उनपर जुल्म किया इसका इतिहास अभी ताजा है। राजगद्दी पर उनके मूल अधिकारके सबूतके रूपमें आज भी कुछ राजपूत राज्योंमें राज्याभिषेकके समय भीलके अंगूठेके लहूसे राजाको पहले तिलक करनेकी प्रथा है। परंतु वे इस देशके ही मूल वासी थे या आर्योंकी तरह वे भी दूसरे देशोंसे यहाँ आकर बस गये थे इसके बारेमें निश्चयपूर्वक विधान करना मुश्किल है।

परन्तु इस विषयमें अभी तक जो कुछ खोज हुई है या जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधारसे और उनकी बोलीके अभ्याससे ऐसा कह सकते हैं कि वे द्रविड़ियन वंशके नहीं हैं, परन्तु आर्य वंशके हैं। खास करके खोपड़ी, भाल, गरदन और मुखमुद्रा तथा छातीकी गठनकी परीक्षा करने पर वे आर्य वंशके दिखाई देते हैं, और आर्योंसे पहले भूमध्य समुद्रके प्रदेशोंसे आकर भारतमें बसे हों ऐसा माना जाता है।*

गुजरातके आदिवासियोंमें सबसे अधिक आबादी भीलोंकी है (४०.८० प्रतिशत) यह हमने देख लिया है। उनमें अगर हम पटेलिया और राठवा जो भीलकी उपजातियाँ हैं, परन्तु जिन्हें सेन्ससमें अलग मान लिया गया है उन्हें भी गिन लें तो भीलोंकी आबादी ६.३३ प्रतिशत और बढ़ जाती है। यानी भीलोंकी कुल आबादी ४७.१३ प्रतिशत हो जाए; अर्थात् कुल आदिवासी आबादीकी करीब आधी आबादी भीलोंकी हो जाए। वे सुरत, डांग भरूच, बड़ौदा, पंचमहाल, बनासकांठा और साबरकांठा जिलोंमें बसे हुए हैं। यानी आदिवासी आबादीवाले सब जिलोंमें वे बसे हुए हैं। बनासकांठा या साबरकांठाके भील पंचमहाल, भरूच या बड़ौदाके भीलोंकी अपेक्षा और दक्षिण गुजरातके भीलोंकी अपक्षा रहन-सहनकी दृष्टिसे अधिक सुधरे हुए दिखाई देते हैं और आर्थिक दृष्टिसे भी कुछ सुखी लगते हैं। लेकिन उनके रीति-रिवाज वगैरह जाँचने पर उनमें काफी साम्य आज भी पाया जाता है। उनकी भाषा भीली कहलाती है, जिसे भाषाकी अपेक्षा बोली मानना उचित होगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। यह बोली भी उनमें एकता बनाये रखनेमें महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन उत्तर गुजरातमें बोली जानेवाली भीली पर राजस्थानी हिंदीका, मध्य गुजरातमें गुजरातीका और दक्षिण गुजरातमें मराठीका असर साफ तौरसे नजर आता है। इस तरह भौगोलिक बल भविष्यमें अधिकसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करते रहेंगे और डांगके भील और साबरकांठाके भीलमें काफी फर्क बढ़ता जायगा। डांगका भील साबरकांठाके भीलकी अपेक्षा वहाँके वारली या कोंकणासे अधिक मिलता-जुलता लगेगा इसकी पूरी संभावना है।

भीलोंकी अनेक उपजातियाँ हैं। उनमें मुख्यतया भील, गरासिया भीलाला, ढोली भील, रावल भील, वसावा, पावरा, तड़वी वगैरह आ सकते हैं। राजपूत राजाओंने भीलोंको अपने लश्करोंमें भर्ती करके कई बार उनसे मदद प्राप्त की। और कुछ समयके बाद उनके साथ विवाह संबंध भी शुरू किया। ऐसे मिश्र संबंधोंके फलस्वरूप उत्पन्न प्रजा उत्तर गुजरातमें भील गरासिया या भीलालाके नामसे, पंचमहालमें पटेलियाके और दक्षिण गुजरातमें (डांगमें) कुनबीके नामसे पहचानी गई। ये लोग अपनेको अन्य भीलोंसे ऊंचे समझते हैं और अपनेको राजपूत वंशके गिननेमें अपना गौरव मानते हैं और अपने उपनाम भी उस संबंधकी याद दिलानेवाले रखते हैं जैसे कि परमार, मकवाणा, सोलंकी, राठोड़। वे दूसरे भीलोंसे रोटी-बेटीका व्यवहार नहीं रखते और पहिनावे और अन्य रीति-रिवाजोंमें उनसे अलग जान पड़ते हैं। उदाहरणके तौर पर हिंदू धर्मके देवदेवियोंको वे पूजते हैं तथा उनके कुछ धार्मिक संस्कारोंको अपनाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर वे दूसरे भीलोंसे ज्यादा अलग नहीं पड़ जाते।

इसी तरह मुसलमान राजाओंके राज्यकालमें मुसलमान सैनिकों और अधिकारियोंके भील स्त्रियोंके साथके संबंधोंसे उत्पन्न प्रजा तडवी भील कहलाई। ये लोग मुसलमान धर्मको मानते हैं, परन्तु और आचार-विचारोंमें अन्य भील जैसे ही हैं। उनमेंसे कईने मुसलमान धर्म छोड़ दिया है और अपने मूल धर्मका पालन करना शुरू किया है। दक्षिण गुजरातमें खास करके खानदेश तरफके तडवी-भील इस तरह मुसलमानोंके साथके संबंधोंसे पैदा हुए हैं। लेकिन पंचमहालके तडवीभील या बड़ौदे जिलेके तडवीभीलोंको मुसलमानोंके साथ कुछ भी संबंध हुआ हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। बल्कि वे तो हिंदू देवदेवियोंको अधिक मानते हैं और अपनी धार्मिक विधियोंके लिए ब्राह्मणोंको बुलाते हैं। इन तड़वी भीलोंको वंशपरंपरासे अगुवाई (पटलाई) मीली होनेके कारण दूसरे भीलोंकी अपेक्षा अपने आपको अलग और ऊँचे माननेके लिए इस नामसे पहचाने जाते हैं। वसावा भीलोंके लिए भी यही कहा जाता है। वसावा भीलोंके लिए दूसरी बात यह मशहूर है कि वे अन्य भीलोंकी अपेक्षा एक जगह स्थायी गाँव या निवासस्थान निश्चित करके बस गये इसलिए वे वसावा भील कहलाये।

हिंदू धर्मके असरसे इस तरह अलग-अलग कारणोंसे भील जाति अलग अलग उपजातियोंमें बँट गई है। उनमें पूजारीका काम करनेवाले रावल भील और भाटका काम करनेवाले ढोली भील कहलाते हैं। प्रादेशिक कारणोंसे भी वे अलग-अलग नामोंसे पहचाने जाते हों ऐसा भी कई बार पाया जाता है। उदाहरणके लिए अलीराजपुरके राठ प्रदेशमें बसे हुए भील राठवाभीलके नामसे और उदेपुरके राजा द्वारा पावागढ़मेंसे निकाल दिये गये भील पावराके नामसे पहचाने जाते हैं। राठवाके सभी रिवाज दूसरे भीलों जैसे हैं। केवल उनके विचित्र पहिनावेसे वे अलग पड़ते हैं। कमर पर एक कपड़ा घूंटनों तक लटकता रहे और पीछेकी ओर पूँछकी तरह निकले इस तरह वे पहिनते हैं।

ऐसे अनेक कारणोंसे बनी हुई उपजातियाँ एक दूसरेसे सामान्यतया शादीव्यवहार नहीं रखतीं, और खानेपीनेमें भी कुछ निषेध बरतते हैं। हिन्दू धर्मकी ज्ञातिसंस्थाका इस तरह उनपर स्पष्ट प्रभाव पड़ा दिखाई देता है।

* देखिए Aboriginal Tribes of the Bombay Presidency (A Fragment) by John Wilson, पृष्ठ नं. १ से ३.

प्रत्येक उपजातिके अनेक कुल हैं। राजपूत संबंधवाले लोग अपने कुलदेवताके रूपमें किसी हिन्दू देव या देवीको मानते हैं, लेकिन दूसरे सामान्यतया किसी वृक्ष या पशुको अपने देवक (कुलदेव) के रूपमें अपनाते हैं और उसके अनुसार अपनी जातिका नाम रखते हैं। उदाहरणके तौर पर जामूनके वृक्षको कुलदेवके रूपमें अपनानेवाले अपने आपको जामणिया कहते हैं और मोरको कुलदेव माननेवाले मोरी कहते हैं। जिस वृक्ष या पशु या पक्षीको अपने देवकके रूपमें स्वीकार करते हैं, उसकी वे पूजा करते हैं और उसका बहुत आदर करते हैं। इस तरह वृक्षपूजा या पशु-पूजा (Totemism) उनके संस्कारका विशिष्ट अंग है। एक ही कुलके लोगोंमें विवाह-संबंध करना निषेध है।

भील सामान्यतया रंगसे काले परंतु कभी-कभी गेहुंए या गोरे भी वे पाये जाते हैं। शरीरकी गठन मजबूत, नाटा कद और सुदृढ़ और कसा हुआ होता है, लेकिन बात-बातमें चीढ़ जानेकी प्रकृतिके कारण झगड़ालू और जुनूनी भी होते हैं, इसलिए मारपीटकी घटनाएँ आयेदिन हुआ करती हैं। बाहर जाते समय वे हमेशा तीर-कमान साथ रखते हैं।

उत्तर गुजरातके भील पहिनावेमें धोती, कुरता और साफा या टोपी पहनते हैं और स्त्रियाँ चौड़ा घेरदार घाघरा, चोली और ओढ़नी ओढती हैं। मध्य गुजरातके और दक्षिण गुजरातके भील तीन हाथ लम्बा और करीब हाथभर चौड़ा लंगोट बाँधते हैं। सिर पर छोटा मुंडासा बांधते हैं और बदन पर चादर ओढ़ते हैं। उनकी स्त्रियाँ कछोटा मार सकें ऐसा लाल या भूरे रंगका घाघरा पहनती हैं; बदन पर लाल या भूरे रंगकी छींटकी ओढ़नी और नीचे कंचुली पहनती हैं। पटेलिये बदन पर काली बंडी पहनते हैं और सिर पर सफेद रंगकी बड़ी पगड़ी जैसा साफा बाँधते हैं।

स्त्रियाँ हाथ-पैरमें कथीरके बहुत ही गहने पहनती हैं। गहनोंका उन्हें बहुत शौक होनेके कारण कामकाजमें उन्हें अड़चन पड़े तो भी सारे शरीरको गहनोंसे लाद लेती हैं।

उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। पहले स्थिर रहकर खेती कम करते थे और घूमते रहकर अस्थिर खेती और जंगलकी उपज पर मुख्यतया आधार रखते थे और कुछ लूटमारको अपने मुख्य व्यवसायके रूपमें अपनाते। अब वे स्थिर खेती करने लगे हैं। शिकार करना, मछली पकड़ना, शहद बेचना, जंगलसे लकड़ी बीनना, फलादि इकट्ठे करना, जंगलमें मजदूरी करने जाना इत्यादि उनके उप-व्यवसाय हैं। अब रास्ते बनानेके कामोंमें मजदूरी या खेत-मजदूरीमें बड़ी तादादमें दूर दूरके स्थानोंमें जाते हैं। खेतीके लिए पर्याप्त जमीन नहीं मिलनेके कारण और जंगलमें भी पर्याप्त कामकाज नहीं मिलनेके कारण बाहर कामकी खोज करनेवालोंकी संख्या अब बढ़ रही है।

तीर चलानेमें या मछली पकड़नेमें वे बहुत ही कुशल होते हैं। अचूक निशान ताकनेकी उनकी कला मशहूर है। नदीके दूसरे किनारे रुके हुए अपने साथियोंको तीरसे खाना भेजनेकी उनकी कुशलता या पानीको ऊँची जगह पर रोककर उसके दबावके सिद्धान्तका उपयोग करके किसी भी प्रकारकी चिनाईके बिना बड़े विस्तार में पानी पहुँचाना इन बातोंसे उनकी कला और बुद्धिकौशलका अच्छा परिचय होता है। उनमें जिसे हम उद्योग कहते हैं ऐसे उद्योग नहीं हैं। वे उद्योगों पर ही निभनेवाले लोग नहीं हैं, परन्तु अपनी अधिकांश जरूरतें वे स्वयं पूरी कर लेते हैं इतनी कुशलता उनमें होती है।

उनकी मुख्य खुराक मक्का और उड़द है। भोजनमें घी, दूध नहीं होते, परन्तु छाछका उपयोग काफी होता है। तरकारी अपने आंगनमें बोकर उसका उपयोग करते हैं। प्याज और मिर्च अधिक उपयोगमें लेते हैं। चायका प्रमाण तेजीसे बढ़ने लगा है। शराबका उपयोग शराबबंदीके कारण पहलेकी अपेक्षा बहुत कम हो रहा है लेकिन बिलकुल बन्द नहीं हुआ। शराबका स्थान अब कई जगह चायने ले लिया है। वे मांसाहार करते हैं, परन्तु त्यौहारों पर। उसका निषेध नहीं। सालके अंतमें अनाजकी तंगी होती है तब जंगलसे बीनकर लाये हुए फलफूल या कंद पर निर्वाह करते हैं। गायका मांस खाना भी बाध नहीं है। कुछ तो मरे हुए चौपायोंका मांस भी खाते हैं। मुर्गा या मुर्गी खाना स्त्रियोंके लिए निषेध है। वे अगर उसे खाती हैं तो उन्हें डायिन होना पड़ेगा ऐसा मानते हैं।

उनकी बसनेकी पद्धति अपने अपने खेत पर अलग अलग झोंपड़ी बाँधकर रहना है; एक जगह गाँवके रूपमें समूहमें बसनेकी पद्धति नहीं है। अब वे १०-१५ के समूहमें बसने लगे हैं जो फलिया कहलाता है। इस तरह अलग अलग बसनेके कारण गाँव जैसी चीज शायद ही देखनेको मिलती है और वे एक बड़े विस्तारमें फैले हुए होते हैं। फिर भी उनकी दृष्टिमें वह गाँव है क्योंकि उनका सामाजिक व्यवहार इसी तरह बना हुआ होता है। हरएक गाँवमें एक मुखिया होता है जिसे पटेल कहते हैं। गाँवमें एकसे अधिक फलिये हों तो प्रत्येक फलियेवार एक पटेल होता है। गाँवके लोगोंको प्रसंगोपात्त इकट्ठा करनेके लिए सूचना पहुँचानेके लिए कोटवाल होता है। उनके जातिपंच उनके सामाजिक तथा आर्थिक व्यवहारों पर कड़ा नियमन रखते हैं।

उनकी झोंपड़ियाँ बाँस, बल्ली और कमानोंकी बनी होती हैं, जिन्हें वे स्वयं अथवा रिश्तेदारोंकी मददसे बनाते हैं। मवेशियोंके लिए घरके सामने एक बाड़ा बनाते हैं और पासमें तीन चार फुट ऊंची लकड़ीकी घडौंची पर दो चार मटके रखकर पनसाल बनाते हैं। घरमें सामान्यतया मिट्टीके और अब थोड़े बहुत प्रमाणमें कांसे या पीत्तलके बरतन काममें लिये जाते हैं। अनाज भरनेके लिए मिट्टीकी या बाँसकी कोठियोंका उपयोग करते हैं।

शादीकी दो रस्में हैं। एकमें माँ बाप स्वयं पसंद करके शादी करते हैं, दूसरेमें लड़का लड़की एक दूसरेको खुद पसंद कर लेते हैं। पहली रीतमें परंपराके अनुसार शादी होती है जो दूसरी रीतकी अपेक्षा ज्यादा खर्चीली होती है। बालविवाहका रिवाज

नहीं है। घरजवाँई, पुनर्विवाह, विधवाविवाह, करावा, प्रेमशादी इत्यादि रिवाज प्रचलित हैं। शादी एक ही कुलमें आपसमें नहीं हो सकती। सगाईके लिए मँगनी वरपक्षकी तरफसे की जाती है। कन्याके माँ-बाप माँग नहीं करते। सगाई निश्चित करते समय वरपक्षके लिए कन्यापक्षको दहेज देना आवश्यक है। विधिपूर्वक शादीमें अनेक विधियाँ करायी जाती हैं, परन्तु इन विधियोंको करानेके लिए ब्राह्मणका काम नहीं पड़ता। सामान्यतया उनमें रावल कहलानेवाले लोग ये विधियाँ कराते हैं, लेकिन कोई भी अनुभवी भील भी करा सकता है। भागकर विवाह करनेकी प्रथाको 'उदाळी जवुं' या "गीही जवुं" कहते हैं। ऐसी शादियोंमें वरपक्षकी तरफसे कन्या-पक्षको नेगकी रकम चुका देने पर लग्न प्रमाणित माना जाता है। घरजवाँई रखनेकी प्रथा भी है। जिस लड़केके माँबाप दहेज नहीं दे सकते हैं वह इस तरह घरजवाँई रहता है और कुछ वर्ष तक अपने ससुरके घर रहकर उसके कामकाजमें मदद करता है।

मृत्युके बाद अग्निसंस्कार किया जाता है। छोटे बच्चोंको दफनाते हैं। सामान्य रूपसे मृत्युके बाद तुरंत श्राद्धविधि नहीं की जाती लेकिन कुछ निश्चित समयके अंदर जितनी मृत्यु हैं होती हैं उन सबका इकट्ठा श्राद्ध करनेके लिए भोज किया जाता है। जिसे "कायटुं" (करट) अथवा "परजण" कहते हैं। धनी ऐसा भोज मृत्युके बाद बारहवेंको करते हैं। अगर कुटुंबके महत्त्वपूर्ण व्यक्तिकी मृत्यु हुई है तो उसका स्मृतिस्तंभ खड़ा करनेका रिवाज है। मृत्युके बाद एक-दो वर्ष बाद ऐसे स्मृतिस्तंभ विधिपूर्वक निश्चित स्थानमें बनाये जाते हैं।

मारण-जारण और भूत-प्रेतमें वे खूब मानते हैं। बीमारीमें प्रथम आश्रय भगतका लिया जाता है। उससे अगर ठीक नहीं हुआ तभी वे दवा-दारूका उपयोग करते हैं। वे कालका, ओखा, झांपडी, सुदाई, घोडाजो, बाराबीज, इंदराज, सिमारीओ देव, वाघदेव, कचुंभर देव इत्यादि अनेक देवदेवियोंको मानते हैं। उनके देवोंके लिए कोई मंदिर नहीं बनाया जाता, लेकिन गाँवकी सीवानमें या किसी पेड़के नीचे देवकी स्थापना की जाती है। देवकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती परन्तु सामान्य पत्थर या लकड़ीके टुकड़ेकी पूजाविधि करके देव बनाया जाता है। मनौतीके लिए देवको मिट्टीके घोड़े चढ़ानेका रिवाज है। अपने वीर पूर्वजोंकी स्मृतिमें स्मृतिस्तंभ खड़े करते हैं। उनकी पूजा नहीं की जाती । नरका चौदसको वहाँ मुर्गे कुक्कुड़का भोग देते हैं। इसके अलावा वे हिन्दू देवदेवियोंको भी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी मूल आस्था तो अब भी उनके देवदेवियोंमें ही है।

उनमें तीन व्यक्तियोंका अधिक आदर किया जाता है: (१) भगत या बडवो (२) रावल और (३) ढोली। भगत उन्हें अनहोनीमें सहाय करते हैं। रावल उनके पुजारीका काम करता है और ढोली उनका भाट या चारणका काम करता है।

उनके जीवनमें त्यौहारों और उत्सवोंका महत्त्व बहुत है। उत्सवके समय वे मस्तीसे आनन्द लूटते हैं। उनके मुख्य त्यौहार होली, दशहरा, दिवाली, अखातीज, दिवासो, पिठोरो, आंबली ग्यारस, जन्माष्टमी और गोल गधेडो हैं। उनमें होली उनका सबसे बड़ा त्यौहार है। इन त्योहारोंमें अच्छे कपड़े पहनकर घूमना, अच्छा अच्छा खाना और शराब पीना तथा सारी रात नाचना आदि मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। इन त्योहारों पर बड़े बड़े मेले जगह जगह पर लगते हैं जिनमें हजारोंकी तादादमें भील इकट्ठे होकर उत्सव मनाते हैं। नृत्य उनके जीवनका महत्त्वपूर्ण अंग है, जिसमें छोटे बड़े, स्त्री-पुरुष, सब भाग लेते हैं; और अनेक प्रसंगों पर त्योहार मुख्यतः नाचकर मनाये जाते हैं। नंगी तलवार लेकर उनका नाचना उनकी नृत्यकलाका उत्कृष्ट नमूना है।

२. दुबला

भीलके बाद संख्याकी दृष्टिसे आदिवासी जातियोंमें दुबलाका नंबर आता है। दुबला खास करके सुरत जिलेमें बसे हुए हैं। उनकी कुछ आबादी भरूच और बड़ौदा जिलोंमें भी है। सब दुबले मैदानोंमें तथा उच्च वर्णोंके साथ रहते हैं।

दुबलाका शब्दार्थ "कमजोर" होता है, परन्तु वे शरीरसे कमजोर नहीं होते। उनके शरीरकी गठन यों तो सशक्त होती है और वे अपनेको राजपूत कहते हैं तथा राठोड़ राजपूतोंकी वे संतान हैं यह उनका दावा है। तो फिर वे दुबला क्यों कहलाये होंगे यह प्रश्न स्वाभाविक रूपसे उठता है। उसका जवाब यह हो सकता है कि अपने पाँव पर खड़े रहनेके लिए असमर्थ होनेसे वे दुर्बल या दुबला कहलाये। वे अपने निर्वाहके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मालिक (धणियामा) पर ही आधार रखते आये हैं। आदिवासी जातियोंमें जो कुछ जातियाँ गुलामीकी हालतमें हैं उनमें एक दुबला जाति भी है। साहूकारसे लिये हुए कुछ मँगनीके पैसोंके बदलेमें हमेशा उसके घर चाकर रहना उसने स्वीकार किया। इतना ही नहीं यह गुलामी उसने अपने वंशजोंको भी विरसेमें दी। उसके पास जमीन नहीं, और उसे कुछ जानकारी नहीं इस लिए खास करके खेतमजदूरी पर आधार रखनेवाली यह जाति सहज ही इस गुलामीकी प्रथाका शिकार हो गई।

उच्चवर्णोंके हलवाहोंके रूपमें मुख्यतया काम करते हैं इसलिए वे 'हाळी', 'हळपति' कहलाते हैं। निजी जमीन झोंपड़ी बाँधनेके लिए भी न होनेके कारण, उन्हें कानूनसे गुलामीसे मुक्त करने पर भी वे गुलामीसे नहीं छूट सके। इसलिए हम देखते हैं कि १९६१ की जनगणनानुसार भी ७३ प्रतिशत दुबले केवल खेत मजदूरी पर आधार रखते हैं और दूसरे १० प्रतिशत नौकरी पर आधार रखते हैं। वे भी महद् अंशमें शहरोंमें और कस्बोंमें घरकामकी नौकरी करते हैं। सिर्फ ७.४५ प्रतिशत दुबले ही खेती पर अपना निर्वाह करते हैं।

दुबले अधिकांश उच्चवर्णोंके घर पीढ़ी-दर-पीढ़ी हलवाहे या घरका काम करते हैं इसलिए वे उच्च वर्णोंसे काफी प्रभावित हुए हैं। शारीरिक दृष्टिसे भी उनमें मिश्र लहू काफी मात्रामें मालूम हुआ है, यह हम पहले देख चुके हैं। उनकी भाषा, उनका

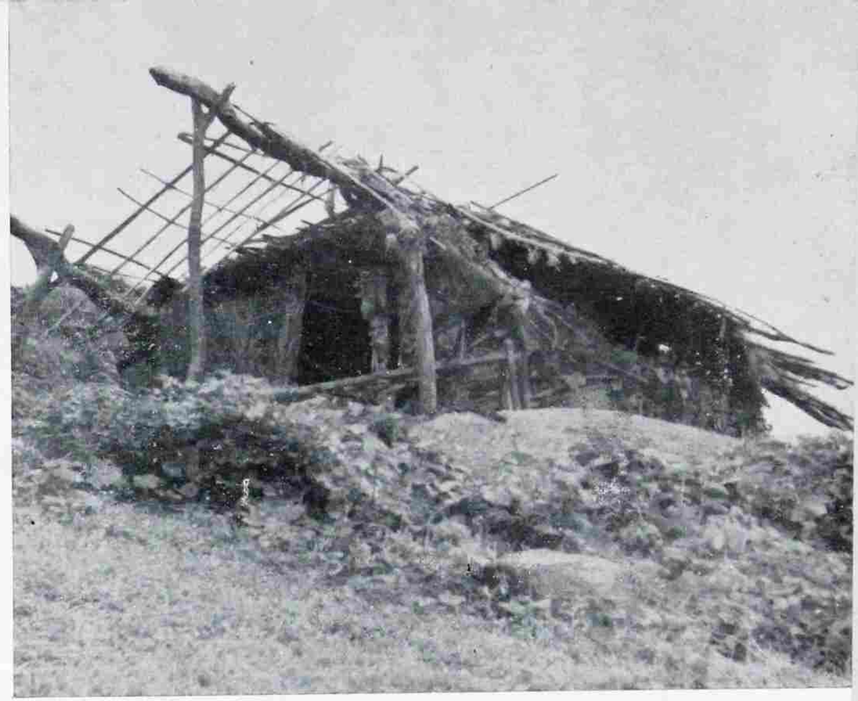

भीलकी झोंपड़ी

वारलीकी झोंपड़ी

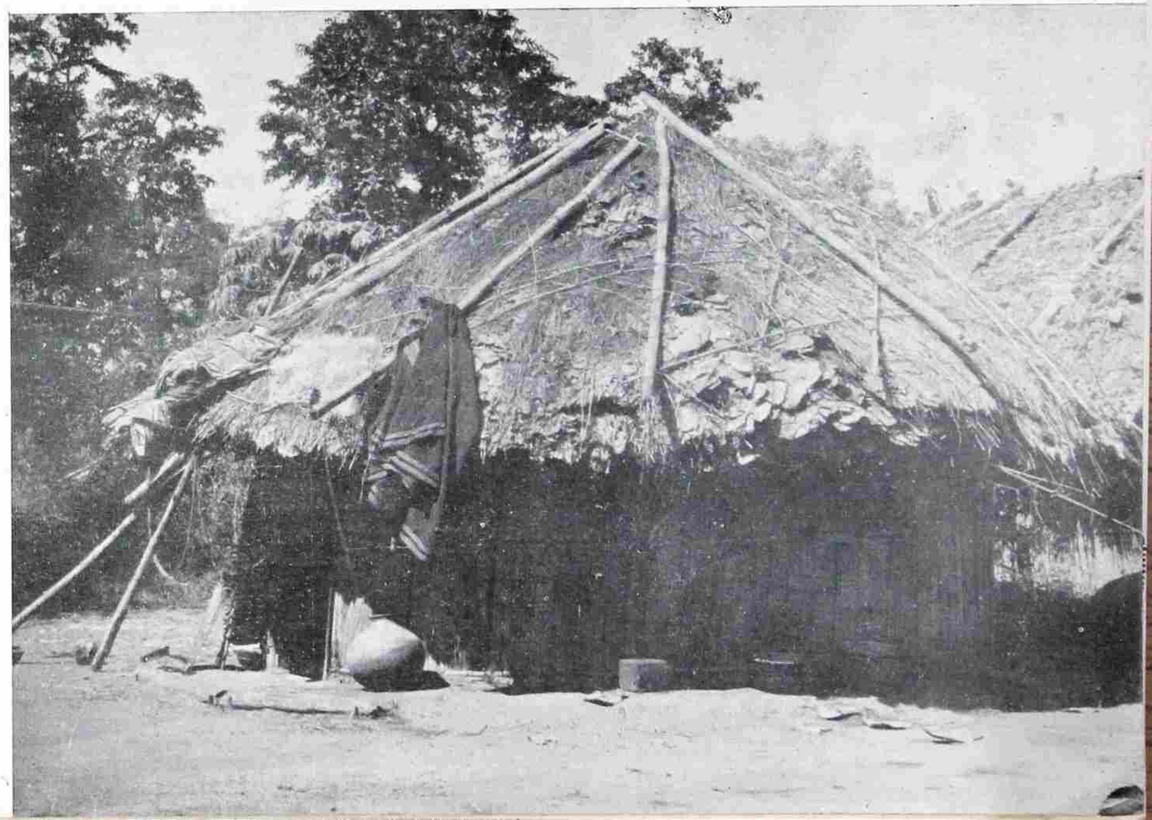

कोटवाळियाकी झोंपड़ी

पढारकी झोंपड़ी

पहनावा, उनके रीतिरिवाज, इन सब पर उच्चवर्णोंका असर दिखाई देता है। उनका निवास भी उच्चवर्णोंके साथ होनेसे वे उनके जीवनका एक अविभाज्य अंग जैसे बन गये हैं। उच्चवर्णसे अलग दुबलेकी कल्पना करना ही मुश्किल है। इसलिए ही उन्हें उच्च-वर्णोंकी गुलामीसे छुड़ानेका काम कठिन है। घर बनानेके लिए जमीनका एक टुकड़ा उन्हें दिया जाये और मकान बनानेका माल सामान दिया जाये तो उन्हें वंशपरंपराकी गुलामीसे जल्दी छुड़ा सकेंगे यह महसूस होनेसे उनके लिए इस बारेमें बड़े पैमाने पर योजनाएँ बनाई जा रही हैं। यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम द्वारा उन्हें उनके स्वतंत्र नागरिकत्वके सभी अधिकार दिलवा सकेंगे और उनके विकासके बारेमें अन्य कार्यक्रम भी शुरू कर सकेंगे।

उनमें कुल करीब २० के उपजातियां हैं जिनमें मुख्य तीन उपजातियाँ (१) तलाविया (२) बोहरिया और (३) खारचा हैं। उनकी कुछ उपजातियाँ अपने अपने स्थलके नामसे पहचानी जाती हैं जैसे कि दमणिया, मांडविया, वलसाडिया, ओलपाडिया। उनमें तलाविये सबसे ऊँचे और शुद्ध कहलाते हैं। जो तालाबके किनारे मरणोत्तर क्रिया करनेका रिवाज मानते हैं वे तलाविये कहलाते हैं। वोहरिये बोहरोंके घर नौकरी करनेके कारण कहलाये। खारचे सबसे नीचे माने जाते हैं। उपजातियोंमें शादी -संबंध नहीं होते और रोटीका संबंध भी बहुत मामूली है। राजपूत, कणबी, काछिया, कोली आदि हिन्दू जातियोंको और धोडियाओंको वे अपनेसे ऊँचे मानते हैं और किसी भी प्रकारकी विधिके बिना उन्हें अपनी जातिमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन कोंकणा, नायकडा और चौधरी को अपनेसे नीचे मानकर उनमेंसे अगर किसीको उनकी जातिमें मिल जाना हो तो सारी जातिको एक जून भोज देने और शराब पिलानेकी शर्त पर शामिल करते हैं।

उनकी पोशाक उच्चवर्णोंके हिन्दू जैसी होती है। पुरुष धोती, कमीज और टोपी पहनते हैं। स्त्रियाँ कछोटा लगाकर साड़ी और कंचुली पहनती हैं। वे आभूषण-प्रिय हैं और हाथमें चूड़ी, गलेमें कीड़ियोंका हार, कानकीलोमें चौकड़ी आकारका गहना और पैरोंमें कड़े पहनती हैं।

दुबलोंकी अपनी अलग बोली नहीं है। वे गुजराती भाषाका ही उपयोग करते हैं और इसलिए उनका संपूर्ण लोकसाहित्य भी गुजराती भाषामें ही है।

यह जानकर हमें आश्चर्य होगा कि सौ साल पहले गुजराती समाचारपत्र, छापेखाने शुरू करनेवाले पारसी लोग अपने दुबला हलवाहोंको बम्बई ले गये थे। वे उनसे दिनमें गाड़ी हाँकनेका और रातको छापेखानोंमें कंपोजिगका काम कराते थे।

एक जून उनका खाना अपने मालिक (धणियामा) के घर होनेसे एक बार वे ज्वारकी रोटी और दालभात खाते हैं और दूसरी बार ज्वारकी महेरी छाँछ या मिर्चके साथ खाते हैं। मांसाहार मिलने पर वे खा लेते हैं। वे मुर्गों, बकरों, भेड़ों और खरगोशोंका मांस सामान्यतः खाते हैं। वे पाटलागोह और साहीके शिकारके बड़े शौकीन हैं। इसलिए वे ज्यों ही उन्हें देखते हैं उनका शिकार करना वे नहीं चूकते।

गायको वे पवित्र मानते हैं और इसलिए उसका मांस खाना निषेध मानते हैं। शराबका उपयोग वे खूब करते हैं। यद्यपि शराब-बंदीकी वजहसे उसका प्रमाण अब कम होता जा रहा है।

उनका निवास धणियामेकी जमीन पर ही होता है। हलवाहों या घरकामके लिए उनकी बार बार जरूरत पड़नेसे घर बनानेके लिए उन्हें जमीन गाँवके पास ही सामान्यतया अलग दे दी जाती है जहाँ वे अपनी झोंपड़ी बना लेते हैं। इस झोंपड़ीकी दीवारें कपास या अरहरकी छड़ियोंकी होती हैं, छप्पर घाससे बनाते हैं और फर्श जमीनसे सटकर होती है। नक़द रकम उनके हाथमें शायद ही आती है इसलिए उसके घरमें कुछ भी परिवर्तन होनेकी बहुत कम संभावना होती है।

उनमें माँ बाप शादी तय करते हैं। लड़केके मां बाप लड़कीके घर जाकर शादी तय कर आते हैं और दहेजकी रकम तय करते हैं। शादीमें अनेक विधियाँ की जाती हैं। उनमें बहुतसी विधियाँ हिन्दुओं जैसी ही होती हैं। उदाहरणके रूपमें गृहशांति करना, हल्दी-उबटन, चौरी बाँधना, फेरे होना, ब्राह्मणके पास मूहूर्त निकलवाना इत्यादि। इसके अलावा इन विधियोंको करानेके लिए ब्राह्मण बुलाया जाता है। दुबलोंमें ऐसी मान्यता प्रचलित है कि अपरिणीत रहना कलंक है। इसलिए वे किसी न किसी तरह अपने बाल-बच्चोंकी शादी करते हैं। इस वजहसे बालविवाह भी होते हैं। घरजवाँई, करावा, पुनर्विवाह और तलाकके रिवाज भी उनमें हैं। स्वकुलमें शादीका निषेध है।

मृत्युके बाद अग्निदाह करते या दफनाते हैं। आर्थिक स्थितिका इसमें बहुत हाथ रहता है ऐसा मालूम पड़ता है। जलानेके लिए जरूरी जलावनके अभावमें वे मृतदेहको दफनाते हैं, नहीं तो सामान्यतया वे जलाते हैं। बारहवें दिन वे बारहवाँ खिलाते हैं। दिवालीके दिन वे स्मशानमें जाकर मृतात्माओंकी शांतिके लिए पूजा करते हैं। अपने पूर्वजोंकी यादमें स्मृतिस्तंभ बनानेका उनमें रिवाज है। ऐसे स्मृतिस्तंभोंको वे 'खतरा' कहते हैं। हर साल चैत या माहमें श्राद्ध करते हैं। यह विधि करनेके लिए जांगीयोके नामसे पहिचाने जानेवाले भगतको बुलाते हैं और उसके पास संपूर्ण विधि कराते हैं।

प्रत्येक गांवमें एक ज्ञातिपटेल मुकर्रर किया जाता है। इसे मदद करनेके लिए एक अवलदार भी होता है। प्रत्येक फलियाके लिए पंचके सभ्य नियुक्त किए जाते हैं। पटेल, अवलदार और पंचके सभ्य मिलाकर ग्रामपंचायत बनती है जो अपने सब सामाजिक झगड़े निपटाती है। गांवकी समस्याएँ ग्राम पंचायत हल करती है। लेकिन पूरे समाजसे संबंधित प्रश्नों पर विचार करनेके लिए बारह गाँवोंका चौरा होता है जिसमें सब गाँवोंकी पंचायतें इकट्ठी होती हैं और विवादास्पद प्रश्न पर विचार करके उसका हल ढूंढ़ते हैं।

वे देवदेवियोंमें मानते हैं। उनके मुख्य देवतागण काकाबलिया, शिकोतरी, मेलडी और जोगण हैं। अच्छे-बुरे प्रसंगोंमें इन देवोंकी शरण जाते हैं अथवा उनका भगत उसमें उनकी मदद करता है। नवरात्रके उत्सवके समय इन देवोंको बकरों और भेड़ोंकी बलि दी जाती है। वे हनुमानको भी मानते हैं। उनके मुख्य त्योहारोंमें होली, नवरात्र, दिवासो, दिवाली और रक्षाबंधन हैं। उनमेंसे दिवासोको वे खास मनाते हैं और तब गुड़ियाँ बनाकर उनकी शादी की जाती हैं। नवरात्रके दिन वे फगुहारे बनकर नाचते हैं। उस समय वे चित्रविचित्र पोशाक पहनकर नाचते-नाचते गाँव-गाँव घूमते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं। उनका यह "घेर" नृत्य बहुत लोकप्रिय है। वे नृत्यके और भी कुछ प्रकार करते हैं जिनमें 'घोई चालो", "ईडा चालो" और "मरघी चालो" मशहूर हैं। नृत्यके अलग अलग प्रकारको "चाला" कहते हैं।

३. धोडिया

आदिवासी जातियोंमें आबादीकी दृष्टिसे तीसरा नंबर धोडियोंका है। वे मुख्यतः सुरत जिलेमें हैं। दुबलोंकी तरह वे भी सामान्यतया मैदानोंमें रहते हैं, जंगलविस्तार या टेकरियोंमें नहीं। धोडिया शब्दकी उत्पत्ति खेतीसे संबंधित है और उनका आधार खेती पर होनेसे उनका यह नाम पड़ा है ऐसा माना जाता है। धूलिया जिलेमें रहनेवाले धुडिया-धोडिया ऐसा भी कहा जाता है और वे धूलियासे आकर यहाँ बसे हैं ऐसा माना जाता है। धूलिया जिलेमें भी धोडियोंकी आबादी है। उस परसे इस मान्यताको समर्थन मिलता है। दूसरी एक मान्यताके अनुसार वे धनसिंह और रूपसिंह नामक दो राजपूत सरदारोंके वंशज हैं। मुसलमान राजाओंके आक्रमणसे बचनेके लिए वे मालेगाम-धुलियासे वापीकी तरफ़के विस्तारमें भाग आये और वहाँ बस गये हों यह भी माना जाता है। उनके गीतोंमें वापीका उल्लेख पाया जाता है।

वे अपनेको भील, चौधरी, दुबला, नायक जैसी दूसरी जातियोंसे ऊँचे समझते हैं और इसलिए वे उनके हाथका नहीं खाते जबकि चौधरीको सिवा और सब जातियोंके लोग धोडियाके हाथका खाते हैं। उनमें उपजातियाँ नहीं है लेकिन कुल होते हैं। इन कुलोंके नामों परसे ऐसा मालूम होता है कि उनसे ऊँची जातियों या ज्ञातियोंके साथ वे संबंध रखते होंगे और उन्हें अपनी जातिमें मिला लेते होंगे। उदाहरणके तौर पर कुछ कुलोंके नाम भट, भोई, ब्राह्मणिया, देसाई, गरासिया, जोषी, कणबी, परभु, वाणिया इत्यादि हैं। कुलके दरजेका आधार वे कितने गाँवोंमें हैं इस पर है। स्वकुलमें शादीका निषेध है।

पुरुषका पहिनावा धोती, पाजामा, क़मीज़, या कफ़नी और साफा या टोपी होता है। स्त्रियाँ पहले लाल रंगकी साड़ी पहनती थी। आजकल काली रेखाओंवाला चने-चौकड़ी और दो गोटी या चार गोटीका कपड़ा पहनती हैं जो कच्छकी तरह घूँटन तक नीचे पहना जाता है और ऊपर कमरसे छाती पर लेकर माथे पर ओढा जाता है। खेतीकामके कारण वे अधिकतर आधा कपड़ा पहनती हैं जो "नीहणु" कहलाता है। नीहणेके साथ-साथ "टोहपो" अवश्य बाँधती हैं। घाघराका उपयोग वे नहीं करतीं। इसके अलावा कंचुली पहनी जाती है। स्त्रियाँ औरोंकी तरह कांसेके वज़नदार (क़रीब ६ से ८ किलो) आभूषण, कड़े अब नहीं पहनतीं, फिर भी गहनोंका उनका शौक़ बिलकुल गया नहीं है। पाँवोंमें साँकड़े, बाँहोंमें चाँदीके कड़े, कानोंमें एरिंग या बाली, ऊँगलियोंमें अंगूठियाँ, गलेमें रंगीन मनकोंकी मालाएँ, रुपयों, चवन्नियों आदिसे बने हार पहनती हैं।

उनकी स्वतंत्र धोडिया बोली है, जिसमें गुजरातीकी अपेक्षा मराठीका असर अधिक दिखाई देता है। इससे भी यह मालूम होता है कि वे महाराष्ट्रसे आये होंगे।

उनका मुख्य व्यवसाय खेती है और बहुतसे अपनी खेती करते हैं। कुछ लोग भाग-बटाईसे खेती करते थे वे भी अब 'जो जोते उसकी ज़मीन'के कानूनके मुताबिक जमीनमालिक हो गये हैं।

इसके अलावा शिक्षा पाना उन्होंने आदिवासी जातियोंमें सबसे पहले शुरू करनेसे उनमें शिक्षितोंका प्रमाण अधिक है और शिक्षककी नौकरी बड़ी संख्यामें धोडिया युवक करने लगे हैं। सुरत ज़िलेके गाँव-गाँव धोडिया जातिके स्त्री-पुरुष प्राथमिक शालाके शिक्षकके तौर पर नौकरी करते पाये जाते हैं। उच्च वर्णोंकी स्पर्धा करनेके कारण अब धोडियाओंको उनके पहिनावे परसे या रहन-सहनसे पहचानना मुश्किल है।

खुराक भी उच्च वर्ण जैसी ही वे लेने लगे हैं। इसके अलावा मांसाहार भी वे करते हैं। मांसाहारमें मुर्गे, बकरे, भेड़ें, हिरन, गिलहरी और मछली खाते हैं। शराब पीते हैं। उनकी ग्राम-रचना पर भी उच्च वर्णोंका असर पड़ने लगा है और इसलिए बिलकुल अलग अलग रहनेके बदले वे अब फलिये बनाकर रहने लगे हैं। घर बाँसकी खपच्चियोंकी दीवारवाला, छप्पर देसी खपरैलोंका और आजकल मेंगलोरी खपरैलोंका होता है। मवेशी घरमें ही बाँधते हैं। घर बनाते समय अब पूजाविधि करने लगे हैं। घरके सामानमें अब धातुके बर्तन और फर्निचर भी दाखिल होने लगे हैं।

जातिपंच उनके सामाजिक व्यवहारोंका नियमन करते हैं। हरएक गाँवमें नायक, कारभारी और प्रत्येक फलिया पंचके सभ्योंसे बना हुआ जातिपंच होता है। नायक हर गाँवमें एक ही कुटुम्बमें पैतृक हक़से होता है। नायकको मान दिया जाता है परंतु अधिकतर झगड़े सामाजिक प्रसंगों पर इकट्ठी हुई समस्त जातिके सामने रखे जाते हैं और वह उनका निपटारा करती है।

शादी सामान्यतया माँबाप तय करते हैं, परंतु लड़का-लड़की स्वयं भी तय कर सकते हैं। जो आदमी शादी निश्चित करता है उसे "वहटालियो" कहते हैं। वरका बाप वहटालियाके साथ लड़कीके बापके घर मँगनीके लिए जाता है। वरके बापको दहेज देना लड़कीके बापके लिए आवश्यक होता है। पहले कन्या वरके घर शादीके लिये जाये ऐसा रिवाज था। अब वर कन्याके घर

भील गरासिया स्त्रियाँ

गामीत वृद्धा

डांगी भील राजा

डुंगरी भील युवती

चौधरी माता पुत्र

डांगी भील पुरुष और स्त्री

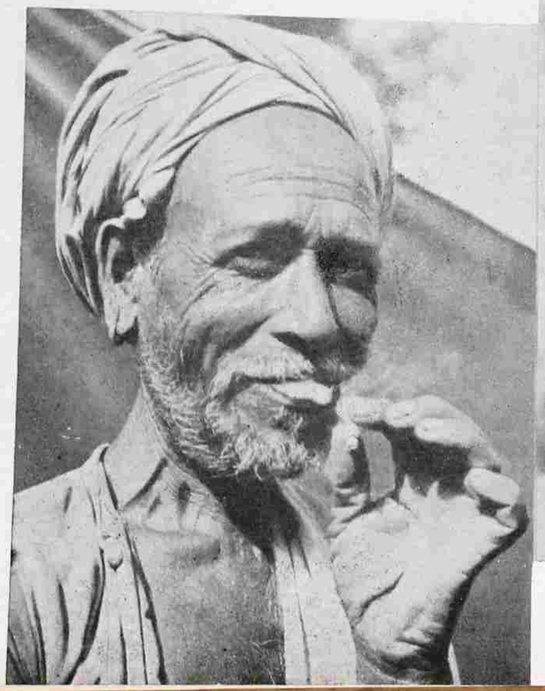

चौधरी और गामीत
पुरुष

डुंगरी भील युवान

डुंगरी भील बालक

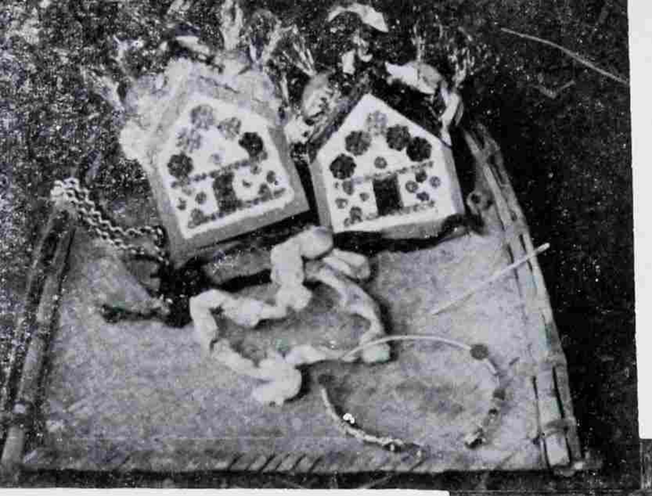

वारली ब्याहकी भेंट

पंचमहालके भील

नृत्य

डांगके आदिवासी

शादी करने जाता है। विवाह सामान्यतया गुरुवारको किये जाते हैं। विवाहमें बहुत विधियाँ की जाती हैं। इन विधियोंके लिए पहले वे ब्राह्मणको नहीं बुलाते थे, परंतु नायक जातिके भगतको बुलाते थे। यह रिवाज उनका नायक जातिसे संबंध बताता है। अब ब्राह्मणको बुलानेकी प्रथा शुरू हुई है। इसी तरह विवाहमें तलवार-का उपयोग और विवाहके बाद माता भवानीके दर्शन करने जानेका रिवाज राजपूतोंके साथ उनका संबंध दिखाता है। पहले बाल-विवाह किये जाते थे, अब वह रिवाज हट गया है। घरजँवाई, पुर्नविवाह, करावा और तलाक़ इत्यादिके रिवाज हैं। मृतोंको जलाया जाता है। शव स्मशानमें ढोल-तासे बजाते-बजाते ले जानेका रिवाज है। पति मर जाता है तो पत्नी अपने सब गहने उसकी चितामें डाल देती है और पत्नी मर जाती है तो पति अपना एक मूल्य-वान गहना चितामें डाल देता है।

मृत्युके बाद दसवें या पन्द्रहवें दिन भोज देनेका रिवाज है। तीन चार सालके बाद कुलमें जितने व्यक्ति मर गये होते हैं उन सबका एक साथ तर्पण या परजण किया जाता है। परजणकी विधि भी पहले नायक भगत कराता था। अब शादीमें और परजणमें ब्राह्मण बुलानेका रिवाज चल पड़ा है।

वे देवदेवियोंमें मानते हैं, बीमारी-शीमारीमें देवदेवियोंकी मनौती मानते हैं और भगतका आसरा लेते हैं। उनके मुख्य देव लीमाड़ी, गोहलीमाडी, देवशामळो, काळो काकर, भरमदेव, नारणदेव, चोसठ जोगणीमाता, शीतळामाता, अगासी माता इत्यादि हैं। रूडवेल (ता. चीखली) गाँव स्थित देवशामराके थानककी यात्राको जानेका रिवाज है। पूर्वजोंकी यादमें खतरां (स्मृतिस्तंभ) बनानेका रिवाज है। उसमें वे एकाध छोटे पत्थरको सिन्दुरकी बिन्दी करके गाँवके सीवानमें निश्चित जगह पर रखते हैं।

दिवासो, बाघबारस, दिवाली और होली ये उनके मुख्य त्योहार हैं। उनके त्योहार मनानेमें गाना-नाचना मुख्य होता है। आठ-दस प्रकारमें 'विभक्त शोर्यपूर्ण' उनका नृत्यप्रकार मशहूर है।

४. चौधरी

चौधरियोंकी आबादी मुख्यतया सुरत जिलेमें है। वे मूल पावा-गढ़से आये होंगे ऐसा माना जाता है। वे अपने-आपको राजपूत वंशके बताते हैं और उनका कहना है कि राजपूत राजाओंके समय वे पालकी ढोनेवालोंके रूपमें काम करते थे। मुसलमान राजाओंके पावागढ़ सर करनेके बाद वे दक्षिण गुजरातकी ओर भाग गये ऐसा कहा जाता है। परंतु उनके रिवाजोंमें वे राजपूत वंशके हों ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता।

उनमें तीन मुख्य उपजातियाँ हैं: (१) पावागढ़िया (२) टाकरिया (३) वलवाई। उनमें पावागढिये सबसे ऊंचे माने जाते हैं। पावागढ़ियोंके हाथका दूसरे खाते हैं, परन्तु वे दूसरी उपजाति-वालोंके हाथका नहीं खाते।

चौधरी भील, कोंकणा, नायका, गामीत तथा ऐसी दूसरी जातियाँ जो गायका मांस खाती हैं उनसे अपने आपको ऊँचे बताते हैं और इसलिए उनके हाथका खाते नहीं हैं। वे दुबलोंके हाथका खाते हैं।

वे देखनेमें कुछ कुछ गोरे हैं और शरीर उनका मजबूत होता है। चौधरी स्त्रियाँ दूसरी स्त्रियोंकी अपेक्षा अधिक रूपवती होती हैं। वे अपने बाल बड़े सुन्दर ढंगसे बनाती हैं और सिरमें फूल खोसनेकी शौकीन हैं।

पुरुष साफ़ा बांधते हैं और कुरता और धोती पहनते हैं। स्त्रियाँ सिर पर रंगीन टुकड़ा ओढ़ती हैं और चोली और कपड़ा पहनती हैं। स्त्री-पुरुष दोनों गहनोंके शौक़ीन हैं। स्त्रियाँ गलेमें सफ़ेद काँचके मनकोंका हार और चाँदीकी हँसुली, पाँवोंमें कड़े और हाथमें कड़े पहनती हैं। पुरुष चाँदीकी अंगूठी और कानमें बाली पहनते हैं। कुछ लोग हाथमें भी कड़ा पहनते हैं।

उनकी स्वतंत्र चोधरी बोली है।

वे ख़ास करके खेती करते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है वे खेत पर मज़दूरी करते हैं। वे भी धोडियोंकी तरह शिक्षासे अच्छा लाभ उठाकर शिक्षककी नौकरी करने लगे हैं।

उनके भोजनमें सुबह-शाम ज्वारकी महेरी (ढांचलूं) छाँछसे साथ खायी जाती है। इसके साथ ज्वारकी रोटीका उपयोग भी होता है। वे मांसाहार भी करते हैं, लेकिन मरे ढोरका मांस कभी नहीं खाते। इसलिए गायका मांस भी वर्ज्य मानते हैं। शराब भी वे पीते हैं।

सामान्यतया शादी बालिग होने पर होती है। वरका बाप कन्याके बापके पास मँगनी करता है और दहेजकी रक़म देना स्वीकार करता है। शनि, रवि और मंगलके अलावा और किसी भी दिन शादी हो सकती है। शादीकी रस्मोंके लिए ब्राह्मण बुलाया नहीं जाता, लेकिन वरकी सधवा बहन सब विधि कराती है। लग्नके लिए जाते समय वरके कुटुम्बीगण अपने साथ भोजन और शराब भी ले जाते हैं। कन्याके कुटुम्बियोंके ऊपर जिमानेकी जिम्मेवारी नहीं होती। शादीके दिन खतरे(स्मृतिस्तंभ)की और देवलीमाकी पूजा की जाती है। घरजँवाई, पुर्नविवाह, करावा, तलाक़ इत्यादिके रिवाज इनमें हैं।

मरे व्यक्तियोंको जलाया या दफ़नाया जाता है। मरनेवालेको मरनेसे पहले जमीन पर रख दिया जाता है और उसके मुँहमें शराबकी बूँदें डाली जाती हैं। शवको ढोलताशे बजाते स्मशान ले जाते हैं और आग लगानेसे पहले शवके मुँहमें भातका कौर रखा जाता है। अगर कौआ उस कौरको ले जाता है तो उसे अच्छा शगून माना जाता है। मरे व्यक्तिकी आत्माको शांति मिले इसलिए उसके पीछे स्मृतिस्तंभ बनाया जाता है। इस स्मृतिस्तंभ पर मिट्टीका गुम्बद रखा जाता है। अखात्रीज, दिवासो और दिवालीके दिन इस तरह तीन बार वे स्मृतिस्तंभको बलि चढ़ाते हैं।

वे किसी हिंदू देवदेवीकी पूजा नहीं करते। उनमें मुख्य देव-देवियाँ सूरजदेव, धरतीमाता, काकाबळिया, भवानी माता, पाळिया

देव और शिमळिया देव हैं। आम, ताड़, खजूर आदिके वृक्षोंको वे पूजते हैं।

दिवासो, होली और दिवाली उनके मुख्य त्योहार हैं। इन त्योहारोंको वे नाच-गाकर मनाते हैं। डमरूकी आवाज़ सुनते ही उनके पैर थिरक उठते हैं।

कार्यवाहक और पंचके सभ्य मिलकर उनका जातिपंच बनता है जो उनके सामाजिक झगड़ोंको मिटाता है।

५. धानका

उनकी आबादी बड़ौदे ज़िलेके डभोई, संखेडा, नसवाड़ी, तिलकवाड़ा, जांबुघोड़ा और छोटाउदेपुरके विभागोंमें, भरूच ज़िलेके राजपीपला विभागमें और सुरत ज़िलेके निझर और उच्छल तहसीलोंमें है। धानकोंमें प्रचलित एक किंवदन्तीके अनुसार वे मूल पावागढ़के चौहान राजपूत थे। अंबामाँके शापके कारण पावागढ़के पतई राजाका मुहम्मद बेगड़ा द्वारा पतन होने पर उसके सैनिकोंने भागकर जंगलों, घाटियों और खेतोंमें आश्रय लिया और वे धान (घटिया अनाज) पर निर्वाह करने लगे। इसलिए वे धानका कहलाए। इनमेंसे कुछ नर्मदा नदीके किनारे बस गये इसलिए वे तटवी या तड़वी कहलाए। परन्तु उनके कुलोंके नाम और अन्य रीति-रिवाजोंको जाँचनेसे मालूम होता है कि उनमें भीलकी ही एक उपजातिसे हों। उनमें तीन उपजातियाँ हैं: (१) तड़वी (२) वलवी (३) तेतरिया।

इनमें तड़वी अपनेको सबसे ऊँचे मानते हैं। वे विवाहमें ब्राह्मणको बुलाते हैं और जनेऊ पहनते हैं। उपजातियोंमें आपसमें शादी-व्यवहारका निषेध है। भील धानकाओंको अपनेसे नीचा समझते हैं। इसलिए उनके साथ विवाहसंबंध नहीं रखते।

स्त्रियोंकी पोशाक घाघरा और चोली और पुरुषकी पोशाक कमीज़, छोटा लंगोट और पगड़ी है। दूसरे गाँव जाते समय स्त्री साड़ी और पुरुष धोती पहनता है। परिणीत स्त्रियाँ गलेमें चाँदीकी हंसली पहनती हैं जो पतिकी मृत्युके समय या तलाकके समय ही गलेसे निकाली जाती है।

उनकी स्वतंत्र बोली नहीं है। वे गुजराती भाषा ही बोलते हैं।

उनका मुख्य व्यवसाय खेती और खेतमें मज़दूरी है। लकड़ी काटने और जंगलकी उपज इकट्ठा करनेका काम भी वे करते हैं। ज़मीन उनके पास कम है, इसलिए आधों-आध आबादीको केवल मज़दूरी पर आधार रखना पड़ता है। इसलिए उनकी माली हालत खराब है। शिक्षाका प्रमाण भी उनमें कम है। ज्वारकी रोटी और दाल उनकी रोज़ाना खुराक है। मांसाहार भी वे कभी-कभी करते हैं। हिंदूधर्मके असरमें जो आते हैं, वे मांसाहार छोड़ देते हैं।

शादी माँ-बाप तय करते हैं। लड़केके बापको लड़कीके बापके पास माँग करनी पड़ती है और दहेज देना उसे कबूल करना पड़ता है। विवाहविधि गणपतिके पूजनसे शुरू की जाती है। घरजँवाई, पुनर्विवाह, विधवाविवाह, करावा, तलाक़ इत्यादि रिवाज उनमें है। एक ही कुलके रिश्तेदारोंमें शादीसंबंध करनका निषेध है।

मृतदेह जलाने या दफनानेका रिवाज है। आर्थिक स्थितिके अनुसार अनुकूल रीत अपनाते हैं।

वे हिंदू लोगोंके सभी देवोंको पूजते हैं। इसके अलावा हिंगलोक और मेलडीमाताको पूजते हैं और बाधदेव, डुंगरदेव इत्यादिमें भी श्रद्धा रखते हैं।

गाँवके मवेशी और मनुष्योंमें फैलनेवाली बीमारियोंको दूर करनेके लिए 'मेलवाडो' निकालनेकी उनकी प्रथा बहुत रसिक होती है। बीमारीवाला गाँव एक छोटीसी बैलगाड़ी पर लाल कपड़ेवाली एक प्रतिमा तैयार करके घीका दिया जलाकर, श्रीफळ, पैसे इत्यादि उसमें रखकर बीमारीवाले स्थलोंमें उसे घुमाकर दूसरे गाँवके सीवानमें छोड़ आता है। वह गाँव इस रथको अगले गाँव भेज देता है और इस तरह गाँव-गाँव घूमता हुआ वह रथ आखिर पावागढ़के कालिके मंदिर पर पहुँचता है।

६. कुंकणा या कोंकणा

कोंकणाकी आबादी मुख्यतया सुरत ज़िलेमें है। वे मूलमें कोंकण पट्टीसे आये इसलिए कोंकणा कहलाये। उनकी भाषामें, उनकी पोशाकमें कोंकणका असर आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ कोंकणे अपनेको कुनबी कहलाते हैं, लेकिन दोनोंके रिवाज एकसे हैं। कुनबी मानते हैं कि वे मूलमें नासिक या थाना ज़िलेसे आये हैं। कुनबी शब्दका अर्थ यों तो किसान ही होता है, इसलिए खेती करनेवाले कुनबी कहलाये होंगे यह हम मान सकते हैं। महाराष्ट्रमें खेती करनेवाले मराठे कुनबी कहलाते हैं। गुजरातमें हम उन्हें कणबी कहते हैं। इसलिए यह शब्द धंधेका सूचक है यह हम मान सकते हैं। जो कोंकणे बैलोंके अभावमें हाथसे हल चलाते हैं वे हाथोड़िया कहलाये।

वे रंगमें काले, पाँच साढ़े पाँच फूट ऊँचे और चौड़ी नाकवाले हैं। स्त्रियाँ पुरुषोंकी अपेक्षा हलके रंगकी हैं। पुरुषोंके मुँह पर खास बाल नहीं होते। बॉम्बे गेझेटियरके मतसे वे वारलीसे बहुत मिलते-जुलते हैं।

घरमें पुरुषोंकी पोशाक मात्र लंगोट ही होती है। बाहर जाते समय वे बंडी पहनते हैं और साफ़ा बाँधते हैं। स्त्रियाँ घूंटन तक कछोटा मार कर पहने हुए कपड़ेको ओढ़ती हैं जिसका एक छोर वे छातीपर ढँककर सिरपर डालती हैं। घरमें वे चोली नहीं पहनतीं; बाहर जाते समय ही पहनती हैं।

स्त्री-पुरुष दोनों गहनोंके शौक़ीन हैं। पहले वे शंख या सीपोंकी मालाएँ पहनते थे। अब वे कथीर या चाँदीके ज़ेवर पहनते हैं, कौड़ियोंकी मालाएँ भी पहनते हैं। फूलके वे बहुत शौक़ीन होते हैं। स्त्रियाँ बाहर जानेके समय सिरमें तेल डालकर सुन्दर ढंगसे

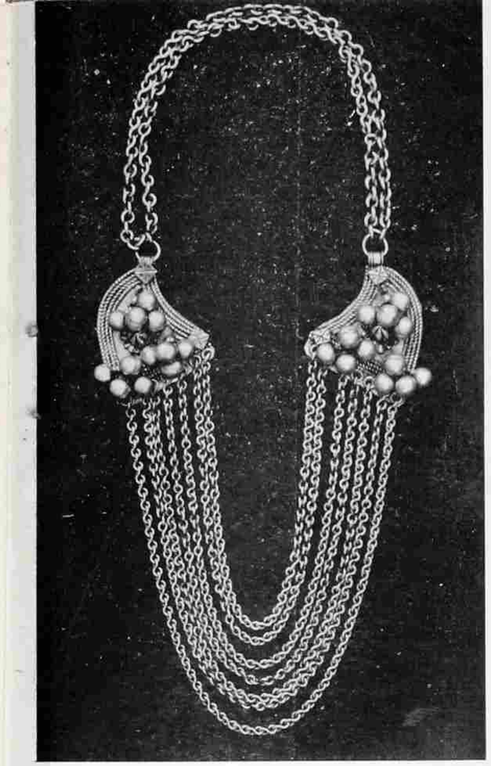

चेरो—गलेमें पहननेका चाँदीका हार

वाडलो—गलेमें पहननेका हँसलीके आकारका दूसरा गहना

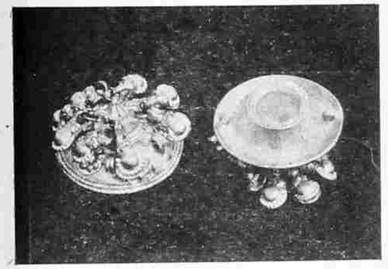

झुमके—कानकी लौ में पहननेका गहना

आदिवासी गहने

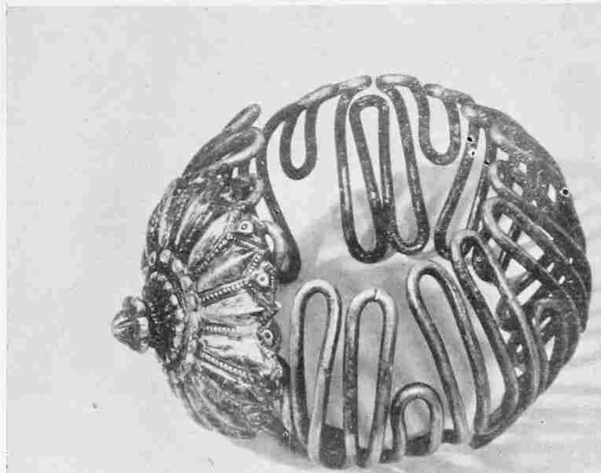

वांक—बाहु पर पहननेका गहना

बावडियुं—बाहु पर पहननेका एक अन्य गहना

वीटला—पगमें पहननेके खोखले कडे

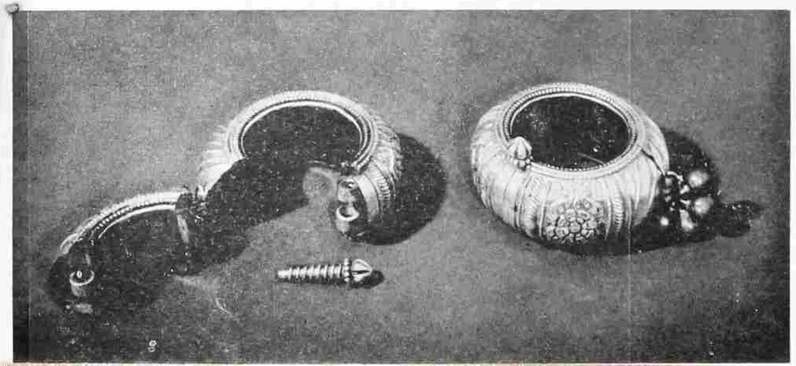

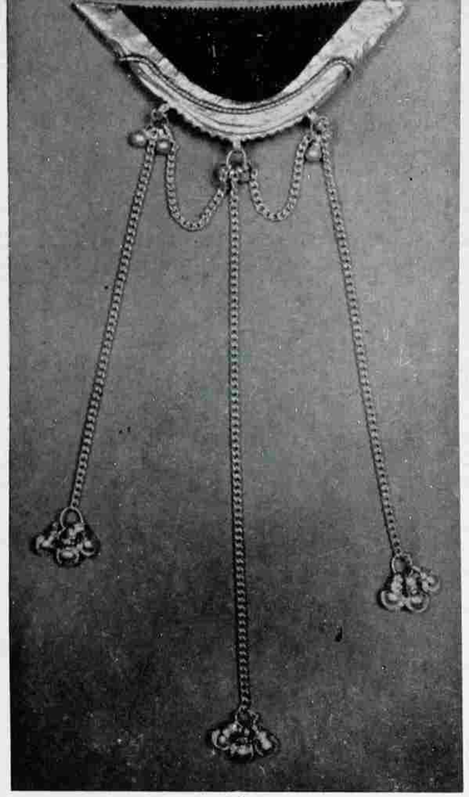

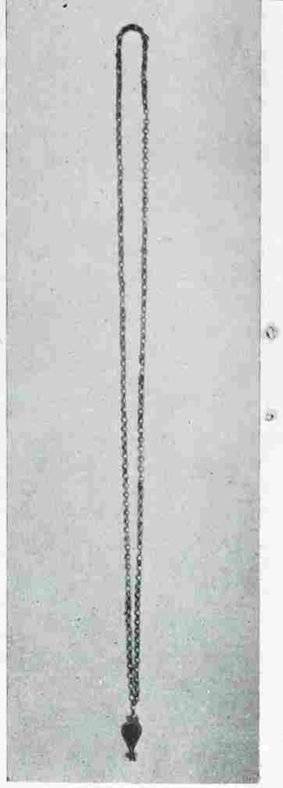

आदिवासी गहने

कंघी

घासकी माला

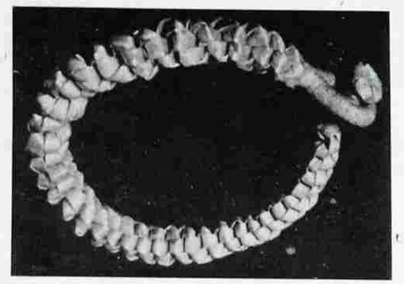

घासकी पहुँची

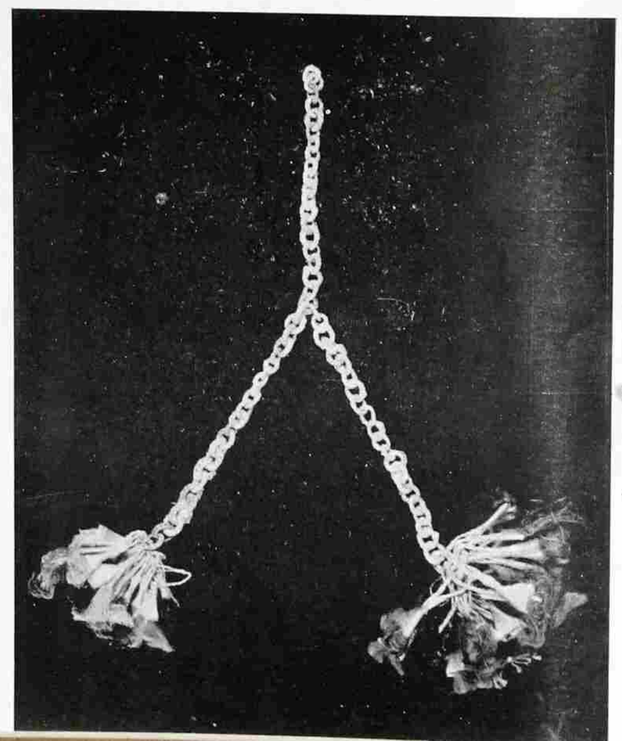

घासके झुमक

बाल बनाकर जूड़ेमें फूल खोंसकर निकलती हैं। स्त्रियाँ तरह-तरहके गोदने गुदवाती हैं। उनकी बोली कोंकणी है, जिसमें मराठीका असर स्पष्ट रूपसे पाया जाता है। संपर्कमें आनेसे गुजरातीका प्रभाव भी दिखाई देता है।

उनके घर शंकू आकारके होते हैं। दीवारें कूटे हुए बाँसकी बनाते हैं। किवाड़ भी बाँसके होते हैं। घरोंकी छतें पलाशके पत्तोंको सीकर बनाते हैं। पत्तों पर घास फैलाकर उसे लकड़ीसे दबा दिया जाता है। झोंपड़ीके पास एकाध मंडप बाँध कर उसमें ढोर रखे जाते हैं। घरमें कोई यदि मर जाए तो तुरत घर बदल लेते हैं यानी चालू झोंपड़ी गिरा देते हैं और नयी झोंपड़ी दूसरी जगह बना लेते हैं। इस विषयमें वे बहुत ही वहमी हैं।

कोंकणेके घरमें जरूरी चीजें होती हैं। खेतीके लिए हल, लकड़ी काटनेके लिए कुल्हाडी और हँसियाँ, झाड़-झंखाड दूर करनेको लकड़ीका शूल, मछली पकड़नेके लिए बाँसकी गूँथी हुई बेंडी, शिकारके लिए तीरकमान और पानी पीनेके लिए तूंबीमेंसे बनाई हुई डोई होती है।

अनाज भरनेके लिए बाँसकी कोठियाँ, मुर्गे रखनेके लिए बाँसके टोकरे, चावल कूटनेको ऊखलमूसल, रोटियाँ बेलनेके लिए कठौती और मिट्टीका तवा और पानी भरनेके लिए एक-दो घड़े आदि होते हैं।

ग्रामरचना दूसरी आदिवासी जातियोंकी तरह खेतोंमें या टेकरियों पर बनी हुई अलग-अलग झोपड़ियोंवाली होती है। इसलिए गाँवका विस्तार बहुत बड़ा होता है। परन्तु ढोल इत्यादिकी मददसे जरूरत पड़ने पर सारा गाँव घड़ीभरमें इकट्ठा हो जाता है।

उनका मुख्य व्यवसाय खेतीका है, लेकिन खेतीकी उनकी पद्धति विशिष्ट है। जंगलके भागमें पवन या वर्षाके कारण चिखुरनके बीज खेतोंमें फैल जाते हैं, इसलिए निकम्मी घास बहुत उग जाती है। इसलिए खेतोंमें सीधे बीज बोनेके बदले पौद करके उसे दूसरी जगह लगाया जाता है। पौद तैयार करनेकी जगह पर पेड़के डंठल-पत्ते बिछाकर उनको आग लगा देते हैं। इसलिए उस ज़मीनका सब कूड़ा-करकट जल जाता है और पौद जल्दीसे बढ़ सकती है। बड़ी होने पर पौद फिर खेतमें लगाई जाती है जो निकम्मी नई घासको दबा देती है। इस तरह चिखुरन काबूमें की जाती है। खेतीकी यह विशिष्ट पद्धति प्रचलित होनेका कारण उनकी ज़मीनका प्रकार ही है। ज़मीन ऊँची ढलवाँ होनेके कारण उसमें व्यवस्थित खेती करना आसान नहीं है।

खेतीसे उन्हें पर्याप्त आय न होनेसे जंगलकी मजदूरीके पूरक धंधे पर आधार रखना पड़ता है और शिकार करके या मछली पकड़कर भी अपनी पूरक-खुराक़ प्राप्त कर लेते हैं और जब इनमेंसे कुछ भी नहीं मिलता तो कंद उबाल कर उस पर अपना निर्वाह करना पड़ता है। मुर्गीपालन भी उनका एक पूरक व्यवसाय है। भोजनमें मुर्गोंका उपयोग क़ाफ़ी होता है। मुर्गी पालनके अलावा और तरहका पशुपालन उनके लिए अधिक महत्त्व नहीं रखता। वे गायभैंस रखते हैं लेकिन दूधका उपयोग भोजनमें नहीं करते। जितना दूध होता है उसे बेच देते हैं।

कहा जाता है कि उनमें पहले मातृप्रधान कुटुम्बव्यवस्था होगी लेकिन अब तो पितृप्रधान कुटुम्बव्यवस्था ही प्रचलित है। घरका बुज़ुर्ग ही उसका मुख्य आदमी माना जाता है, और सबको उसकी आज्ञाके आधीन रहना पड़ता है।

बालविवाह कहीं-कहीं अब भी देखनेको मिलता है, लेकिन सामान्यतया बड़ी उम्रमें विवाह होते हैं। मामा-फूफीके बच्चोंमें शादी हो सकती है। लड़केके बापको लड़कीके बापके पास माँग भेजनी पड़ती है और दहेज़ देना पड़ता है। शादीके दिन लड़कीके कुटुंबी उसे लेकर दूल्हेके घर जाते हैं। दूसरी जातियोंकी तरह शादी करने वर नहीं, मगर कन्या जाती है। लग्नविधि बहुत सादी होती है। वरकन्याको ऊखलके पास बिठाकर घीके दियेके सामने गठबंधन करते हैं। फिर वरकन्या एक-दूसरेका नाम बोलनेके बाद उन्हें खोल दिया जाता है। इस विधिके पूरी होने पर विवाह पूरा हुआ माना जाता है। फिर तुरन्त सब नाचने लगते हैं और नाच हो जाने पर वरपक्ष सबको जिमाता है। ये लोग लग्नविधि या अन्य प्रसंगों पर ब्राह्मणको नहीं बुलाते। सब विधि स्वयं कर लेते हैं। घरजँवाई, पुनर्विवाह, करावा, तलाक़ इत्यादिके रिवाज हैं।

वे मुर्देको जलाते हैं। जलानेसे पहले शवको उबटन करनेका रिवाज है। अगर मरनेवाला घरका बुज़ुर्ग होता है तो उसकी चाँदीके पतरे पर मूर्ति अंकित कराके उसकी पूजा की जाती है। मृत्युके बाद श्राद्ध करनेकी प्रथा है।

सामाजिक व्यवहारोंका नियमन करनेके लिए गामपंच और चौरापंचकी व्यवस्था है।

वे देवदेवियोंमें मानते हैं। धार्मिक क्रियाएँ वे भगतकी मारफ़त करते हैं इसलिए भगतका बहुत आदर करते हैं। उनके मुख्य देव हनवत और वाघदेव हैं। गाँवके दोनों छोर पर हनवतका पत्थर होता है। उस पर तेलसिंदूर चढ़ाते हैं। वहाँ धजा और दिया भी रहता है। किसी बुरे प्रसंग पर उसकी मनौती मानते हैं। बाघदेवकी प्रतिकृति लकड़ी पर खोदकर उसे ज़मीनमें गाड़, खड़ी करके स्थापना की जाती है, और सिंदूर, फूल, मुर्गे और श्रीफल इत्यादि चढ़ाये जाते हैं। भरमदेवको भी वे मानते हैं। शमीवृक्षके नीचे रखे हुए पत्थरको वे भरमदेवके रूपमें पूजते हैं। इन देवोंको मिट्टीके घोड़े चढ़ानेकी प्रथा है। उनके त्योहारमें खास तो दिवाली और होली हैं। वे दिवासो भी मनाते हैं। इन त्योंहारोंको वे नाचकर मनाते हैं। कोंकणा "भवाडा"का वेश भी भरते हैं। रामायणकी कथाके पात्रोंकी जानकारी दे ऐसी वेशभूषा और मोहरे पहनकर "भवाडों"का अभिनय करते हैं। होली और दिवाली दोनों त्योहारों पर "भवाडा" खेलते हैं। व्यायाम सहितके कोंकणी नृत्यमें कथ्थक नृत्यके अंश भी पाये जाते हैं। इसके अलावा कहानीके साथ होनेवाला उनका समूहनृत्य भी बहुत कलात्मक होता है। और ताडपानृत्य, थालीकूंडी नृत्य, मादडनृत्य इत्यादि नृत्य भी वे बहुत उत्साहपूर्वक करते हैं।

७. वारली

वारलीकी आबादी खास करके सुरत ज़िलेमें है। वारलका अर्थ है ज़मीनका छोटा टुकड़ा। इसलिए वारली यानी ज़मीनका छोटा टुकड़ा जोतनेवाला—इस तरह ये लोग 'वारली' कहलाये यह माना जाता है। दक्षिणके वारालाट प्रदेशसे पहले यहाँ आनेके कारण भी वारली कहलाये हों एक ऐसी भी संभावना है। एक मत यह भी है कि वे भीलकी ही एक उपजाति है। उनमें चार उपजातियाँ हैं: (१) शुद्ध (२) मुर्दे (३) दावर (४) निहिर। इनमेंसे मुर्दे और दावर परस्पर लग्नसंबंध रखते हैं लेकिन निहिरके साथ नहीं रखते। इसके अलावा उनमें २४ के करीब कुल हैं। एक ही कुलके लोग आपसमें शादीसंबंध नहीं करते।

कोंकणा वारलीको अपनेसे नीचा समझता है और उसके साथ कुछ भी सामाजिक व्यवहार नहीं रखता।

वारलीका शरीर अशक्त, धूपके कारण और कम कपड़ोंकी वजहसे श्यामवर्ण, दाढी और सिरके बाल अस्तव्यस्त, कभी सिर पर भरावदार शिखा और सामान्य कद और ऊँचाई होती है। उनमें नीग्रो जातितत्त्व होनेकी मान्यता है।

पुरुष साफ़ा बाँधता है। जाकिट या बंडीसे मिलता-जुलता अर्धी आस्तीनका बिना कॉलरका कपड़ा पहनता है, कमरमें लाल रंगके फुंदनेवाली डोरी बाँधता है और उसके आधारसे नीचे एक लंगोटी पहनता है। कमरकी डोरीको वे "कहडो" कहते हैं। लंगोटी पुराने साफ़ेमेंसे बनाई होती है। साफ़ेका उपयोग रातको ओढ़ने-बिछानेके लिए होता है। घरमें खटिया या गद्दा शायद ही होता है। स्त्रियाँ लाल रंगकी या श्यामवर्णी साड़ी पहनती हैं जिसे वे कमरसे घूंटन तक कच्छ मार कर पहनती हैं और उसका एक छोर पीठ और सिर तक ओढ़नेके लिए रखती हैं। वे घाघरा नहीं पहनतीं। चोली बाहर जाते समय पहनती हैं। स्त्री-पुरुष दोनोंको गहनोंका शौक़ है। वारली स्त्रियाँ चूड़ियोंकी बहुत शौक़ीन हैं। कलाईसे कुहनी तकके भागमें वे २० से अधिक चूड़ियाँ पहनती हैं। वे चूड़ियाँ खास करके सीसे और पित्तलकी होती हैं। हाथमें अँगूठी और नाकमें नथ पहनती हैं। गलेमें काँचके मनकोंकी माला और जूड़ेमें काँचके मनकोंके गुच्छे पहनती हैं।

उनकी भाषा कोंकणोंकी भाषा जैसी ही है।

उनका मुख्य व्यवसाय खेती है, लेकिन कोंकणोंकी तरह इनकी खेती भी प्राथमिक प्रकारकी है। इसलिए उन्हें दूसरे सहायक धंधों पर बहुत आधार रखना पड़ता है, जिनमें जंगलमें मजदूरीके लिए जाना, कोयले तैयार करना, जंगलमेंसे गोंद, शहद, महुवा इकट्ठे करना, शिकारको या मछली पकड़ने जाना और फुटकल मजदूरीके काम करना इत्यादि हैं। कारीगरीका कोई काम वे नहीं जानते।

उनके घर कोंकणे जैसे शंकू आकारके और ग्रामरचना कोंकणे जैसी ही बिखरे हुए घरोंवाली होती है।

मिट्टी और एल्युमिनियमके दो चार बर्तन, खेतीके, लकड़ी काटनेके, शिकार करने और मछली पकड़नेके साधन, घरमें बस इतना ही सामान होता है। अनाज रखनेके लिए बांसकी कोठियाँ होती हैं।

उनके आहारमें मुख्यतया नागलीका उपयोग होता है। वे शिकारके बहुत शौक़ीन होते हैं। वे गोमांस नहीं खाते और मरे हुए चौपायोंका मांस भी नहीं खाते। इसके सिवा बकरियाँ, भेड़ें, मुर्गे और शिकार करके खरगोशका मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं।

वारलीमें अब पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्था है लेकिन खंधाड़ (घरजमाई)का रिवाज प्रचलित होनेके कारण पहले मातृसत्ताक कुटुंबव्यवस्था होगी ऐसा माना जाता है। यह रिवाज सभी आदिवासी जातियोंमें पाया जाता है; इसलिए सब आदिवासी जातियाँ मातृसत्ता कुटुंब- व्यवस्थाको पहले मानती होंगी यह हम कह सकते हैं।

वारलीमें बहुपत्नी प्रथा है। इसके अलावा घरजमाई, पुनर्विवाह, करावा और तलाक़ इत्यादि रिवाज दूसरी जातियोंकी तरह ही हैं। सगाईके बाद विवाहविधि करके ही गृहसंसार शुरू हो सके ऐसा सामान्य रिवाज वारलीमें नहीं है। सगाईके बाद भी गृहसंसार शुरू हो सकता है। विवाहविधि बादमें अनुकूलतासे होती है। इसमें शर्त एक यह है कि माँबापको अपने बच्चोंके विवाह होनेसे पहले विधिपूर्वक अपना विवाह कर लेना चाहिए। इस प्रथाके कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ-बापका और बच्चोंका विवाहोत्सव एक साथ होता है। यह रिवाज कोंकणामें भी है। ऐसा करनेका एक कारण आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति खराब होनेके कारण विवाहविधिके लिए पर्याप्त धन न होनेसे सगाई करके भी विवाहजीवन शुरू कर लिया जाये यही विचार इस रिवाजकी जड़में हो ऐसा मालूम होता है। विवाहके लिए कोई खास दिन या महीना देखनेकी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी समय हो सकता है।

शादीसंबंध सामान्यतया माँबाप निश्चित करते हैं, परन्तु शादी करनेवाले लड़के-लड़की भी उसे निश्चित कर सकते हैं। वरके बापकी तरफ़से दहेज़ देना पड़ता है। कोंकणाकी तरह कन्या वरके घर शादी करने नहीं जाती, परन्तु वर कन्याके घर जाता है। विवाहविधिके लिए ब्राह्मणको नहीं बुलाते। दवबेरी कहलाती बुढ़िया यह विधि कराती है।

मरनेवाले व्यक्तिको स्मशान ले जानेसे पहले स्नान कराते हैं और सिंदूर लगाते हैं। मृत्युके चौथे दिन पिंड रखे जाते हैं और रिश्तेदारोंको भोज दिया जाता है।

वे देवदेवियोंमें मानते हैं इसलिए भगतका स्थान उनके समाजमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है। उनके मुख्य देव हीरवादेव, नारणदेव, भरमदेव, चेडांदेव इत्यादि हैं। किसी भी हिंदू देवको वे नहीं पूजते। इस तरह हिंदूधर्मका उन पर बहुत कम प्रभाव है।

उनके मुख्य त्योहार होली, दिवाली, दिवासो, दशहरा हैं। इन्हें वे नाचकर मनाते हैं।

८. गामीत

वे गावीत या मावचीके नामसे भी मशहूर हैं। उनकी उपजातियोंमें पडवी, वलवी और वसावोंका समावेश होता है। इनमें वलवी सबसे नीचे माने जाते हैं। माना जाता है कि गामीत मूलमें भीलकी ही एक उपजाति है।

कहा जाता है जो गाँव बसाकर एक जगह स्थिर हो गये वे गामीत या वसावा कहलाये। वे खास करके सुरत ज़िलेमें बसे हुए हैं।

पुरुष साफ़ा बाँधते हैं और धोती या पाजामा और बंडी पहनते हैं। उनकी पोशाकमें एक विचित्रता यह है कि स्त्रियोंके उपयोगके लिए लाये हुए कपड़ेमेंसे एक छोर फाड़कर पुरुष अपने लंगोटके लिए काममें लेता है। स्त्रियाँ कमरसे नीचे घूंटन तक कछोटा मारकर कपड़ा लपेटकर ढँक रखती हैं और सिर पर एक टुकड़ा ओढ़ती हैं। शादी होनेके बाद ही वे चोली पहनती हैं। गलेमें पत्थरके मनकोंकी मालाएँ पहनती हैं और पाँवोंमें कड़े पहनती हैं।

उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। साहूकारसे कर्ज लेनेकी प्रथाके कारण वे अपनी ज़मीन खो बैठे थे। अधिकांश ज़मीन वे असामियोंके तौर पर भाग या नाजकी शर्त पर जोतते हैं। ज़मीन-क़ानूनके अमलमें आनेसे खोई हुई ज़मीन वापस मिलनेसे अब वे खेतीमें स्थिर हो सकेंगे यह अनुमान हम कर सकते हैं। खेतीके अलावा खेतमज़दूरी पर भी उनका आधार है। उनकी निजी बोली है, जिसे गामीतबोली कहते हैं। वे गोमांस खाते हैं और शराब पीते हैं।

शादीके लिए वरका बाप माँग करता है और उसे दहेज़ देना पड़ता है। शादीसे एक दिन पहले बरात लेकर वरके कुटुंबी कन्याके गाँव जाते हैं और गाँवके सीवानमें रातको पड़ाव डालते हैं और सारी रात वहाँ नाचते हैं। दूसरे दिन सुबह कन्याके घर जाकर वर और कन्या दोनों पक्षके लोग इकट्ठा नाचते हैं। फिर वर-कन्याको कमर पर बिठाकर दो व्यक्ति नाचते हैं। उस समय वरके हाथमें तलवार होती है और कन्याके हाथमें म्यान होता है। फिर सब साथ मिलकर भोजन करते हैं और इस तरह विवाहविधि पूरी होती है। घरजमाई, पुनर्विवाह, करावा, तलाक़ इत्यादिके रिवाज हैं। उनमें घरजमाई (खंधाडियो)का रिवाज अधिक प्रचलित है।

वे मुर्दोंको जलाते हैं। बहुत वहमी होनेके कारण मरनेवालेके साथ उसके कामकाजके साधन भी जला देते हैं। इसी वजहसे झोंपड़ी भी बार-बार बदलते रहते हैं। मासिक धर्म स्त्रियाँ नहीं पालतीं और वे प्रसवकालके समय भी कुछ विधि नहीं करते। सिर्फ़ प्रसव होनेसे पाँचवें दिन कुटुम्बियोंको भोज देकर बालकका नाम रख लेते हैं।

आष्टंबा, गावली, बाघदेव आदि उनके देव हैं। जातिपंच सब सामाजिक व्यवहारोंका नियमन करता है।

९. नायक-नायकडा

वे सुरत ज़िलेमें नायक और पंचमहाल तथा बड़ौदे ज़िलेमें नायकडा कहलाते हैं। तिरस्कार जताने या वे नीचे हैं यह व्यक्त करनेके लिए नायकका नायकडा कर लिया गया हो ऐसा माना जाता है। असलमें भीलकी ही यह एक उपजाति है। उनके नाम परसे तो नायकका अर्थात् टोलीके नेताका वे काम करते होंगे ऐसा तर्क कर सकते हैं। उनके बहुतसे रिवाज घोड़िया जैसे हैं इसलिए घोड़ियोंके नायकके रूपमें वे पहले काम करते होंगे यह हम अनुमान कर सकते हैं। चांपानेरके हिन्दू राजाओंके लश्करमें वे नायकोंके रूपमें काम करते होंगे और मुसलमान राजाओंने चांपानेरका जब नाश किया तब वे पंचमहाल, बड़ौडा और सुरत ज़िलेमें बसनेको चले गये होंगे ऐसा माना जाता है। आज भी उनकी मुख्य आबादी इन तीन ज़िलोंमें ही है। पहले वे लश्करमें काम करते होंगे इसका सबूत पिछले सौ वर्षोंके उनके इतिहासमें से मिलता है, जिसमें वे कभी-कभी हथियार ग्रहण करके बलवा कर चुके हैं और लूटपाटका काम करते रहे हैं। आज भी वे शायद ही तीरकमान लिये बिना बाहर निकलते हैं।

उनमें तीन उपजातियाँ हैं: (१) ऊँचा (२) नीचा (३) चोलीवाला। नामके अनुसार ऊँचे सबसे ऊँचे माने जाते हैं और नीचे सबसे नीचे। चोलीवाले दोनोंके बीचमें हैं। चोलीवाले नायकोंकी स्त्रियाँ चोली पहनती हैं जबकि दूसरी नायक-स्त्रियाँ सामान्यतया चोली नहीं पहनतीं। तीनों उपजातियाँ सामान्यतया एकदूसरेसे शादीसंबंध नहीं रखतीं। लेकिन ऊँचे जातिके चोलीवाले नीचेकी कन्या अपना सकते हैं परन्तु उनको देते नहीं। और चोलीवाला नीचेकी कन्या ले सकता है परंतु उसे देनेका व्यवहार नहीं है। नीचे नायक पारसी, मुसलमान या बोहरोंके घर नौकरी करते हैं और उनकी स्त्रियोंके साथ इन लोगोंका संबंध शुरू होनेके कारण नीचे अर्थात् हलके कहलाये। मुसलमानोंके हाथका वे खाते हैं।

देखनेमें वे नाटे, दुर्बल और चपल होते हैं और क़ाफ़ी बहादुर भी होते हैं। रंग श्याम और बाल लच्छेदार होते हैं। लंबे बाल रखनेका रिवाज है। नाक चिपटी होती है। पुरुष कमरके आसपास कपड़ेका एक टुकड़ा लपेटता है और एक सिर पर। स्त्रियाँ सिर पर कपड़ेका एक टुकड़ा ओढ़ती हैं और कमरके आसपास रंगीन कपड़ा पहनती हैं। चोली वह कभी-कभार पहनती हैं। वे जेवरकी शौक़ीन होती हैं। कानमें बाली, गलेमें कांचके मनकोंकी माला, हाथमें धातुकी चूड़ियाँ और कड़े पहनती हैं।

उनका मुख्य व्यवसाय खेतमजदूरी करना है। इसके साथ खेती भी करते हैं। जमीन उनके पास बहुत कम होनेसे और दूसरा कोई धंधा हाथ नहीं लगनेसे उन्हें अधिकांश मजदूरी पर आधार रखना पड़ता है। कुछ लोग पहरेदारकी नौकरी करते हैं। इसके अलावा जंगल-उपज इकट्ठी करनेका काम भी वे करते हैं। उनकी झोंपड़ियाँ कच्ची मिट्टीकी बनी होती हैं। छप्पर घास या पत्तोंसे छाते हैं।

घर दो भागोंमें विभक्त होता है। एक मवेशियोंके लिए और दूसरा उनके रहनेके लिए होता है। घरमें सामान बहुत कम होता है। उनकी खुराक मुख्यतया मक्का है, साथमें दलहन होता है। कभी चावल भी खाते हैं। गधे, कौवे और साँपके सिवा सब पशुपक्षियोंका मांस खाते हैं। चींटी और गिलहरी भी खाते हैं। बन्दरके मांसके वे बहुत शौक़ीन होते हैं। मरे ढोरके मांस खानेमें भी कोई निषेध नहीं मानते। अनाज खत्म होने पर कंदमूल पर निर्वाह चलाते हैं। महुएकी शराब पीते हैं।

शादीके लिए लड़केके बापको मँगनी भेजनी पड़ती है और दहेज देना पड़ता है। शादीके लिए कन्या वरके घर जाती है, वर कन्याके घर नहीं जाता। लेकिन विवाहमंडप वर और कन्या दोनोंके घर पर बाँधते हैं। शादीमें कई विधियाँ की जाती हैं और उसके लिए ब्राह्मणको नहीं बुलाते। ब्राह्मणोंके प्रति उनका बहुत रोष होता है। उनमें एक ऐसी कहावत है: ब्राह्मण मारनेसे १०० जनोंको खिलानेका पुण्य मिलता है। एकसे अधिक पत्नियाँ करनेकी स्वतंत्रता होती है। दोनोंको साथ रहनके लिए विवाह करना ही चाहिए ऐसा भी नहीं है। घरजँवाई, पुनर्विवाह, करावा और तलाक़ इत्यादि रिवाज हैं। शादीसंबंधके बारेमें उनमें एक आश्चर्यजनक रिवाज है। अगर किसी पुरुषने किसी स्त्रीसे शादीसे पहले जातीय-संबंध आरंभ किया है इसका पता लग जाता है तो उस पुरुषको उस स्त्रीसे शादी कर लेनेको कहा जाता है। लेकिन अगर वह पुरुष शादी करनेसे इनकार करता है तो चार-पाँच अगुओंके सामने दोनों बुलाये जाते हैं और पुरुष स्त्रीको गोदमें बिठाकर उसे सात बार "माँ" कहकर पुकारता है। इसके बाद स्त्री उस पुरुषके मुँहमें आँचल देती है और उसकी माँके रूपमें मंजूर की जाती है। फिर पुरुषका पाँच-सात रुपये दंड किया जाता है और शादी करनेकी जिम्मेवारीसे उसे मुक्त किया जाता है।

मृतदेहको जलाने और दफ़नानेके दोनों रिवाज प्रचलित हैं। स्वर्गस्थ सब कुटुंबियोंका इकट्ठा श्राद्ध करनेका रिवाज—परजणका रिवाज भी है। मरनेवालेके पीछे खतरा (स्मृतिस्तंभ) रखनेका रिवाज भी है।

वे देवदेवियोंमें मानते हैं। उनके देव डुंगरदेव, वहेवारियो देव, झाँझरवो देव, झांपलियो देव, कालीराणो इत्यादि हैं और देवियाँ कणाईमाता, वेराईमाता, धनबाईमाता, खेडबाईमाता, खेमाईमाता, हजुरीमाता और शीपरीमाता हैं। हिंदू देवदेवियोंको भी वे मानते हैं। लेकिन पावागढ़के मंदिरमें वे नहीं जा सकते, फिर भी उसे पूजते हैं। गधेका स्पर्श वे वर्ज्य समझते हैं। अगर कभी गलतीसे गधेको छू लेते हैं तो स्नान द्वारा शुद्धि कर लेते हैं। धोडिया जातिके वे गोर कहलाते हैं यद्यपि धोडिया उनके हाथका नहीं खाते फिर भी उनका अपने गोरके नाते योग्य आदर करते हैं।

उनके त्योहार मुख्यतया होली, जन्माष्टमी, दिवासो, नवरात्र, दशहरा और दिवाली हैं।

वे संगीतके बहुत शौक़ीन हैं। इसलिए वे सगाई, शादी और मृत्युके समय तूर और ढोल बजाते हैं।

सामाजिक व्यवहारोंके नियमनके लिए उनमें जातिपंच होते हैं।

१०. ढोरकोली

इनकी मुख्य आबादी सुरत ज़िलेमें हैं। वे 'कोलचा' या 'कोलधा' भी कहलाते हैं। टोकरे-टोकरियाँ बनानेका काम वे करते हैं इसलिए उन्हें 'टोकरे कोली' भी कहते हैं।

मरे ढोरका या गायका मांस खानेके कारण और जातियोंसे वे नीचे माने जाते हैं और इसीलिए उन्हें 'ढोरकोली' कहा जाता है। फिर भी वे भंगियोंको अस्पृश्य समझकर उनसे किसी भी प्रकारका व्यवहार नहीं रखते।

देखनेमें वे दूसरी जंगली जातियोंके जैसे ही लगते हैं। पुरुष सिर पर कपड़ेका टुकड़ा बाँधता है और कमरमें एक लंगोट पहनता है। स्त्रियाँ भी सिर पर कपड़ेका एक टुकड़ा ओढ़ती हैं और कमरके आसपास एक कपड़ा लपेटती है। वे चोली नहीं पहनतीं। पुरुष कानमें बाली पहनता हैं और हाथमें कड़ा। स्त्रियाँ कानमें बाली, गर्दनमें काँचके मनकोंकी दो-तीन मालाएँ और हाथमें धातुकी मजबूत चूड़ियाँ पहनती हैं।

उनका मुख्य धंधा जंगलमजदूरी तथा अन्य मजदूरी है। उनमेंसे कुछ टोकरे बनानेका भी काम करते हैं।

उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब होनेसे उन्हें कभी-कभी केवल कंदमूल पर ही निर्वाह करना पड़ता है और कभी-कभी तो बिलकुल भूकों रहना पड़ता है।

उनके घर कच्ची झोंपड़ियोंसे होते हैं, जिनकी दीवारें पेड़की टहनियों और डंठलोंसे बनी होती हैं और छप्पर पत्तोंसे छाया होता है।

उनकी बोली कोंकणी बोली जैसी ही होती है।

उनके सामाजिक रिवाज भी कोंकणे-से होते हैं। शादीके लिए वरके बापकी तरफसे मँगनी भेजनी पड़ती है और दहेज देना पड़ता है। विवाहविधि खुद ही कर लेते हैं, ब्राह्मणको नहीं बुलाते। घरजँवाई, पुनर्विवाह, करावा और तलाक़ इत्यादि रिवाज प्रचलित हैं। एकसे अधिक पत्नियाँ करनेकी छूट है।

वे मुर्देको जलाते हैं। शवके दोनों ओरसे आग लगाते हैं। जिसकी शक्ति होती है वह मरनेवालेके पीछे प्रेतभोज भी कराते हैं।

उनके मुख्य देव डुंगरदेव, बाघदेव और हीरवादैव और देवी काकाबळिया है। उनमें कोई अगुआ नहीं होता। सामाजिक झगड़ा सारी जाति मिलकर निपटाती है।

नृत्यके वे बहुत शौक़ीन होते हैं।

११. कोटवालिया

वे वीटोलिया, बराडिया या बाँसफोड़ा भी कहलाते हैं। खास करके वे सुरत ज़िलेमें पाये जाते हैं। उनका खानदानी धंधा बांसके

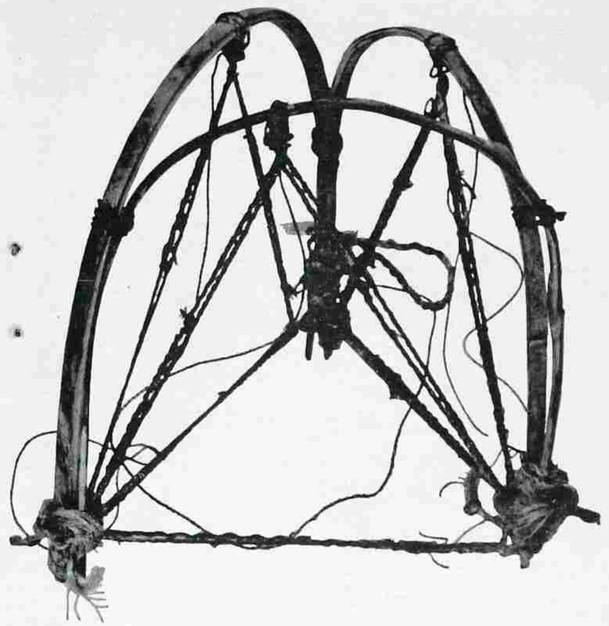

चिड़ियाँ पकडनेका फंदा

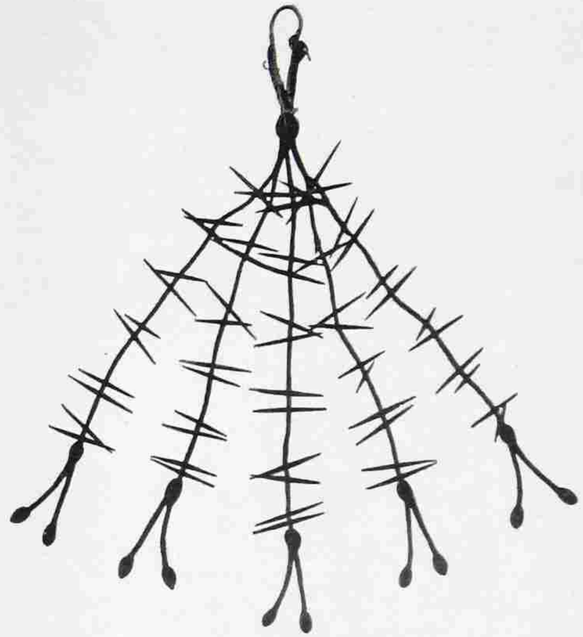

प्रेतग्रस्त व्यक्तिको मारनेका
लकडीकी कीलोंवाला ओझाका कोड़ा

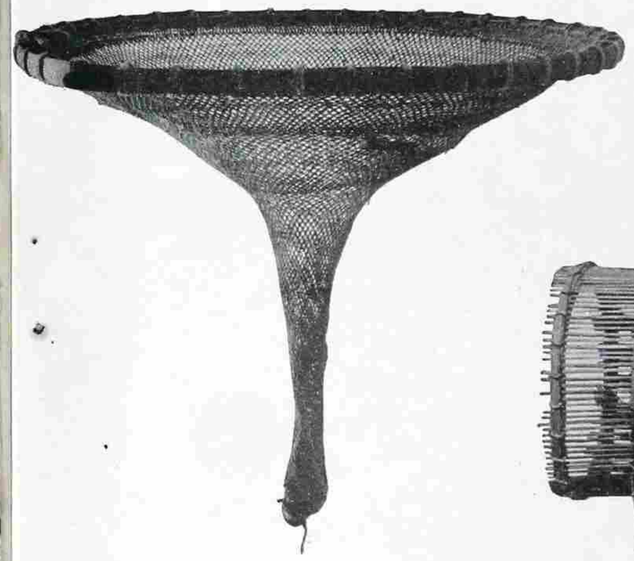

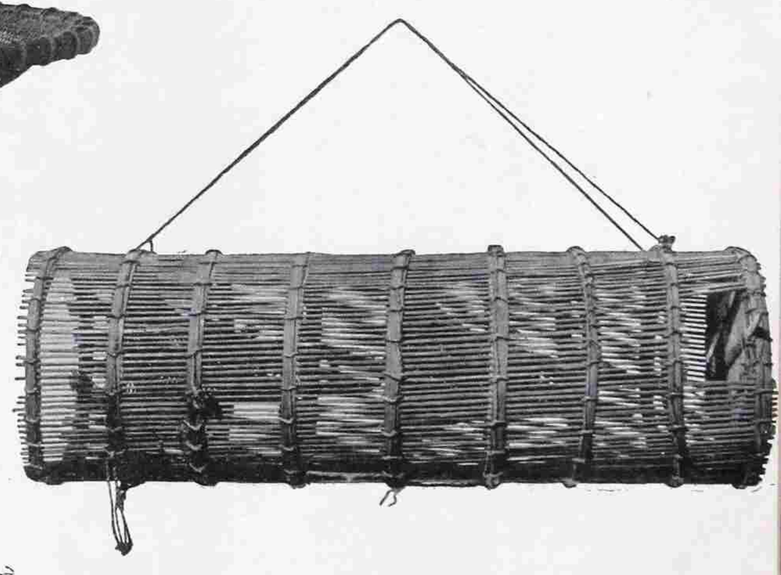

मछली पकडनेके पिंजड़े

चटाई बुनती हुई चौधरी स्त्री

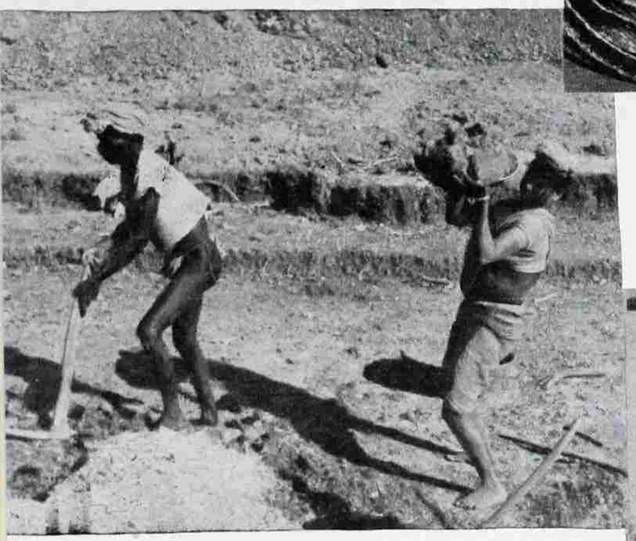

बारली खेतमज़दूर

कपासकी ढेंढ़ीसे रूई निकालती हुई पढार स्त्री

टोकरे-टोकरियाँ बनाना है इसलिए वे इन नामोंसे पहचाने जाते हैं। अधिकांशमें वे जंगलके पास अथवा जहाँ बांसोंका समूह सरलतासे प्राप्त हो सके ऐसी जगहोंमें अथवा नदी किनारे बसते हैं। ओर जातियाँ उन्हें नीचा मानकर उनसे किसी भी प्रकारका सामाजिक व्यवहार नहीं रखतीं। वे भी ढोरकोलीकी तरह गायका और मरे ढोरका मांस खाते हैं। वे भी भंगीको अस्पृश्य मानते हैं और उनसे कुछ भी व्यवहार नहीं रखते।

स्त्रियाँ अपनी लाक्षणिक पोशाक और आभूषण, सफेद सीपोंकी माला, पित्तलकी बाली और धातुके कड़ेसे पहचानी जा सकती हैं।

उनका मुख्य व्यवसाय बाँसकाम है। सब आदिवासी जातियोंमें एक यही जाति है जो स्वतंत्र रूपसे उद्योग पर निर्वाह करती है। बाँसके टोकरे-टोकरियाँ, सूप, और झाड़ू बनाना तथा घरमें उपयोगी दूसरी चीजें बनानेका काम वे करते हैं। बाँसकाममें पूरा कुटुम्ब लग जाता है। बाँस खरीदनेको उनके पास क़ाफ़ी धन नहीं होता इसलिए उनका माल बननेसे पहले व्यापारी लोग धन दे कर सस्तेमें खरीद लेते हैं। इससे उन्हें पूरा मेहनताना नहीं मिलता। बाँस हासिल करनेमें भी अब जंगलकानूनकी वजहसे बहुत मुश्किल पड़ती है। सालमें वर्षाके सिवा आठ महीने वे बाँसकाम करते हैं। लेकिन वर्षाके चार मास बाँसके अभावमें वे यह काम नहीं कर सकते। तब वे खेतमजदूरी करने जाते हैं। शिक्षाकी दृष्टिसे बहुत पिछड़े हुए हैं। अन्य सब जातियोंमें शिक्षाका लाभ लिया जाता है परन्तु कोटवालिये अब भी इस बारेमें जागृत नहीं हैं।

उनकी स्वतंत्र बोली नहीं है, लेकिन जिनके साथ वे बसे हैं उनकी बोलीसे वे अपना काम चलाते हैं।

उनके सामाजिक रिवाज भी दूसरी आदिवासी जातियोंके–से हैं। घरजँवाई, पुनर्विवाह, करावा, तलाक़ इत्यादि रिवाज प्रचलित हैं। कोंकणाकी तरह शादीके लिए लड़कीको लड़केके घर जाना पड़ता है। शादी बहुत सादगीसे करते हैं। ऊखलके पास बैठकर शराबका अथवा चायके दोनेका आदानप्रदान करके और गठबंधन करके वरकन्याको कमर पर बिठाकर पाँच बारन चाकर विवाहविधि करते हैं। अब शादीमें ओर विधियाँ — उबटन, मंडप बाँधना इत्यादि दाखिल होने लगी हैं।

मुर्दोंको वे दफनाते हैं।

जातिपंच उनके सामाजिक व्यवहारोंका नियमन करता है। देवदेवियोंमें वे बहुत मानते हैं; मंत्र-तंत्र विद्यामें भी बहुत मानते हैं। उनके मुख्य देव गोवालदेव, हिमारियो देव, आहिरदेव, काकाबलिया और देवली माडी हैं। उनके मुख्य त्योहार होली, दिवाली, दिवासो और नरक-चतुर्दशी हैं। नृत्यके वे बहुत शौक़ीन हैं। दोहेडिया, बावडिया, पारणिया — ये उनके मशहूर नृत्य-प्रकार हैं।

१२. काथोडी

वे कातकरी नामसे भी पहचाने जाते हैं। दोनों नाम उनके कत्था बनानेके व्यवसाय परसे आये हैं। उनकी दो उपजातियाँ हैं जो ढोर-काथोड़ी और सोन-काथोड़ी अथवा ढोर कातकरी और सोन कातकरी कहलाते हैं। सोन काथोड़ी गायका मांस नहीं खाते, लेकिन ढोर काथोड़ी गायका मांस खाते हैं इसलिए वे नीचे समझे जाते हैं। उनकी बोली, रूप-आकार और दूसरे रिवाजों परसे काथोड़ी भीलकी ही उपजाति है ऐसा माना जाता है। वे अपनेको हनुमानके वंशज कहलाते हैं। रावणके साथ युद्धमें वानरोंने जो मदद की थी उसके बदलेमें रामने उन्हें वानरसे मनुष्य परिवर्तित कर दिया और तबसे उन्हें मनुष्यजन्म मिला है ऐसी किंवदन्ती भी उनमें है। उनकी स्त्रियाँ दूसरी जातिके पुरुषोंको ललचाकर ले जाती थीं और अपने साथ रहनेको विवश करती थीं। इस प्रकार रहनेवाले पुरुषको अपनी जातिसे निकल जाना पड़ता था और फिर उसे वे अपनी जातिमें मिला लेते थे। उनकी आबादी खास करके सुरत ज़िलेमें है।

वे गाँवसे दूर जंगलमें रहते हैं और भटकती जातियों-सा जीवन बसर करते हैं। दूसरे लोगोंसे वे बहुत कम संबंध रखते हैं। पुरुष लम्बे बाल और दाढ़ी रखते हैं। वे श्याम रंगके और क़दमें दुबले होते हैं।

उनका मुख्य अगुआ नायक कहलाता है, प्रधान और कारभारी उसके मददनीस माने जाते हैं।

उनका मुख्य व्यवसाय कत्था बनाना और कोयला तैयार करना है। इसके अलावा खेतमजदूरी और फुटकर मजदूरी पर भी उन्हें आधार रखना पड़ता है। ज़मीन नहीं होनेसे बहुत कम कुटुम्ब खेती पर निभते हैं। उनके बालक पक्षियोंका शिकार करनेमें बहुत कुशल होते हैं।

उनकी पोशाकमें पुरुष मात्र लंगोटी पहनता है और सिर पर एक कपड़ा लपेटता है, जबकि स्त्रियाँ कमरसे नीचेका भाग कछोटा मार कर ढँकती हैं। इसके सिवा सब भाग बिलकुल खुला रखती हैं। गलेमें वे काँचके मनकोंकी असंख्य मालाएँ पहनती हैं तथा पूरा हाथ धातु या काँचकी चूड़ियोंसे भर देती हैं और कानमें लम्बी बालियाँ पहनती हैं। शादी-शुदा औरतें पाँवके अँगूठेमें अँगूठी पहनती हैं और गलेमें काले काँचके मनकोंकी माला पहनती हैं। पुरुष चमड़ेका कमरबंद बाँधते हैं जिसमें उनकी तम्बाकूकी डिबिया और हँसिया लटकाते है। लड़कियाँ छः सालकी उमरमें गोदना गुदवाती हैं।

उनके घर घासकी झोपड़ियोंके होते हैं। ढोर काथोड़ीके सिवा और काथोड़ी गोमांस नहीं खाते। इसके सिवा वे सब पशुओंका मांस खाते हैं। इसके अलावा वे चूहे, गिलहरी, कबूतर, साही इत्यादिका शिकार करते हैं। मछली भी क़रीब हमेशा खाते हैं, शराब भी पीते हैं। लाल-मुँहवाले बंदरका वे कभी शिकार नहीं करते, क्योंकि उसे हनुमानका अवतार मानते हैं।

वे चमार, महार, भंगी और मुसलमानके सिवा सबके हाथका खाते हैं; परन्तु किसीका, ब्राह्मणका भी जूठा कभी नहीं खाते। उनके हाथका सिर्फ़ महार खाते हैं।

उनके मुख्य देव हिंदिया (शिकारका देव), शिवच्या (गाँवका देव), भीलदेव, वाघदेव और देवी काकाबलिया हैं। होली, वाघ-द्वादशी इत्यादि उनके मुख्य त्योहार हैं। मकरसंक्रान्तके दूसरे दिन वे जंगलमें जाकर जंगली प्राणियोंका शिकार करके लाते हैं और उसका कलेजा हिंदियादेवको चढ़ाते हैं। हिंदूधर्मका उन पर बहुत कम असर दिखाई देता है।

सब सामाजिक रिवाज दूसरी जातियोंके जैसे हैं। विवाहविधि उनमेंसे एक व्यक्ति कराता है; ब्राह्मणको नहीं बुलाते। विवाहविधि करानेवाला 'गोतरणी' कहलाता है।

मुर्देको जलाते हैं। रातको मरनेवालेका शव सारी रात रखा जाता है और दूसरे दिन सुबह जलाया जाता है। सारी रात शवकी चौकी करते बैठे रहते हैं। उस समय थालीवाद्यके साथ गीत गाते हैं। थालीवाद्य बजाते हुए लंबी कहानियाँ गाकर सुनाते हैं। कांसेकी थालीके बीचमें मोम लगाकर उस पर एक पतली लकड़ी चिपकाकर उस लकड़ी पर अंगुलियाँ तले-ऊपर ले जाकर स्वर निकाले जाते हैं और उस स्वरके साथ कहानी कहते हैं।

१३. बामचा या बावचा

उनकी मुख्य आबादी अहमदाबाद और बड़ौदा ज़िलेके शहरी विस्तारमें है। उनके रिवाज गामीतके जैसे हैं। उनमें न उप-जातियाँ हैं न कुल।

उनका मुख्य व्यवसाय रास्ते या मकान बनानेकी मजदूरी करना और सफ़ाई कामदार या चपरासीकी नौकरियाँ करना है। वे ढेड, भंगी और मुसलमानके सिवा और सबके हाथका खाते हैं। ढेड-भंगीको वे अस्पृश्य मानते थे परन्तु उनके साथ ही अधिक-तर काम करना पड़ता है इसलिए ऐसा व्यवहार ज्यादा चल नहीं पाया। वे बकरों, भेड़ों और मुर्गोंका मांस खाते हैं तथा शराब पीते हैं।

ब्याहकी माँग वरके बापकी तरफ़से करनी पड़ती है और कन्याके बापको उसे दहेज देना पड़ता है। क़रीबके रिश्तेमें शादी नहीं हो सकती; बालविवाहका रिवाज है; एकसे अधिक पत्नियाँ करनेकी छूट है; घरजँवाई, पुनर्विवाह, करावा, तलाक़ इत्यादि रिवाज प्रचलित हैं। ब्याह सामान्यतया इतवारके रोज़ मनाया जाता है। विवाहविधि उनमेंसे एक व्यक्ति कराता है जो 'कोटवाल' कहलाता है।

उन पर हिन्दू धर्मका बहुत प्रभाव है। वे सब हिन्दू देवदेवि-योंको पूजते हैं। इसके अलावा वे वाघदेव और काकाबलिया देवीको पूजते हैं। उनका कोई पुजारी नहीं होता। 'कोटवाल' उनके पुजारीका काम करता है।

मुर्देको वे जलाते हैं; मृत्युके तीसरे दिन जातिवालोंको भोज देते हैं; श्राद्धविधि नहीं की जाती। नृत्यके बहुत शौक़ीन हैं।

१४. पोमला

इनकी बहुत कम आबादी है और यह अधिकतर शहरोंमें बसती है। उनकी बोली तेलुगूसे मिलती-जुलती है। इस परसे ऐसा मान सकते हैं कि वे दक्षिणसे आये हों। उनके रिवाज दूसरी आदिवासी जातियोंके-से हैं। मुख्य व्यवसाय टोकरे बनाना है। इसके अलावा कपड़ेकी मिलोंमें नौकरी करते हैं। लक्ष्मी माताके वे बड़े भक्त हैं।

१५. पढार

१९६१की जनगणनानुसार उनकी सारी आबादी सुरेन्द्रनगर ज़िलेमें है। अहमदाबाद ज़िलेके नलकांठा विस्तारके आसपास भी उनकी कुछ आबादी है, लेकिन संविधानके अनुसार घोषित की हुई सूचीमें मात्र सुरेन्द्रनगर ज़िलेके पढारोंको ही आदिवासी माना गया है। इसलिए उनका इसमें समावेश नहीं हुआ है। फिर भी दोनोंमें रोटीबेटीका व्यवहार है। समग्रतया सोचने पर ऐसा लगता है कि पढ़ारोंमें आदिवासी जातियोंमें पाये जानेवाले मुख्य लक्षण न होनेसे तथा मुख्यतया वे हिन्दूधर्मके रीति-रिवाजोंका अनुसरण करते रहनेसे पिछड़ी ज्ञातियोंमें समा लिए जाते तो अधिक उचित होता।

इसी प्रकार कच्छके कोली, वाघरी तथा सौराष्ट्रके चारण, रबारी तथा भरवाड, जिन्हें आदिवासी जातियोंमें गिना है, उनके लिए भी कहा जा सकता है। ये सब पिछड़ी ज्ञातियोंमें रखे गये होते तो वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक बना सकते।

'पढार' का मतलब पुजारी ऐसा होता है। वे अपनेको माताके पुजारी मानते हैं। हिंगलोक माताके वे भक्त हैं। उनकी पोशाक, रीति-रिवाज, आहार इत्यादि देखनेसे वे नलकांठाके कोलियोंसे बहुत मिलते-जुलते हैं। शरीरका रंग, गठन और आकार उनसे मिलते हैं। इसलिए वे कोली ही की एक उपजाति होंगे ऐसा माना जाता है।

शरीरसे वे हट्टे-कट्टे और ऊँचे होते हैं। चमड़ीका रंग काला होता है; आँखें बड़ी होती हैं। वे बहुत कष्ट-सहिष्णु और मेहनत-कश होते हैं।

उनकी रहन-सहन और रीति-रिवाज देखकर लगता है कि वे मूलमें समुद्रके किनारे बसनेवाले होने चाहिए और इनकी नाविक होनेकी संभावना है। नलकांठाका संपूर्ण विस्तार समुद्रके किनारे पर होना चाहिए ऐसे काफ़ी उल्लेख अब मिल रहे हैं। पढारोंके नृत्योंमें भी समुद्रके बहुत उल्लेख पाये जाते हैं।

पुरुष मोटी पिछौड़ी और चादर और बिना आस्तीनका छोटा कुरता (कबजो) पहनते हैं; सिर पर मुंडासा बाँधते हैं। स्त्रियाँ आठसे दस गज़का रंगीन घाघरा और बिना आस्तीनकी बंद गलेकी चोली पहनती हैं और सिर पर ओढनी ओढ़ती हैं। स्त्रियाँ सोना-चाँदीके ज़ेवर पहनती हैं। पुरुष सामान्यतया गहने नहीं पहनते।

उनकी भाषा गुजराती है।

उनका आर्थिक व्यवसाय सुबहसे आहारकी खोजमें निकल पड़ना है। कोई खास व्यवस्थित धंधा वे नहीं करते, परन्तु नल सरोवरके आसपासके विस्तारमें उगनेवाला बीड खोद लानेका काम वे करते हैं। सारा कुटुम्ब घासकंद खोदने जाता है। घासकंदके

कद्दूसे बनाया हुआ पानी पीनेका डोआ

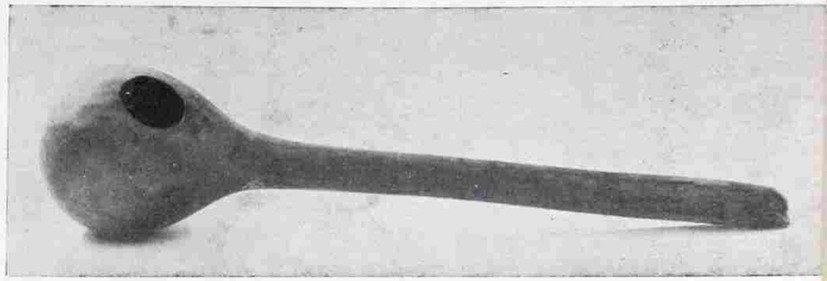

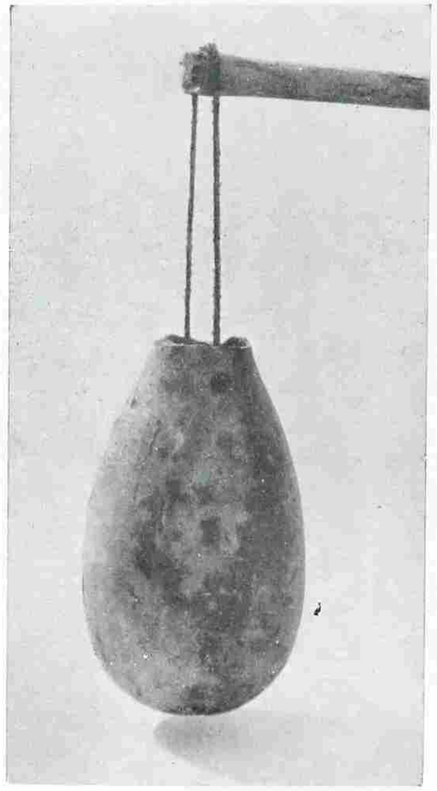

कद्दूसे बनायी हुई 'बोटरबेग'

आदिवासीके वाद्य

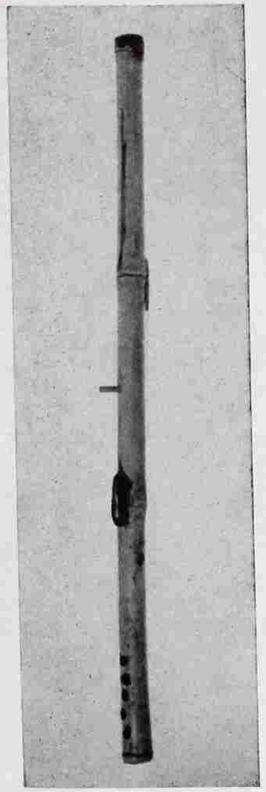

पावरी—सोनगढ तहसोलमेंसे प्राप्त द्विमुखी बंसी; इसमें स्वरभेद करनेके लिये काफ़ी सुविधा हैं।

डोवरु—आदिवासी विस्तारमें, खास करके दक्षिण गुजरातमें प्रयुक्त लौकी और ताड़की पत्तीसे बनाया हुआ नृत्यके अवसर पर बजानेका वाद्य

गांगळी—सोनगढ विस्तारसे प्राप्त सरोद-वर्गका तंतुवाद्य

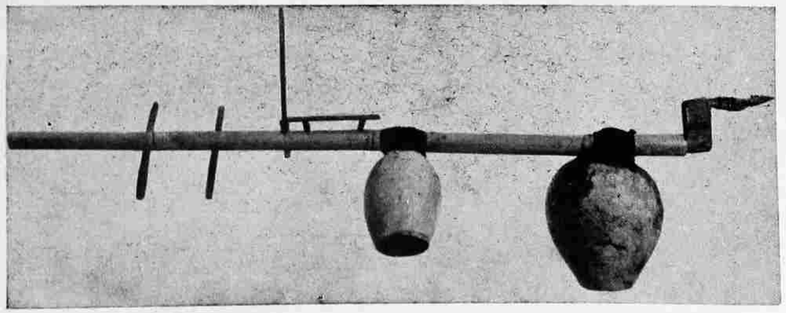

भील गरासिया आदिवासीके घरकी दिवार पर बना चित्र

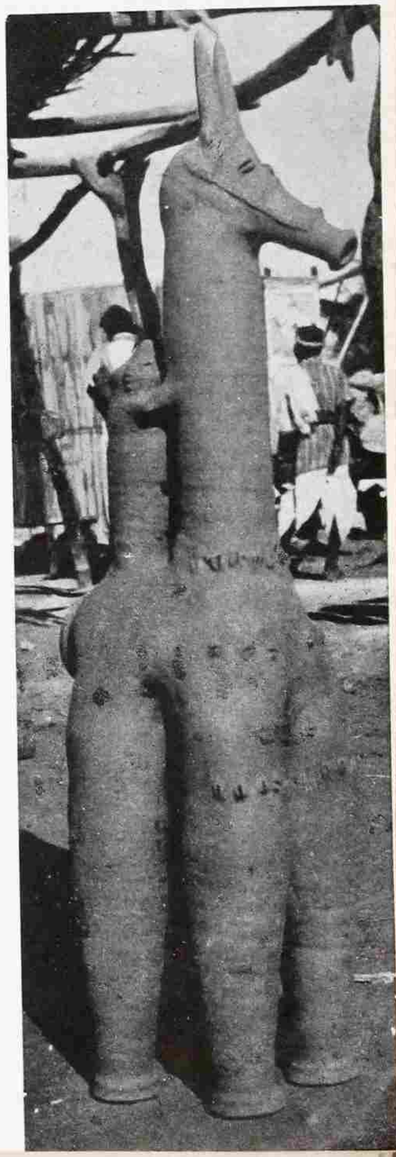

पोशीना विस्तारका मिट्टीका घोडा

धरमपुरके आदिवासियोंका मिट्टीका मन्दिर (देवरु)

उच्छल निझर विस्तारका मिट्टीका घोड़ा

नसवाडी–छोटाउदेपुर विस्तारका मिट्टीका घोड़ा

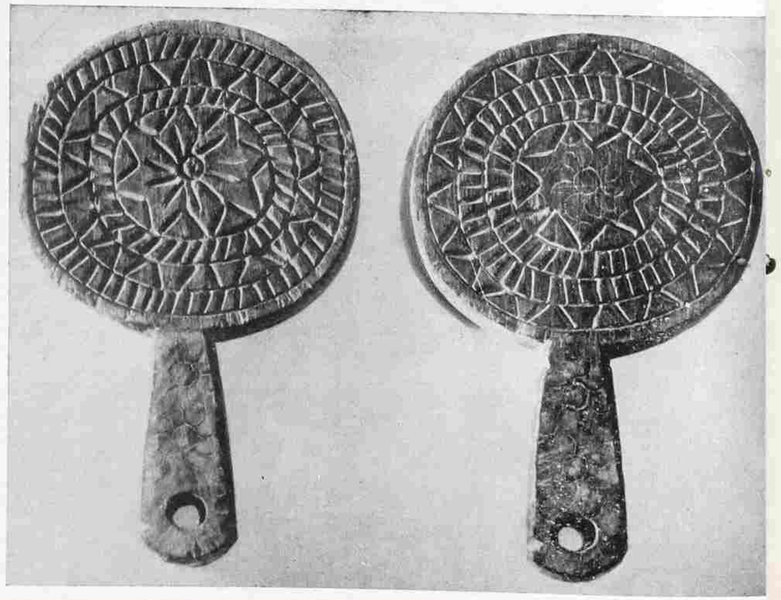

डेडीआपाडाके आदिवासियोंका पूड़ा बनानेका 'ठप्पा'

एक सिरे पर कंद होता है। उस कंदका उपयोग वे आहारमें करते हैं। इस तरह उसे खानेके उपयोगमें लेनेसे पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जाड़ा, गर्मीके दिनोंमें घासकंद खोद लाते हैं। वर्षामें चारों ओर पानी भर जानेसे घासकंद खोदना नहीं बनता इसलिए वर्षाके लिए भी अधिक घासकंद खोद रखना पड़ता है। जब घासकंद खोदने जाना नहीं होता तब वे खेत-मजदूरी करने जाते हैं।

इसके अलावा पक्षियोंका शिकार करके और मछली पकड़कर पूरक खुराक प्राप्त करते हैं। इस तरह व्यवसायका उनके पास कोई स्वतंत्र साधन नहीं होनेसे जो कुछ खुराक मिलती है उस पर गुज़ारा करते हैं। खेतोंके चूहोंके शिकार करनेमें वे कुशल हैं। इस तरह अनाज उगानेके बदले खुराक इकट्ठा करना उनका मुख्य लक्षण उन्हें आदिवासी जातियोंमें समानेके लिए बताया जा सके ऐसा अवश्य है।

शादी माँ-बाप निश्चित करते हैं। ब्याहकी माँग लड़केके बापकी तरफ़से भेजनी पड़ती है और दहेज़ देना पड़ता है। विवाह-विधि करानेके लिए किसी पुरोहितकी ज़रूरत नहीं रहती। सब विधि स्त्रियाँ ही कर लेती हैं और वे हिन्दू समाज जैसी ही होती हैं।

तलाक़, करावा और पुनर्विवाहकी छूट होती है। मुर्देको वे जलाते हैं।

वे हिन्दूधर्मको मानते हैं। वे शक्तिके पूजक हैं इसलिए नव-रात्रका त्योहार बहुत धूमधामसे मनाते हैं। चैतकी अष्टमीका त्योहार भी मनाते हैं। यह त्योहार पढ़ार-उत्सवके नामसे प्रचलित है। उस दिन पहले वे भैंसकी बलि चढाते थे। अब श्रीफल फोड़ते हैं। वे हिंगलोक माताके मंदिरको पूजा करने जाते हैं। इसके सिवा और भी कई माताओं जैसी कि शिकोतरी, खोडियार, बूट, चामुंड, भवानी, सिधवई, मेलडी इत्यादिको वे मानते हैं।

सौराष्ट्रमें प्रचलित डांडिया-रास उनमें भी प्रचलित है, परन्तु उसमें नाव, डाँड, लहर इत्यादिके हावभाव आते रहते ह। नवरात्रके समय वे माताके सामने ये नृत्य करते हैं। दूसरी आदिवासी जातियोंकी तरह प्रत्येक उत्सवके समय या सामाजिक प्रसंगके समय वे नृत्य नहीं करते। उनके ये नृत्य बहुत ही बढ़िया और मर्दानगीसे भरे हुए होते हैं।

१६. पारधी

उनकी सबसे अधिक आबादी कच्छ ज़िलेमें है। 'पारध' याने शिकार करना। इस परसे वे पारधी कहलाए। उनके नामके अनुसार उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना है। उनमें कुछ 'फाँसे पारधी' कहलाते हैं। इसका कारण यह कि वे लोग फंदा (फाँसो) डालकर शिकार करते हैं। कुछ हरण पारधी कहलाते हैं, क्योंकि वे हिरनका शिकार करते हैं। कुछ लोग अडवी चींचर कहलाते हैं क्योंकि (अडवी = जंगल, चींचर = फरनार) वे सदा जंगलमें भटकते पाये जाते हैं।

उनकी जाति अनेक जातियोंके जातिसे खारिज व्यक्तियोंकी बनी है। इसलिए उसमें अनेक जातियोंके लोग पाये जाते हैं। मूलमें राजपूत, वाघरी, कोली इत्यादि ज्ञातियोंके लोग उनमें आज भी हैं। इसलिए उनके अंदर रिवाजोंका बहुत ही वैविध्य पाया जाता है।

उनमें छः उपजातियाँ हैं: (१) पारधी (२) फाँसे पारधी (३) हरण पारधी (४) मीर (५) कोरचार (६) वाघरी। ये जातियाँ आपसमें शादीसंबंध नहीं रखतीं।

वे बेर, शमी, आम, जामुन, गुलर जैसे पेड़ोंको अथवा उनके पत्तों या कांटोंको अपना कुलदेव मानकर पूजते हैं। एक ही कुल-देवको पूजनेवाले आपसमें शादीसंबंध नहीं रखते।

उनमेंसे अधिकांशकी भाषा गुजराती है; इसलिए वे उत्तरसे आये हुए माने जाते हैं।

उनका मुख्य व्यवसाय जैसे ऊपर कहा गया वैसे शिकार करना है। उनमें कुछ, खास करके कच्छके, मदारीका धंधा करते हैं और साँप पकड़ते हैं। कुछ लोग चक्की टाँकने या टोकरे बनानेका धंधा भी करते हैं। कुछ लोग गाँवकी रखवालीका काम करते हैं। इन सब व्यवसायोंके करते हुए भी चोरी करनेकी उनकी आदत छूटती नहीं और मौका हाथ आने पर चोरी करना चूकते नहीं हैं। शिकार पकड़नेके लिए घोड़ेके बालका फंदा बनानेमें वे बहुत कुशल समझे जाते हैं।

वे सब पशुपक्षियोंका मांस खाते हैं और शराब पीते हैं। कच्छके पारधी तितरके सिवा दूसरे सब परवाले पक्षियों, सुर्गों और सूअरका मांस नहीं खाते हैं। फाँसे पारधी गायका मांस भी खाते हैं।

वे हमेशा अपनी घर-गिरस्ती साथ ले कर घूमते हैं। बांस पर नरकटकी चटाइयाँ डालकर उनके घर तैयार कर लिये जाते हैं। उसकी दीवारें भी इन्हीं चटाइयोंसे ही बनाई जाती हैं। उनकी झोंपड़ियाँ चार फूट लम्बी, सात फूट चौड़ी और चार फूट ऊँची होती हैं, जिसके कारण उनमें प्रवेश करते समय झुककर जाना पड़ता है। इस घरको उठा लेनेमें उन्हें बहुत कम देर लगती है। देखते ही देखते वे चटाइयोंको मोड़कर और बाँस उठाकर सारा घर उठा लेते हैं।

विवाह वयस्क होने पर करनेका रिवाज है। ब्याहकी माँग लड़-केके बापकी तरफ़से भेजनी पड़ती है और दहेज भी देना पड़ता है। दहेज न दे सके वह लड़का घरजँवाईके रूपमें रहने जाता है। देवरके घर बैठना, पुनर्विवाह, विधवा-विवाह, तलाक़ इत्यादि की छूट है। एकसे अधिक पत्नियाँ करनेकी भी छूट है।

मुर्देको सामान्यतया दफ़नानेका रिवाज है।

अधिकांश पारधी हिन्दूधर्ममें मानते हैं। कुछ मुसलमान धर्म भी पालते हैं। विवाह और दूसरे रीति-रिवाजोंमें वे ब्राह्मणको बुलाते हैं। पावागढकी माताको वे बहुत मानते हैं। उनके मुख्य त्योहार होली और दशहरा हैं। उनमें कोई धार्मिक नेता नहीं होता परन्तु जातिके अगुए होते हैं, जो 'नायक' कहलाते हैं।

१७. सीदी

सीदी या हब्शी मूलमें पूर्व आफ्रिकासे राजपीपलाके पास आयी हुई रतनपुरकी अक़ीक़की खानोंमें काम करनेके लिए गुलामोंके रूपमें लाये गये थे। वहाँ एक टीले पर उनके पीर बाबा घोरकी दरगाह आयी हुई है जिसे वे बहुत मानते हैं। आज उनकी आबादी सौराष्ट्रके जिलोंमें बिखरी हुई है।

उनमें दो उपजातियाँ हैं जो बादमें आयी हैं और वे 'विलायती' कहलाए जबकि जो यहाँ जन्मे और पले वे 'मुवालद' कहलाए। विलायती ऊँचे समझे जाते हैं, इसलिए अपनी कन्या मुवालदको नहीं देते।

आपसमें बातचीत करते समय वे सोमाली भाषाका उपयोग करते हैं। दूसरोंके साथ वे टूटी-फूटी हिंदीमें बात करते हैं।

वे अधिकांश मुसलमान फकीरोंके रूपमें भीक माँगनेका धंधा करते हैं। कुछ लोग चौकीदारीका काम करते हैं। मोरपिच्छ लगाया हुआ सारंगी जैसा वाद्य लेकर वे भीक माँगते फिरते हैं। साथमें ढोल भी बजाते हैं। अपने वाद्योंको वे बहुत आदरसे देखते हैं और ऐरे-गैरेको छूने नहीं देते। उनका सारंगी जैसा वाद्य जो 'झूनझून' कहलाता है वह उनकी माता मिसराका वाद्य है जबकि बड़ा वाद्य ढोल बाबा घोरका वाद्य कहलाता है।

कुछ सीदियोंने पहले राज-संचालनमें भी महत्त्वपूर्ण भाग लिया था।

वे गायके सिवा दूसरे सब पशुपक्षियोंका मांस खाते हैं और शराब पीते हैं। वे लोग शादी वयस्क होने पर करते हैं। ब्याहकी माँग वरके बापकी तरफ़से भेजनी पड़ती है और दहेज़ देना पड़ता है। शादीके कई रिवाज हिन्दू जैसे ही हैं और विवाहविधिमें ब्राह्मणकी मदद ली जाती है।

वे मुसलमान धर्मके सुन्नी पंथको मानते हैं। लेकिन कुछ भी धार्मिक विधियाँ बरतते नहीं हैं। कुरान भी उनमेंसे बहुत कम जानते हैं। गाने-नाचनेके बहुत शौक़ीन हैं।

वे मुर्दोंको दफनाते हैं।

१८. वाघरी

उनके ओझोंके कथनानुसार वे बाघ जैसे हैं इसलिए वाघरी कहलाए। लेकिन संस्कृत शब्द वागुरा याने जाल परसे वागुरिक अर्थात् वाघरी ऐसा नाम आया होगा इसकी अधिक संभावना है। राजपूतानाके रेगिस्तानमें आये हुए वागड प्रदेश परसे या पंजाबके हरियाणा प्रान्तमें आये हुए बागड प्रदेश परसे उनका नाम आया होगा ऐसा भी कहा जाता है। उत्तरसे जो हमलावर आये और हार खाने पर फिर अपने वतन न लौटकर भारतमें ही बस गये तथा जिन्होंने भील, कोली इत्यादि नीची जातियोंसे अपना नाता जोड़ा उनकी जो संतान हुई वे वाघरी हुए ऐसी मान्यता है। दूसरी एक मान्यता ऐसी भी है कि वे मूलमें राजपूत थे और कालक्रमसे संजोगवशात् जिन्हें अपना वतन छोड़ दूसरी जगह बसने के लिए जाना पड़ा और नीची जातियोंसे संबंध जोड़ना पड़ा वे सब वाघरी नामसे विख्यात हुए। इस मान्यताके समर्थनमें उनके कुछ उपनाम जैसे कि वाघेला, परमार, सोलंकी, चौहाण, राठोड इत्यादि प्रस्तुत किये जाते हैं। वे ढेड़से ऊँचे लेकिन कोलीसे नीचे समझे जाते हैं। पारधीसे वे बहुत बातोंमें मिलते-जुलते हैं।

उनकी चार उपजातियाँ हैं: (१) चुनासिया, अथवा चूना पकानेवाले (२) दातणिया अथवा दतौन बेचनेवाले (३) वेडु अथवा तुंबे बेचनेवाले और (४) पाटानेजी अथवा बाँस और मुर्ग़े बेचनेवाले।

इसके अलावा भी दूसरी कई उपजातियाँ हैं, जैसी कि तलपदा, पोरनाला, मारवाडी, कांकोरिया, सराणिया इत्यादि। ये सब उपजातियाँ एक दूसरेसे शादी-व्यवहार नहीं रखतीं।

देखनेमें नेग्रीटो-मोंगोलियन जातिके कुछ तत्त्व उनमें मालूम होते हैं: जैसे कि सख्त जबड़े और तीक्ष्ण आँखें तथा मोटे होंठ व चिपटी नाक। उनके बाल लहराते होते हैं और देखनेमें वे बहुत चपल लगते हैं। उनकी स्त्रियाँ सुहावनी होती हैं।

पुरुष बंडी और धोती पहनते हैं और सिर पर एक टुकड़ा लपेटते हैं। स्त्रियाँ ओढ़नी, चोली तथा घाघरा पहनती हैं। स्त्रियाँ ज़ेवरोंकी खास शौक़ीन हों ऐसा नहीं दिखाई देता। सब गुजराती भाषा बोलते हैं। उनके घर नीचे तथा मिट्टीकी दीवारोंवाले होते हैं और जल्दीसे उठा लिये जायें ऐसे होते हैं।

वे अनेक धंधे करते हैं। उनमें खास शिकार करना, तरकारी उगाना, दतौन बेचना, ढोर चराना, भैंसें पालना, चक्कियाँ टाँकना इत्यादि हैं। इनके अलावा चोरी करना भी उनकी पुरानी आदत है।

भोजनमें गाय और सियारके मांसके सिवा बाक़ी सब खानेकी छूट होती है। लेकिन मरे ढोरोंका मांस वे नहीं खाते। उनकी विशेष रुचि पाटला गोह तथा सांढा नामक छिपकलीमें होती है। वे दूसरे लोगोंका बचाखुचा या जूठा भी खाते हैं। वे मोची, भंगी या मुसलमानके हाथका नहीं खाते।

शादी छोटी उमरमें करते हैं। ब्याहकी माँग दोनोंमेंसे किसी भी पक्षकी तरफसे भेजी जा सकती है। वरके बापके लिए कन्याके बापको शादी तय होने पर अमुक रक़म नक़द और एक जोड़ी कपड़े देना जरूरी है। शादीके सब रिवाज हिन्दू जातिके-से हैं। विवाहकी विधिके लिए ब्राह्मणको बुलाया जाता है अथवा उनमेंसे कोई भी एक व्यक्ति सारी विवाहविधि कराता है। वे ब्राह्मणोंका बहुत आदर करते हैं।

उनमें पुनर्विवाह और तलाककी छूट है।

स्त्रीके चारित्र्यके लिए बहुत देखभाल रखते हैं और तनिक भी शंका आने पर वे ओझेकी मददसे उसकी कसौटी करते हैं। ओझेका बहुत आदर करते हैं और मुर्दोंको वे दफनाते हैं।

वे हिन्दूधर्ममें मानते हैं और सब देव-देवियोंको पूजते हैं। उनमें खास वे काली, खोडियार, मेलडी, विहात इत्यादि माताओंको तथा हनुमानको अधिक मानते हैं।

झालोद विस्तारके

स्मृति स्तंभ

निझर विस्तारके

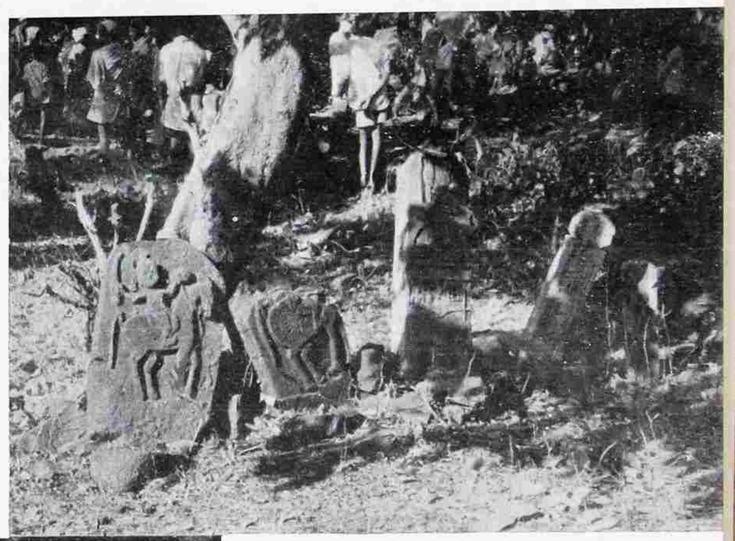

सोनगढ विस्तारके

सारण, खेडब्रह्मा विस्तारकी विशिष्ट सिंचाई पद्धति

कद्दूमेंसे वाद्य निर्माण करता हुआ गामोत

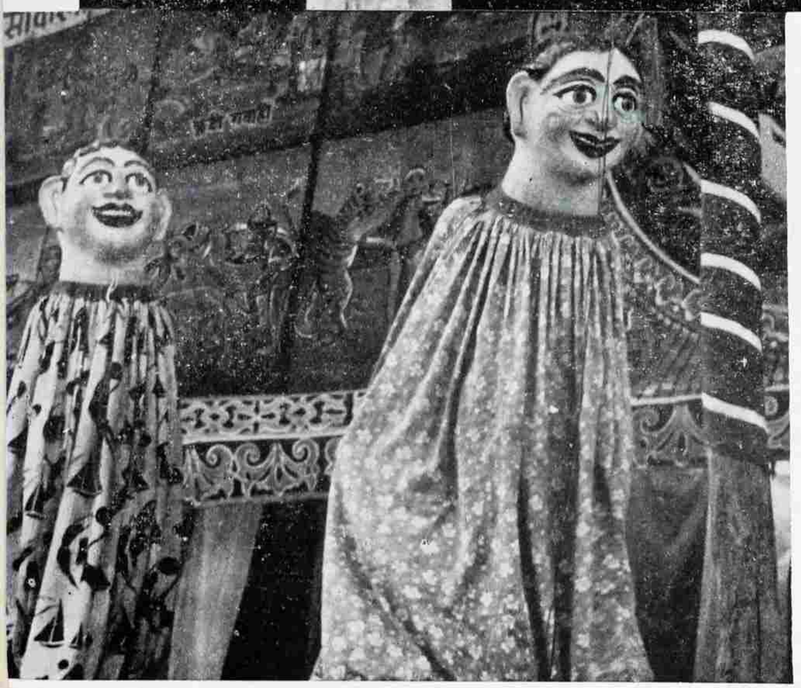

सोनगढ तहसीलके देवलपाडा गांवमें
रखी हुई मगरदेवकी लकड़ीकी मूर्ति

भेष

२१

उपसंहार

गुजरातमें आये हुए अनुसूचित आदिवासियोंके इस संक्षिप्त परिचय परसे लगता है कि कच्छके कोली, पारधी, वाघरी तथा सौराष्ट्रके पढार, चारण, रबारी और भरवाड आदिवासी जातियोंके बजाय हिंदूधर्मकी अलग- अलग ज्ञातियोंके लक्षण अधिक रखते हैं: जैसे कि हिन्दूधर्मके कर्मकाण्डको अनुसरना, विवाह और मृत्युके प्रसंगोंमें ज्ञातियोंमें प्रचलित रिवाजोंको पालना इत्यादि। असलमें राजपूत जातिके वंशज लेकिन नीची जातियोंके साथ विभिन्न कारणोंसे संबंध जुड़नेसे ये जातियाँ पैदा हुई हैं ऐसा उनके प्राचीन इतिहास परसे लगता है। ये जातियाँ ऊपर बताये हुए प्रदेशोंके अलावा गुजरातके अन्य प्रदेशोंमें भी बसी हुई हैं, लेकिन वे सब अनुसूचित आदिजातियोंकी सूचीमें रखी गई नहीं हैं। सौराष्ट्रके कुछ विस्तारोंमें तथा कच्छमें बसनेवाली ये जातियाँ कुल मिलाकर अधिक पिछड़ी हालतमें रह जानेके कारण वे अनुसूचित आदिम जातियोंमें मान ली गई हों ऐसी संभावना है।

सौराष्ट्रके सीदी मूलमें अफ्रिकासे आये हैं इसलिए दूसरी जातियोंसे वे बिलकुल अलग लगते हैं।

इनके सिवा अनुसूचित आदिजातियोंमें अधिकतर भीलकी ही उपजातियाँ हैं, ऐसा उनके इतिहास, रीति-रिवाज और रहन-सहनके अनुसंधानसे मालूम होता है।

राजपूतोंमें नीची कही जानेवाली ज्ञातियोंके साथके संबंधोंसे जिस तरह विभिन्न अनेक जातियाँ पैदा हुई मालूम होती हैं उसी तरह भीलोंमें भी ऐसे ही कारणोंसे विभिन्न उपजातियाँ पैदा हुई हों और इन उपजातियोंने धीरे धीरे स्वतंत्र जातियाँ कहलाना शुरू किया हो ऐसा प्रतीत होता है।*

*देखिए The Tribes and Castes of Bombay (1920) Vol. I by R. E. Enthoven पृ. नं. १५५; "Bhils are divided into a number of tribes which tend to lessen the underlying homogeniety of the race. The remarks of Sir J. Malcom in this connection show that the process of sub-division had been going on for a long time....So called tribes are merely clans or families who are differentiated according to the extent to which they have adopted Hindu Customs, intermarried with other races, or are affected by local influence. Why this natural process of differentiation should be accelerated by the Bhils themselves is difficult to explain, unless the influence of caste system be taken into account, a system which was undoubtedly quite uuknown to the original Bhils."

गुजरातकी सब आदिवासी जातियोंमें नीचे मुताबिक तत्त्व समान रूपसे देखनेको मिलते हैं।

(१) एक ही जगह गोट-बस्ती निश्चित करके बसनेके बजाय खेतोंमें अलग-अलग घर बाँधकर रहते हैं। ज्यादासे ज्यादा अब वे बिलकुल अलग बसनेके बदले दस पन्द्रह घरोंका टोला बनाकर एक साथ रहते हैं। लेकिन इन टोलोंमें इतनी दूरी होती है जिससे उनके गाँवका विस्तार काफ़ी बड़ा होता है। तीन-चार मीलके विस्तारमें आदिवासी गाँव फैला होता है।

इस तरह अलग बसते हैं फिर भी गाँवकी भावनाको सामाजिक संगठनोंके द्वारा दृढ़तासे जीवित रखते हैं।

(२) वे घर स्वयं अथवा बहुत हुआ तो कुटुम्बियोंकी सहायता लेकर स्थानिक साधनोंसे बना लेते हैं और इस तरहके घर बाँधते हैं कि जिसके बनानेमें एक-दो दिनसे अधिक समय न लगे। मृत्युके कारण अथवा अन्य वहमोंके कारण पुराने घरको तोड़कर नया बनानेमें देर नहीं लगती। और उन्हें जितना ज्ञान है इससे विशेष कारीगरीकी जरूरत न हो ऐसे ही घर बनाये जाते हैं, जिससे उस पर उन्हें नक़द कुछ खर्च नहीं करना पड़ता अथवा बहुत ही कम खर्च करना पड़ता है।

(३) आहारमें वे मात्र अनाज पर निर्भर नहीं करते, लेकिन शिकारसे प्राप्त पक्षी या प्राणी, जंगलमेंसे इकट्ठा किया हुआ आहार, नदी या तालाबमेंसे पकड़ी मछलियाँ, घरके आंगनमें पाले हुए मुर्गे-बतक इत्यादिका उपयोग करते हैं। मांसाहारका निषेध नहीं है। खेती कम होनेसे मात्र खेती पर आधार रखना उनके लिए अशक्य है। खेतीके साथ-साथ जंगल पर उनका आधार अब भी चालू है।

(४) वस्त्र जहाँ तक हो कम उपयोगमें लेते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों सिर्फ गुह्यांग ढँकनेकी दृष्टिसे आवश्यक पोशाक पहनते हैं।

(५) व्यसनोंकी दृष्टिसे जरूरी शराब वे शराबबंदीसे पहले अपने आप महुएसे बना लेते थे। वे तम्बाकू बाड़ेमें उगा लेते हैं। इसलिए उन्हें उस पर भी नक़द खर्च कम होता है। जरूरी तरकारी वे बाड़ेमें उगा लेते हैं। इनके अलावा उनकी दूसरी जरूरतें बहुत कम हैं। दवादारूका उपयोग वे बहुत कम करते हैं और इस संबंधमें वे ओझा-भगत पर विशेष आधार रखते हैं, इसलिए इसमें उन्हें कम खर्च होता है।

इस तरह उनका जीवनस्तर बहुत कम जरूरतों पर और इनमें अधिकतर स्वयं पूरी कर लेनेके नियम पर अवलंबित है।

(६) सामाजिक व्यवहारमें काफ़ी कुशादगी देखनेको मिलती है, फिर भी जो व्यवहार तय हुए हैं उनका चुस्तीसे पालन होता है। खुद-पसंद करनेकी छूट, तलाक़, करावा या पुनर्विवाहकी छूट, सामर्थ्य न हो तब मात्र सगाई करके ही विधिपूर्वक शादी किये बिना गिरस्थी शुरू करनेकी छूट अथवा घरझँवाई रहनेकी छूट इत्यादिके कारण उनके सामाजिक जीवनमें बहुत कम दम-घोंट मालूम होती है तथा स्त्री और पुरुषमें समानताकी भूमिका पर संबंध बनते हैं।

सामाजिक बंधनोंके कारण स्त्रीको पुरुषके दबावमें रहना नहीं पड़ता। ऐसा होते हुए भी उसमें स्वच्छंदताके लिए स्थान नहीं है। जातिके कानूनोंका जो भी भंग करता है उसे जातिपंचके समक्ष हाज़िर होना पड़ता है और उसका फैसला कबूल रखना पड़ता है। पटेल, कारभारी और पंच मिलकर बने हुए जातिपंच तथा एकसे अधिक गाँवोंके लिए चौरापंच सब जातियोंमें देखनेको मिलते हैं। ये पंच उनके सब सामाजिक व्यवहारोंका चुस्तीसे नियमन करते हैं।

(७) सब सामाजिक प्रसंग अत्यंत सादगीसे मनाये जाते हैं और ये मनानेमें नृत्यको सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता है। इसी तरह त्यौहार मनानेमें भी देखनेमें आता है। उल्लास व्यक्त करनेके लिए नृत्यका उपयोग सभी जातियाँ बहुत रिआयतसे करती हैं और उसमें सारा समाज हिस्सा लेता है।

(८) किसी भी रूढ़ धर्मका पालन न करके अगम्य शक्तियोंमें आस्था वे रखते हैं और उन्हें खुश रखनेकी कोशिश करते हैं। इसमें भी सरलता और सादगी खूब दिखाई देती है। कोई भी पत्थर या लकड़ीका टुकड़ा उनकी श्रद्धाका पात्र बन सकता है। इसके लिए उन्हें मंदिर या देवालय नहीं बनाने पड़ते। इसमें भी खास करके उनके पूर्वजोंकी आत्माको संतुष्ट रखनेकी वे सबसे अधिक चिंता रखते हैं।

(९) अगम्य शक्तियोंमें माननेके कारण और जीवन संबंधी कोई बुद्धिगम्य फिलासफी अपनायी न होनेके कारण उनका जीवन वहम और अंधश्रद्धाओंसे भरा होता है। इसलिए ओझे और भगतका सब जातियोंमें बहुत आदर होता है।

(१०) वे मालकी खरीद-बिक्रीके लिए हाट-प्रथा पर आधार रखते हैं। हफ्तेमें अलग-अलग दिनोंमें अलग-अलग स्थान पर लगनेवाले हाटोंसे ज़रूरी चीजवस्तु खरीद करते हैं और अपना माल बेचते हैं।

(११) बालकका नाम पशुपक्षी या वृक्ष परसे अथवा वह जिस दिन पैदा होता है उस परसे रखते हैं। उनकी स्वतंत्र बोली है, परन्तु लिपि नहीं है। इसलिए जो कुछ लोकसाहित्य है वह सब कंठस्थ है। बोलीका विकास स्वतंत्र लिपि नहीं होनेसे और शिक्षणके अभावमें बहुत मर्यादित हुआ है।

(१२) अलग अलग धंधोंका विकास नहीं हो सका। शिक्षाका भी पर्याप्त विकास नहीं हुआ। खेती, जंगल और मज़दूरी—इन तीनों पर ही खास सबका आधार है। जंगल-काम कम हुआ है और जंगलके कानूनोंके कड़े बननेसे उस काममें भी पहले जैसी सुविधा अब नहीं रही। खेतीके लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं मिलती, इसलिए अधिकांशको मज़दूरी पर खास आधार रखना पड़ता है।

गुजरातकी सब आदिवासी जातियोंमें ये तत्त्व समान हैं। उनमेंसे संपर्ककी वजहसे एक जाति दूसरी जातिकी अपेक्षा किसी बाबतमें आगे बढ़ी हो एसा बने। उदाहरणके तौर पर धोडिया जातिने संपर्क और अच्छी आर्थिक स्थितिके कारण दूसरी जातियोंकी अपेक्षा शिक्षाका अधिक लाभ लिया है। इसी तरह रीतिरिवाजोंके लिए भी कह सकते हैं। उच्चवर्णके लोगोंके साथ रहनेके कारण सुरत ज़िलेकी कुछ जातियोंने अपने सादे रिवाज छोड़ उच्चवर्णोंके शादीके रिवाज अपनाना शुरू किया है और विवाहकी विधि जिसे खुद कर लेते थे इसके बदले अब वे ब्राह्मणों द्वारा कराने लगे हैं। इस तरहके परिवर्तन संपर्कके कारण होने लगे हैं। फिर भी समग्रतया हम कह सकते हैं कि ज्यादातर आदिवासी आबादी ऊपर जैसा बयान किया गया है वैसा सामाजिक, आर्थिक जीवन आज भी बिता रही है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट नं० १

आदिवासियों तथा आदिवासी विस्तारोंके विकासके लिए संविधानमें दी गई खास सूचनाएँ

(१) धारा १५ (४)

इस धाराके अनुसार सामाजिक दृष्टिसे या शैक्षणिक दृष्टिसे पिछड़ी मालूम होनेवाली जातियों या ज्ञातियोंके विकासके लिए खास सुविधाएँ देनेकी राज्य सरकारको सत्ता दी जाती है।

(२) धारा १६ (४)

इस धाराके अनुसार राज्यकी सरकारी नौकरियोंमें योग्य प्रतिनिधित्व न रखनेवाली पिछड़ी जातियों और ज्ञातियोंके लिए सुरक्षित जगहें रखनेकी राज्य सरकारको सत्ता दी जाती है।

(३) धारा ४६

इस धाराके अनुसार पिछड़े वर्गोंके, खास करके अस्पृश्य ज्ञातियों तथा आदिवासियोंके आर्थिक और शैक्षणिक विकासकी और उन्हें किसी भी प्रकारके सामाजिक अन्याय और शोषणसे बचानेकी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर डाल कर इसके संबंधमें योग्य कार्रवाई करनेकी सूचना दी गई है।

(४) धारा २७५ (१)

इस धारामें आदिवासियों और आदिवासी विस्तारोंके विकासके लिए एक खास निधि इकट्ठा करनेके लिए भारत सरकारको सूचित किया गया है और इस निधिमेंसे आदिवासियोंके विकासके लिए तथा आदिवासी विस्तारोंके कारबार सुधारणाके लिए राज्य सरकारें जो योजनाएँ भारत सरकारकी मंजूरीसे अमलमें लायें उसके आवर्तक और अनावर्तक दोनों तरहके खर्चके लिए मदद करनेकी सूचना दी गई है।

(५) धारा ३३० और ३३२

इन धाराओंके अनुसार पार्लियामेन्टमें और राज्योंकी विधानसभाओंमें आदिवासियोंके लिए सुरक्षित स्थान निश्चित किये गये हैं।

(६) धारा ३३५

भारत सरकारकी और राज्य सरकारकी नौकरियोंमें नियुक्तिके समय कारबारको धक्का न लगे इस तरह हरिजनों और आदिवासियोंके कल्याण पर खास लक्ष देनेके लिए इस धारामें सूचित किया गया है।

(७) धारा ३३८

आदिवासियों और हरिजनोंके कल्याण पर खास ध्यान देनेके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह अधिकारी अनुसूचित ज्ञातियों और अनुसूचित आदिवासियोंका कमिश्नर कहलाता है।

(८) धारा ३३९

आदिवासियोंके कल्याणके बारेमें तथा आदिवासी विस्तारोंके कारबारके विषयमें उचित सिफारिशें करनेके लिए हर दस वर्षके बाद एक कमीशन नियुक्त करनेके लिए इस धारामें सूचित किया है। इसके अनुसार १९६० में ढेबर कमीशनकी नियुक्ति की गई थी।

(९) धारा ३४२

इस धाराके अनुसार राष्ट्रपति एक घोषणा पत्र द्वारा अनुसूचित आदिजातियोंमें किन किन जातियोंका समावेश है इसकी तालिका प्रकट करते हैं और उस तालिकामें परिवर्तन करते हैं।

(१०) पाँचवीं सूचि

आदिवासी विस्तार तथा आदिवासियोंके कारबारके बारेमें इस सूचिमें सुविधाएँ की गई हैं। इसके अनुसार राज्यके गवर्नरके लिए हर साल राष्ट्रपतिको राज्यके अनुसूचित विस्तारोंकी स्थितिके बारेमें अहवाल पहुँचाना होता है। इसके अलावा राज्य सरकारको आदिवासियोंके प्रश्नोंके संबंधमें सलाह देनेके लिए एक आदिवासी सलाहकार समिति नियुक्त करनेके लिए भी तय किया है। और आदिवासी विस्तारोंमें कारबार ठीक चले और शांति बनी रहे इस दृष्टिसे जरूरी फरमान निकालनेकी गवर्नरको सत्ता दी गई है। सूचिके सी और डी विभागमें आदिवासी विस्तार घोषित करने तथा उन विस्तारोंकी सूचिमें परिवर्तन करनेकी सुविधा की गई है।

परिशिष्ट नं० २

गुजरातमें तीसरी पंचवर्षीय योजनाके दरमियान अमलमें आयी हुई आदिवासी कल्याण योजनाएँ

क्रम	योजनाका नाम और ब्यौरा	तीसरी योजनामें आर्थिक प्रबंध (लाख रु.में)	तीसरी योजनामें खर्च (लाख रु.में)	तीसरी योजनाका भौतिक लक्ष्यांक	तीसरी योजना दरम्यान निष्पन्न कार्य
अ.	राज्य योजनाएँ	२१०.०९	२७८.०८	—	—
क.	शिक्षण योजनाएँ	७७.२५	१९९.६५	—	—
१.	शिक्षण फीस और परीक्षा फीस	५.२५	४१.२७	३,६०० विद्यार्थियोंको शिक्षण फीस दी जाये	६३,८९० विद्यार्थियोंको शिक्षण फीस दी गई
(१)	रु. ३,६००से कम आयवाले अभिभावकोंके सब बालकोंको संपूर्ण शिक्षण फीस और रु. ३,६०१ से ४,८००की आयवाले कुटुंबमें १ बालकके सिवा तमाम बालकोंको एस. एस. सी. तक अभ्यास करनेके लिए आधी शिक्षण फीस दी जाती है। इसके लिए ५ लाख रु.का प्रबंध किया गया है।				
(२)	एस. एस. सी. की परीक्षाके लिए रु. ३,६०० तककी आयवाले तमाम आदिवासी विद्यार्थियोंको परीक्षा फीस दी जाती है। इसके लिए रु. २५ हजारका प्रबंध रखा है। पहले सब आदिवासी विद्यार्थियोंको आयका कुछ भी भेद किये बिना शिक्षण फीस तथा परीक्षा फीस देनेका प्रबंध किया गया था परंतु १९६३–६४के वर्षसे आयका धोरण अपनाया गया है। अधिक संख्यामें आदिवासी विद्यार्थीगण शिक्षण लेने लगे हैं इसलिए आर्थिक साधन पर्याप्त न होनेके कारण यह मर्यादा अपनायी गई है।	—	१.०९	१,२५० विद्यार्थियोंको परीक्षा फीस दी जाये	५,६४० विद्यार्थियोंको परीक्षा फीस दी गई
२.	आदिवासी विद्यार्थियोंके लिए शिष्यवृत्ति प्राथमिक श्रे. १ से २ वार्षिक रु. ३)- श्रे. ३ से ४ „ रु. ६)- श्रे. ५ से ७ „ रु. ३०)- श्रे. ८ से ११ „ रु. ६०)- टेकनिकल हाईस्कूलमें और उच्च टेकनिकल माध्यमिक शालामें पढ़ते आदिवासी विद्यार्थियोंको वार्षिक रु. ९०)- मान्य संस्थाओंमें घंधाकीय तालीम लेनेके लिए मासिक रु. २५)-	१२.००	४३.३७	१,२०० विद्यार्थियोंको शिष्यवृत्ति दी जाये	१,६२,०८८ विद्यार्थियोंको शिष्यवृत्ति दी गई

ऊपर लिखे दरसे जिस आदिवासी विद्यार्थीके अभिभावककी या पिताकी वार्षिक आय रु. ६,००० से अधिक न हो और जिसने पिछली वार्षिक परीक्षामें ४० प्रतिशत अथवा इससे अधिक मार्कस पाये हों ऐसे आदिवासी विद्यार्थियोंको शिष्यवृत्तियाँ दी जाती हैं।

३.	आदिवासी छात्रालयको सहायता (१) मासिक रु. २०)-के हिसाबसे प्रत्येक लड़के पर और रु. २५)-के दरसे हर कन्या पर सहायता मान्य छात्रालयको दस मासके लिए दी जाती है। (२) इसके अलावा अगर छात्रालय किरायेके मकानमें चलता हो तो उसे किराये की योग्यताका सर्टिफिकेट लाने पर ५०% किरायेका अनुदान मंजूर किया जाता है। (३) अगर आदिवासी छात्रालयका गृहपति योग्य शैक्षणिक योग्यता रखता हो तो उसके वेतनके ५०% अधिकसे अधिक रु. १०० तक मंजूर किये जाते हैं।	१२.००	६१.२०	६,००० विद्यार्थियोंको छात्रालय मदद देना	३१,२४४ विद्यार्थियोंको छात्रालय मदद दी गई
४.	कॉस्मोपॉलिटन छात्रालयको सहायता मान्य आदिवासी छात्रालयमें अगर १० हिन्दू सवर्ण छात्र दाखिल किये जायें तो उसे मासिक रु. २० की दरसे १० मास तक योग्य अनुदान दिया जाता है। अगर बिन-पिछड़े वर्गके छात्रालयमें आदिवासी छात्रोंको दाखिल किये जायें तो वैसे हर आदिवासी विद्यार्थी पर १ लाखसे कम आबादीवाले शहरमें रु. ३० की दरसे १० मासके लिए और १ लाखसे अधिक आबादीवाले शहरमें रु. ४०की दरसे १० मासके लिए मंजूर किये जाते हैं।	२.००	१.९०	१,००० विद्यार्थियोंको छात्रालय मदद देना	२९४ विद्यार्थियोंको छात्रालय सहायता दी गई
५.	आदिवासी छात्रालयका मकान बनानेके लिए सहायता अगर कोई स्वैच्छिक संस्था आदिवासी छात्रालय बनाना चाहे तो रु. २५,०००)-के खर्च तक ७५% ग्रांट और ५०,०००)-तक ५०% ग्रांट रु. ५०,००० की मर्यादामें रहकर दी जाती है।	५.००	६.२८	१५ छात्रालयके मकान बनानेके लिए सहायता देना	४२ छात्रालयके मकान बनानेके लिए आंशिक मदद दी गई
६.	आदिवासियोंके लिए आश्रमशालाएँ आदिवासी बालकोंको शिक्षा देनेके लिए आश्रमशालाएँ शुरू करने और चलानेके लिए सार्वजनिक संस्थाओंकी मदद की जाती है। सामाजिक संस्थाओंको खर्चके ९०%ग्रांट-इन-एइड दी जाती है। आश्रमशालाओंमें प्राथमिक श्रे. १ से ७ तक शिक्षा दी जाती है और शिक्षाके अतिरिक्त कताई, खेतीका काम, बागकाम, गोपालन सिखाया जाता है। बालकोंका भोजन, कपड़े, बिस्तर,	४१.००	४२.४९	२५ आश्रमशालाएँ तथा १ बेसिक शाला नई शुरू करना	३४ आश्रमशालाएँ तथा एक बेसिक शाला नई शुरू हुई है। पुरानी ४८ के साथ कुल संख्या ८२ की हुई है।

शिक्षण इत्यादि मुफ्त दिया जाता है। इन योजनाओंका अमल शिक्षण विभागकी तरफसे होता है।

ख. आर्थिक उन्नतिके लिए योजनाएँ

१. खेतीविषयक प्रवृत्तियोंके लिए आदिवासी लोन और सहायता				
(१) हल-बैल-सहायता बैलोंकी जोड़ी और हल खरीदनेके लिए रु. ५०० तक जिसमें ५०% लोन और ५०% सहायता दी जाती है।	६.००	३.२८	१,२०० व्यक्तियों-को सहायता देना	१,८३२ व्यक्तियोंको मदद दी
(२) बीज-सहायता अच्छी किस्मका बीज खरीदनेके लिए रु. ५० तक सहायता दी जाती है जिसमें ५०% सहायता और ५०% लोन दी जाती है।	२.००		२,००० व्यक्तियोंको सहायता देना	
(३) खेतीके साधनोंके लिए सहायता प्रत्येक व्यक्तिको रु. १००की मर्यादामें ५० % लोन और ५० % सहायता दी जाती है।	४.००		४,००० व्यक्तियोंको सहायता देना	
(४) दुधार ढोरके लिए सहायता रु. ३०० तक एक ढोरके लिए ५० % लोन सहायता दी जाती है।	२.००		६६७ ढोर खरीदनको देना	
(५) खादके लिए सहायता रु. ५० तक प्रतिव्यक्ति ५० % लोन और सहायता दी जाती है।	२.००		४,००० व्यक्तियोंको मदद देना	
(६) गाड़ेके लिए सहायता प्रत्येक व्यक्तिको एक गाड़ेके लिए रु. ३०० तक ५० % सहायता और ५० % लोन दी जाती है।	४.००		१,३३४ व्यक्तियोंको मदद देना	
२. आदिवासियोंको सिंचाईके लिए आर्थिक सहायता	२२.००	८.८२	१,००० कुएँ बाँधनेके लिए मदद देना	७१० कुओंके लिए मदद दी
(१) सिंचाईके लिए कूआँ इस योजनाका अमल पिछले वर्ष तक खेतीवाड़ी विभागकी तरफसे किया जाता था। अब समाजकल्याण विभागकी तरफसे होता है। एक कुएँके लिए अधिकसे अधिक रु. २,००० तक ५०% लोन और ५०% सहायता दी जाती है।				
(२) ऑइल पंप और पर्शियन व्हील	२०.००	५.३०	३७५ ऑइल पंप, १,००० पर्शियन व्हील खरीदनेके लिए मदद मदद देना	२०८ ऑइल पंप और पर्शियन व्हील खरीदनेके लिए मदद दी
३. आदिवासियोंको जमीन संरक्षणके लिए आर्थिक सहायता				
(१) जमीन सुधार इस योजनाका अमल खेतीबाड़ी विभागकी तरफ़से होता है। प्रति एकड़ अधिकसे अधिक रु. ५०० सहायता दी जाती है।	१२.००	२.७६	३,३३३ एकड़ ज़मीनमें सुधार करना	५,१३५ एकड़ ज़मीनमें सुधार किया गया

(२) बाँधमेंड़ ऊपरके मुताबिक खेतीबाड़ी विभागकी तरफ़से इस पर अमल होता है। प्रति एकड़ अधिकसे अधिक रु. ५००)- सहायता दी जाती है।	१२.००	०.८४	३२,३७० एकड़ ज़मीन-में मेंड़ें बाँधी जायें	२,४६८ एकड़ जमीन-में मेंड़ें बाँधी गईं
४. छोटे उद्योगधंधोंके लिए लोन-सबसीडी प्रत्येक व्यक्तिको अधिकसे अधिक रु. ५००की रक़म जिसमें ७५% लोन और २५% सहायता के रूपमें दी जाती है।	९.१२	८.५१	१,८२४ व्यक्तियोंको मदद देना	३,८३२ व्यक्तियों-को मदद दी
५. उत्पादन और तालीम केन्द्र इस योजनाका अमल सहकारी मंडलियोंके रजिस्ट्रार और गृह-उद्योग नियामक द्वारा किया जाता है। ऐसे तालीम केन्द्रमें टर्निंग, फिटिंग, वेल्डिग, राजगिरी, बढ़ईगिरी इत्यादि सिखाये जाते हैं।	७.७२	४.५९	४ केन्द्र चलाना	४ पुराने केन्द्र चालू रखे गये
६. आरोग्य, आवास और दूसरी योजनाएँ	३०.००	१५.३४	—	—
(१) आदिवासी और अनुसूचित विस्तारोंमें रास्ते, पुल इत्यादि बाँधनेके लिए इस योजनाका अमल ज़ाहिर बाँधकाम विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी विस्तारोंमें जहाँ यातायातकी सुगमताके लिए छोटे पुल या रास्ते बाँधनेकी ज़रूरत हो वहाँ बाँधे जाते हैं।	१०.००	४.५४	५ काम मिलाकर १५० मील रास्ता तैयार करना	२ काम हुए
(२) आदिवासियोंके लिए आरोग्य और तबीबी सुविधाएँ सुलभ करनेवाली सबसीडियरी आरोग्य केन्द्र इस योजनाका अमल आरोग्य विभाग नियामक द्वारा होता है।	१३.३५	१.८७	१२ केन्द्र शुरू करना	३ केन्द्र शुरू हुए
(३) आदिवासी विस्तारमें आरोग्यसेवा देनेवाली मान्य संस्थाओंको मदद इस योजनामें आदिवासी विस्तारमें वैद्यकीय सुश्रूषाका काम करनेवाली स्वैच्छिक संस्थाओंको अनुदान दिया जाता है।	०.५०	०.४९	४ संस्थाओंको मदद देना	३ संस्थाको मदद दी गई
(४) आरोग्य विषयक जाँच डुकवर्म, अंटीकी बीमारी और पोषणयुक्त आहारके अभावमें पैदा होनेवाले रोगोंकी जाँच की जाये।	—	०.१४	—	१ जाँच शुरू की
(५) व्यक्तिगत वैद्यकीय सहायता सामान्य रोगोंमें रु. २५, टी. बी. या केन्सर जैसे रोगोंमें मासिक रु. ५० छः मास तककी बीमारीमें और दुर्घटनामें रु. १०० दी जाती है।	२.९०	२.५७	२०,९०० व्यक्तियोंको मदद देना	३,८३९ व्यक्तियोंको मदद दी
(६) पीनेके पानीके कुओंके लिए सहायता प्रत्येक नये कुएँ पर अधिकसे अधिक रु. २,००० अथवा खर्चके ८० % ग्रांट दी जाती है।	५.००	३.८५	२५० कुएँ पीनेके पानीके लिए बनाना	२२५ कुएँ पीनेके पानीके लिए बनाये

(७) हलवाहोंके आवास	—	१५.१५	—	२,३६१ घर बाँधनेके लिए मदद दी और ८,६३५ घरके लिए जमीन खरीदनेके लिए मदद दी
१. प्रतिव्यक्ति रु. १,००० मकान बनानेके लिए जिसमें रु. ७५० सहायता और रु. २५० लोन।				
२. मकानके लिए ज़रूरी ज़मीनके लिए रु. २०० तक सहायता।				
इस योजनाका अमल सूरतके समाहर्ताश्रीकी तरफ़से होता है।				
७. आदिवासियोंको दीवानी और फौजदारी केसोंमें कानूनी सहायता	०.२५	०.१६	निश्चित नहीं की गई	११२ व्यक्तियोंको मदद दी
१. फौजदारी केसमें				
२. दीवानी केसमें				
इस योजनाका अमल पिछले वर्ष तक कानून विभागकी तरफसे होता था। अब समाजकल्याण विभाग द्वारा होता है।				
८. प्लानिंग, कॉ-ऑर्डिनेशन एण्ड स्टेटिस्टिकल सेल	१.००	०.६९	१ सेल शुरू करना	सेल शुरू हो गहै है
नोंध: अलग-अलग योजनाओंमें दी जानेवाली लोन ब्याजमुक्त होती हैं।				
ब. मध्यस्थ सरकारकी योजनाएँ	२३८.९८	२६२.१४	—	—
१. आदिवासी विकास घटक शुरू करनेके लिए ग्रामविकास विभाग द्वारा अमलमें है।	२०६.७८	२३४.२२	४९ घटक शुरू करना	५० घटक शुरू हुए
२. आदिवासी विस्तारमें ग्रामसेवा सहकारी मंडलियोंको सहायता	१०.६८	१४.४०	१४० मंडलियोंको मदद देना	१,२५४ मंडलियोंको मदद दी
रजिस्ट्रार, सहकारी मंडलियोंके द्वारा अमलमें है।				
३. खरीद-बिक्री और ग्राहक मंडलियोंको सहायता	५.३६	५.२६	२० मंडलियोंको मदद देना	२२६ मंडलियोंको मदद दी
४. जंगल कामदार सहकारी मंडलियोंको मदद	५.३०	१.६३	४९ मंडलियोंको मदद देना	५५ मंडलियोंको मदद दी
५. जंगल कामदार सहकारी मंडलीके मंत्री और हिसाबनीसको तालीम देना	०.७९	०.२३	८ वर्ग चलाना	१९ वर्ग चलाये
६. जंगल कामदार सहकारी मंडलीके फेडरेशन बनाना	०.६९	०.०२	५ फेडरेशन बनाना	१ फेडरेशन बनाया
७. जंगल कामदार सहकारी मंडलीके मुकादम, एजेन्ट और डेपो क्लर्कको तालीम देना	०.५१	—	—	—
८. जंगल विभागके अधिकारियोंके तालीमवर्ग चलाना	०.१३	—	—	—
९. आदिवासी मजदूर मंडलियोंको आर्थिक सहायता	१.००	१.२४	१४ मंडलियोंको मदद देना	५८ मंडलियोंको मदद दी
१०. टेकनिकल मार्गदर्शनके लिए मज़दूर मंडलियोंको आर्थिक सहायता	०.५०		५५ मंडलियोंको मदद देना	

११. औजार और साधन खरीदनेके लिए सहायता	०.६०		३० मंडलियोंको मदद देना
१२. भारी मशीनरी खरीदनेके लिए सहायता	०.९०		९ मंडलियोंको मदद देना
१३. आदिवासी संशोधन और तालीम केन्द्र शुरू करना यह संस्था अहमदाबादमें चालू है जिसमें आदिवासियोंके सम्बन्धमें संशोधन और तालीमकी व्यवस्था है।	५.७५	५.१४	१ केन्द्र शुरू करना केन्द्र शुरू हो गया
क. राज्य सरकार और मध्यस्थ सरकार दोनोंकी योजनाओंका कुल खर्च	४४९.०७	५४०.२२	— —

ऊपर बताई गई योजनाओंके अलावा दूसरी कुछ सुविधाएँ भी आदिवासियोंको दी जाती हैं; जैसी कि कालिजोंमें और धंधाकीय अथवा औद्योगिक शिक्षणसंस्थाओंमें प्रवेश लेनेमें उन्हें मुश्किल न हो इसलिए उनके लिए कुछ बैठक ऐसी संस्थाओंमें सुरक्षित रखी जाती हैं। और कालिजोंमें या उच्चशिक्षा देनेवाली धंधाकीय अथवा औद्योगिक सँस्थाओंमें पढ़ते आदिवासी विद्यार्थियोंको भारत सरकारकी तरफ़से शिष्यवृत्तियाँ दी जाती हैं जिसमें उनका शिक्षा संबंधी तमाम खर्च तथा रहने और भोजनका तमाम खर्च पूरा हो सकता है। इस तरह प्राथमिक शिक्षासे उच्चसे उच्च शिक्षा पानेमें आदिवासी विद्यार्थियोंको किसी तरहकी आर्थिक कठिनाई न हो इसके बारेमें पूरी व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा अलग-अलग नौकरियोंमें उनके लिए सुरक्षित स्थान रखे जाते हैं।

नौकरीके लिए सुरक्षित स्थान

संविधानकी धारा ३३५ के अनुसार गुजरात राज्यने आदिवासियों के लिए नीचे मुताबिक स्थान सुरक्षित रखे हैं।

		प्रथम और दूसरे वर्गके स्थान	तीसरे वर्गके स्थान	चौथे वर्गके स्थान
(१) पहलेके बम्बई राज्यकी सीमामें आया हुआ गुजरात राज्यका भाग	सब पिछड़े वर्गोंके लिए १२॥ प्रतिशत	७ प्रतिशत	९ प्रतिशत	
(२) सौराष्ट्र	(अ) पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जानेवाली नियुक्तियोंके ५% स्थान			
	(ब) इसके अलावा चौथे वर्गके सिवाके सब स्थानोंके लिए हरिजन और आदिवासी दोनोंके लिए १०%			
	(क) हरिजनों और आदिवासियों दोनोंके लिए चौथे वर्गके ६॥% स्थान			
(३) कच्छ	सब नौकरियोंमें ५%			

तीसरे और चौथे वर्गकी नौकरियोंमें वयमर्यादा पिछड़े वर्गोंके लिए ५ वर्ष बढ़ाई है। पहले और दूसरे वर्गकी नौकरियोंमें जहाँ ४० वर्षकी वयमर्यादा है वहाँ ५ वर्ष बढ़ाये हैं और ४० वर्षसे अधिक वयमर्यादावाली नौकरियोंमें ३ वर्ष बढ़ाये हैं। नौकरियोंके लिए अरजी फीस अथवा परीक्षा फीस देनेमें से मुआफी दी गई है।

प्राथमिक शालाओंके शिक्षकोंकी भर्तीके लिए नीचे मुताबिक ज़िलोंमें इस प्रकार जगहें पिछड़े वर्गोंके लिए सुरक्षित रखी हैं:

आदिवासी विस्तारवाले ज़िले		बिन-आदिवासी विस्तारवाले ज़िले	
भरूच	३० प्रतिशत	अहमदाबाद	२० प्रतिशत
पंचमहाल	३५ „	खेड़ा	२० „
बड़ौदा	२५ „	मेहसाणा	१५ „
सूरत	४५ „	अमरेली	१५ „
साबरकांठा	३५ „		

सरकारी ज़मीन या दूसरी ज़मीन बाँटते समय आदिवासियोंको प्रथम पसंद किया जाता है। ऐसी ज़मीन अगर नये सिरेसे जोतना शुरू करनी हो तो बिलकुल मुफ़्त दी जाती है। अगर वह जोती जाती हो तो महसूलके छः पट लेकर दी जाती है। नयी ज़मीन पर पहले पाँच साल तक जमीन-महसूल नहीं लिया जाता।

आदिवासी सलाहकार समिति

संविधानकी पाँचवीं सूचिमें बताये गये अनुसार आदिवासियोंके प्रश्नोंके बारेमें राज्य सरकारको सलाह-सूचन देनेके लिए आदिवासी राज्य सलाहकार समिति बनाई गई है। यह समिति मिलती रहती है और आदिवासी प्रश्नोंपर सोच विचार करके राज्य सरकारको उनके बारेमें जरूरी सलाह सूचना देती है। इस समितिके सभ्य नीचे मुताबिक हैं:

(१) शिक्षण और समाजकल्याण विभागके मंत्री	प्रमुख
(२) आरोग्य और जेल विभागके उपमंत्री	उप-प्रमुख
(३) पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग नियामक	सचिव
(४) श्री बडियाभाई मूलजीभाई गोंदिया	सभ्य
(५) श्री मानसिंह वेचातभाई नायक	„
(६) श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल	„

(७)	श्री मालजीभाई सगरामभाई डाभी	सभ्य
(८)	श्रीमती हीराबेन लालचंद निनामा	"
(१०)	श्रीमती डाहीबहेन भूलाभाई राठोड	"
(११)	श्री छनाभाई गुजाभाई कुमार	"
(१२)	श्री टीटाभाई मेघजीभाई हठीला	"
(१३)	श्री हिंमतभाई मथुरभाई रजवाडी	"
(१४)	श्री भाईजीभाई गरबडभाई तडवी	"
(१५)	श्रीमती धनुबहेन वसावा	"
(१६)	श्री वीरसिंहभाई ज्योतिभाई भाभोर	"
(१७)	श्री डाह्याभाई जीवणजी नायक	"
(१८)	मुख्य सचिव, सामान्य वहीवट	सरकार नियुक्त सभ्य

ऊपरकी यादीमें बताये हुए सभ्योंमें पहले तीन आदिवासी कल्याण योजनाओंके साथ सीधे संबंधित मंत्री, उपमंत्री और नियामक हैं। आखिरी सभ्य और श्री डाह्याभाई नायक सरकार नियुक्त हैं और बाकीके सब आदिवासी धारासभ्य हैं। सलाहकार समितिके सब सभ्य इस तरह आदिवासीके प्रश्नोंसे सीधे संबंध रखते हैं इतना ही नहीं परन्तु उनमेंसे अधिकतर आदिवासियोंके ही प्रतिनिधि हैं।

आदिवासी सामाजिक संस्थाएँ

आदिवासी कल्याण योजनाओंके संचालनमें आदिवासियोंमें काम करनेवाली बिन-सरकारी सामाजिक संस्थाओंका पूरा सहकार प्राप्त करके काम किया जाता है और यथासंभव इन योजनाओंका संचालन सीधा उन संस्थाओंको ही सौंपा जाता है।

उन संस्थाओंमें भील सेवामंडलका नाम सबसे आगे है। आदिवासी जनताके पितामह तुल्य स्व० श्री ठक्करबापा प्रणित इस संस्थाने सारे राज्यमें ऐसी अनेक संस्थाएँ पैदा करनेके लिए जरूरी प्रेरणा दी है और इस तरह आदिवासी प्रजाके विकासकार्यमें असंख्य लोकसेवकोंको सक्रिय रस लेनेवाला किया है। आज तो गुजरातकी आदिवासी आबादीवाले प्रत्येक ज़िलेमें आदिवासी प्रजाके विकासार्थ काम करनेवाली प्रजाकीय संस्थाएँ पैदा हो गई हैं और इस कार्यकी अधिकतर जिम्मेवारी उठा रही हैं। राज्यमें यह काम करनेवाली प्रजाकीय संस्थाओंकी यादी नीचे मुताबिक है:

(१) भील सेवामंडल, दाहोद, जि० पंचमहाल
(२) रानीपरज सेवासभा, बेडछी, जि० सुरत
(३) डांगसेवा समिति, आहवा, जि० डांग
(४) भरूच ज़िला आदिवासी सेवासंघ, राजपीपला जि० भरूच
(५) वडोदरा जिला पछातवर्ग सेवामंडल, बड़ौदा, जि० बड़ौदा
(६) आदिवासी सेवासमिति, शामलाजी, जि० साबरकांठा
(७) दक्षिण गुजरात पछातवर्ग सेवामंडल, सूरत जि० सूरत
(८) गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

इसके अलावा कुछ और स्थानिक संस्थाएँ भी इस क्षेत्रमें काम कर रही हैं और स्थानिक जिम्मेवारियाँ अदा कर रही हैं।

जंगलका उपयोग करनेके बारेमें गुजरात राज्य द्वारा दी हुई छूट

आदिवासियोंका जीवन जंगलके साथ अत्यंत गहरा संबंध रखता है और सैकडों वर्षोंसे उन्हें जंगलका उपयोग करनेके बारेमें कुछ हक़ हासिल होनेके कारण गुजरात राज्यने उन्हें उसमें कोई तकलीफ न हो इस उद्देश्यसे कुछ रिआयत घोषित की है। ये रियायतें नीचे मुताबिक हैं:

१. किसी भी व्यक्तिको उचित दूरीसे अगर किसी भी तरह पानी नहीं मिल सकता तो जंगलका पानी उपयोग करनेसे उसे नहीं रोका जायगा।

२. (अ) सरकारने जिस पर कभी ख़र्च न किया हो ऐसे झरने, बुड़की, बाँध, तालाब और जंगल विस्तारके दूसरे सब पानीके कुदरती सोतोंसे खेतीबाड़ीके लिए पानीका उपयोग करनेमें जमीन महसूल कानूनकी धारा ५५ के अनुसार अपराध न समझा जायगा।

(ब) खेतीबाड़ीके कामके लिए जंगल विस्तारमें कुएँ तथा नहरें खोदनेकी मंजूरी दी होगी तो इस संबंधमें कुछ भी फीस न ली जायगी।

(क) पटे हुए तालाबों और नहरोंको साफ करनेके लिए और पानीके प्रवाहको रोकनेवाले पेड़पौधे या वनस्पति दूर करनेके लिए आसानीसे मंजूरी दी जाएगी।

३. जंगलसे होकर ही कुआँ-तालाब जानेके मार्ग पर जिन ग्रामजनों का हक़ होगा वे ५० फुट चौड़े मार्गका उपयोग कर सकेंगे और संबंधित जंगल-अधिकारीको अर्जी देकर पाई हुई नागफनीसे उसके आसपास उन्हें बाड़ भी करने दी जायगी। ग्रामजनोंको ऐसे रास्तोंको सब तरहकी घास-फूससे मुक्त रखनेकी छूट दी जायगी।

४. जंगल विस्तारके और जंगलविस्तारसे बाहरके गाँवोंके (जहाँ छूट दी हो वहाँ भेडबकरियों सहित) और किसी भी गाँवका न हो ऐसे — अर्थात् चरवाहोंके ढोर तथा जो एक ही गाँवमें नहीं रहते ऐसे ढोरोंके लिए महसूली विभागने पास दिये होंगे तो मुफ्त चरने दिये जायेंगे। इस प्रकारकी छूट चराईके बारेमें प्रचलित प्रवेशनियमोंके अनुसार दी जाएगी। (दूसरे राज्यके ढोरको ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। अगर गुजरात राज्यके जंगलमें चराईकी उन्हें छूट दी गई होगी तो चराईके अधिनियमोंके अनुसार फीस देनी होगी)

५. गोट-वस्तीसे ½ मील तकके किसी भी जंगलविस्तारको चराईके लिए बन्द न किया जायगा।

नोंध: गोट-बस्तीमें गाँवोंके स्थान और जिन्हें महसूल विभागने गोट-वस्ती मान्य की है और गाँवोंके नक्शोंमें इस तरह जिन्हें बतायी गयी हों ऐसी उप-बस्तियोंका समावेश होता है। इनमें छूत फैलनेके समयमें या दूसरे किसी उद्देश्यसे कामचलाऊ आवास खड़े किये हों तो वे और जंगलमें रहनेवालों द्वारा बनायी हुई झोंपड़ियोंका समावेश नहीं होता है।

६. बहुत अन्दरूनी चरागाहोंमें जानेके लिए भी यथेष्ट चौड़े और जिनसे वहाँ जल्दी पहुँचा जा सके ऐसे रास्ते आहिस्ते आहिस्ते बनाये जायेंगे। बंद जंगलसे खुले जंगलकी तरफ जानेवाले संक्षिप्त रास्तोंके आसपास ऊपरके पेरा ३ में उल्लिखित बाढ़ करनेके लिए ग्रामजनोंको जंगल विभागकी तरफसे निशान करके दिये जायेंगे।

७. विभागीय जंगल-अधिकारीकी तरफसे छूट दी हो वैसी जगहसे अपने घरेलू उपयोग अथवा खेतीकामके लिए पत्थर और मिट्टी ले जानेकी छूट उन्हें ढोनेवालेको रहेगी।

८. व्यक्तिको सचमुचके अपने खेतीकाम और घरेलू उपयोगके लिए नीचे गिरे पत्ते और घास ले जानेकी छूट रहेगी।

नोंध: जहाँ जंगलके मुख्य संरक्षकको ऐसा लगेगा कि जंगलोंको नुकसान पहुँचाये बिना ऐसी छूट दी जा सकती है ऐसे विस्तारोंमें जंगल विस्तारके सिवायके ग्रामजनोंको भी झड़े पत्ते ले जानेकी और इसके लिए गाड़ोंका उपयोग करनेकी भी छूट देंगे।

९. (१) नयी रोपाई शुरू होनेसे पहले जो कूप कटाईके लिए निश्चित किये हों उनमेंसे:
(अ) जो लकड़ी अनुपयोगी होनेसे इजारदार छोड़ गये हों; और
(ब) इजारेके क़रारनामेमें निश्चित नापके कटे हुए वृक्षकी शाखाओंकी लकड़ी ले जाना चाहनेवालोंको अपने ही खेतीबाड़ीके अथवा घरेलू उपयोगके लिए ले जानेकी छूट रहेगी।

नोंध: (१) जिन्हें परवाना मिला है उनके लिए नियम (१) ब के अनुसार सुरक्षित रखी हुई डालियोंकी मोटाई छः इंच या इससे कम होनी चाहिए।

नोंध: (२) (अ) में निर्दिष्ट लकड़ी इजारेके समय बीतनेके बाद और (ब) में निर्दिष्ट शाखाएँ इजारेके समयमें ले जा सकेंगे।

नोंध: (३) ग्रामजनोंको अगर कोई इजारदार काटे हुए वृक्षोंकी डालियाँ कूपसे ले जानेसे रोकता हो तो इसकी उस विभागके जंगल अधिकारीको सूचना दी जाये।

१०. जंगलविस्तारमें घरोंके आगसे नष्ट होनेपर रेन्जके जंगल अधिकारी कामचलाऊ झोंपड़ी बनानेके लिए निश्चित की हुई नीची कोटिकी रु० १० तककी क़ीमतकी इमारती लकड़ी वहाँके मामलतदार या महालकारीसे प्रमाणपत्र लाने पर तुरंत देगा। मुख्य संरक्षकने जो निश्चित की हों उन्हीं जातियोंकी इमारती लकड़ी दी जाएगी।

११. जंगल विस्तारके गांवोंके आदिवासियोंको झोंपड़ियाँ बनाने और मरम्मत करनेके लिए तथा खेतीबाड़ी संबंधी साधन वगैरहके लिए नीचे मुताबिक इमारती लकड़ी दी जायगी।

(१) सब जिलोंके लिए:—
जंगल कामदार सहकारी मंडलियों द्वारा जिस कूपकी कटाई चालू हो उसमेंसे जंगलविस्तारके गाँवोंके आदिवासियोंको खेतीके औजारोंके तथा घरोंको बनाने तथा मरम्मतके लिए नीचे मुताबिक बाजारकी दरसे ४०% राहतकी दरसे इमारती लकड़ी दी जायगी।

(अ) नया घर बनानेके लिए ६० बल्लियाँ (रॅफ्टर वर्ग तीसरा), १२ खंभे (वर्ग दूसरा), १२ रॅफ्टर (वर्ग दूसरा) और १२० बाँस (जंगल मजदूर सहकारी मंडलियोंकी कटाई चालू हो और ऐसे कूपोंमेंसे अगर प्राप्त हो तो)

(ब) घरकी मरम्मतके लिए — १२ बल्लियाँ (रॅफ्टर तीसरा) २ खंभे (रॅफ्टर दूसरा), २ रॅफ्टर (वर्ग दूसरा) और ४० बांस (जंगल मजदूर सहकारी मंडलियोंकी अगर कटाई चालू हो तो)। (रॅफ्टर=१ फुटसे अधिक लम्बाई की इमारती लकड़ी)

नोंध: (अ) और (ब) में इमारती लकड़ीकी जाति अगर सागौन मंजूर हुई होगी तो २५ सालमें एक बार और सागौनके सिवा दूसरी लकड़ी मंजूर हुई होगी तो १५ सालमें एक बार दी जायगी।

(क) खेतीके औजारोंके लिए — एक हल, दो जुए, एक गहने और एक गहनीकी लकड़ी माँगनेके समयसे दो सालमें एक बार मिल सकेगी।

(२) सूरत ज़िला — मांगरोल, सोनगढ़ और व्यारा ताल्लुकोंसे बने पहलेके बड़ौदा राज्यमें आदिवासियोंको और जंगल विस्तारके किसानोंको जिनके पास ३० बीघेसे कम ज़मीन हो उन्हें हर पांच सालके बाद नये घर बनवानेके लिए ५० रुपयेकी कीमतकी और घरकी मरम्मतके लिए तथा खेतीबाड़ीके सुधारके लिए हरसाल २५ रुपयेकी कीमतकी इमारती लकड़ी और बाँस दिये जायेंगे।

(३) डांग ज़िला — प्रत्येक डांगीको हर २५ सालमें एक बार नीचे मुताबिक सागौनकी लकड़ी घर बनानेके लिए मुफ्त दी जाएगी।

रॅफ्टर वर्ग दूसरा	३०
" " तीसरा	१००
मनवेल बांस	३००

(४) बनासकांठा ज़िला — झोंपड़ी की मरम्मतके लिए हर साल एक बार प्रत्येक झोंपड़ीके लिए २० घनफुट तक इन्जायली (बिन सागौन) इमारती लकड़ी और १०० बांस तथा ढोरके लिए छप्परोंकी मरम्मतके लिए प्रति छप्पर १५ घनफुट तक इन्जायली (बिन सागौन) इमारती लकड़ी और १०० बांस दिये जायेंगे।

१२. इन सर्वसामान्य अधिकारोंके अलावा प्रत्येक ज़िलेमें और जंगल विभागमें वहाँके निजी कुछ खास अधिकार भी अमलमें हैं। ये अधिकार जंगल विभागकी तरफसे प्रकट की गई पुस्तक (Forest Priviledges in the Gujarat State) में ब्योरेवार दिये गये हैं।

परिशिष्ट नं० ३

तहसीलवार कुल जनसंख्या और आदिवासी जनसंख्याके आंकड़े

अनुक्रम तहसील	कुल जनसंख्या	आदिवासियोंकी जनसंख्या	कुल जनसंख्याका प्रतिशत
१. कच्छ जिला			
१. भूज	१,१९,७१४	३,७७८	३.१६
२. नखत्राणा	६९,६३२	१,९०४	२.७६
३. लखपत	१८,४०१	३०८	१.७२
४. अबडासा	६५,११८	१,६२०	२.४९
५. मांडवी	१,०१,५०१	२,३८९	२.३५
६. मुंद्रा	५४,४२५	१,८४६	३.३९
७. अंजार	१,०६,१८९	३,२९२	३.१०
८. भचाउ	६५,२१०	५,३०७	८.१३
९. रापर	८५,४१९	११,०७५	१२.९६
१०. खदीर महाल	३,१२४	७९९	२५.५६
११. खावडा महाल	७,७०७	१५३	१.९८
२. जामनगर जिला			
१. जामनगर	२,५५,९७०	३७८	०.१५
२. ध्रोल	३५,३१०	१९	०.०५
३. जोड़िया महाल	६१,४४५	१६४	०.२६
४. कालावड	७४,९२९	१८५	०.२४
५. लालपुर महाल	५३,०४५	३९	०.०७
६. जामजोधपुर	७७,५८६	१,१२८	१.४५
७. ओखामंडल	६०,५९५	५८	०.०९
८. कल्याणपुर महाल	६८,९३३	८३	०.१२
९. खंभालिया	८१,९७२	२८०	०.३५
१०. भाणवड	५८,६३४	१,०७६	१.८३
३. राजकोट जिला			
१. राजकोट	२,६१,१०३	९८	—
२. जसदण	९९,८९३	—	—
३. पडधरी महाल	३६,७१८	—	—
४. गोंडल	१,४०,२४७	४२	—
५. लोधिका महाल	२२,०९४	—	—
६. कोटडा-सांगाणी महाल	३०,७८३	२७	—
७. मोरबी	१,६२,००६	११	—
८. मालिया महाल	४८,०००	२	—
९. वांकानेर	७८,८३८	२३	—
१०. जेतपुर	९१,९८५	१३०	०.१४
११. घोराजी	९१,७७४	३६	—
१२. जामकंडोरणा महाल	४०,८६९	—	—
१३. उपलेटा महाल	१,०४,२०९	१९	—
४. सुरेन्द्रनगर जिला			
१. वढवाण	१,२६,०६०	११	—
२. मूली	४४,६६८	२०२	०.४५
३. चोटिला	५५,८५५	—	—
४. लींबड़ी	१,२५,१९२	२,६४९	२.११
५. लखतर	४१,३५७	४	—
६. सायला	४१,२२६	७७	०.१८
७. ध्रांगध्रा	८६,२५७	१८३	०.२१
८. हलवद	५२,८५९	२३	—
९. दशाडा	८९,७३२	४	—
५. भावनगर जिला			
१. भावनगर	२,३०,९००	५८	०.०२
२. घोघा महाल	५०,७०९	—	—
३. वल्लभीपुर महाल	४०,९९२	—	—
४. बोटाद	७७,६८२	१७	—
५. गढडा	७१,८५५	—	—
६. पालीताणा	८९,८७१	—	—
७. शिहोर	७४,०२३	—	—
८. उमराला महाल	४४,२०६	—	—
९. गारियाधार महाल	५६,४०१	—	—
१०. कुंडला	१,२९,७२६	—	—
११. महुवा	१,४९,४९७	—	—
१२. तलाजा	१,०३,५७३	—	—
६. जूनागढ जिला			
१. जूनागढ	१,४५,११६	११६	०.११
२. भेंसाण महाल	३६,७२४	—	—
३. विसावदर	६५,३५२	४३०	०.६७
४. मेंदरडा महाल	३३,११७	१६७	०.५०
५. मांगरोल	७८,८२६	५	—
६. माणावदर	८९,२७६	१५	—
७. केशोद	७६,४९२	४४	—
८. वंथली महाल	६२,६६२	२	—
९. पाटण-वेरावल	१,४४,०३८	१७७	०.१२
१०. मालिया	६५,७४७	१५	—
११. चलाला महाल	४९,७९१	३,३४०	६.९०
१२. उना	१,२९,४५२	१,३०८	१.०१
१३. पोरबंदर	१,७१,२२५	३४	—
१४. राणावाव महाल	४४,८९१	१,०९५	२.०४
१५. कुतियाणा महाल	५२,९३४	५	—
७. अमरेली जिला			
१. अमरेली	१,०९,९६१	१५	—
२. कुंकावाव-वडिया	९२,१७६	१	—
३. बाबरा	५५,८६१	२	—
४. लाठी	६८,८९०	१	—
५. लिलिया महाल	४१,८०५	२	—
६. धारी	८१,७०७	३	—
७. खांभा महाल	२८,०५७	—	—
८. राजुला महाल	७७,५६०	९०	०.१२
९. जाफराबाद महाल	३५,७४१	—	—
१०. कोडिनार	७६,०६५	७३	—
८. बनासकांठा जिला			
१. पालनपुर	१,७७,०३२	१५,६७३	८.८७
२. दांता	५२,४११	२२,२३३	४२.४२
३. वडगाम महाल	९०,२४७	१,८७१	२.०७
४. धानेरा	८९,२६१	५,४६४	६.१२
५. डीसा	१,४०,८८७	२,८०२	१.९८
६. कांकरेज	९३,६३२	१७४	०.१८
७. वाव	८५,४९०	४८०	०.५५
८. थराद	८३,७३६	१,७१४	२.०४
९. दियोदर	८७,२९३	७७२	०.८८
१०. राधनपुर	५१,८३९	९७३	१.८७
११. सांतलपुर	४४,३१६	५२९	१.१७
९. साबरकांठा जिला			
१. इडर	१,५३,४२६	३,५६६	२.३१
२. खेडब्रह्मा	७४,४७५	३९,८९१	५३.५६
३. विजयनगर महाल	३०,१११	२१,४८३	७१.३४
४. भिलोडा	९०,७६६	४२,९७५	४७.३४
५. हिंमतनगर	१,१०,७०८	२६१	०.२३
६. प्रांतीज	१,४४,४७५	११४	—
७. मोडासा	१,१८,४३४	२,०१३	१.७०
८. मेघरज	५०,२९१	१५,२४६	३०,३१
९. मालपुर महाल	३८,२१४	१,२००	३.१४
१०. बायड	१,०७,६८७	१,३३६	१.२४
१०. महेसाणा जिला			
१. पाटण	२,०६,७३६	२,०४०	०.९८
२. चाणस्मा	१,४०,५७८	७	—
३. समी	७१,०००	२१२	०.२९
४. हारिज	४४,०३९	१०९	०.२४
५. महेसाणा	१,८६,६६८	२८९	०.१५
६. सिद्धपुर	१,८५,७६५	८०२	०.४३
७. खेरालु	१,६३,९७९	—	—
८. वीसनगर	१,२५,६५३	५,३२७	४.२३
९. विजापुर	२,३५,०५८	३२१	०.१३
१०. कडी	१,४६,९१३	२५०	०.१७
११. कलोल	१,८३,५७४	९४	०.०५
११. अहमदाबाद जिला			
१. अहमदाबाद सिटी	१२,६०,९४४	८,९६४	०.७१
२. विरमगाम	१,९२,५११	६३५	०.३३
३. दसक्रोई	१,७९,२०४	४२८	०.२३
४. दहेगाम	१,६०,९६४	४९	—
५. साणंद महाल	८७,४४०	७८७	०.९०
६. धोलका	१,७५,३२७	१,०६७	०.६०
७. धंधुका	१,५४,८०९	२८५	०.१८
१२. खेडा जिला			
१. नडियाद	३,००,६५७	१,०८९	०.३६
२. कपडवंज	२,१८,६८१	२,५००	१.१४
३. महेमदाबाद	१,३७,७५६	२,३७७	१.७२
४. मातर	१,०१,३१९	१,५०८	१.४८
५. आणंद	३,११,२९७	२,५४८	०.८१
६. ठासरा	१.५३,५८३	४,७०९	३.०६
७. बालासिनोर	१,०३,२३७	१,६७०	१.६१

अनुक्रम तहसील	कुल जनसंख्या	आदिवासियोंकी जनसंख्या	कुल जनसंख्याका प्रतिशत
८. पेटलाद	२,२२,११६	२५४	०.११
९. खंभात	१,७२,०१३	६४८	०.३७
१०. बोरसद	२,५६,८८१	१७७	—
१३. पंचमहाल जिला			
१. गोधरा	२,१५,४२७	२५,८६४	१२.००
२. कालोल	९९,७७५	३,१४०	३.१४
३. हालोल	१,००,१७३	१२,८४०	१२.८१
४. जांबुघोड़ा महाल	१६,६२९	१,७४४	१०.४८
५. शहेरा	८९,९८२	३,१३१	३.४८
६. लुणावाडा	१,४७,०९७	४,४७६	३.०४
७. संतरामपुर	१,८८,७३४	१,१०,०३८	५८.३०
८. झालोद	१,२०,९९६	१,०२,१३१	८४.४०
९. दाहोद	१,८८,६२५	१,३०,९७६	६९.४३
१०. लीमखेड़ा	१,२६,८०२	७३,१८५	५७.७१
११. देवगढबारिया	१,७४,७०६	३५,६८९	२०.४२
१४. बड़ौदा जिला			
१. बड़ौदा	४,६१,०२०	१५,९१३	३.४५
२. सावली	१,३१,४०६	९,१७५	६.९८
३. वाघोड़िया	७५,६७५	२१,१०५	२७.८८
४. पादरा	१,३९,१६०	४,११५	२.९५
५. करजण	८७,५२२	१७,४७९	१९.९७
६. शिनोर महाल	४७,०५३	१०,३८३	२२.०६
७. डभोई	१,१९,७८३	२६,४११	२२.०४
८. संखेड़ा	१,१५,५३९	३६,६४२	३१.७१
९. निलकवाडा	३७,१८२	१७,९८७	४८.३७
१०. नसवाड़ी	५६,९५२	३८,९९२	६८,४६
११. छोटाउदेपुर	१,४५,१४३	८३,२४७	५७.३५
१२. जबुगाम	१,१०,८९१	४६,५४३	४१.०७
१५. भरुच जिला			
१. भरुच	१,८०,७५०	३२,७५५	१८.१२
२. वागरा	५३,१०८	१३,६१०	२६.११

अनुक्रम तहसील	कुल जनसंख्या	आदिवासियोंकी जनसंख्या	कुल जनसंख्याका प्रतिशत
३. जंबुसर	१,१४,८६७	९,६५२	८.४०
४. आमोद महाल	५६,६६०	१२,३८६	२१.८६
५. अंकलेश्वर	७७,८०८	२९,४५७	३७.८५
६. हांसोट महाल	३८,६८८	१०,०१३	२५.८८
७. झघड़िया	९७,९२८	५९,०८७	६०.३४
८. नांदोद	१,२१,३९७	७७,८९३	६४.१६
९. वालिया महाल	६४,३५७	४६,६१०	७२.४२
१०. डेडियापाड़ा	४४,८७४	४२,४६४	९४.६३
११. सागबारा महाल	४१,५३२	३७,०४४	८९.१९
१६. सूरत जिला			
१. ओलपाड़	७९,४४४	१७,११४	२१.५४
२. मांगरोल	९५,३६७	६३,०२४	६६.०८
३. कामरेज	६२,८२२	२२,७७७	३६.२५
४. चोर्यासी	४,५५,३०३	६१,४७७	१३.५०
५. पलसाणा	४१,८०७	१७,७७८	४२.२८
६. मांडवी	९३,८०५	७१,५०९	७६.२३
७. सोनगढ	७६,८७०	७१,३९४	९२.८७
८. व्यारा	१,१९,१००	१,०४,०४१	८७.३५
९. बारडोली	९०,६०८	४५,३१४	५०.००
१०. वालोड महाल	४२,८२८	३०,३६०	७०.८८
११. नवसारी	२,२५,७२०	६०,७३८	२६.९०
१२. गणदेवी महाल	१,३०,३०४	३४,४५०	२६.४३
१३. महुवा	६५,५३३	५०,९९३	७७.८१
१४. वांसदा	९२,३५२	८१,९०९	८८.६९
१५. वलसाड़	१,६९,८९९	६४,६२६	३८.०३
१६. चीखली	१,३९,९८६	९२,२६७	६५.९१
१७. घरमपुर	१,५२,६६९	१,३६,५३४	८९.४३
१८. पारडी	१,३०,८९८	७५,१३८	५७.४०
१९. उमरगांव	९५,९७३	५१,१५३	५३.३०
२०. उच्छल महाल	३१,५३५	३०,३२९	९६.५०
२१. निझर महाल	५८,८०१	४२,०३४	७१.४८
१७. डांग जिला			
१. डांग	७१,५६७	६६,२३३	९२.५६

परिशिष्ट नं० ३ (अ)

आदिवासी जनसंख्याके प्रतिशतके अनुसार तहसीलोंका बँटवारा

अ.नं.	जिला	० प्रतिशत	१० प्रतिशतसे कम	१० से २५ प्रतिशत तक	२५ से ५० प्रतिशत तक	५० से ७५ प्रतिशत तक	७५ प्रतिशतसे अधिक
१.	कच्छ		भूज नखत्राणा लखपत अबडासा मांडवी मुन्द्रा अंजार भचाउ खावडा	रापर	खदीर		
२.	जामनगर	ध्रोल लालपुर ओखा मंडल	जामनगर जोडिया कालावड जाम जोधपुर कल्याणपुर खंभालिया भाणवड				
३.	राजकोट	राजकोट जसदण पडधरी गोंडल कोटडा-सांगाणी मोरबी मालिया वांकानेर घोराजी जाम-कंडोरणा उपलेटा	लोधिका जेतपुर				
४.	सुरेन्द्रनगर	वढवाण चोटिला लखतर हलवद दसाडा	मूली लींबडी सायला ध्रांगध्रा				
५.	भावनगर	भावनगर घोघा वल्लभीपुर बोटाद गढडा पालीताणा शिहोर उमराला गारियाधार कुंडला महुवा तलाजा					

अ.नं.	ज़िला	० प्रतिशत	१० प्रतिशतसे कम	१० से २५ प्रतिशत तक	२५ से ५० प्रतिशत तक	५० से ७५ प्रतिशत तक	७५ प्रतिशतसे अधिक
६.	जूनागढ़	भेंसाण मांगरोल माणावदर केशोद वंथली मालिया पोरबंदर कुतियाणा	जूनागढ़ विसावदर मेंदरडा पाटण-वेरावल तलाला उना राणावाव				
७.	अमरेली	अमरेली कुंकावाव-वडिया बाबरा लाठी लिलिया धारी खांभा जाफराबाद कोडिनार	राजुला				
८.	बनासकांठा		पालणपुर वडगाम घानेरा डीसा कांकरेज वाव थराद दियोदर राधनपुर सांतलपुर		दांता		
९.	साबरकांठा	प्रांतिज	इडर हिंमतनगर मोडासा मालपुर बायड		भिलोडा मेघरज	खेडब्रह्मा विजयनगर	
१०.	महेसाणा	चाणस्मा खेरालु कलोल	पाटण समी हारिज महेसाणा सिद्धपुर वीसनगर विजापुर कडी				

अ.नं.	ज़िला	० प्रतिशत	१० प्रतिशतसे कम	१० से २५ प्रतिशत तक	२५ से ५० प्रतिशत तक	५० से ७५ प्रतिशत तक	७५ प्रतिशतसे अधिक
११.	अहमदाबाद	दहेगाम	अहमदाबाद शहर वीरमगाम दसक्रोई साणंद घोलका धंधुका				
१२.	खेडा	बोरसद	नडियाद कपडवंज महेमदाबाद मातर आणंद ठासरा बालासिनोर पेटलाद खंभात				
१३.	पंचमहाल		कालोल शेहरा लुणावाडा देवगढ बारिया	गोधरा हालोल जांबुघोडा		संतरामपुर दाहोद लीमखेडा	झालोद
१४.	बड़ौदा		बड़ौदा सावली पादरा	करजण शिनोर डभोई	वाघोडिया संखेडा तिलकवाडा जबुगाम	नसवाडी छोटाउदयपुर	
१५.	भरुच		जंबुसर	भरूच आमोद	वागरा हांसोट अंकलेश्वर	झगडिया नांदोद वालिया	डेडियापाडा सागबारा
१६.	सूरत			ओलपाड चोर्यासी	कामरेज पलसाणा ओारडोली नवसारी गणदेवी वलसाड	मांगरोल चीखली पारडी उंमरगांव निझर वालोड	मांडवी सोनगढ व्यारा महुवा वांसदा धरमपुर उच्छल
१७.	डांग						डांग
१८.	कुल संख्या		५४	७६	१२	१६	१६	११
	प्रतिशत		२९.२	४१.१	६.५	८.६	८.६	६.०

परिशिष्ट नं० ४

हरएक जातिके जिलेवार आंकड़े

अनुक्रम	जिला	ग्रामीण-विस्तार	शहरी-विस्तार	कुल जन-संख्या
(१) भील				
१.	सूरत	९५,०९१	६८३	९५,७७४
२.	डांग	२३,७०१	—	२३,७०१
३.	भरुच	२,६७,५५५	१४,८६९	२,८२,४२४
४.	बड़ौदा	१,१३,८९०	४,९४६	१,१८,८३६
५.	पंचमहाल	३,९८,११७	४,८७५	४,०२,९९२
६.	महेसाणा	६७२	२,८८७	३,५५९
७.	अहमदाबाद	३,१९९	५,३९०	८,५८९
८.	खेड़ा	९,६१०	२,५७४	१२,१८४
९.	बनासकांठा	५०,६३३	१,७३७	५२,३७०
१०.	साबरकांठा	१,२२,६८३	३७९	१,२३,०६२
११.	कच्छ	५३१	२६०	७९१
१२.	कुल	१०,८५,६८२	३८,६००	११,२४,२८२
(२) दूबला				
१.	सूरत	२,३३,८२२	३३,५९१	२,६७,४१३
२.	डांग	१३४	—	१३४
३.	भरूच	३२,६५२	१,०६४	३३,७१६
४.	बड़ौदा	२०,१४४	७१७	२०,८६१
५.	पंचमहाल	३४१	—	३४१
६.	अहमदाबाद	९२	११५	२०७
७.	खेड़ा	७०७	११	७१८
८.	साबरकांठा	२५४	—	२५४
९.	कुल	२,८८,१४६	३५,४९८	३,२३,६४४
(३) धोडिया				
१.	सूरत	२,५३,४३२	२१,४००	२,७४,८३२
२.	डांग	५८३	—	५८३
३.	भरूच	२५	६३	८८
४.	बड़ौदा	७९	८९	१६८
५.	पंचमहाल	३	५	८
६.	अहमदाबाद	—	७६	७६
७.	खेड़ा	—	४	४
८.	बनासकांठा	२	—	२
९.	साबरकांठा	३	१	४
१०.	कच्छ	२०	२	२२
११.	कुल	२,५४,१४७	२१,६४०	२,७५,७८७

अनुक्रम	जिला	ग्रामीण विस्तार	शहरी-विस्तार	कुल जन-संख्या
(४) गामीत				
१.	सूरत	१,४५,५७९	४,२३०	१,४९,८०९
२.	डांग	२,६७४	—	२,६७४
३.	भरूच	६,०२६	१२	६,०३८
४.	पंचमहाल	९	३	१२
५.	अहमदाबाद	८६	६	९२
६.	खेड़ा	७	—	७
७.	साबरकांठा	२४	—	२४
८.	बड़ौदा	१	४६	४७
९.	कुल	१,५४,४०६	४,२९७	१,५८,७०३
(५) चौधरी				
१.	सूरत	१,३८,५७८	२,९२९	१,४१,५०७
२.	डांग	१४५	—	१४५
३.	भरूच	१,८४८	१७	१,८६५
४.	बड़ौदा	३	२८	३१
५.	पंचमहाल	५	—	५
६.	अहमदाबाद	—	२३	२३
७.	कुल	१,४०,५७९	२,९९७	१,४३,५७६
(६) राठवा				
१.	पंचमहाल	२९,२७२	४	२९,२७६
२.	भरूच	१	—	१
३.	बड़ौदा	१,०६,२८९	१३	१,०६,३०२
४.	अहमदाबाद	१	—	१
५.	साबरकांठा	१५०	—	१५०
६.	कुल	१,३५,७१३	१७	१,३५,७३०
(७) धानका				
१.	सूरत	१४,६०२	४४	१४,६४६
२.	भरूच	४३,४९४	५४७	४४,०४१
३.	पंचमहाल	२,८२५	११	२,८३६
४.	बड़ौदा	५९,६५७	४,६०१	६४,२५८
५.	महेसाणा	—	२	२
६.	अहमदाबाद	४३	९	५२
७.	खेड़ा	१,६६२	५१	१,७१३
८.	बनासकांठा	३४	—	३४
९.	साबरकांठा	४४०	२	४४२
१०.	कुल	१,२२,७५७	५,२६७	१,२८,०२४

अनु-क्रम	जिला	ग्रामीण-विस्तार	शहरी-विस्तार	कुल जनसंख्या
(८) कोंकणा				
१.	सूरत	१,००,२०८	५,१६६	१,०५,३७४
२.	डांग	४,५७२	—	४,५७२
३.	भरूच	६६	—	६६
४.	बड़ौदा	३	३५	३८
५.	अहमदाबाद	२	—	२
६.	खेड़ा	२	—	२
७.	कुल	१,०४,८५३	५,२०१	१,१०,०५४
(९) नायकडा				
१.	सूरत	५५,०२७	९,२३९	६४,२६६
२.	डांग	११७	—	११७
३.	भरूच	७२६	३२	७५८
४.	पंचमहाल	२४,१४१	२,६२१	२६,७६२
५.	बड़ौदा	१०,४६६	२४५	१०,७११
६,	महेसाणा	१५२	३	१५५
७.	अहमदाबाद	१,२३७	१२६	१,३६३
८.	खेड़ा	१,२१२	१२७	१,३३९
९.	बनासकांठा	३७	१	३८
१०.	साबरकांठा	२,५१५	—	२,५१५
११.	कुल	९५,६३०	१२,३९४	१,०८,०२४
(१०) वारली				
१.	सूरत	८७,४७३	५३४	८८,००७
२.	डांग	९,६६४	—	९,६६४
३.	अहमदाबाद	२९	१०	३९
४.	कुल	९७,१६६	५४४	९७,७१०
(११) पटेलिया				
१.	सूरत	२२१	१०१	३२२
२.	डांग	१	—	१
३.	भरूच	३२	—	३२
४.	पंचमहाल	३६,३२४	१,३६७	३७,६९१
५.	बड़ौदा	२५	१६	४१
६.	अहमदाबाद	२२५	५०	२७५
७.	खेड़ा	३२२	४	३२६
८.	साबरकांठा	३०५	—	३०५
९.	कुल	३७,४५५	१,५३८	३८,९९३
(१२) कूनबी				
१.	डांग	२४,००४	—	२४,००४
२.	कुल	२४,००४	—	२४,००४
(१३) कोली				
१.	कच्छ	२१,७५९	१,१२०	२२,८७९
२.	कुल	२१,७५९	१,१२०	२२,८७९

अनु-क्रम	जिला	ग्रामीण-विस्तार	शहरी-विस्तार	कुल जनसंख्या
(१४) ढोर कोली				
१.	सूरत	१२,७७८	५०६	१३,२८४
२.	डांग	२०	—	२०
३.	भरूच	१६४	९८	२६२
४.	पंचमहाल	१०	३५५	३६५
५.	बड़ौदा	६४	८१	१४५
६.	महेसाणा	—	३६	३६
७.	अहमदाबाद	२६	१६५	१९१
८.	खेड़ा	२	६६	६८
९.	बनासकांठा	२७	—	२७
१०.	साबरकांठा	१३५	६	१४१
११.	कुल	१३,२२६	१,३१३	१४,५३९
(१५) कोटवालिया				
१.	सूरत	६,८९२	४१६	७,३०८
२.	डांग	३१४	—	३१४
३.	भरूच	१,१११	४	१,११५
४.	पंचमहाल	—	४४	४४
५.	बड़ौदा	४०	२	४२
६.	अहमदाबाद	—	१३	१३
७.	साबरकांठा	२	—	२
८.	कुल	८,३५९	४७९	८,८३८
(१६) रबारी				
१.	जूनागढ़	२,६८७	—	२,६८७
२.	जामनगर	२,४०६	—	२,४०६
३.	कुल	५,०९३	—	५,०९३
(१७) वाघरी				
१.	कच्छ	१,८२८	२,४९९	४,३२७
२.	कुल	१,८२८	२,४९९	४,३२७
(१८) सीदी				
१.	अमरेली	१७८	९	१८७
२.	जूनागढ़	१,८८९	५१७	२,४०६
३.	जामनगर	१५९	४११	५७०
४.	राजकोट	६०	३२०	३८०
५.	सुरेन्द्रनगर	११	१६	२७
६.	भावनगर	४	७१	७५
७.	कुल	२,३०१	१,३४४	३,६४५
(१९) बामचा				
१.	सूरत	१	१	२
२.	भरूच	—	२	२
३.	पंचमहाल	—	११०	११०
४.	बड़ौदा	२६	८५७	८८३
५.	महेसाणा	—	२७५	२७५

अनु-क्रम	जिला	ग्रामीण-विस्तार	शहरी-विस्तार	कुल जनसंख्या
६.	अहमदाबाद	१०१	९१८	१,०१९
७.	खेड़ा	—	१४१	१४१
८.	साबरकांठा	२२	१	२३
९.	कुल	१५०	२,३०५	२,४५५
(२०)	**काथोड़ी**			
१.	सूरत	१,५४२	—	१,५४२
२.	डांग	२८५	—	२८५
३.	भरूच	३१४	—	३१४
४.	पंचमहाल	१८	—	१८
५.	साबरकांठा	१९९	—	१९९
६.	कुल	२,३५८	—	२,३५८
(२१)	**भरवाड़**			
१.	जूनागढ़	५९४	—	५९४
२.	जामनगर	२१२	—	२१२
३.	कुल	८०६	—	८०६
(२२)	**चारण**			
१.	जूनागढ़	१,०९७	—	१,०९७
२.	जामनगर	२२२	—	२२२
३.	कुल	१,३१९	—	१,३१९
(२३)	**पोमला**			
१.	सूरत	७	४५	५२
२.	भरूच	३७	२३	६०
३.	बड़ौदा	८	३९	४७
४.	अहमदाबाद	—	५८	५८
५.	बनासकांठा	३१	—	३१
६.	साबरकांठा	८	—	८
७.	खेड़ा	—	६३	६३
८.	कुल	९१	२२८	३१९
(२४)	**पढ़ार**			
१.	सुरेन्द्रनगर	२,९०९	२१६	३,१२५
२.	कुल	२,९०९	२१६	३,१२५
(२५)	**बरडा**			
१.	महेसाणा	—	४	४
२.	अहमदाबाद	—	२	२
३.	साबरकांठा	११	—	११
४.	बड़ौदा	४	—	४
५.	कुल	१५	६	२१

अनु-क्रम	जाति	ग्रामीण-विस्तार	शहरी-विस्तार	कुल जनसंख्या
(२६)	**पारधी** (कच्छको छोड़कर)			
१.	सूरत	८६	६	९२
२.	डांग	१९	—	१९
३.	भरूच	६०	—	६०
४.	पंचमहाल	१२	—	१२
५.	बड़ौदा	—	१	१
६.	महेसाणा	४२	—	४२
७.	अहमदाबाद	२४	४१	६५
८.	खेड़ा	२२	—	२२
९.	साबरकांठा	९९	४१	१४०
१०.	बनासकांठा	३	—	३
११.	कुल	३६७	८९	४५६
(२७)	**पारधी**			
१.	कच्छ	२,४३३	४१३	२,८४६
२.	कुल	२,४३३	४१३	२,८४६
(२८)	**गोंड-राजगोंड**			
१.	सुरत	५२	—	५२
२.	भरूच	९	—	९
३.	पंचमहाल	११	—	११
४.	बड़ौदा	—	१२	१२
५.	अहमदाबाद	१	१	२
६.	बनासकांठा	१	—	१
७.	कुल	७४	१३	८७
(२९)	**बिनवर्गीय जातियां**			
१.	सूरत	६७५	२	६७७
२.	भरूच	१०४	१६	१२०
३.	पंचमहाल	२,६४५	८६	२,७३१
४.	बड़ौदा	५,५६५	—	५,५६५
५.	महेसाणा	२५	२७	५२
६.	अहमदाबाद	१२५	२१	१४६
७.	खेड़ा	८३९	५४	८९३
८.	बनासकांठा	१७९	—	१७९
९.	साबरकांठा	७६६	३९	८०५
१०.	जूनागढ	१३	६	१९
११.	कच्छ	१,२६१	३४५	१,६०६
१२.	राजकोट	१	७	८
१३.	सुरेन्द्रनगर	१	—	१
१४.	कुल	१२,१९९	६०३	१२,८०२

आधार : Office of the Superintendent of Census, Gujarat.

परिशिष्ट नं० ४ (अ)

हरएक ज़िलेकी जातिवार जनसंख्याके आंकड़े

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(१)	**सूरत ज़िला**			
१.	बावचा	१	१	२
२.	भील	९५,०९१	६८३	९५,७७४
३.	चौधरी	१,३८,५७८	२,९२९	१,४१,५०७
४.	धानका	१४,६०२	४४	१४,६४६
५.	घोड़िया	२,५३,४३२	२१,४००	२,७४,८३२
६.	दूबला	२,३३,८२२	३३,५९१	२,६७,४१३
७.	गामीत	१,४५,५७९	४,२३०	१,४९,८०९
८.	गोंड	५२	—	५२
९.	काथोडी	१,५४२	—	१,५४२
१०.	कोंकणा	१,००,२०८	५,१६६	१,०५,३७४
११.	ढोर कोली	१२,७७८	५०६	१३,२८४
१२.	नायकडा	५५,०२७	९,२३९	६४,२६६
१३.	पारधी	८६	६	९२
१४.	पटेलिया	२२१	१०१	३२२
१५.	पोमला	७	४५	५२
१६.	वारली	८७,४७३	५३४	८८,००७
१७.	विटोलिया	६,८९२	४१६	७,३०८
१८.	बिनवर्गीकृत	६७५	२	६७७
१९.	कुल	११,४६,०६६	७८,८९३	१२,२४,९५९

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(२)	**पंचमहाल ज़िला**			
१.	भील	३,९८,११७	४,८७५	४,०२,९९२
२.	चौधरी	५	—	५
३.	धानका	२,८२५	११	२,८३६
४.	घोड़िया	३	५	८
५.	दूबला	३४१	—	३४१
६.	गामीत	९	३	१२
७.	गोंड	११	—	११
८.	काथोड़ी	१८	—	१८
९.	नायकडा	२४,१४१	२,६२१	२६,७६२
१०.	पारधी	१२	—	१२
११.	पटेलिया	३६,३२४	१,३६७	३७,६९१
१२.	राठवा	२९,२७२	४	२९,२७६
१३.	बावचा	—	११०	११०
१४.	ढोर कोली	१०	३५५	३६५
१५.	विटोलिया	—	४४	४४
१६.	बिनवर्गीकृत	२,६४५	८६	२,७३१
१७.	कुल	४,९३,७३३	९,४८१	५,०३,२१४

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(३)	**भरूच ज़िला**			
१.	भील	२,६७,५५५	१४,८६९	२,८२,४२४
२.	चौधरी	१,८४८	१७	१,८६५
३.	धानका	४३,४९४	५४७	४४,०४१
४.	घोड़िया	२५	६३	८८
५.	दूबला	३२,६५२	१,०६४	३३,७१६
६.	गामीत	६,०२६	१२	६,०३८
७.	गोंड	९	—	९
८.	काथोड़ी	३१४	—	३१४
९.	कोंकणा	६६	—	६६
१०.	ढोर कोली	१६४	९८	२६२
११.	नायकड़ा	७२६	३२	७५८
१२.	पारधी	६०	—	६०
१३.	पटेलिया	३२	—	३२
१४.	पोमला	३७	२३	६०
१५.	राठवा	१	—	१
१६.	विटोलिया	१,१११	४	१,११५
१७.	बावचा	—	२	२
१८.	बिनवर्गीकृत	१०४	१६	१२०
१९.	कुल	३,५४,२२४	१६,७४७	३,७०,९७१

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(४)	**डांग ज़िला**			
१.	भील	२३,७०१	—	२३,७०१
२.	चौधरी	१४५	—	१४५
३.	घोड़िया	५८३	—	५८३
४.	दूबला	१३४	—	१३४
५.	गामीत	२,६७४	—	२,६७४
६.	काथोड़ी	२८५	—	२८५
७.	कोंकणा	४,५७२	—	४,५७२
८.	ढोर कोली	२०	—	२०
९.	नायकड़ा	११७	—	११७
१०.	पारधी	१९	—	१९
११.	पटेलिया	१	—	१
१२.	वारली	९,६६४	—	९,६६४
१३.	विटोलिया	३१४	—	३१४
१४.	कूनबी	२४,००४	—	२४,००४
१५.	कुल	६६,२३३	—	६६,२३३

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(५) बड़ौदा जिला				
१.	भील	१,१३,८९०	४,९४६	१,१८,८३६
२.	बरडा	४	—	४
३.	बावचा	२६	८५७	८८३
४.	चौधरी	३	२८	३१
५.	धानका	५९,६५७	४,६०१	६४,२५८
६.	घोड़िया	७९	८९	१६८
७.	दूबला	२०,१४४	७१७	२०,८६१
८.	गामीत	१	४६	४७
९.	गोंड	—	१२	१२
१०.	कोंकणा	३	३५	३८
११.	ढोर कोली	६४	८१	१४५
१२.	नायका	१०,४६६	२४५	१०,७११
१३.	पारधी	—	१	१
१४.	पटेलिया	२५	१६	४१
१५.	पोमला	८	३९	४७
१६.	राठवा	१,०६,२८९	१३	१,०६,३०२
१७.	विटोलिया	४०	२	४२
१८.	बिनवर्गीकृत	५,५६५	—	५,५६५
१९.	कुल	३,१६,२६४	११,७२८	३,२७,९९२

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(६) महेसाणा जिला				
१.	भील	६७२	२,८८७	३,५५९
२.	नायकडा	१५२	३	१५५
३.	पारधी	४२	—	४२
४.	बरडा	—	४	४
५.	बावचा	—	२७५	२७५
६.	धानका	—	२	२
७.	ढोर कोली	—	३६	३६
८.	बिनवर्गीकृत	२५	२७	५२
९.	कुल	८९१	३,२३४	४,१२५

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(७) अहमदाबाद जिला				
१.	बावचा	१०१	९१८	१,०१९
२.	भील	३,१९९	५,३९०	८,५८९
३.	धानका	४३	९	५२
४.	दूबला	९२	११५	२०७
५.	गामीत	८६	६	९२
६.	गोंड	१	१	२
७.	कोंकणा	२	—	२
८.	नायकड़ा	१२३७	१२६	१३६३
९.	पारधी	२४	४१	६५
१०.	पटेलिया	२२५	५०	२७५
११.	राठवा	१	—	१
१२.	वारली	२९	१०	३९
१३.	बरडा	—	२	२
१४.	चौधरी	—	२३	२३
१५.	घोड़िया	—	७६	७६
१६.	ढोर कोली	२६	१६५	१९१
१७.	पोमला	—	५८	५८
१८.	विटोलिया	—	१३	१३
१९.	बिनवर्गीकृत	१२५	२१	१४६
२०.	कुल	५,१९१	७,०२४	१२,२१५

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(८) खेड़ा जिला				
१.	भील	९,६१०	२,५७४	१२,१८४
२.	धानका	१,६६२	५१	१,७१३
३.	दूबला	७०७	११	७१८
४.	गामीत	७	—	७
५.	कोंकणा	२	—	२
६.	नायकड़ा	१,२१२	१२७	१,३३९
७.	घोड़िया	—	४	४
८.	पटेलिया	३२२	४	३२६
९.	ढोर कोली	२	६६	६८
१०.	पारधी	२२	—	२२
११.	बावचा	—	१४१	१४१
१२.	पोमला	—	६३	६३
१३.	बिनवर्गीकृत	८३९	५४	८९३
१४.	कुल	१४,३८५	३,०९५	१७,४८०

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(९) बनासकांठा जिला				
१.	भील	५०,६३३	१,७३७	५२,३७०
२.	धानका	३४	—	३४
३.	घोड़िया	२	—	२
४.	गोंड	१	—	१
५.	ढोर कोली	२७	—	२७
६.	नायकडा	३७	१	३८
७.	पारधी	३	—	३
८.	पोमला	३१	—	३१
९.	बिनवर्गीकृत	१७९	—	१७९
१०.	कुल	५०,९४७	१,७३८	५२,६८५

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(१०) साबरकांठा जिला				
१.	बरडा	११	—	११
२.	बावचा	२२	१	२३
३.	भील	१,२२,६८३	३७९	१,२३,०६२
४.	धानका	४४०	२	४४२
५.	घोड़िया	३	१	४
६.	दूबला	२५४	—	२५४
७.	गामीत	२४	—	२४
८.	काथोडी	१९९	—	१९९
९.	ढोर कोली	१३५	६	१४१
१०.	नायकडा	२,५१५	—	२,५१५
११.	पारधी	९९	४१	१४०
१२.	पटेलिया	३०५	—	३०५
१३.	पोमला	८	—	८
१४.	राठवा	१५०	—	१५०
१५.	विटोलिया	२	—	२
१६.	बिनवर्गीकृत	७६६	३९	८०५
१७.	कुल	१,२७,६१६	४६९	१,२८,०८५

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(११) अमरेली जिला				
१.	सीदी	१७८	९	१८७
२.	कुल	१७८	९	१८७

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(१२) जूनागढ जिला				
१.	भरवाड	५९४	—	५९४
२.	चारण	१,०९७	—	१,०९७
३.	रबारी	२,६८७	—	२,६८७
४.	सीदी	१,८८९	५१७	२,४०६
५.	बिनवर्गीकृत	१३	६	१९
६.	कुल	६,२८०	५२३	६,८०३

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(१३) कच्छ जिला				
१.	भील	५३१	२६०	७९१
२.	घोड़िया	२०	२	२२
३.	कोली	२१,७५९	१,१२०	२२,८७९
४.	पारधी	२,४३३	४१३	२,८४६
५.	वाघरी	२,४९९	१,८२८	४,३२७
६.	बिनवर्गीकृत	१,२६१	३४५	१,६०६
७.	कुल	२८,५०३	३,९६८	३२,४७१

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(१४) जामनगर जिला				
१.	भरवाड़	२१२	—	२१२
२.	चारण	२२२	—	२२२
३.	रबारी	२,४०६	—	२,४०६
४.	सीदी	१५९	४११	५७०
५.	कुल	२,९९९	४११	३,४१०

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(१५) राजकोट जिला				
१.	सीदी	६०	३२०	३८०
२.	बिनवर्गीकृत	१	७	८
३.	कुल	६१	३२७	३८८

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(१६) सुरेन्द्रनगर जिला				
१.	पढार	२,९०९	२१६	३,१२५
२.	सीदी	११	१६	२७
३.	बिनवर्गीकृत	१	—	१
४.	कुल	२,९२१	२३२	३,१५३

अ.नं.	जाति	ग्रामीणविस्तार	शहरीविस्तार	कुल जनसंख्या
(१७) भावनगर जिला				
१.	सीदी	४	७१	७५
२.	कुल	४	७१	७५

आधार : Office of the Superintendent of Census, Gujarat

परिशिष्ट नं० ५

ग्रामविस्तारमें बसे हुए आदिवासियोंका तहसील अनुसार जातियोंमें विभाजन

यह जानकारी, प्रत्येक तहसीलमें कौन-सी आदिवासी जातियाँ बसती हैं, यह जाननेके लिए उपयोगी होगी। ग्रामविस्तारोंकी मर्यादामें ही रहकर यह माहिती दी है तो भी हमने आगे देखा उसी प्रकार ९५ प्रतिशत आबादी ग्रामविस्तारोंमें रहती है उसकी वजहसे (मददसे) समग्र स्थिति ज्ञात करनेमें मुश्किल नहीं पड़ेगी। सेन्ससके द्वारा प्रसिद्ध की हुई जानकारी हमें सिर्फ ज़िलेकी जातियोंके बारेमें जानकारी देती है। अतः निम्नस्तर यानी तहसील या ग्रामके रूपमें यह जानकारी प्रसिद्ध प्रकाशनोंमें से उपलब्ध नहीं है। गुजरात राज्यके सेन्सस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री त्रिवेदीके सहकारसे यह जानकारी इनके कार्यालयमेंसे प्राप्त की जा सकी है। इस जानकारीको प्रसिद्ध करनेकी अनुमति मिलनेके कारण उनका यहाँ आभार मानते हैं।

१. कच्छ ज़िला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	भूज	नखत्राणा	लखपत	अबडासा	मांडवी	मुंद्रा	अंजार	भचाऊ	रापर	खदीर	खावडा	कुल
१.	भील	—	—	१	—	—	१	६६	१५०	१९१	१२२	—	५३१
२.	धोडिया	—	—	—	२	१८	—	—	—	—	—	—	२०
३.	कोली	१८४२	१२३४	८७	११८६	५७४	४२९	७३७	४४६७	१०३७३	६७७	१५३	२१७५९
४.	वाघरी	३०२	२०६	१८	६२	५६०	५८२	५००	१४४	१२५	—	—	२४९९
५.	पारधी	३७८	३४१	२०२	२२६	३०७	३३२	२५४	१२०	२७३	—	—	२४३३
६.	बिनवर्गीकृत	—	१२३	—	१४४	८९	—	३६६	४२६	११३	—	—	१२६१
७.	कुल	२५२२	१९०४	३०८	१६२०	१५४८	१३४४	१९२३	५३०७	११०७५	७९९	१५३	२८५०३

२. जामनगर ज़िला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	जामनगर	ध्रोल	जोडिया	कालावड	लालपुर	जामजोधपुर	ओखा	कल्याणपुर	खंभालिया	भाणवड	कुल
१.	चारण	१५	–	—	३५	१५	१०६	—	—	—	५१	२२२
२.	सीदी	१	७	—	४	—	—	७	८३	५७	—	१५९
३.	रबारी	—	–	१६२	१४६	२४	९७४	२८	—	७४	९९८	२४०६
४.	भरवाड	—	–	—	—	—	४८	—	—	१४७	१७	२१२
५.	कुल	१६	७	१६२	१८५	३९	११२८	३५	८३	२७८	१०६६	२९९९

३. सुरेन्द्रनगर ज़िला – ग्रामीण विस्तार

अ. नं.	जाति	वढवाण	मूली	लींबडी	सायला	ध्रांगध्रा	हलवद	दसाडा	कुल
१.	पढार	५	१४४	२६३८	७६	२४	२०	२	२९०९
२.	सीदी	१	—	—	—	५	३	२	११
३.	बिनवर्गीकृत	–	—	—	१	—	—	–	१
४.	कुल	६	१४४	२६३८	७७	२९	२३	४	२९२१

४. राजकोट ज़िला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	कोटडा-सांगाणी	मालिया	वांकानेर	जेतपुर	उपलेटा	राजकोट	कुल
१.	सीदी	२७	२	७	१२	१२	–	६०
२.	बिनवर्गीकृत	—	–	–	—	—	१	१
३.	कुल	२७	२	७	१२	१२	१	६१

५. भावनगर ज़िला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	भावनगर	कुल
१.	सीदी	४	४
२.	कुल	४	४

६. अमरेली ज़िला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	अमरेली	बाबरा	लीलिया	राजुला	कोडीनार	कुल
१.	सीदी	१५	२	२	८७	७२	१७८
२.	कुल	१५	२	२	८७	७२	१७८

७. जूनागढ ज़िला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	जूना-गढ	विसा-वदर	मेंदरडा	माणा-वदर	केशोद	वंथली	वेरा-वल	मालिया	तलाला	उना	भेंसाण	राणा-वाव	कुतियाणा	कुल
१.	भरवाड	९	७	५७	–	—	–	—	—	२२	४८०	१९	—	–	५९४
२.	चारण	३०	४१९	—	–	—	–	—	—	४२१	१४१	—	८६	–	१०९७
३.	रबारी	५१	—	८९	–	३८	–	५४	—	८९३	५५३	—	१००७	२	२६८७
४.	सीदी	८	३	—	५	६	२	९५	१५	१८२८	१२५	—	२	–	१८८९
५.	बिनवर्गीकृत	१	१	५	–	—	–	—	—	२	४	—	—	–	१३
६.	कुल	९९	४३०	१५१	५	४४	२	१४९	१५	२९६६	१३०३	१९	१०९५	२	६२८०

८. बनासकांठा जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	पालनपुर	दांता	वडगाम	धानेरा	डीसा	कांकरेज	वाव	थराद	दियोदर	राधनपुर	सांतलपुर	कुल
१.	भील	१५२४७	२२२०२	१७२९	५४५१	१९९६	१६५	४४९	१४९१	७४७	६५०	५२६	५०६३३
२.	दूबला	—	—	—	—	—	—	—	—	२	—	—	२
३.	घानका	१६	—	१०	—	—	—	—	—	५	—	३	३४
४.	नायक	—	—	—	१३	—	९	—	—	१५	—	—	३७
५.	ढोर कोली	१९	—	१	—	—	—	—	—	—	७	—	२७
६.	पारधी	—	—	३	—	—	—	—	—	—	—	—	३
७.	पोमला	—	—	—	—	—	—	३१	—	—	—	—	३१
८.	गोंड	—	—	१	—	—	—	—	—	—	—	—	१
९.	बिनवर्गीकृत	१८	३१	१२७	—	—	—	—	—	३	—	—	१७९
१०.	कुल	१५२८०	२२२३३	१८७१	५४६४	१९९६	१७४	४८०	१४९१	७७२	६५७	५२९	५०९४७

९. साबरकांठा जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	इडर	खेडब्रह्मा	विजयनगर	भीलोडा	हिंमत-नगर	प्रांतिज	मोडासा	मेघरज	मालपुर	बायड	कुल
१.	भील	२९२३	३९१६०	२११२२	४२१८४	१९	१६	९९२	१५००९	४९८	७६०	१२२६८३
२.	दूबला	१२	२८	—	—	—	—	२१	—	—	१९३	२५४
३.	धोडिया	—	—	—	३	—	—	—	—	—	—	३
४.	गामीत	—	६	—	४	१	—	—	—	—	१३	२४
५.	राठवा	७	५	—	—	—	—	१३८	—	—	—	१५०
६.	घानका	१८९	६५	—	३१	—	९	१८	१९	—	१०९	४४०
७.	नायक	१७९	१४२	१८	५८०	—	५२	५९१	९९	६१८	२३६	२५१५
८.	पटेलिया	४	९	१९१	—	२९	५	६७	—	—	—	३०५
९.	ढोर कोली	३	११८	—	७	—	६	१	—	—	—	१३५
१०.	कोटवालिया	२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	२
११.	बावचा	—	१	—	१	—	—	—	—	—	२०	२२
१२.	काथोडी	—	—	१४७	—	—	—	५२	—	—	—	१९९
१३.	पारधी	८७	४	—	—	—	—	८	—	—	—	९९
१४.	पोमला	—	—	—	—	—	—	८	—	—	—	८
१५.	बरडा	—	—	१	१	—	—	९	—	—	—	११
१६.	बिनवर्गीकृत	१३	३५३	४	१६४	—	१९	५	११९	८४	५	७६६
१७.	कुल	३४१९	३९८९१	२१४८३	४२९७५	४९	१०७	१९१०	१५२४६	१२००	१३३६	१२७६१६

१०. पंचमहाल जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	गोधरा	कालोल	हालोल	जांबु-घोडा	शहेरा	लुणा-वाडा	संतराम-पुर	झालोद	दाहोद	लीम-खेडा	बारिया	कुल
१.	भील	२०५०१	१६९	२००	३२	३२२	७३	१०५७०९	१०२०३१	१०००६९	६५३१६	३६९५	३९८११७
२.	दूबला	—	१०	३३१	—	—	—	—	—	—	—	—	३४१
३.	घोडिया	—	—	—	—	—	—	—	३	—	—	—	३
४.	गामीत	३	—	—	—	—	—	—	—	६	—	—	९
५.	चौधरी	१	—	—	—	—	—	—	४	—	—	—	५
६.	राठवा	३०१	७७	६२७२	६४९	—	१	—	—	—	१३	२१९५९	२९२७२
७.	घानका	२२	१०	७०४	३९१	—	७	३	१	११९	१३५९	२०९	२८२५
८.	नायक	२५३५	१८६७	३९२६	६७२	२६७५	१३१२	४५०	२१	—	२१६८	८५१५	२४१४१
९.	पटेलिया	३३६	६५७	—	—	१२३	२८१४	१३७४	७१	२६६९३	४२२४	३२	३६३२४
१०.	ढोर कोली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१०	—	१०
११.	काथोडी	१८	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	१८
१२.	पारधी	१	—	—	—	—	११	—	—	—	—	—	१२
१३.	गोंड	—	—	—	—	११	—	—	—	—	—	—	११
१४.	बिनवर्गीकृत	२२२	१२	३६	—	—	१८	२०६२	—	२००	९५	—	२६४५
१५.	कुल	२३९४०	२८०२	११४६९	१७४४	३१३१	४२३६	१०९५९८	१०२१३१	१२७०८७	७३१८५	३४४१०	४९३७३३

११. खेडा जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	नडियाद	कपडवंज	महेमदाबाद	मातर	आनंद	ठासरा	बालाशिनोर	पेटलाद	खंभात	बोरसद	कुल
१.	भील	७५४	१८८७	७३५	८९१	१३४१	२९६६	७९४	१०८	९५	३९	९६१०
२.	दूबला	६७	६८	३०	२८	२	४३२	—	३	७७	—	७०७
३.	गामीत	—	—	६	—	—	—	—	—	—	१	७
४.	घानका	—	१५९	११०२	१८१	५	७५	११७	—	२३	—	१६६२
५.	कोकणा	—	—	—	—	२	—	—	—	—	—	२
६.	नायक	३०	१४०	१००	३४०	९	१०६	३४७	६	७१	६३	१२१२
७.	पटेलिया	७०	—	४२	१८	१३	५	४६	—	१२७	१	३२२
८.	ढोर कोली	—	—	—	—	२	—	—	—	—	—	२
९.	पारधी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	२२	२२
१०.	बिनवर्गीकृत	९४	११	४४	५०	५६	१९६	२२८	३	१३३	२४	८३९
११.	कुल	१०१५	२२६५	२०५९	१५०८	१४३०	३७८०	१५३२	१२०	५२६	१५०	१४३८५

१२. महेसाणा जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	पाटण	चाणस्मा	समी	हारिज	महेसाणा	सिद्धपुर	वीजापुर	कडी	कलोल	कुल
१.	भील	२४०	–	२१२	१	४	१४६	७	—	६२	६७२
२.	नायक	१०	–	—	–	–	—	६१	८१	—	१५२
३.	पारधी	—	–	—	–	–	—	१६	२६	—	४२
४.	बिनवर्गीकृत	९	४	—	–	–	१२	—	—	—	२५
५.	कुल	२५९	४	२१२	१	४	१५८	८४	१०७	६२	८९१

१३. अहमदाबाद जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	अहमदाबाद शहर	वीरमगाम	दसक्रोई	देहगाम	साणंद	धोलका	धंधुका	कुल
१.	भील	२००९	३९	२७७	३३	९७	७३९	५	३१९९
२.	दूबला	—	५	५७	—	—	३०	—	९२
३.	गामीत	—	८६	—	—	—	—	—	८६
४.	राठवा	—	—	१	—	—	—	—	१
५.	धानका	—	—	४	—	३९	—	—	४३
६.	कोकणा	—	—	२	—	—	—	—	२
७.	नायक	९२	३५०	४४	१०	४८९	१५९	९३	१२३७
८.	वारली	—	—	२९	—	—	—	—	२९
९.	पटेलिया	३३	—	—	—	११९	७३	—	२२५
१०.	ढोर कोली	—	२३	३	—	—	—	—	२६
११.	बावचा	—	—	—	४	—	—	९७	१०१
१२.	पारधी	—	१२	१०	२	—	—	—	२४
१३.	गोंड	—	—	१	—	—	—	—	१
१४.	बिनवर्गीकृत	—	—	—	—	४	३५	८६	१२५
१५.	कुल	२१३४	५१५	४२८	४९	७४८	१०६	२८१	५१९१

१४. बड़ौदा जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	बडौदा	सावली	वाघोडिया	पादरा	करजण	शिनोर	डभोई	संखेडा	तिलकवाडा	नसवाडी	छोटा उदयपुर	जंबुगाम	कुल
१.	भील	६१८५	५९९२	१३२९६	२३२७	१३६८६	८९१९	१४२२७	५२९३	१००४०	२८१५७	४८५७	९११	११३८९०
२.	दूबला	४२३२	२१२१	५६९९	१५४६	२७४९	२५५	३५३८	१	—	—	—	—	२०१४४
३.	धोडिया	—	५६	—	२३	—	—	—	—	—	—	—	—	७९
४.	गामीत	—	—	—	—	—	१	—	—	—	—	—	—	१
५.	चौधरी	१	२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	३
६.	राठवा	३२३	३१	—	—	२०	—	—	४२	—	४७३८	६८०९६	३३०३९	१०६२८९
७.	धानका	७८५	२७४	११३१	४५	८०	१७८	५९९५	२२९०८	७८७७	६०३८	५२५०	९०९६	५९६५७
८.	कोकणा	—	—	—	३	—	—	—	—	—	—	—	—	३
९.	नायक	२६८	६७१	९४८	७५	२७	८	२७	१२९८	—	५९	३५८८	३४९७	१०४६६
१०.	पटेलिया	—	३	२२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	२५
११.	ढोर कोली	—	—	—	४	४	१	—	१९	—	—	३६	—	६४
१२.	कोटवालिया	—	—	—	—	४०	—	—	—	—	—	—	—	४०
१३.	बावचा	१४	४	—	—	—	२	६	—	—	—	—	—	२६
१४.	पोमला	—	—	५	३	—	—	—	—	—	—	—	—	८
१५.	बरडा	—	—	४	—	—	—	—	—	—	—	—	—	४
१६.	बिनवर्गीकृत	२१	२१	—	१	११४	१७०	—	५०२१	७०	—	१४७	—	५५६५
१७.	कुल	११८२९	९१७५	२११०५	४०२७	१६७२०	९५३४	२३७९३	३४५८२	१७९८७	३८९९२	८१९७७	४६५४३	३१६२६४

१५. भरूच जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	भरूच	वागरा	जंबुसर	आमोद	अंकलेश्वर	हांसोट	झगडिया	नांदोद	वालिया	डेडियापाडा	सागबारा	कुल
१.	भील	२१००४	५७७१	६६३	७४९८	२२४६३	५१९६	५८३८७	४०९७७	४२०४७	३९३४९	२४१८०	२६७५५५
२.	दूबला	३७५२	७७९३	८२५५	४७०४	२७७०	४७९९	२७	६	५०७	३७	२	३२६५२
३.	धोडिया	१०	—	—	—	६	—	—	२	६	—	१	२५
४.	गामीत	२	—	—	—	१	—	—	१	१९३८	२५	४०५९	६०२६
५.	चौधरी	७	—	—	—	९	१	—	४	१७९८	१	२८	१८४८
६.	राठवा	—	—	—	—	—	—	—	—	१	—	—	१
७.	धानका	५	२	—	९	३	१७	५८५	३२७५६	१	२५४९	७५६७	४३४९४
८.	कोकणा	—	—	—	—	१	—	—	—	२७	३८	—	६६
९.	नायक	११	—	३२	३१	१	—	२	१६२	२२	३३	४३२	७२६
१०.	पटेलिया	—	—	१३	—	—	—	—	१९	—	—	—	३२
११.	ढोर कोली	१	—	—	१३	—	—	—	५	—	—	१४५	१६४
१२.	कोटवालिया	—	—	१४	—	—	—	८६	—	२२८	४२०	३६३	१११९
१३.	काथोडी	—	—	—	—	—	—	—	—	३५	१२	२६७	३१४
१४.	पारधी	—	२४	३०	६	—	—	—	—	—	—	—	६०
१५.	पोमला	—	—	—	२५	१२	—	—	—	—	—	—	३७
१६.	गोंड	—	—	—	९	—	—	—	—	—	—	—	९
१७.	बिनवर्गीकृत	—	—	—	९१	—	—	—	१३	—	—	—	१०४
१८.	कुल	२४७९२	१३६१०	९००७	१२३८६	२५२६६	१००१३	५९०८७	७३९४५	४६६१०	४२४६४	३७०४४	३५४२२४

१६. सूरत जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	ओलपाड	कामरेज	चोर्यासी	पलसाणा	मांडवी	व्यारा	बारडोली	वालोड	नवसारी	गणदेवी	महुवा
१.	बावचा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
२.	भील	९८१	२१२३	६१५	७२	१०८२९	२९४५	५७	५०	१५	३१	९
३.	चौधरी	२४९	३००	१३५४	७२२	४४२८६	३९४०७	११३०७	१३०४२	२८५	३८	३७६६
४.	धानका	—	—	५	—	—	—	—	९१	—	२	२७
५.	धोडिया	१३८	५९७	४७९७	२७०	२७	५३४७	३८७	१८७५	२८७५	५७७५	३०११२
६.	दूबला	१५०८१	१७४२७	२९११०	१६०२२	५४७७	८८९	२८०२१	७०८५	३८५९६	१५५८९	५९४३
७.	गामीत	४५६	३८५	५९०	९५	७४८४	४०२८२	७०७	५२०५	३७	१५	४८८
८.	गोंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
९.	काथोडी	—	—	—	—	२५	—	—	—	—	—	—
१०.	कोकणा	२	१	२०८	९	१३	७१५१	२७१	१७०९	१८२	३४३	५३१
११.	ढोर कोली	—	—	१	—	—	२	३४	८	१	२७४	१५९७
१२.	नायक	१९५	६२१	२३१२	५८१	२३	६२७	९५४	८१८	६१९८	५३१०	४६८६
१३.	पारधी	—	—	—	—	—	१९	—	—	—	३९	१२
१४.	पटेलिया	१२	१०९	६६	—	—	—	६	—	—	१७	८
१५.	पोमला	—	—	—	७	—	—	—	—	—	—	—
१६.	वारली	—	—	—	—	१३	११०	—	१९	१०	—	—
१७.	कोटवालिया	—	—	२०	—	८४७	२२३८१	५३	४५३	२५	१२३	२१४
१८.	बिनवर्गीकृत	—	—	१२४	—	—	—	४	५	५३६	—	—
१९.	कुल	१७११४	२१५६३	३९२०२	१७७७८	६९०२४	९९०१६	४१८०१	३०३६०	४८७६०	२७५५६	५०९९३

१६. सूरत जिला – ग्रामीण विस्तार

अ.नं.	जाति	वांसदा	वलसाड	चीखली	धरमपुर	पारडी	उमरगांव	उच्छल	निझर	मांगरोल	सोनगढ	कुल
१.	बावचा	—	—	—	१	—	—	—	—	—	—	१
२.	भील	५७७	६	६	२१	१०	—	१०७३१	१९३४२	३८८७४	७७९७	९५०९१
३.	चौधरी	९८४	३१	२१	७	१५	६०	८०	४५	१२४९२	६४८७	१३८५७८
४.	धानका	—	—	५	—	—	—	२५१६	११९४५	१०	१	१४६०२
५.	घोडिया	२७९०८	३२०८२	६०३३१	२६५३७	४२७६९	११००२	२४५	१	६४	२९३	२५३४३२
६.	दूबला	९१९	१०६४२	१२५९९	५६७	१३२१६	१२८५१	१३७	—	३४६५	१८६	२३३८२२
७.	गामीत	३३६९	३	५	१५	८	—	१५२४१	९९४९	७३३४	५३६११	१४५५७९
८.	गोंड	—	—	—	५२	—	—	—	—	—	—	५२
९.	काथोडी	—	—	—	—	—	४३	५५३	३८१	४०३	१३७	१५४२
१०.	कोकणा	३३५६८	५८६	१०६१५	४२८४६	३३	३६	५३२	१४	६९	१४८९	१००२०८
११.	ढोर कोली	२९०७	६२५	१९३२	५३५६	३८	२	१	—	—	—	१२७७८
१२.	नायक	२९११	९३१८	५९४६	४२६३	९६७०	२३	१५४	३५५	३०	३२	५५०२७
१३.	पारधी	—	१६	—	—	—	—	—	—	—	—	८६
१४.	पटेलिया	—	—	—	—	—	—	—	२	१	—	२२१
१५.	पोमला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	७
१६.	वारली	७४९६	१४३	७६१	५२४६१	९०४	२५५५२	२	—	—	२	८७४७३
१७.	कोटवालिया	९७०	१०८	४६	१	२३	—	१३१	—	२८२	१३५९	६८९२
१८.	बिनवर्गीकृत	—	—	—	—	—	—	६	—	—	—	६७५
१९.	कुल	८१९०९	५३५६०	९२२६७	१३२२२७	६६६८६	४९५६९	३०३२९	४२०३४	६३०२४	७१३९४	११४६०६६

परिशिष्ट नं० ६

गुजरातके आदिवासियोंका उम्र तथा सामाजिक परिस्थितिके अनुसार विभाजन

(१) सभी उम्रके लोगोंकी सामाजिक परिस्थिति

परिस्थिति	पुरुष	स्त्री	कुल
अपरिणीत	७,६६,२९२	६,६४,८७९	१४,३१,१७१
परिणीत	५,८४,३६२	६,०१,३९४	११,८५,७५६
विधुर	३७,६९६	८२,५१९	१,२०,२१५
लग्नविच्छेद	१०,१२७	७,१७४	१७,३०१
अन्य	१	२	३
कुल	१३,९८,४७८	१३,५५,९६८	२७,५४,४४६

(२) ०–१४ वर्षकी आयुवाले लोगोंकी सामाजिक परिस्थिति

परिस्थिति	पुरुष	स्त्री	कुल
अपरिणीत	६,२६,२४१	६,०८,००१	१२,३४,२४२
परिणीत	१,७९४	३,९७४	५,७६८
विधुर	१८	१८	३६
लग्नविच्छेद	३७	५९	९६
कुल	६,२८,०९०	६,१२,०५२	१२,४०,१४२

(३) १५–४४ वर्षकी आयुवाले लोगोंकी सामाजिक परिस्थिति

परिस्थिति	पुरुष	स्त्री	कुल
अपरिणीत	१,३७,९३९	५५,९८३	१,९३,९२२
परिणीत	४,१६,९२०	४,९०,०४६	९,०६,९६६
विधुर	१०,४६३	१५,३३४	२५,७९७
लग्नविच्छेद	८,५०३	६,२३९	१४,७४२
कुल	५,७३,८२५	५,६७,६०२	११,४१,४२७

(४) ४५से अधिक आयुवाले लोगोंकी सामाजिक परिस्थिति

परिस्थिति	पुरुष	स्त्री	कुल
अपरिणीत	१,८७५	६७८	२,५५३
परिणीत	१,६५,५१५	१,०७,२७०	२,७२,७८५
विधुर	२७,२०८	६७,१४९	९४,३५७
लग्नविच्छेद	१,५८३	८७६	२,४५९
कुल	१,९६,१८१	१,७५,९७३	३,७२,१५४

(५) जिनकी उम्र निश्चित रूपसे मालूम न हुई हो उनकी सामाजिक परिस्थिति

परिस्थिति	पुरुष	स्त्री	कुल
अपरिणीत	२३७	२१७	४५४
परिणीत	१३३	१०४	२३७
विधुर	७	१८	२५
लग्नविच्छेद	४	—	४
अनिश्चित	१	२	३
कुल	३८२	३४१	७२३

(६) उम्रके अनुसार जनसंख्याका बँटवारा

उम्र	पुरुष (संख्या)	प्रतिशत	स्त्रीसंख्या	प्रतिशत	कुलसंख्या	प्रतिशत
०–१४	६,२८,०९०	४४.९	६,१२,०५२	४५.१	१२,४०,१४२	४५.०
१४–४५	५,७३,८२५	४१.०	५,६७,६०२	४१.८	११,४१,४२७	४१.४
४५ से अधिक	१,९६,१८१	१४.१	१,७५,९७३	१३.१	३,७२,१५४	१३.६
अनिश्चित	३८२	—	३४१	—	७२६	—
कुल	१३,९८,४७८	१००.०	१३,५५,९६८	१००.०	२७,५४,४४६	१००.०

परिशिष्ट नं० ७

गुजरातके आदिवासियोंकी जमीन मालिकी

जमीनमालिकीका प्रमाण	असामियोंकी संख्या	प्रतिशत	
१ एकड़से कम	२,५०४	४.३	
१ से २.४ एकड़ तक	१२,४८७	२१.३	४७.३
२.५ से ४.९ ,, तक	१५,२४४	२६.०	
५.० से ७.४ ,, तक	११,३७९	१९.४	२८.५
७.५ से ९.९ ,, तक	५,३३३	९.१	
१०.० से १२.४ ,, तक	४,३६७	७.४	१०.४
१२.५ से १४.९ ,, तक	१,७७०	३.०	
१५.० से २९.९ ,, तक	४,५२६	७.७	
३०.० से ४९.० ,, तक	७३९	१.२	
५० ऊपर	१५९	०.३	
जिनका वर्गीकरण न हुआ हो	१६९	०.३	
योग	५८,६७७	१००.०	

आधार : १९६१ की जनगणनाके समय ग्रामविस्तारके अन्तर्गत आदिवासी किसान परिवारोंके कुल पत्रकोंमेंसे २० प्रतिशत पत्रकोंके नमूने जांचके आधार पर जमीनमालिकीका यह ब्योरा तैयार किया गया है। देखें — सेन्सस ऑफ इन्डिया वॉल्यूम फाइव गुजरात पार्ट फाइव ए टेबल्स ओन शिड्यूल्ड कास्ट्स एन्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स

परिशिष्ट नं० ८

अपनी मातृभाषाके रूप विभिन्न भाषाभाषी आदिवासियोंकी संख्या

अनुक्रम	भाषा	पुरुष	स्त्री	कुल
१.	गुजराती	१२,५४,७६६	१२,१३,९२७	२४,६८,६९३
२.	डांगी	३१,१६३	२९,२००	६०,३६३
३.	भीलोड़ी	२६,४८०	२७,७५१	५४,२३१
४.	चौधरी	१६,२३५	१५,९३९	३२,१७४
५.	कोंकणी	१२,५४३	१२,४२२	२४,९६५
६.	भीली	९,०९१	९,२६२	१८,३५३
७.	धोड़िया	८,४१३	९,५८७	१८,०००
८.	मराठी	८,००३	७,६२८	१५,६३१
९.	गामीती । गावीत	७,९६५	७,०२१	१४,९८६
१०.	वारली	७,२५१	७,३४५	१४,५९६
११.	मावची	६,६१७	६,५०६	१३,१२३
१२.	कच्छी	४,७०१	४,४३२	९,१३३
१३.	वसावा	१,८६२	१,८२३	३,६८५
१४.	हिन्दी	६०८	४९५	१,१०३
१५.	काथोडी	४३३	४२९	८६२
१६.	कोलची	४६४	३९०	८५४
१७.	मारवाडी	४६८	३५३	८२१
१८.	कोटवाली	३९१	३७६	७६७
१९.	नायकडी	२४९	३७१	६२०
२०.	वलवी	२३६	२२७	४६३
२१.	सिंधी	१९९	१८२	३८१
२२.	राजस्थानी	१०५	८२	१८७
२३.	पडवी	८९	८३	१७२
२४.	उर्दू	४३	३२	७५
२५.	कातकरी	३१	३९	७०
२६.	आहिराणी	२३	२८	५१
२७.	तेलुगु	२६	१३	३९
२८.	तामिल	११	१६	२७
२९.	कानडा	४	४	८
३०.	कोली गुजराती	४	१	५
३१.	मलयालम	४	—	४
३२.	पंजाबी	२	२	४
३३.	तलाविया	४	—	४
३४.	मेवाडी	१	२	३
३५.	आफ्रिकन	१	—	१
३६.	गोआनीज	१	—	१
३७.	नेपाली	१	—	१
३८.	कुल	१३,९८,४७६	१३,५५,९६८	२७,५४,४४४

(सेन्सस ऑफ इन्डिया १९६१ वोल्यूम फाइव — गुजरात पार्ट फाइव ए — टेबल्स ऑन शिड्यूल्ड कास्ट्स एन्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स में से)

परिशिष्ट नं० ९

आदिवासी मेले

हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, "सेन्सस ऑफ इन्डिया १९६१ वॉल्यूम फाइव गुजरात पार्ट सेवन-बी फेअर्स एन्ड फेस्टीवल्स "में आदिवासियोंके मेलोंके संबंधमें कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उसे देखनेसे मालूम पड़ता है कि आदिवासियोंके मेलोंमें बहुधा ५०००से कम लोगोंकी हाज़िरी होती है, और उनके मेलों और त्यौहारोंमें होलीका सबसे बड़ा स्थान होता है। यह उनका सबसे बड़ा त्यौहार होनेके कारण इस अवसर पर लगनेवाले मेलोंकी संख्या सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त उनके मेले विशेष करके फागुन मासमें अर्थात् होली पर और आश्विन मासमें या फसल कट जानेके बाद लगते हैं। सबसे अधिक मेले पंचमहाल ज़िलेमें लगते हैं। आदिवासी मेलेके विषयमें दिये गये आंकड़े उपरोक्त ग्रंथसे लिये गये हैं। उसका हम सधन्यवाद जिक्र करते हैं।

१. हाज़िरी अनुसार मेलोंकी संख्या

अनुक्रम	जिला	कुल मेलोंकी संख्या	५०००से कम हाज़िरीवाले मेलोंकी संख्या	५०००से अधिक और १००००से कम हाज़िरीवाले मेलोंकी संख्या	१००००से अधिक और १५०००से कम हाज़िरीवाले मेलोंकी संख्या	१,५०००से अधिक और २५०००से कम हाज़िरीवाले मेलोंकी संख्या	२५०००से अधिक और ५००००से कम हाज़िरीवाले मेलोंकी संख्या	५००००से अधिक और १ लाखसे कम हाज़िरीवाले मेलोंकी संख्या
१.	जूनागढ	३	२	१	—	—	—	—
२.	बनासकांठा	१३	१२	१	—	—	—	—
३.	साबरकांठा	२३	१६	४	१	१	१	—
४.	महेसाणा	२	१	१	—	—	—	—
५.	खेडा	५	५	—	—	—	—	—
६.	पंचमहाल	८९	७८	१०	—	—	१	—
७.	बड़ौदा	६८	५४	११	२	—	१	—
८.	भरूच	१८	१६	२	—	—	—	—
९.	सूरत	६३	५१	५	४	२	—	१
१०.	डांग	७	६	—	—	१	—	—
११.	कुल	२९१	२४१	३५	७	४	३	१

२. मास अनुसार मेलोंकी संख्या

अनुक्रम	मास	मेलोंकी संख्या
१.	कारतक	१८
२.	मार्गशीर्ष	३
३.	पोष	४
४.	माघ	२४
५.	फागुन	१०९
६.	चैत	२६
७.	बैसाख	८
८.	ज्येष्ठ	—
९.	अषाढ़	२
१०.	सावन	२६
११.	भादों	२१
१२.	आश्विन	३२
१३.	मुसलमान तिथिके अनुसार	५
१४.	साप्ताहिक मेले	१२
१५.	अन्य	१
१६.	योग	२९१

३. प्रकार अनुसार मेलोंकी संख्या

अनुक्रम	मेलोंके देव अथवा प्रकार	संख्या
१.	शिव	४९
२.	होली	८१
३.	माताजी	३१
४.	मुसलमान पीर	१३
५.	हनूमान	१९
६.	कृष्ण	२२
७.	नदीतीर्थ	४
८.	लोकमेले	७
९.	स्थानिक वीर पुरुषोत्तम	१३
१०.	स्थानिक देवता	३
११.	दशेरा (दशहरा)	६
१२.	व्यापारी	१२
१३.	स्थानिक संत	३
१४.	शीतला माता	३
१५.	राम	८
१६.	भाथीजी	४
१७.	स्वामीनारायण	१
१८.	नकलंग	१
१९.	गणेश	१
२०.	अन्य	१०
२१.	योग	२९१

परिशिष्ट नं० १०

आधार ग्रंथ

इस पुस्तकमें बताये गये आंकड़े Census of India १९६१ के नीचे बताये गये दो ग्रंथोंमेंसे लिये गये हैं। परन्तु जातियोंकी नोंधोंके लिये अन्य ग्रंथोंका आधार लिया गया है।

(१) Aboriginal Tribes of the Bombay Presidency (A Fragment)—by Rev. John Wilson (1876)

(२) Gazeteer of the Bombay Presidency, Gujarat Population—Hindus (1901)

(३) The Tribes and Castes of Bombay, Vol. I, Vol. II—by R. E. Enthoven (1920)

(४) Census of India 1901 Vol. I

(५) Census of India 1911 Vol. VII Bombay, Part I Report.

(६) Census of India 1921 Vol. VIII Bombay Presi. Part I General Report.

(७) Census of India 1931 Vol. VIII Bombay Presi. Part I, General Report.

(८) Census of India 1931 Vol. XIX Baroda Part I, Report.

(९) Census of India 1961 Vol. V Gujarat Part VA—Tables on Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(१०) Census of India 1961 Vol. I India Part II-(A) (ii) Union Primary Census Abstracts.

(११) Gazeteer of Broach District

(१२) Gazetteer of Surat District

(१३) The Dublas of Gujarat by P. G. Shah

(१४) Naiks-Naikadas by P. G. Shah

(१५) Tribal Life in Gujarat by P. G. Shah

(१६) The Bhils by Dr. T. B. Naik

(१७) The Warlis by K. J. Save

(१८) The Grasias by P. C. Dave

(१९) पंचमहालके आदिवासी ले. जयंत मलकाण

(२०) सौराष्ट्रकी आदिवासी जातियाँ भा० १-२-३

प्रकाशक : सौराष्ट्र पछात वर्ग बोर्ड

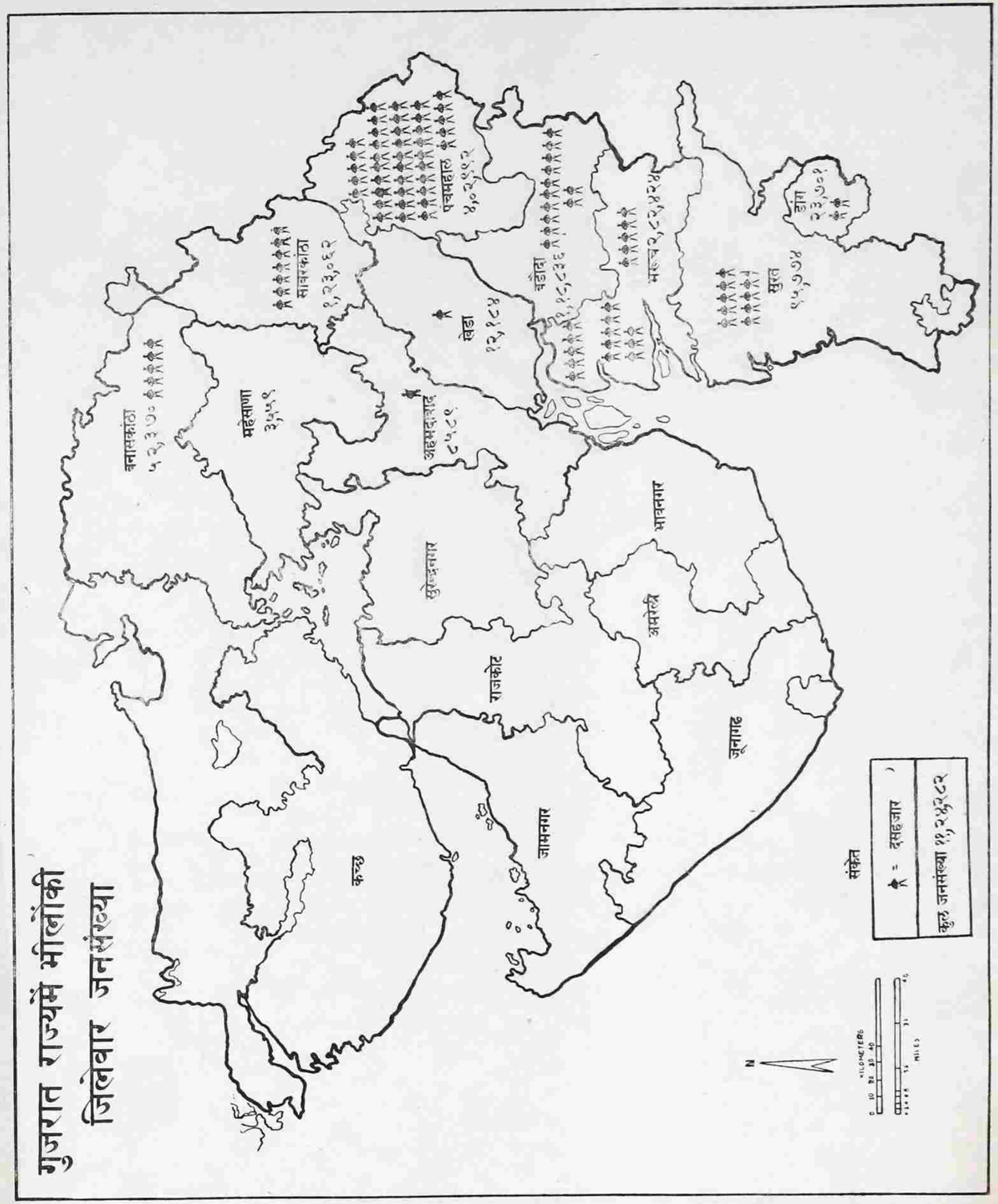

गुजरात राज्यमें दूबलाओंकी जिलेवार जनसंख्या

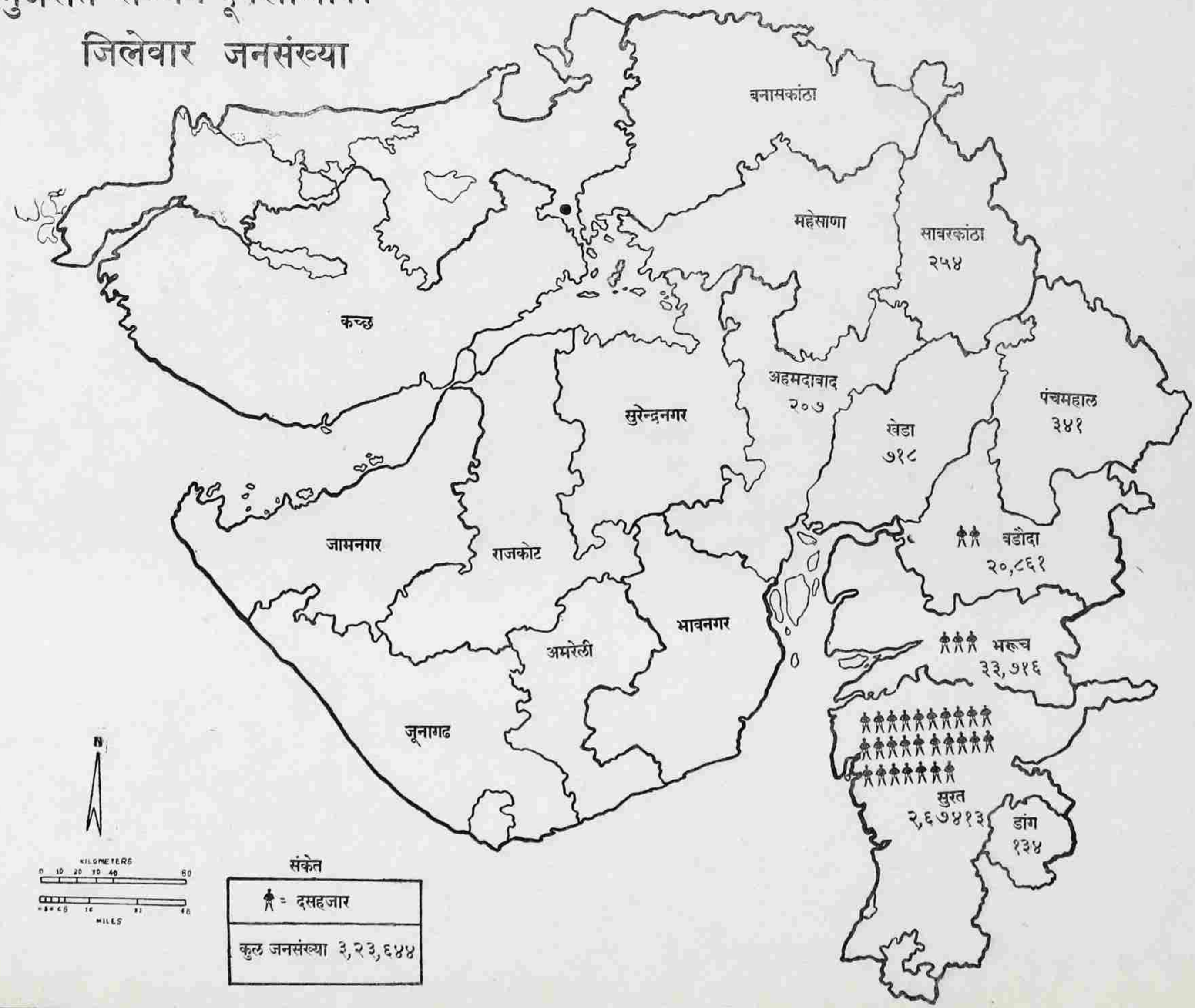

गुजरात राज्यमें धोडियाओंकी जिलेवार जनसंख्या

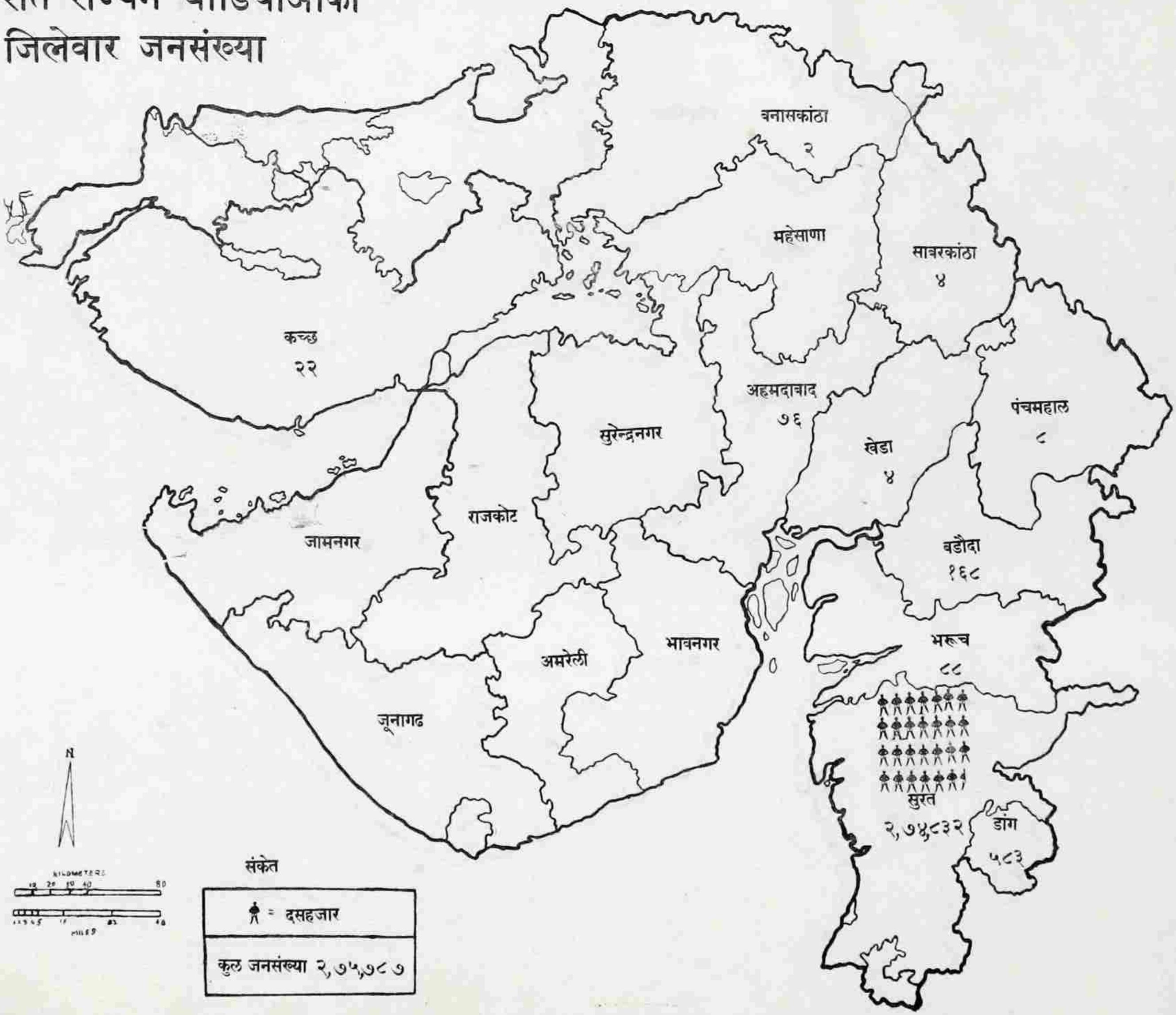

गुजरात राज्यमें गामीतोंकी जिलेवार जनसंख्या

गुजरात राज्यमें चौधरियोंकी जिलेवार जनसंख्या

गुजरात राज्यमें राठवाओंकी जिलेवार जनसंख्या

गुजरात राज्यमें धानकाओंकी जिलेवार जनसंख्या

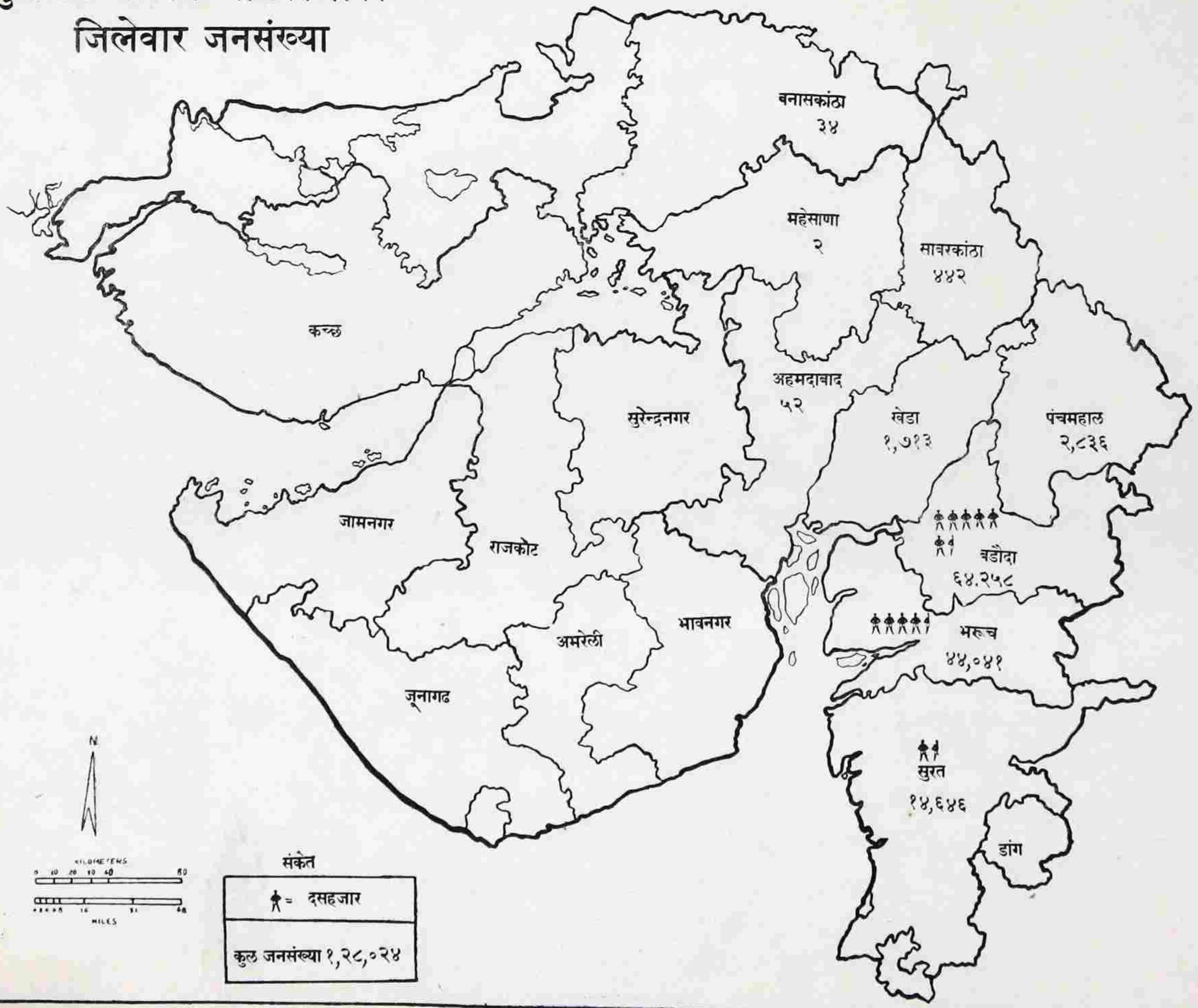

गुजरात राज्यमें कोंकणाओंकी जिलेवार जनसंख्या

गुजरात राज्यमें नायकडाओंकी जिलेवार जनसंख्या

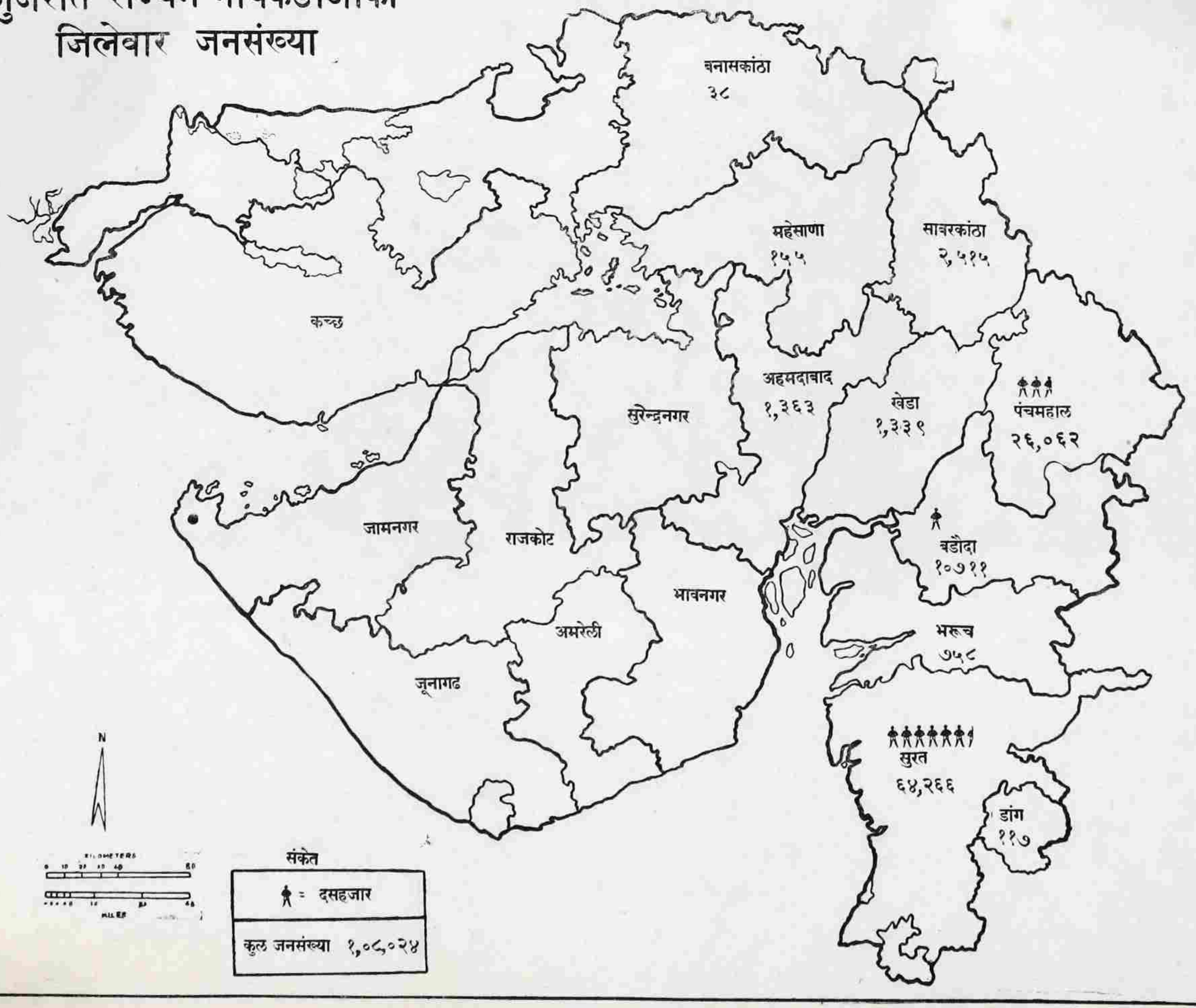

गुजरात राज्यमें वारलीओंकी जिलेवार जनसंख्या